लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

Conservation
14/10/92
Parliament

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.....5.1(P).(2)..
Date.....7.X.....24.....

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 31, मंगलवार, 3 अप्रैल, 1979/13 चैत्र, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 595 से 600 और 605	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 601 से 603 और 606 से 615	21—34
अतारांकित प्रश्न संख्या 5801 से 5833, 5835 से 5868, 5870 से 5947 और 5949 से 6000	34—200
सभा पटल पर रखे गये पत्र	201
लोक लेखा समिति	201—202
111वां तथा 119 वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	202
29वां, 30वां तथा 38वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	202—212
(एक) लघु उद्योग एककों में उत्पादन के लिये मदो के आरक्षण संबंधी नीति	202—203
डा० वसन्त कुमार पंडित	
(दो) 20 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में खेतिहर मजदूरों के प्रदर्शन और रैली के बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित समाचार	203—204
श्री पी० के० कोडियन	
(तीन) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मराठवाडा डिवीजन के मिल मजदूरों की मांगें	204—205
श्री केशवराव धोंडगे	

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) पश्चिम बंगाल में बिजली, मिट्टी का तेल और कोयले की अपर्याप्त सप्लाई का समाचार	205—207
श्री राजकृष्ण डान	
(पांच) आसाम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में गेहूं, नमक, चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट और इस्पात की कमी के समाचार	207—208
श्री पूर्णनारायण सिन्हा	
(छः) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की हाल में की गई नीलामी	208—210
श्री शरद यादव	
(सात) पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री जेड० ए० भुट्टो को दिया गया मृत्यु दण्ड	210—212
श्री ज्योतिर्मय बसु	
अनुदानों की मांगें—1979-80	212—220
योजना मंत्रालय	212
श्री श्रीकृष्ण सिंह	212—213
श्री मोरारजी देसाई	213—219
नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में	220
पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जेड० ए० भूट्टो को दिये गये मृत्यु दण्ड के बारे में	220
श्री मोरारजी देसाई	220
अनुदानों की मांगें—1979-80	221—294
गृह मंत्रालय	221
श्री वसन्त साठे	221—225
श्री रामानन्द तिवारी	232—238
डा० कर्ण सिंह	238—242
श्री रामनरेश कुशवाहा	242—247
श्री सोमनाथ चटर्जी	247—252
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	252—258
श्री केशवराव धोंडगे	258—262

विषय	पृष्ठ
श्री राम विलास पासवान	262—269
श्री चरण नरजरी	269—271
डा० रामजी सिंह	271—275
श्री एफ० एच० मोहसिन	275—279
श्री चतुर्भुज	279—282
श्री के० कुन्हम्बू	282—284
श्री गोविन्द राम मिरी	284—287
श्री रिनचिंग खाण्डु खिमे	288—291
श्री मनोरंजन भक्त	291—294

लोक सभा

मंगलवार, 3 अप्रैल, 1979/13 चैत्र, 1901 (शक)

(लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिमाचल प्रदेश में बग्गी में बिजली घर की स्थापना

*595. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास-सतलुज परियोजना की पहली सुरंग हिमाचल प्रदेश में बग्गी में खुलती है ;

(ख) क्या बग्गी में बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) बग्गी में बिजली घर की स्थापना करने के बारे में ब्यास परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है। इस परियोजना में सुरंग के जरिए उपलब्ध सप्लाई का इस्तेमाल करके 40 मेगावाट क्षमता की प्रतिष्ठापना करने की परिकल्पना की गई है।

श्री दुर्गा चन्द : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार बग्गी में बिजली घर की स्थापना के प्रस्ताव की ब्यास परियोजना प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है परंतु वह रिपोर्ट तो 1974 में तैयार की गई थी। पांच वर्ष बीत गए हैं परंतु रिपोर्ट की तकनीकी दृष्टि से जांच नहीं की गई है। इतनी अधिक देरी का क्या कारण है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इसकी जांच कर ली गई है और भाग लेने वाले राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को उनकी टिप्पणी हेतु भेजा गया है। उनसे टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् हम परियोजना को आरम्भ करने के प्रश्न की जांच करेंगे।

श्री दुर्गा चन्द : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई अभ्यावेदन भेजा है या केन्द्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई पत्राचार किया है कि बग्गी बिजली घर का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन : किसी समय जून में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिव ने भारतीय मजदूर संघ के अभ्यावेदन को अग्रेषित किया था जिसमें कहा गया था कि हजारों श्रमिकों की छंटनी की गई है और यदि इस परियोजना को आरम्भ किया जाता है तो उन्हें पुनः नौकरी पर रखा जा सकता है। यही सब प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या पंजाब सरकार से भी इस किस्म का कोई रिप्रैजैन्टेशन आया है कि वह हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर वहां के दरियाई पानी से बिजली पैदा करने के लिए वहां अपना प्रोजैक्ट लगाने को तैयार है ? क्या केन्द्रीय सरकार उसमें उसकी मदद करेगी ताकि पंजाब सरकार वहां अपना बिजली का प्रोजैक्ट लगाकर, नार्दर्न इंडिया में जो बिजली की कमी है, उसको पूरा कर सके ?

श्री पी० रामचन्द्रन : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में किसी स्थान का उल्लेख नहीं किया है।

चौधरी बलबीर सिंह : हिमाचल प्रदेश में।

श्री पी० रामचन्द्रन : हिमाचल प्रदेश में कई परियोजनाओं का पता लगाया गया है और हाल ही हुई एक बैठक में जिसमें सभी मुख्य मंत्री उपस्थित थे हिमाचल प्रदेश की विभिन्न योजनाओं पर विचार किया गया है। ऐसी ही एक योजना—नापथा झाकरी है। योजना आरम्भ करने से पूर्व भविष्य के लिए नियम और सिद्धांत बनाने होंगे जिनके आधार पर इन परियोजनाओं को आरंभ किया जा सकेगा। इन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री गंगा सिंह : ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना की एक शाखा है। इसके लिए थोड़ी सी धनराशि की आवश्यकता है। 40 मेगावाट के यूनिट के निर्माण में 8.20 करोड़ रुपये व्यय होंगे और इस परियोजना में प्रति किलोवाट उत्पादन लागत 7.7 पैसे होगी। अतः यह एक सस्ती परियोजना है। रिपोर्ट 1974 में प्रस्तुत की गई थी। सरकार पांच वर्ष तक इसकी तकनीकी दृष्टि से जांच नहीं कर सकी। इसके क्या कारण हैं ? इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि इस परियोजना का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपा जाता है तो वे इसे पूरा करेंगे और सारी बिजली का उपयोग उन्हीं के द्वारा किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से दो बातें जानना चाहता हूं। इतनी अधिक देरी क्यों हुई ? इसे कब आरम्भ किया जाएगा ? माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना के लगभग 30,000 श्रमिकों की छंटनी कर दी

गई है। उन्हें पुनः नौकरी पर रखने के लिए इसे तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए। यदि भारत सरकार इसे आरम्भ नहीं करना चाहती तो क्या इसे हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपा जायेगा ?

श्री पी० रामचन्द्रन : यह परियोजना ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना के कारण आरंभ की जा रही है। इसका निर्माण कार्य राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीन भागीदार राज्यों की सहायता से पूरा किया जा रहा है। यही कारण है कि जब यह रिपोर्ट हमारे ध्यान में लाई गई तब हमने टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इसे परिचालित किया। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि यह एक छोटी परियोजना है। इसके द्वारा ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना से छंटनी किए गए सभी श्रमिकों को खपाना संभव नहीं होगा। दूसरी तरफ ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना द्वारा किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप लगभग 13,000 से 14,000 तक श्रमिक विभिन्न परियोजनाओं में खपा दिए गए हैं। इसके लिए "प्लेसमेंट सैल" है जो इस सब की देखभाल करता है। विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी छंटनी किए गए श्रमिकों के नाम परिचालित किए जाते हैं। सरकार भी उन्हें नौकरी देने के लिए कदम उठा रही है।

कोयला उत्पादन के बढ़े-चढ़े आंकड़े प्रस्तुत करना

***596. श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला कम्पनियां भूतकाल में उत्पादन के संबंध में झूठे एवं बढ़े-चढ़े आंकड़े प्रस्तुत करती रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने देश में कोयले के उत्पादन के संबंध में ठीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० के अधीन एक कम्पनी के बारे में पता चला था कि वर्ष 1977-78 के दौरान उसने 3.57 लाख टन उत्पादन के आंकड़े बढ़ाकर सूचित किये थे। कुछ अन्य मामलों में खातों में दर्ज स्टाक वास्तविक तौल के आधार पर निर्धारित मात्रा के आंकड़ों में अन्तर रहा।

(ग) उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर बताने के बारे में दायित्व निश्चित करने के लिए जांच की गई है और जानबूझकर उत्पादन बढ़ाकर बताने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त स्टाक की अधिक सही और नियमित नाप तोल सुनिश्चित करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं। यह आंकड़े और इसके साथ कोयले के वास्तविक प्रेषण के आंकड़े कोयले के उत्पादन का सही अनुमान प्रस्तुत करते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, उन्हें हिन्दी में उत्तर देने दीजिए। परंतु प्रश्न यह नहीं है कि इसका उत्तर हिंदी में दिया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सरकार ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। इस अत्यधिक गम्भीर मामले पर प्रश्नों से बचने का प्रयत्न किया है। मुझे यह सब कहते हुए खेद होता है और इसके लिए मैं

माननीय मंत्री महोदय को दोषी ठहराता हूं। पहले दिए गए उत्तरों को दृष्टि में रखते हुए मुझे ऐसा कहते हुए दुःख होता है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, 6 दिसम्बर, 1978 को सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय श्री रामचन्द्रन ने कहा था कि उन्होंने केवल एक कम्पनी और केवल एक मामले में त्रुटियां पाई हैं। महोदय, मार्च महीने में आधे घंटे की एक चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि एक या दो कम्पनियों के संबंध में ही कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। महोदय, अब वे कहते हैं कि एक कम्पनी ने उत्पादन के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर सूचित किये हैं। कतिपय अन्य मामलों में जोकि एक से अधिक हैं, खातों में दर्ज स्टाक व वास्तविक तौल के आधार पर निर्धारित मात्रा के आंकड़ों में अंतर रहा। हर बार मुझे अलग ही उत्तर मिला है। अब मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सदन को ये सब उत्तर देने से पूर्व श्री रामचन्द्रन के पास कार्य दल समिति की रिपोर्ट नहीं थी। इस समिति का गठन कोल इंडिया लि० के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल ग्रेवाल ने आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर बताने की जांच कराने के लिए किया था। मंत्री महोदय को यह रिपोर्ट सितम्बर, 1978 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सी० सी० एल० और ई० सी० एल० के मामले में आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए जाते हैं। ये न केवल कोयले के क्षेत्र में बड़ी कम्पनियां हैं बल्कि ये व्यवसाय की दृष्टि से भी बड़ी कम्पनियां हैं। यह रिपोर्ट सितम्बर, 1978 में जब मंत्री महोदय के पास थी तो उन्होंने दिसम्बर, मार्च और अब क्यों टाल मटोल वाला और गलत जवाब दिया है। यह अस्पष्ट जवाब है। क्या वे इसे स्पष्ट और सही करेंगे। क्या कार्य दल समिति की रिपोर्ट जोकि उन्हें सितम्बर, 78 में प्रस्तुत की गई थी, को वे सदन के पटल पर रखेंगे ? कम से कम अब तो मैं उनसे पूर्ण उत्तर की आशा कर सकता हूं **(व्यवधान)**। मुझे खेद है कि इसको वे टाल रहे हैं। अब वे सारा दोष इस सज्जन व्यक्ति राज्य मंत्री को दे रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के गुस्से में बोलने के ढंग पर थोड़ा हंसना चाहता हूं क्योंकि जब मैं इधर बैठता था तो इसी तरह गुस्सा करता था और वे या उनके लोग इधर बैठते थे तो मुस्काते रहते थे। ईस्टर्न कोल फील्ड में यह जो बढ़ा-चढ़ाकर उत्पादन बताया जाता है यह आज से नहीं है बल्कि 1974-75, 1975-76 और 1976-77 से है · · · **(व्यवधान)** मैं हंसना इसलिए चाहता हूं, उनके गुस्से के बारे में, कि पहली मर्तबा 1978 में यह डिटेक्ट किया गया कि प्रोडक्शन के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर रिपोर्ट दी जाती है। इस सरकार ने इसको डिटेक्ट किया है। हम जब गुस्सा करते थे तो ये लोग केवल मुस्काते थे और अब फिर वही रुख अख्तियार कर रहे हैं।

मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि दो तरह के हालात होते हैं—एक तो यह होता है कि कोई अधिकारी जान-बूझ कर ओवर-प्रोडक्शन दिखाए और दूसरी सामान्य हालत यह होती है कि जैसे ही खान के भीतर से कोयला निकलता है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जैसे उसमें मायस्चर होता है, उसमें पत्थर होता है जिसकी वजह से खाहमखाह उसका वज़न बढ़ा हुआ रहता है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य खदान में जायें तो मायस्चर के कारण उनका वज़न बढ़

जायेगा लेकिन तीन घंटे के बाद वह वज़न घट जायेगा । इसलिए 5–7 सैकड़ा की बढ़ोतरी तो हम अमूमन माफ कर देते हैं । माननीय सदस्य इस बात पर नाराज़ हैं और उन्होंने पूछा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट मंत्री जी के पास आई या नहीं तो सरकार की तरफ से उसको बिठाया नहीं गया था, कोल इंडिया, उसके बोर्ड की तरफ से उसको बिठाया गया था और यह उनके अन्दरूनी इन्तज़ाम का सवाल है, सरकार के पास उसके आने का सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : दूसरे अनुपूरक प्रश्न को लेने से पूर्व मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपको प्रश्न और उत्तर को देखने का अनुरोध करता हूं । मैंने पूछा था :

(क) क्या कुछ कोयला कम्पनियां भूतकाल में उत्पादन के संबंध में झूठे एवं बढ़े-चढ़े आंकड़े प्रस्तुत करती रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मैंने विशेष रूप से ब्यौरा मांगा था । उत्तर दिया गया है "कुछ अन्य मामलों में खातों में दर्ज स्टाक वास्तविक तोल के आधार पर निर्धारित मात्रा के आंकड़ों में अन्तर रहा" । मैंने उनसे पूछा था, कि अन्य मामले कौन से हैं, किस प्रकार की त्रुटियां हैं ? क्या आप कार्य दल की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न था । कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए ।

श्री जनेश्वर मिश्र : टास्क-फोर्स की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है । मैंने अभी बतलाया था कि यह कोल-इण्डिया का अपना मामला है, इसलिये सरकार की तरफ से उसको टेबिल पर रखने का सवाल नहीं उठता है । कोल-इण्डिया ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर बतलाया है कि केवल ईस्टर्न कोल-फील्ड में पिछले कई सालों से उत्पादन ज्यादा बढ़ा कर बतलाया जाता रहा है । इसीलिये हमने कहा है कि हम लोगों के समय में पहली बार यह डिटेक्ट हुआ है, पहले डिटेक्ट नहीं हुआ था । जहां कोयला निकलता है, वहां कोयले के साथ-साथ पत्थर भी निकल जाता है, इसलिये तोल की जगह पर उसको छांटा नहीं जा सकता है । जब कोयला निकलता है तो कहीं-कहीं कोयला मायस्चर के कारण भारी बन जाता है और बाहर आने के कुछ दिनों बाद उसका वज़न घट जाता है । इसलिए ये ऐसी दिक्कतें हैं जिनको माननीय सदस्य को नज़र अन्दाज नहीं करना पड़ेगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे खेद है । मैं जानता हूं कि आप मुझे इसे जारी नहीं रखने देंगे । मैं इसे आपके द्वारा विचार करने के लिए छोड़ता हूं । मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न था

(ग) सरकार ने देश में कोयले के उत्पादन के संबंध में ठीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर दिया गया है : "उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर बताने के बारे में दायित्व निश्चित करने के लिए जांच की गई है और जानबूझ कर उत्पादन बढ़ाकर बताने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।" अब वह यह कहते हैं । 6 दिसम्बर, 1978 को उत्तर दिया गया था "हमने इस कम्पनी के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई की है और उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है जो इसके लिए उत्तरदायी थे" । मैं जानना चाहता हूं कि वे सदन को

क्यों गुमराह कर रहे हैं। 6 दिसम्बर, 1978 को जो कुछ उन्होंने कहा उसका क्या मतलब था और आज जो कुछ उन्होंने कहा उसका क्या अर्थ है। वास्तव में क्या कार्रवाई की गई है और क्या जांच की गई है और किन व्यक्तियों के विरुद्ध यह जांच की गई है। जांच का स्वरूप क्या है ? ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में झूठे एवं बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गुए आंकड़ों के आधार पर श्रमिकों में 6 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में बांटे गए। इस प्रकार बांटी गई धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस धांधलेबाजी की जांच करने के लिए सरकार संसदीय समिति के गठन के लिए सहमत है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को फिर कह देना चाहता हूं कि जितना वे नाराज़ होकर बोल रहे हैं, उतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय ओवर-प्रोडक्शन की रिपोर्ट डिटेक्ट हुई, उसी समय कोल-इण्डिया और ईस्टर्न कोल-फील्ड्स को हिदायत दे दी गई कि जो भी इससे सम्बन्धित अधिकारी है उसके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये। इस तरह के आदेश पहली मर्तबा साफ़-साफ़ दिये गये हैं कि पूरी कोल इंडस्ट्री में, चाहे उत्पादन कम हो, लेकिन ओवर-प्रोडक्शन न दिखाया जाये। मैं यह भी निवेदन कर दूं—कि आने वाली ता० 21 को ईस्टर्न कोल-फील्ड के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाया गया है, यह जानने के लिये कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है तथा उस अवसर पर उनसे इस बारे में बातचीत की जायेगी। इसलिये इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है, बहुत ज्यादा जल्दबाज़ी या शीघ्रता दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या कार्रवाई की जा रही है ? मैंने प्रोत्साहन की वसूली के विषय में भी पूछा था।

श्री जनेश्वर मिश्र : निश्चित कार्यवाही क्या की जायेगी—यह सरकार तय नहीं करेगी, इसके बारे में ईस्टर्न कोल फील्ड और कोल इंडिया के अधिकारी तय करेंगे। हमने उनसे कह दिया है कि उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जाये।

श्री रामानन्द तिवारी : जैसा माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा है कि 1977-78 में इसके बारे में मालूम हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज भी कोल-फील्ड्स के द्वारा उसी तरह से गलत आंकड़े दिये जाते हैं तथा यह प्रथा अभी भी बन्द नहीं हुई है ? सरकार ऐसी कौन सी व्यवस्था करने जा रही है जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा सरकार को ठीक-ठीक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त हो ?

श्री जनेश्वर मिश्र : इस मामले में सरकार की तरफ से सख्त आदेश दे दिये गये हैं कि अब इस तरह की रिपोर्ट न आने पावे। इस पर हम लोग निगाह रख रहे हैं ताकि आइन्दा इस तरह की गलती न होने पावे।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपना अध्ययन कार्य और अधिक चौकसी के साथ किया करें। अभी-अभी श्री फैलीरो ने पहले दिये गये उत्तर तथा अभी दिये गये उत्तर को पढ़ा, दोनों में अन्तर है। उत्तर बहुत ही असंतोषजनक है। उसने लिखा है :

> मायस्चर से कोल का वेट बढ़ जाता है। 10 टन, 20 टन या 100, 200 टन बढ़ सकता है, लाख और कई हजार टन नहीं बढ़ सकता है। जो रिपोर्ट आती है, उसके बारे में

इन्होंने कहा कि टास्क फोर्स ने वहां इसको डिटेक्ट किया। तो टास्क फोर्स की इन्फार्मेशन इनके पास है, क्या-क्या खामियां हैं, क्या-क्या गल्तियां हैं और क्या-क्या ओवर-प्रोडक्शन का फीगर है, ये सब इनके पास हैं। इन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है और उसे टेबिल पर ले नहीं कर सकते हैं और मेम्बरों को उसकी जानकारी नहीं हो सकती। यह ग़लत बात है। मैं जानना चाहूंगा इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है, उस पर क्या कार्यवाही हुई है और टास्क फोर्स की क्या रिपोर्ट है, कहां-कहां ओवर प्रोडक्शन दिखलाया गया है और उस पर जो इनसेंटिव दिया गया, उसको कैसे लौटाया गया? इस पर क्या कार्यवाही हुई, इसका जवाब देना चाहिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय तिवारी जी को मैं बता देना चाहता हूं तीन कम्पनियों के बारे में। एक है ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० जिसका 1977-78 में कोल का उत्पादन 252 लाख 6 हजार टन हुआ, सेन्ट्रल कोल लि० का प्रोडक्शन 212 लाख टन और भारत कोकिंग कोल लि० का प्रोडक्शन 202 लाख 1 हजार टन हुआ। ईस्टर्न कोल-फील्ड लि० में जो ओवर-प्रोडक्शन दिखाया गया था, वह 252 लाख 6 हजार टन में 3 लाख 57 हज़ार टन ओवर-प्रोडक्शन था, यानी ईस्टर्न कोल-फील्ड में इतना ओवर-प्रोडक्शन था, सेन्ट्रल कोल-फील्ड में 212 लाख टन में 1 लाख 44 हजार टन था और भारत कोकिंग कोल लि० में 202 लाख टन में 1 लाख 41 हजार टन। यह होता है ईस्टर्न कोल-फील्ड का 1.4 परसेन्ट, सेन्ट्रल कोल-फील्ड का 0.68 परसेन्ट और भारत कोकिंग कोल लि० का 0.89 परसेन्ट। इस तरह से कुल मिलाकर 2 परसेन्ट पड़ता है। माननीय तिवारी जी ने कहा कि कितना मोयस्चर या दूसरे कारणों से बढ़ जाता है। यह करीब 2 परसेन्ट पड़ेगा।

दूसरी बात इन्होंने इनसेंटिव पेमेंट के बारे में पूछी। 1974-75 से ले कर 1977 तक हम लोगों ने पता किया है कि जब कभी ओवर-प्रोडक्शन दिखलाया गया, तो इनसेंटिव पेमेंट नहीं दिया गया। 1977-78 के बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट मंगाई है। उसके आ जाने के बाद हम उसको बता सकेंगे। हम उस रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न कम्पनियों के बीच जो असंगतियां हैं उनसे सम्बद्ध एक विवरण आपको सभा पटल पर रखना होगा तथा साथ ही यह भी बताना होगा कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है। विवरण के सभा पटल पर रखे जाने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो हम इस विषय पर फिर चर्चा कर लेंगे।

छठी योजना में प्रस्तावित आयुध कारखाने

***597. श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी योजना में किन-किन स्थानों पर आयुध कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है और क्या सरकार यह महसूस करती है कि कारखानों की वर्तमान संख्या देश की अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है और उक्त कार्य कब तक आरम्भ होगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) छठी योजना अवधि में कोई आयुध कारखाना स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए शस्त्र, गोला-बारूद और उपस्करों का निर्माण करने में वर्तमान आयुध कारखाने प्रर्याप्त समझे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगा भक्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि देश की अखंडता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए वर्तमान आयुध कारखाने पर्याप्त समझे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे आयुध कारखाने हमारे देश की रक्षा के लिए आधुनिकतम शस्त्र बनाने में पूरी तरह से सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने जो यह कहा कि नये कारखाने नहीं बना रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका आधुनिकीकरण नहीं करेंगे या जहां जरूरी है, वहां विस्तार नहीं कर रहे हैं। जहां जरूरी है, वहां उनकी क्षमता में वृद्धि भी कर रहे हैं और जहां जरूरी समझा जाएगा, वहां हम उनका विस्तार भी करेंगे। माडर्नाइजेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आधुनिकीकरण किया और कल उसे छोड़ दिया। आधुनिकीकरण चलता रहता है और उसके लिए नए प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहते हैं।

श्री गंगा भक्त सिंह : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आयुध कारखानों पर व्यय की जाने वाली राशि क्या अन्य देशों, खास कर पड़ौसी देशों की तुलना में कम नहीं है ? यदि हां, तो क्या इसको सरकार बढ़ायेगी ? साथ ही पड़ौसी देशों की आक्रामक तैयारी को देखते हुए क्या नए आयुध कारखाने बनाने को योजना सरकार बनाएगी ?

प्रो० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश की सुरक्षा के लिए जो करना आवश्यक है वह सब किया जाता है। उसमें कोई लापरवाही नहीं है।

गोलानी गांव में मारे गये व्यक्ति

***598. श्री लहानू सिंड़वा कोम** : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जनवरी, 1979 को नासिक जिले के गोलानी गांव में तोप का गोला गिरने से पांच व्यक्ति मारे गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को मुआवजा दिया है और यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार मृत व्यक्तियों के संबंधियों को पर्याप्त मुआवजा दे रही है तथा उसकी राशि क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार मृत व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन देगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) नासिक जिले के गोलानी गांव में देवलाली रेंज से बाहर 19 जनवरी, 1979 को एक दुर्घटना हुई जिसमें चार व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है। प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चला है कि इस दुर्घटना का कारण यह था कि जब दो मोर्टार बम फेंके गये वे निर्धारित रेंज से आगे और बाहर चले गए और वे गोलानी गांव में गिरे। इस दुर्घटना की जांच के लिए बिठाई गई जांच अदालत अभी भी इसकी जांच कर रही है।

(ग) से (ङ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को समुचित मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार करते समय सरकार इन दुःखी परिवारों की स्थिति को पूरी तरह ध्यान में रखेगी। मुआवजा देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री लहानू सिंड़वा कोम : अध्यक्ष महोदय, इस घटना को बीते दो माह अभी तक हो चुके हैं लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। तो क्या मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या मंत्री महोदय किसी पार्लियामेंटरी कमेटी द्वारा इस घटना की जांच कराने के लिए तैयार हैं ? क्या सरकार ने उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही से फायरिंग की कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है तो क्यों नहीं की है ?

प्रो० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि मोर्टार बम की निर्धारित रेंज है। वे कुछ राकेटों की मदद से भी फेंके जाते हैं और वे बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वैसे इस फायरिंग में राकेट की सहायता नहीं ली गयी लेकिन उसकी निर्धारित रेंज ज्यादा हो गयी जितनी कि होनी चाहिए थी। उसी की वजह से यह दुर्घटना हुई। हम उसकी जांच कर रहे हैं। पार्लियामेंटरी कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं है। जांच का नतीजा जल्दी ही आ जायेगा। लेकिन हम मुआवजा देने के लिए इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि जब रिपोर्ट आये तभी मुआवजा दें। उसके बारे में अलग से विचार हो रहा है।

श्री लहानू सिंड़वा कोम : अध्यक्ष महोदय, दो महीने हो गये हैं जब कि ये लोग फायरिंग से मरे। उनके बाल-बच्चे भूख से मर रहे हैं। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, काम-धंधा नहीं मिल रहा है। ये लोग भूख से मर रहे हैं। उनको अभी तक कम्पेन्सेशन क्यों नहीं दिया गया है ? इसको ढाई महीने हो गये हैं। ये लोग कैसे जिन्दा रह सकते हैं। इसके बारे में मेरा सवाल है कि कब तक इनको कम्पेन्सेशन दे देंगे और कितना दे देंगे ?

प्रो० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपसे निवेदन किया है और फिर कहना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, चंद दिनों में ही मुआवजा मिल जायेगा।

श्री वी० जी० हांडे : श्रीमान जी इस दुर्घटना के बारे में सम्बद्ध मंत्री महोदय को मैंने एक व्यापक रिपोर्ट भेजी है परन्तु अभी तक उनका उत्तर नहीं आया है। उसके संबंध में मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं। यह तो हुई एक बात। दूसरे मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में केवल चार व्यक्तियों की मृत्यु

ही नहीं हुई अपितु अनेक उसमें घायल हुए हैं तथा दर्जनों मवेशी मौत का शिकार हो गये हैं। क्या मंत्री महोदय उन लोगों को जोकि घायल हुए हैं तथा जिनके मवेशी मारे गये हैं, उन्हें भी किसी प्रकार का मुआवजा देने के लिए तैयार हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

प्रो० शेर सिंह : इस दुर्घटना में 4 व्यक्ति मारे गये तथा 9 घायल हुए। एक भैंस, एक बछड़ा तथा एक बकरी भी मारी गई तथा दो भैंस घायल हुईं। हम मामले की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही मुआवजा दे दिया जायेगा।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : कम्पेन्सेशन देने के संबंध में आपने कहा है कि आप जांच कर रहे हैं और चंद दिनों में दे देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अंतरिम सहायता देने के संबंध में आपको क्या कठिनाई है ? जिस परिवार के लोग मारे गए हैं उसको तत्काल कुछ सहायता दे कर आप उसको कुछ सान्त्वना तो दे ही सकते हैं। यह काम आपने क्यों नहीं किया है ?

प्रो० शेर सिंह : हमने हिदायतें भेज दी हैं। असल में बात यह चल रही थी कि जब तक रिपोर्ट न आ जाए तब तक कम्पेन्सेशन न दें। हमने इसको गलत समझा और अब हिदायतें भेज दी हैं और कह दिया है कि रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर जल्दी से जल्दी मुआवजा देना है।

डा० वसंत कुमार पंडित : इस प्रकार की घटना पहली बार नहीं घटी है। इस प्रकार की घटनाएं पहले भी कई बार घट चुकी हैं। क्या विभाग को इस बात की जानकारी है कि आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटनायें भविष्य में न घटें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रो० शेर सिंह : इस संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं। आस-पास के इलाके में रहने वाले लोगों को पहले ही सूचना दे दी जाती है तथा सभी ओर चेतावनी सूचक पट भी लगा दिये जाते हैं तथा अन्य सम्बद्ध कदम भी उठाये जाते हैं। सभी प्रकार की सावधानी बरती जाती है। परन्तु इसके बावजूद भी कुछ दुर्घटनायें हो जाती हैं तथा प्रायः जब इस प्रकार की घटनायें हमारे सीमा क्षेत्र के अन्दर घटती हैं तो उसके लिए हम कई बार 2000 तथा कई बार 5000 रुपया दे देते हैं। क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान किया जा चुका है। परन्तु यह मामला कुछ अलग है क्योंकि इसमें बम हमारे निर्धारित कार्य क्षेत्र की सीमा के अन्दर नहीं फटा। अतः इसके लिए हमें अधिक कुछ देना होगा। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं।

चूना बाक्साइट और रॉक फास्फेट के निक्षेपों का सरकारी क्षेत्र में विदोहन

***599. श्री राघवजी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चूना, बाक्साइट और रॉक फास्फेट के निक्षेप वाले क्षेत्रों को विदोहन हेतु सरकारी क्षेत्र में सुरक्षित कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में इनका विदोहन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन निक्षेपों को निकालने की अनुमति गैर-सरकारी क्षेत्र को भी दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) चूना पत्थर क्षेत्रों को इसलिए आरक्षित किया गया ताकि वर्तमान और प्रस्तावित इस्पात कारखानों को अपेक्षित किस्म का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिल सके और सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा सकें। आंध्र प्रदेश में आरक्षित क्षेत्रों से प्रस्तावित विजाग इस्पात कारखाने को चूना पत्थर उपलब्ध किया जायेगा।

पूर्वी घाट बाक्साइट पर आधारित एल्यूमिना कारखाने लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। गुजरात के बाक्साइट निक्षेपों के विदोहन के लिए भी साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

राजस्थान में झामर कोटरा के रॉक फास्फेट निक्षेपों का राज्य सरकार द्वारा पहले से ही विदोहन किया जा रहा है।

(ग) क्षेत्रों के आरक्षणों पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है और जो क्षेत्र आरक्षण से मुक्त कर दिया जाता है वह गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर मंजूरी हेतु उपलब्ध होता है।

श्री राघवजी : देश में सीमेंट, एल्यूमिनियम और स्टील आदि की बेहद कमी है और देश में इन चीजों में जो कच्चा माल लगता है जैसे लाइम स्टोन, बाक्साइट आदि वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चूना पत्थर के लिए एक वृहत क्षेत्र बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सतना एवं जबलपुर जिलों में तथा उसी प्रकार से बाक्साइट के लिए शहडोल, सरगुजा, मंडला, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव तथा बालाघाट जिले के बैहर तहसील में सार्वजनिक क्षेत्रों में विदोहन के लिए सुरक्षित रखा गया है। इन सुरक्षित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में विदोहन नहीं हो रहा है और देश में पक्के माल की कमी है। आज की स्थिति में जितने सुरक्षित क्षेत्र हैं उनमें कितने प्रतिशत क्षेत्रों में विदोहन हो रहा है यह मैं जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये क्षेत्र कब से सुरक्षित किए गए हैं और इनका रिव्यू कब-कब किया गया है ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर काफी व्यापक होगा। मुझे उसकी सूची तैयार करनी होगी। प्रस्तुत प्रश्न के अनुसार यदि वह चाहें तो मैं उन्हें एक विवरण भेज सकता हूं। जब पट्टे दिये गये थे, तो उस समय उन्हें कितने समय के लिए आरक्षित रखा गया था, यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यदि सदस्य महोदय या सदन चाहे तो मैं मध्य प्रदेश में बाक्साइट, चूना-पत्थर तथा लौह अयस्क के बारे में उत्तर दे सकता हूं। मैं निश्चय ही इनका विवरण तैयार कर सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री राघवजी : मैंने जो प्रश्न पूछा था वह मंत्री महोदय के उत्तर से ही उत्पन्न होता है . . .

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई तो यह है कि आपने एक साथ अनेक प्रश्न पूछ लिये हैं और आपने एक सूची भी मांगी है।

श्री राघवजी : एक ही सवाल मैंने किया था। मंत्री महोदय ने कहा है कि समय-समय पर रिव्यू करते हैं। मैंने यह पूछा था कि कब-कब आपने रिव्यू किया है ? 1964 से ये

क्षेत्र सुरक्षित किए गए हैं तब से उनका बहुत ही कम विदोहन हो रहा है। प्राइवेट सैक्टर को आप एलाउ नहीं करते हैं। देश में सीमेंट की भारी कमी है। कम से कम मध्य प्रदेश में आप बताएं सीमेंट के कितने कारखाने आप खोलने जा रहे हैं और क्या प्राइवेट सैक्टर को भी आप एलाउ करेंगे? बहुत विशाल क्षेत्र में आपके पास ये भण्डार पड़े हुए हैं। क्या आप प्राइवेट सैक्टर को भी एलाउ करेंगे?

श्री बीजू पटनायक: जहां तक नीति का सवाल है उसके अनुसार तो छोटे क्षेत्र को तो निजी उद्यमियों के लिए छोड़ दिया जाता है। प्राय: सरकार की नीति ऐसी ही होती है। परन्तु यदि आयोजन के लिए राज्य सरकारें कुछ क्षेत्रों को संयंत्र के लिए आरक्षित करना चाहते हैं या फिर केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के कच्चे माल की खपत के लिए भविष्य में कुछ कारखानों की स्थापना करने सम्बन्धी आयोजन करती है तो इस प्रकार का आरक्षण बना रहेगा। परन्तु फिर भी हर वर्ष हम इसका पुनरीक्षण करते हैं कि क्या यह सब औद्योगिक आयोजन का अंग बनता जा रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता और छोटे क्षेत्रों द्वारा इसकी मांग की जाती है तथा वह पट्टे के लिए आवेदन देते हैं तो फिर सरकार अपनी नीति के अनुसार इस प्रकार के छोटे क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को दे देती है।

श्री हीरा भाई: मंत्री महोदय ने कहा है कि सीमेंट और एलुमिनियम के बड़े कारखाने लगाने के बजाय इन उद्योगों को छोटे कारखानों के लिए सुरक्षित रखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति यह केवल कागजों पर ही रहती है या उसे कार्यान्वित भी किया जाता है। दो साल तो निकल गये हैं। क्या सरकार पांच साल से पहले पहले इस नीति का कार्यान्वयन कर सकेगी? जब यह नीति निर्धारित की है, तो योजनाएं बना कर उसको कार्यान्वित करना चाहिए, वर्ना वही स्थिति होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का—न तो बड़े कारखाने लगाने की अनुमति दी जायेगी और न छोटे कारखाने लग पायेंगे।। छोटे कारखाने लगाने के लिए जिला स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई सरल व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि छोटे कारखाने जल्दी लगाये जा सकें। आज इस नीति का कार्यान्वियन न होने के कारण मज़दूर बेरोज़गार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जनता सरकार जल्दी यह व्यवस्था करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर इसमें कोई कठिनाई है, तो वह कठिनाई क्या है और उस को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री बीजू पटनायक: जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है सरकार द्वारा सीमेंट के नये कारखाने लगाने तथा सीमेंट के नये लघु संयंत्र लगाने के लिए विभिन्न पार्टियों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। इसके बारे में निस्संदेह उद्योग मंत्री और अधिक जानकारी दे सकेंगे। जहां तक मैं समझता हूं इसके लिए भी दर्जन से अधिक लाइसेंस दिये जा चुके हैं। मैं समझता हूं उन्होंने ऐसा भी बताया था और उसके लिए चूने के पट्टे या फिर वर्तमान पट्टों से चूना सप्लाई करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं माननीय सदस्य की बेचैनी समझ सकता हूं कि यह कार्य शीघ्र ही किया जाना चाहिये। परन्तु सीमेंट का कारखाना लगने में दो तीन वर्ष तो लग ही जाते हैं और इसी प्रकार के बड़े-बड़े कारखानों के लिए फिर कच्चे माल की सप्लाई की व्यवस्था भी तो 100 वर्षों तक के लिए तो होनी ही चाहिये।

अतः बड़े संयंत्रों के लिए आरक्षित भंडारों चाहे वह भंडार एलूमिनियम के हों, इस्पात के या फिर अन्य कारखानों के लिए आरक्षित भंडार, उन्हें देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह किसी भी तरह से निजी क्षेत्र को नहीं दिये जा सकते। परन्तु जब राज्य के आयोजन या सार्वजनिक आयोजन के अंतर्गत वह बड़े संयंत्रों या निजी क्षेत्र की बड़ी योजनाओं के लिए उनकी आवश्यकता नहीं होती तो फिर उन्हें छोटे-छोटे खान मालिकों को दे दिया जाता है ताकि वह उसका लाभ उठा सकें।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : यह ठीक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित खनिज भंडारों को सरकार उनके लिए आरक्षित रखती है। परन्तु अब सरकार ने निजी क्षेत्र के अंतर्गत लघु सीमेंट संयंत्रों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक चूना पत्थर (लाइमस्टोन) के निक्षेप हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि कुछ क्षेत्रों को विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्रों तथा कुछ सीमेंट कारखानों के लिए सुरक्षित किया गया है। सिवाय एक अथवा दो को छोड़कर अन्य निजी क्षेत्र के उद्योग हैं जो आन्ध्र प्रदेश में पनप रहे हैं। आप छोटे सीमेंट कारखानों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। क्या सरकार इन उद्योगों को खनन क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिये कोई ऐसी नीति अपनायेगी जिससे छोटे सीमेंट संयंत्र यथासंभव शीघ्र ही स्थापित किये जा सकें ? क्योंकि इन छोटे सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने के लिये उनको खनन क्षेत्र प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या केन्द्रीय सरकार इन छोटे सीमेंट संयंत्रों को मदद देने के वास्ते इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश की सरकार से पत्राचार करेगी जिससे इन उद्योगों के लिए खनन क्षेत्र प्राप्त हो सके तथा इन मिनी सीमेंट संयंत्रों के अन्तर्गत शीघ्र ही उत्पादन हो सके ?

श्री बीजू पटनायक : मुझे यह जानकारी दी गई है कि राज्य सरकारें अधिक क्षेत्रों को सुरक्षित करने, तथा केवल 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ आदि छोटे क्षेत्रों को सुरक्षित करने से भी ऐतराज कर रही हैं। आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ऐसे मामले हुए हैं, जबकि राज्य सरकारों द्वारा छोटी खानों के लिये सैंकड़ों आवेदन पत्रों को रोका गया है। कानूनन यह सम्पत्ति राज्य सरकार की है। भारत सरकार उनसे केवल निवेदन कर सकती है। छोटे क्षेत्रों को सरकारी उपक्रम के लिये न रखने के लिये भारत सरकार उनसे कहती रही है। और ऐसे छोटे क्षेत्रों को उन लोगों को छोड़ने के लिये कहती रही है जो न केवल खानों का उपयोग करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करेंगे।

विटामिनों का उत्पादन

***600. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न कारखानों में विटामिनों का उत्पादन विभिन्न फार्मूलेशनों के प्रयोग और उनके अलग से प्रयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ख) क्या उनमें से विटामिन "सी" का उत्पादन सबसे कम होता है;

(ग) यदि हां, तो इनके उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस समय किन कारखानों में विटामिन "सी" का उत्पादन हो रहा है तथा प्रत्येक कारखाने में इसका कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) इस समय अनेक प्रकार के विटामिनों का उत्पादन देश में ही हो रहा है। जिसमें विटामिन "ए", विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी-12, विटामिन "सी", विटामिन डी-3, फोलिक एसिड आदि मदें शामिल हैं। विटामिन बी-1 और विटामिन बी-2 को छोड़कर विभिन्न विटामिनों का स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विटामिन बी-1 और विटामिन बी-2 का उत्पादन केवल इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमटेड द्वारा किया जाता है जिनकी वार्षिक क्षमता इन उत्पादों के लिए क्रमश: 30 मी० टन और 9 मी० टन है। इन दोनों विटामिनों का आयात स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। आयातित सामग्री इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को सौंप दी जाती है, जो उसे तथा अपने स्वदेशी उत्पादन के कुछ अंश को निर्माताओं में बांटते हैं। इस समय आई० डी० पी० एल० विटामिन बी-1 और विटामिन बी-2 की क्षमता में प्रतिवर्ष क्रमश: 120 टन और 29 मी० टन तक विस्तार करने में लगे हुए हैं।

(घ) विटामिन "सी" के निर्माताओं के नाम और वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान उनका उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े टनों में)

क्रम सं०	निर्माता का नाम	लाइसेंस शुदा क्षमता	उत्पादन	
			1977-78	1978-79
1.	मैसर्स साराभाई एम० कैमिकल्स	240	363.47	440.00
2.	मैसर्स जेयन्त विटामिन्स लि०	500	279.01	337.20
3.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०	125	—	6.50
		865	642.48	783.70

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा बताया, विटामिन बी-1 और बी-2 को छोड़ कर शेष सभी विटामिन्स देश की आवश्यकता के अनुरूप यहीं उत्पादित किये जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है विटामिन सी के बारे में यह स्थिति नहीं है, और

आज भी उसको बाहर से आयात करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह तथ्य उन्होंने क्यों छुपाया है ? और यदि आयात करना पड़ रहा है तो कितना ?

दूसरे यह कि साराभाई कैमिकल्स, जिसकी लाइसेंस कैपेसिटी 250 मीटरिक टन है, उसने बढ़ाकर 440 मीटरिक टन का उत्पादन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बारे में सरकार से कोई निवेदन किया गया था और उसका अनुज्ञप्ति पत्र उसी प्रकार से पुनरीक्षित किया गया और उसको स्वीकृति दी गई ? यदि नहीं तो मनमाने तौर पर जो इस कम्पनी ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ायी उसका क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: मान्यवर, 1978-79 में विटामिन सी हिन्दुस्तान में 783.70 टन पैदा हुई। जहां तक प्लानिंग कमीशन के विचार का सवाल था उसके अनुसार 770 टन की केवलमात्र जरूरत थी। इसलिए विटामिन सी की जो एक खबर अखबार ने निकाली है वह उन्होंने सही खबर नहीं निकाली है कि उसकी कमी है। यह बात माननीय सदस्य की ठीक है कि इस ज्यादा होने के बावजूद जून 1978 में 10 टन विटामिन सी बाहर से मंगायी हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लिमिटेड ने और स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट ने। क्योंकि हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी का जो प्रोडक्शन था उसकी आशा नहीं थी। उन्होंने नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी, पूना के बताये हुए रास्ते से विटामिन सी बनाने की चेष्टा की 1961-62 से और वह बराबर फेल करते रहे। फिर उन्होंने रौस से नया तरीका लिया। और उस तरीके से वह विटामिन सी बना रहे हैं। और अन्दाजा नहीं था कि कितना बना पायेंगे कितना नहीं बना पायेंगे। और इस भय से कि कहीं मारकेट में इसकी कमी न हो इस आधार पर सी० पी० सी० के जरिये, जोकि एस० टी० सी० की सब्सिडियरी है, 10 टन मंगायी गयी। लेकिन यह चार्ज गवर्नमेंट पर अगर लगता है कि ज्यादा पैदा हुआ, और ज्यादा सामान रहा फिर भी मंगाया गया तो मैं उस भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वह भूल ऐरिंग आन दी सेफ साईड है। यह हमने इसलिए किया कि बीमारों को कोई कमी न पड़े। लेकिन इस कमी का कारण यह नहीं है कि उत्पादन की कमी है। शेष लोगों ने ज्यादा पैदा किया।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने यह किया कि साराभाई कैमिकल्स की क्षमता कितनी है, और पैदा कितना किया ? दवाओं के उद्योग में यह बात केवल साराभाई की ही नहीं, मल्टी नेशनल्स की भी है कि कैपेसिटी कितनी थी और उत्पादन कितना हुआ। 1970 से लेकर 29 अप्रैल, 1978 तक नीति इस देश में जंगल की नीति रही है दवाइयों के मामले में। और उस नीति का हमने निर्धारण अब किया है, और सब को देख रहे हैं कि कितना लाइसेंस था, कितनी कैपेसिटी थी। किसी किसी के लाइसेंस में दवाई का नाम लिखा हुआ है, तादाद नहीं लिखी है कि कितनी बनानी है। इस तरह के लाइसेंस दिए हुए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जनता में क्या पेपर करैंसी होता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने आपको शुद्ध कर दिया नहीं तो आप गड़बड़ में पड़ जाते। मुझ से और न कहलवाइये, मेरे पास इतना कहने को है कि आप मुश्किल में फंस जायेंगे।

साराभाई कैमिकल्स का लाइसेंस 240 मीट्रिक टन का है और उसने 440 टन बनाया है। साराभाई अकेला नहीं है, कई और भी हैं। हम सब मामलों को देख रहे हैं कि

ओवर-प्रोडक्शन कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत देख रहे हैं। हमारे नीति निर्धारण पेपर में सब दिया हुआ है। अगर डा० पांडेय जैसे सदस्य उसे पढ़ेंगे तो उन्हें पता लग जायेगा, वह सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जो कहा गया कि किस आधार पर एक्सेसिव प्रोडक्शन का सैटिलमेंट होगा तो वह सब उसी आधार पर सैटिलमेंट कर दिया जायेगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स जो विटामिन सी बना रहे हैं, उनके पास नो-हाऊ ठीक प्रकार का नहीं है। जो नो-हाऊ साराभाई कैमिकल्स और जयन्त विटामिन्स के पास है वह इस प्रकार के अपने प्रोडक्शन को दिन-प्रति-दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा आपने कहा है कि रोशे से प्राप्त किया है, वह भी उपयोगी नहीं है, उसमें भी कई प्रकार की कठिनाई हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स की कैपेसिटी 125 है लेकिन उत्पादन केवल साढ़े 6 है। इस प्रकार से नो-हाऊ की उपलब्धता उसके पास नहीं है। उसको ठीक नो-हाऊ मिले और उसको ठीक कर के हम अपने स्वदेशी उत्पादन से इसी उपक्रम में उत्पादन ठीक प्रकार से कर सकें, इसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की है? दूसरी कम्पनियों ने अनुज्ञप्ति पत्र की अवहेलना कर के जो ज्यादा उत्पादन बढ़ाया है, उस दिशा में आपने उनके खिलाफ क्या कदम उठाया है और उन्हें रैंगुलराइज कर रहे हैं या नहीं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नीति निर्धारण में हमने यही किया है कि किस तरह से, किस हद तक किस तरह की दवाइयों की उत्पादन-क्षमता से ज्यादा पैदा करने वालों के उत्पादन को हम रैंगुलराइज किस हद तक करेंगे। पूरा का पूरा नहीं देंगे, किसी में दे देंगे, 76-77 की पैदावार के आधार पर देंगे। अलग-अलग किस्म की दवाइयां हैं। हमने जो नीति दी है, माननीय सदस्य को उसे पूरा पढ़ लेना चाहिये।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स के पास जो टैक्नीकल नो-हाऊ थी, वह कहां की थी, मैंने कहा कि वह सैल्फ रिलायैंस के आधार पर हमारे देश ने चेष्टा की थी, उसे नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी, पूना ने बनाया था कि इस तरह से विटामिन सी बनाना है। सन् 1960 से उसकी चेष्टा हो रही थी, हमने कहा कि नहीं चलता तो दूसरा रास्ता निकलो। अब जो रोशे ने नो-हाऊ दिया है, हमको उम्मीद है कि साल में अब वह 100 टन बनायेंगे। उनका जो इक्विपमेंट है, समान है, उसको देख रहे हैं, हमें आशा है कि वह ठीक होगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि विटामिन सी जो हमारे देश में बन रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में बनने के बाद भी आज विदेशों से मंगाना पड़ता है, यह कब तक बाहर से मंगाते रहेंगे? वह दिन कब आयेगा जब हम बाहर से मंगाना बन्द कर देंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह बिल्कुल अब नहीं मंगाया जायेगा। हमारा देश शुद्ध तौर पर सर्वत्र इसमें स्वतंत्र है, खुद पैदा करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 601—श्री सईद।

श्री कंवर लाल गुप्ता : महोदय, मेरा तथा श्री सईद का प्रश्न लगभग एक जैसा ही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे यहां होते तो मैं इन्हें एक साथ ले सकता था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता।

मैसर्स फाइजर द्वारा ड्यूमेक्स के नाम से वस्तुओं का उत्पादन

***605. श्री किशोर लाल† :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाइजर किन-किन वस्तुओं का उत्पादन ड्यूमेक्स के नाम और स्टाइल से करता है;

(ख) उनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूमेक्स के नाम और स्टाइल से इन फार्मूलेशनों का उत्पादन किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन उत्पादों का उत्पादन किया गया उनका ब्यौरा क्या है, गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे माल या सरणीबद्ध वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का उपयोग कैसे किया गया और इन वस्तुओं का समस्त क्रय-विक्रय कितना हुआ तथा विदेशी मुद्रा पर इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स फाइजर द्वारा "ड्यूमेक्स" ट्रेड मार्क से बेचे जा रहे औषध मदों के नाम विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) ट्रेड मार्क "ड्यूमेक्स" अब मैसर्स फाइजर कारपोरेशन, पनामा के नाम से पंजीकृत है । वर्ष 1960 में मैसर्स फाइजर कारपोरेशन, पनामा ने डुमेक्स (प्रा०) लि० के संपूर्ण शेयर ले लिए थे। डुमेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम मैसर्स फाइजर लिमिटेड में बदल दिया गया था और वर्ष 1961 में औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो डुमेक्स के नाम पर था, मैसर्स फाइजर के नाम पर मंजूर किए गए थे ।

(ग) गत तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे । मैसर्स फाइजर ने बताया है कि उनके पास विवरण में दिए गए मदों के लिए आयातित/सरणीबद्ध कच्चे माल के प्रयोग के बारे में अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । अत: विदेशी मुद्रा के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव का पता लगाना संभव नहीं है ।

विवरण

1. प्रीनेक्स कैप्सूल्स
2. पी० ए० एस० ग्रेनूल्स
3. सोडियम पी० ए० एस०
4. पेसोनेक्स–एस० ग्रेनूल्स
5. मल्टीविटाप्लैक्स ड्राप्स
6. मल्टीविटाप्लैक्स एलिक्जिर
7. बीकोसूल्स सिरप
8. नेबासल्फ इन्सटीलेशन
9. आईसोज़ोन गोलियां

10. आईसोज़ोन फोर्टे गोलियां
11. फेनोसिन ट्राइसल्फा गोलियां
12. डाया पैक सस्पैन्शन
13. बीकोनेक्स इन्जैक्शन
14. डोलोनल गोलियां
15. डूपेन
16. नेबासल्फ इस्प्रींकलिंग पावडर
17. स्ट्रेप्टोपैंसिलिन 1/2 ग्राम
18. स्ट्रेप्टोपैंसिलिन 1 ग्राम
19. पी० ए० एम०
20. डूविट
21. स्ट्रेप्टोनैक्स
22. डूपेन-10
23. डायापैन
24. डायापैन-एफ०
25. फेनोसिन गोलियां
26. फेनोसिन फोर्टे गोलियां
27. मल्टीविटाप्लैक्स फोर्टे कैप्सूल्स
28. बीकोसूल्स कैप्सूल्स
29. बीकोसूलेक्स गोलियां
30. मल्टीविटाप्लैक्स गोलियां
31. आईसोनैक्स गोलियां
32. आईसोनैक्स फोर्टे गोलियां
33. प्रोटीनेक्स ग्रेनूल्स
34. नेबासल्फ आंख की मरहम
35. नेबासल्फ चमड़ी की मरहम
36. नेबार्कोट्रिल आंख की मरहम
37. नेबार्कोट्रिल चमड़ी की मरहम
38. डुमोसूल्स कैप्सूल्स
39. डुरोल
40. पी० पी० एफ०
41. इन्सुलिन
42. मिल्क आफ मैग्नीसिया ।

श्री किशोर लाल : मेरे प्रश्न के भाग 'बी' में यह था कि फाइजर के लोग ड्यूमैक्स के नाम पर जो दवाइयां बना रहे हैं, उसके रीजन्स क्या हैं ? वह अपने नाम पर क्यों नहीं बना रहे हैं और ड्यूमैक्स के नाम पर क्यों बना रहे हैं ? अब पहले तो यह पता चले कि उनके नाम से आज भी बना रहे हैं और किस रीजन्स से बना रहे हैं ?

दूसरे मंत्री महोदय ने कहा कि फिगर्स क्लैक्ट किये जा रहे हैं। इस साल के फिगर्स क्लैक्ट किये जा रहे होंगे, पिछले तीन साल के फिगर्स मैंने मांगे हैं। वह फिगर्स इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास एवेलेबल की जा सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं दी जा सकती हैं। कहा जाता है कि क्लैक्ट की जा रही हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने एक-एक मल्टी-नेशनल की स्टडी करके पता लगाया है कि कितनी कैनालाइज्ड आइटम्ज़ में से कितनी इम्पोर्ट की गई हैं और इम्पोर्ट्स में कितनी एग्ज़ेजेरेटिड फ़िगर्ज़ दिखाई गई हैं। अगर वे रीपैट्रियेशन करते हैं, तो टोटल आठ दस करोड़ रुपये का रीपैट्रियेशन करते हैं। लेकिन वे इम्पोर्ट 500 करोड़ रुपये का दिखाते हैं, जबकि 500 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट नहीं होता ; एक्चुअल इम्पोर्ट 200 करोड़ रुपये का होता है। सरकार ने मल्टी-नेशनल्ज़ की फ़िगर्ज़ को चैक करने के लिए क्या व्यवस्था की है ? मैंने पिछले तीन साल के फ़िगर्ज़ मांगे हैं, न कि एक साल के। इस बारे में फ़ाइज़र को पूछने का क्या सवाल है ? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों से क्यों नहीं पूछा जाता है कि उस आइटम के लिए कितनी कैपेसिटी दी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य, श्री किशोर लाल, तो बड़े जानकार सदस्य हैं और व्यापार में बड़े प्रवीण हैं। हमारा जो "अपना बाज़ार" है, वह उसको चला रहे हैं। वह एक बात को जानते होंगे, जिसका नाम है ट्रेड मार्क। ड्यूमैक्स कम्पनी कुछ दवाइयां बनाती थी। फ़ाइज़र ने वह ड्यूमेक्स कम्पनी ले ली, और उसके साथ-साथ उसके नाम और गुडविल को भी ले लिया। फ़ाइज़र अब उसके नाम और गुडविल का प्रयोग कर रहा है। 1961 में उसको मंजूरी मिल गई। 1979 में कानून का कोई प्रावधान नहीं है, जो यह कहे कि अगर कम्पनी ने किसी की गुडविल भी खरीदी हो, तो वह पुराना नाम इस्तेमाल न करे। पेटेंट ला में ऐसी कोई बात नहीं है। यह मेरी मिनिस्ट्री के अधिकार-क्षेत्र से बाहर की बात है। अगर माननीय सदस्य कोई बिल ला कर इसकी व्यवस्था करें, तो मैं उसका विरोध नही करूंगा। अगर ऐसा कानून बनता हो, तो बन जाये।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इन दवाओं का जो रा मैटीरियल आता है, वह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विभाग को पता है, इन दवाओं के लिए जो रा मैटीरियल आता है, वह और दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। अगर माननीय सदस्य यह पूछते कि फाइज़र ने कुल कितना माल एक्सपोर्ट किया और कितना इम्पोर्ट किया, तो मैं वे फ़िगर्ज़ दे देता। अगर वह कहें, तो मैं उनके पास भेज दूंगा, या सदन में रख दूंगा।

ड्यूमेक्स और फ़ाइज़र का एकाउंट जुड़ गया है, इसलिए हम इसका अलग-अलग एकाउंट बनाने में असमर्थ हैं। माननीय सदस्य को जो पूछना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं पूछा अगर आप इजाज़त दें, तो मैं वह कह दूं। उन्हें पूछना चाहिए था कि इन 42 दवाओं में से कितनी दवायें ऐसी हैं, जिनके लिए रा मैटीरियल अब भी बाहर से आता है। इसका एकाउंट मैं अलग

अलग छंटवा रहा हूं। जब वह छंट जायेगा, तो जिस हद तक सूचना उपलब्ध हो सकेगी, उस हद तक मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

मल्टी-नेशनल्ज़ के बारे में उन्होंने यह व्यापक प्रश्न उठाया कि उनका इम्पोर्ट घटाने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। जो ड्रग पालिसी जनता सरकार ने 29 मार्च, 1978 को रखी है, जिसको इस सदन ने स्वीकार किया है, उसमें दिया हुआ है कि अगर वे यहां रहना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह इनडिजिनेस काम करना पड़ेगा फारेन कम्पनीज़ रहना चाहती हैं तो बाहर से माल न बना कर हिन्दुस्तान में बनाना पड़ेगा। आप भी मौजूद हैं उस कमेटी में।

श्री किशोर लाल : मेरा जो बेसिक सवाल था उसमें तीन साल की फिगर्स मैंने मांगी हैं। आप उसको देखें—

"पिछले तीन वर्षों के दौरान तैयार की गई वस्तुओं का विवरण।"

और वह क्वेश्चन है मेन फाइज़र के ऊपर—

'मैसर्स फाइज़र द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं।'

तो उनकी फिगर्स अवेलेबल करने में क्या दिक्कत है कि वह जो आइटम उन्होंने कैनेलाइज़ किया है और डायरेक्ट इम्पोर्ट किया है वह आइटम कितनी हैं, उसके अगेंस्ट में एक्सपोर्ट प्राइस कितनी हैं और उसमें डिफरेंस कितना है? वही मैंने पूछा है उसमें :

"प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय पर प्रभाव।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, मैं तो जवाब दे चुका हूं।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता था कि 29 अप्रैल, 1978 को जो पालिसी उन्होंने बनाई उसके मुताबिक मल्टी-नेशनल्स जो डेवलपिंग कन्ट्रीज़ को लूट रहे हैं और दवाइयों के नाम पर उनका खून चूस रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस एक साल में क्या कदम उठाया गया है? इसी एक साल के अंदर जो पालिसी बनाई है उसके मुताबिक मल्टी-नेशनल जो रा मैटीरियल बहुत कम कीमत पर ले आते हैं और उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं उसको रोकने के लिए क्या कान्क्रीट स्टेप्स सरकार की तरफ से उठाए गए हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस पालिसी में दिया हुआ है कि जो मल्टी-नेशनल हैं वह अगर बल्क ड्रग फारमुलेशन और दोनों का रेशियो ठीक नहीं रखेंगे और बल्क ड्रग इस देश में नहीं बनाएंगे तो जो उनकी इक्विटी होल्डिंग है उसको 40 परसेंट पर लाना पड़ेगा। जो जो नहीं कर रहे हैं उनके रेकार्ड्स एकोनामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री में हैं, वह उसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं कि उनकी इक्विटी कम की जाये।

दूसरा स्टेप यह लिया गया है कि 350 पैकेट्स दवाइयों के जिनमें अधिकांश मल्टी-नेशनल्स बनाते हैं, दाम घटाए गए हैं। उन दवाइयों के दाम घटाए गए हैं···

एक माननीय सदस्य : कितने परसेंट?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : परसेंटेज अलग-अलग है। पांच परसेंट है, सात परसेंट भी है, तीन परसेंट भी है। कोई सौ परसेंट तो हो नहीं सकता था। अलग-अलग दवाइयों के दाम की

वी आइ सी पी से स्टडी करा कर दामों को भी कम किया गया है और साथ ही किसी मल्टी-नेशनल को किसी का दाम बढ़ाने की अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय को मालूम है कि जो दवाइयां बनाई जाती हैं खास तौर से मल्टी-नेशनल कम्पनीज़ जो बनाती हैं उनमें मुनाफाखोरी बहुत होती है, तो उसको रोकने के लिए वह क्या कर रहे हैं ? दूसरे कितनी दवाइयां आज हमारे देश में बनाई जाती हैं कितनी वह इम्पोर्ट कर रहे हैं और कब तक हम सेल्फ सफिश्येंट हो जाएंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में उठाए हैं। पहला यह है कि मल्टी-नेशनल्स की मुनाफाखोरी को देखने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है ? तो एक कमेटी इनकी एक-एक दवा की कास्टिंग के सिलसिले में काम कर रही है और देख रही है कि इनके हाई प्राफिट को कम किया जाये । उसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास आई नहीं है । वह कमेटी जैसे ही हमने अपनी पालिसी का फैसला किया था उसके एक दो महीने के अंदर बना दी थी · · ·

एक माननीय सदस्य : उसमें क्या बड़े-बड़े आदमी हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उसमें योग्य आदमी हैं, अयोग्य एक भी नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने यह पूछा है कि कितनी दवाइयां ये बनाते हैं, उसमें मल्टी-नेशनल्स का कितना हिस्सा है । उसकी फिगर्स इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं बता दूंगा ।

तीसरे, उन्होंने कहा कि हम कब तक सेल्फ-सफिश्येंट हो जाएंगे । तो हमने जो ड्रग पालिसी चलाई है उसमें सेल्फ सफिश्येंसी का मेजर रोल रहा है । इसीलिए हर एक को कह रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं कि जो दवाइयां तुम बनाते हो उसके लिए रा मैटीरियल जो बाहर से लाते हो वह हिन्दुस्तान में बनाओ और सबको एक-एक कर के देख रहे हैं । जो नहीं बनाएंगे उनकी इक्विटी कम करते-करते उनको ऐसी जगह पर लाएंगे जिससे कि उन्हें उस तरह की मुनाफाखोरी करने का अवसर न रह जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अशोधित तेल का आयात

***601. श्री पी० एम० सईद :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने चालू वर्ष के लिये, वर्ष 1978 की खपत के स्तर पर, ओपेक मूल्यों पर, अशोधित तेल के समूचे आयात का प्रबंध कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय से अशोधित तेल के आयात में भारी बचत होगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा तेल उत्पादन देशों की सरकारों से बातचीत के कारण यह संभव है ;

(घ) क्या सरकार ने खुले बाजार से अशोधित तेल की खरीद न करने का निर्णय किया है ;

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान प्रबन्धों के फलस्वरूप कुल कितनी बचत होगी ; और

(च) क्या सरकार ने वर्ष 1979 में अपेक्षित 1 करोड़ 65 लाख टन अशोधित तेल को आयात करने के सभी प्रबन्ध कर लिये हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978 के 15 मिलियन मी० टन के आयात स्तर की तुलना में वर्ष 1979 में लगभग 16.5 मिलियन मी० टन अशोधित तेल के आयात की आवश्यकता होने की आशा है । हालांकि सरकार से सरकार के आधार पर ईराक, यू० ए० ई०, सउदी अरब तथा यू० एस० एस० आर० से 11.5 मिलियन मी० टन की कुल मात्रा हेतु पूरे प्रबन्ध कर लिये गये हैं । ईराक से लम्बी अवधि के ठेके की सप्लाई के अतिरिक्त ईराक व कतार की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से जनवरी-मार्च, 1979 की अवधि में लगभग 1.2 मिलियन मी० टन अतिरिक्त अशोधित तेल के आयात की व्यवस्था कर ली गई है। आयातित अशोधित तेल की शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिये और व्यवस्था संबंधी बातचीत विभिन्न स्तरों पर है ।

(ख) तथा (ङ) विश्व प्रत्यक्ष बाजार में प्रचलित अशोधित तेल के अधिक ऊंचे मूल्य को ध्यान में रखते हुए यदि 1979 के दौरान भारत अशोधित तेल का लम्बी अवधि तक के लिये प्रबंध न करता तो काफी अतिरिक्त भार वहन करना पड़ जाता । तथापि अशोधित तेल के अस्थिर विश्व प्रत्यक्ष बाजार तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गत वर्षों में भी सरकार से सरकार के स्तर पर देश के अशोधित तेल के आयात का प्रबंध किया गया था, यह बताना कठिन है कि इससे कितनी वैचारिक बचत हुई है ।

(ग) एक दीर्घकालीन ठेके के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पैट्रोलियम की बम्बई शोधनशाला की आवश्यकता के लिये एक्सोन से 1.4 मिलियन मी० टन की प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाली मात्रा को छोड़कर, बाकी अशोधित तेल के आयात का प्रबन्ध तेल उत्पादक तथा निर्यातक देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से कर लिया गया है ।

(घ) खुले बाजार से अशोधित तेल की खरीद का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उर्दू समाचार पत्रों में संकट

*602. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उर्दू के समाचार पत्र आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन समाचार पत्रों को सन्तोषजनक वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि विज्ञापनों के मामले में इन समाचार पत्रों को सरकारी संरक्षण नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन समाचार पत्रों के वित्तीय संकट को दूर करने तथा उनकी सहायता करने के लिए सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के रिलीज के लिए न्यूनतम प्रसार संख्या के मामले में विशेष छूट दी जा रही है और, वास्तव में, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के पृष्ठ और मूल्य के रूप में विभिन्न भाषाओं में इसका दर्जा तीसरा होने पर, वे सरकारी विज्ञापनों का अच्छा भाग प्राप्त करते हैं । किसी भी स्थिति में, विज्ञापन वित्तीय सहायता या समर्थन के साधन के रूप में नहीं दिए जाते । पत्रों के किसी वर्ग को वित्तीय सहायता देने की भी सरकार की नीति नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था के कारण मिट्टी के तेल की कमी

***603. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1979 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था के कारण मिट्टी के तेल की कमी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(ङ) मिट्टी के तेल की कमी कहां तक दूर कर दी गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में, अभी हाल से पहले मिट्टी के तेल के वितरण के लिए फुटकर विक्रेताओं और तेल कंपनियों के एजेंटों के बीच कोई संपर्क नहीं था । दिनांक 16 मार्च, 1979 के बाद दिल्ली प्रशासन ने मिट्टी के तेल के और अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष एजेंटों के साथ फुटकर विक्रेताओं का संपर्क स्थापित कर दिया है ।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वितरण की समस्या तेल कंपनियों के एजेन्टों और फुटकर विक्रेताओं के बीच बिना संपर्क के कारण उठी । इस पद्धति को दिल्ली प्रशासन द्वारा बदल दिया गया है ।

(घ) ऊपर (ग) में उत्तर दे दिया गया है ।

(ङ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय मिट्टी के तेल की कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है ।

तीन अलग सैक्टरों के लिये बल्क औषधियों के बारे में तीन पृथक सूचियां

*606. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तीन अलग-अलग सैक्टरों के लिये बल्क औषधियों की तीन पृथक सूचियां तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। सूची-I में निहित मदें सरकारी क्षेत्र के लिए, सूची-II सरकारी क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र के लिए और सूची-III सभी क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) औषधि और भेषज उद्योग पर गठित हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में 29 मार्च, 1978 को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र के अनुबन्ध-I में ब्यौरे दिए गए हैं।

सूरत में हजीरा पैट्रो-रसायन समूह

*607. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत जिले में भारतीय गैस पर आधारित हजीरा पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) उक्त योजना के अधीन कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। राज्य में पैट्रो-कैमिकल्ज कम्प्लैक्स की स्थापना के लिए गुजरात सरकार ने एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

(ख) इस विषय में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) यदि इस कम्प्लैक्स को गुजरात में लगाने का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाता है तभी ये प्रश्न उठेंगे।

बड़े औद्योगिक एककों द्वारा प्रबंधकों के वेतन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया जाना

*608. **श्री पी० के० कोडियन** :

श्री सुरेन्द्र बिक्रम :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़े प्रमुख औद्योगिक गृहों ने कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी उच्च प्रबंधकों के वेतन, परिलब्धियां तथा कमीशन की राशि निर्धारित करने संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है तथा किन औद्योगिक गृहों ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रेषित मार्गदर्शक सिद्धान्त, पब्लिक कम्पनियों तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों अथवा प्रबन्धकों पर लागू होते हैं। कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिये केवल कम्पनी अधिनियम की धारा 204 क तथा 314 (1ख) के सीमान्तर्गत आने वाले कार्यकारियों को छोड़कर, शेष के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है।

वृहद औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों के प्रबन्धकीय कार्मिकों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उल्लंघन की बाबत कोई सूचना नहीं है। तथापि, यदि माननीय सदस्यगण, किसी वृहद औद्योगिक घरानों द्वारा संचालित किसी विशेष के बारे में कोई विशिष्ट सूचना चाहते हों, तो यह सुनिश्चित की जा सकती है व भेजी जा सकती है।

(ग) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, अंशकालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों को दिये जाने वाले वेतन व परिलब्धियों/सुविधाओं पर संशोधित मार्गदर्शक नियम/प्रशासनिक अधिकतम सीमा।

1. परिचय

1.1. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के सम्बन्ध में शब्द "प्रबन्धकीय कार्मिक" से साधारणत: प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों अथवा प्रबन्धकों (अधिनियम की धारा 2 (24) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) से तात्पर्य है तथा उनमें वे कार्यकारी सम्मिलित नहीं हैं, जो कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्य न हों, चाहे उन्हें कुछ भी वेतन दिया जा रहा हो।

1.2. प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक दोनों, कम्पनी अधिनियम में वर्णित विनियमनकारी उपबन्धों पर आधारित हैं। अत: प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबन्धकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, दोनों के लिए तथा साथ ही उनकी नियुक्ति की अवधि के मध्य उनको दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिए, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

2. प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की सीमाओं की बाबत सांविधिक उपबन्ध

2.1. जबकि, धारा 388 के साथ पठित धारा 269 के अन्तर्गत उनकी नियुक्ति व साथ ही पुनर्नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर होती है। उसी प्रकार धारा 387 के साथ पठित धारा 305 से 311 तक के उपबन्ध, उनके पारिश्रमिक का नियमन करते हैं धारा 309

में साथ-साथ प्रावधान है कि प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशक में से यदि इस प्रकार का केवल एक निदेशक हो, तो उसे कम्पनी के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत तक दिया जा सकता है, परन्तु यदि इस प्रकार के एक से अधिक निदेशक हों, तो उन सब को मिलाकर 10 प्रतिशत तक दिया जा सकता है।

2.2. धारा 198 के अन्तर्गत, अंशकालिक निदेशक सहित, सभी निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, कम्पनी के शुद्ध लाभ के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा यह प्रतिशत, कम्पनी के निदेशक मंडल की समय-समय पर होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिये दिये जाने वाले शुल्क से अलावा है।

2.3. एक प्रबन्ध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक को पारिश्रमिक या तो मासिक वेतन, अथवा शुद्ध लाभों के प्रतिशत, या परिलब्धियों, में से किसी एक या अधिक के माध्यम से दिया जा सकता है। तथापि, यह ऊपर वर्णित सीमाओं के आधार पर होगा।

2.4 न्यूनतम अथवा रक्षित पारिश्रमिक

कम्पनी अधिनियम की धारा 198(4) में साथ-साथ प्रावधान है कि यदि एक कम्पनी ने किसी वित्तीय वर्ष में कोई लाभ न क्रमाया हो, अथवा उसे अपर्याप्त लाभ हुए हों, तो वह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर, प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशक अथवा प्रबन्धक सहित अपने निदेशकों को, यदि उनमें से दो या दो से अधिक कम्पनी में पद धारण कर रहे हों, तो सभी को 50,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं, की राशि, पारिश्रमिक के माध्यम से दे सकती है। यह 50,000 रु० की सीमा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उसकी यह संतुष्टि के आधार पर बढ़ाई जा सकती है कि कम्पनी के व्यापार को दक्षतापूर्वक संचालन के लिए 50,000 रु० प्रति-वर्ष का न्यूनतम पारिश्रमिक अपर्याप्त है अथवा होगा।

3. प्रशासनिक मार्गदर्शक नियम

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबन्धकों को दिये जाने वाले पारि-श्रमिक को शासित करने वाले प्रशासनिक मार्गदर्शक नियम, नवम्बर, 1969 में प्रेषित किये गये थे। पारिश्रमिक पर अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार की शक्तियों की बाबत अनुलम्बित संदेहों की दृष्टि से, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा कुछ नवीन उपबन्ध जोड़े गये थे, जिनमें प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों के पारिश्रमिक को निश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कुछ विशिष्ट शक्तियां सौंपी गई थीं। धारा 637 के नवीन उपबन्ध स्पष्ट रूप से उन सिद्धान्तों को निरूपित करते हैं, जो प्रबन्धकीय कार्मिक की किसी नियुक्ति अथवा उसके पारिश्रमिक को निश्चित करते समय ध्यान में रखने चाहिए। यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का अनुमोदन करते समय केन्द्रीय सरकार, साथ-साथ "आय में विषमता को दूर करने की सार्वजनिक नीति" को ध्यान में रखेगी।

4. अधिकतम सीमा में कटौती करने का मामला

केन्द्रीय सरकार ने राज्य नीति के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों, तथा सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों के तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में अपने उत्तरदायित्व के तुलनात्मक स्तर पर,

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक में सह-सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता, के प्रसंग में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के सम्पूर्ण प्रश्न का सावधानीपूर्वक पुनर्विलोकन किया है। इस सम्बन्ध में, वेतन, आय तथा मूल्यों पर अध्ययन समूह (भूतलिंगम समिति), जिसकी रिपोर्ट मई, 1978 में प्रकाशित हुई थी, की सिफारिशों तथा साथ ही न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है। यह दोनों समितियां सेवा योजकों, कर्मचारियों, व्यापार संघों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक हितपरापणीं तथा निकायों के विचारों से अवगत थीं।

5. संशोधित मार्गदर्शक नियम

तदनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269, 310, 311, 309 तथा 198, 387 व 388 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित संशोधित मार्गदर्शक नियम बनाये गये हैं :—

5.1. मूल पारिश्रमिक

(i) प्रबन्ध/पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक वैतनिक निदेशकों की एक अथवा अधिक कम्पनियों से सब मिलाकर, सांविधिक सीमाओं के आधार पर, दिया जाने वाला अधिकतम पारिश्रमिक निम्न प्रकार से निश्चित किया गया है :—

(क) महंगाई भत्ता तथा अन्य सभी निश्चित भत्तों सहित वेतन 60,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

(ख) सुदक्ष तथा ठोस प्रबन्ध के लिये पुरस्कार के रूप में, वेतन के अतिरिक्त शुद्ध लाभों पर 1 प्रतिशत कमीशन की अनुज्ञा दी जा सकती है, परन्तु यह वेतन के 20 प्रतिशत तक होना चाहिए तथा उस समस्त अधिकतम सीमा के आधार पर होगा जिसके अनुसार कमीशन सहित वेतन 72,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा (लाभांश कमीशन के एक भाग के रूप में समझा जायेगा),

(ग) जहां कोई कम्पनी केवल शुद्ध लाभ पर कमीशन के रूप में पारिश्रमिक देना चाहे, तो यह 72,000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर होगा, तथा

(घ) अब से परिलब्धियां 60,000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर, वार्षिक वेतन के बराबर राशि की होगी, जो वास्तविक किये गये व्यय अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत यथा व्यवस्थित, कम्पनी द्वारा की गई देयता के आधार पर तय की जायेगी। तथापि, पैंशन की सुविधाओं, चिकित्सा तथा आवास पर व्यय के लिये, अपरिवर्तनीय अधितकम सीमायें अलग होंगी। इस समस्त सीमा के अन्दर कम्पनी द्वारा दी जाने वाली परिलब्धियां निम्न प्रकार होंगी :—

(1) कम्पनी का भविष्य निधि में अंशदान (वेतन के 10 प्रतिशत की अन्त: अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा)।

(2) कम्पनी का पैंशन/अधिवार्षिकी में अंशदान

वेतन के 15 प्रतिशत की अन्त: अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा।

(3) उपदान

अनुमोदित निधि के अनुसार देने योग्य, तथा यह 30,000 रु० की अन्त: अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा, अथवा बीस मास का वेतन जो भी कम हो, के आधार पर सेवा के पूर्ण किये एक वर्ष के लिये, आधे मास के वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(4) स्वयं तथा परिवार के लिये चिकित्सा सुविधा, 5000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर एक मास के वेतन की अन्त: अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा ।

(5) अवकाश तथा यात्रा समनुदान ।

(6) फर्नीचर, स्थापक, उपकरण, गैस तथा बिजली सहित आवास-वेतन के 40 प्रतिशत की अन्त: अपरिवर्तनीय अधिकतम सीमा इस अनुबन्ध के आधार पर कि वेतन का 10 प्रतिशत प्रबन्धकीय कार्मिक द्वारा वहन किया जायेगा ।

(7) कम्पनी की कार का ड्राइवर सहित मुफ्त प्रयोग ।

(8) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ।

(9) आवास पर मुफ्त टेलीफोन सुविधा ।

(10) दो क्लबों की अधिकतम सीमा के आधार पर क्लबों का शुल्क—क्लबों का प्रवेश शुल्क तथा आजन्म सदस्यता शुल्क नहीं दिये जाएंगे ।

5.2. न्यूनतम पारिश्रमिक

किसी वित्तीय वर्ष में लाभ न होने अथवा अपर्याप्त लाभ होने की दशा में मूल वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी, परन्तु परिलब्धियों की अधिकतम सीमा को परिवर्तित नहीं किया जायेगा । (लाभ न होने अथवा अपर्याप्त लाभ होने की दशा में कोई कमीशन/लाभांश नहीं दिया जायेगा ।)

5.3. अपवाद

विदेशी तथा उच्च अथवा दुर्लभ कुशलतायें प्राप्त व्यक्ति, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा से प्रभावित नहीं होंगे । उनके मामलों का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जायेगा ।

5.4. संशोधित मार्गदर्शक नियमों का लागूकरण

संशोधित मार्गदर्शक नियम उन विद्यमान प्रबन्धकीय कार्मिकों पर उनकी शेष रही अवधि के लिये लागू नहीं होंगे, जिनके मामलों का अनुमोदन पहले ही प्रदान कर दिया गया है । इन व्यक्तियों की वर्तमान अवधि के समाप्त हो जाने पर, उनकी पुनर्नियुक्ति के अवसर पर ये नियम लागू हो जायेंगे ।

विवरण

सरकार द्वारा प्रेषित स्वीकृतियों के उल्लंघन की अवस्था, एक ऐसा विषय है, जिसका सामान्यत: कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों द्वारा अवलोकन किया जाता है, तथा इस प्रकार के

किसी उल्लंघन की दशा में, उनसे रिपोर्ट करने की शर्त पूरी करने की आशा की जाती है, जिसके आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विभाग स्वतंत्र रूप से भी ऐसे विषयों का अवलोकन करता है, और विशेष रूप से उस समय जबकि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण तथा धारा 235/237 के अन्तर्गत जांच की जाती है। कम्पनी रजिस्ट्रारों से भी तुलन-पत्रों की तकनीकी संवीक्षा के दौरान इन विनिर्देशों का अवलोकन करने की आशा की जाती है।

फिल्म निर्माताओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता

*609. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों विशेषतया आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज सहायता योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजनाएं हैं।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(घ) आर्थिक सहायता संबंधी अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संबंध में आर्थिक सहायता संबंधी योजनाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

आन्ध्र प्रदेश :

आन्ध्र प्रदेश में निर्मित सभी तेलुगु और हिन्दी फिल्में 1 लाख रुपए की पूर्ण आर्थिक सहायता की पात्र हैं जबकि गैर-तेलुगु और अहिन्दी भाषी फिल्मों को 1978-79 के दौरान 50,000 रुपए और 1979-80 के दौरान 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह योजना मार्च, 1980 तक लागू होगी जबकि इस पर पुनर्विलोकन किया जाएगा।

तमिलनाडु :

राज्य सरकार प्रतिवर्ष पांच तमिल फिल्मों को 1 लाख रुपए की दर पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है । योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) फिल्मों में छूआछूत, शराब की बुराइयां, देशभक्ति, आदि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर वांछनीय विषय निहित होने चाहिएं ।

(2) तमिलनाडु से बाहर फिल्म की आऊट डोर शूटिंग इसकी कुल लम्बाई के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(3) फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना चाहिए ।

(4) कम बजट वाली फिल्मों और उन फिल्मों, जो नए कलाकार और तकनीशियन पेश करें, को प्राथमिकता ।

रूस से अशोधित तेल का आयात

***610. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस से अशोधित तेल आयात करने का है ;

(ख) क्या रूसी प्रधान मंत्री के साथ भारत आये प्रतिनिधि मण्डल के साथ भारतीय चावल के बदले में 6,00,000 टन अतिरिक्त अशोधित तेल सप्लाई किये जाने के बारे में हाल ही में कोई करार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1979 में भारत को रूस द्वारा 6 लाख मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए भारत सरकार तथा रूस सरकार के बीच 14 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर किए गये । इस अशोधित तेल की मात्रा के बदले में भारत रूस को उसी वर्ष 6 लाख मी० टन अशोधित तेल की कीमत के बराबर चावल प्रदान करेगा । इस विषय में दोनों देशों के संबंधित वाणिज्यिक संगठनों के बीच औपचारिक ठेके बहुत जल्दी हो जाने की आशा है ।

पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीविजन परियोजना के लिए धनराशि के उपबन्ध की मांग

***611. श्री पूर्णनारायण सिन्हा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण कृषि प्रसारणों के लिए टेलीविजन परियोजना की स्थापना के लिए धनराशि का उपबन्ध करने हेतु किसी राज्य सरकार, संघ राज्य-क्षेत्र अथवा पूर्वोत्तर परिषद से कोई विशेष मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षेत्र के मध्य में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए 4 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि का आवंटन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में टेलीविजन केन्द्र की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) असम सरकार तथा मेघालय की राज्य सरकार से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के सुझाव मिले हैं। संसाधनों की कमी और भारत में दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी गई कम प्राथमिकता के कारण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन की सुविधाएं प्रदान करना सम्भव नहीं हो पाया है।

हिन्दुस्तान जिंक प्लांट देबारी से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ

***612. श्री दया राम शाक्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच कराई है कि हिन्दुस्तान जिंक प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के साथ लगभग 10,000 रुपये का जिंक प्रतिदिन चला जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार जिंक निकलने से दो तीन किलोमीटर क्षेत्र में क्षय-रोग तथा कैंसर रोग फैल जाने की समस्या पैदा हो सकती है और इस क्षेत्र के कुओं और भूमि का उपयोग भी नहीं किया जा सकता ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और यह अपशिष्ट पदार्थ कब से जा रहा है और अब तक कितनी हानि हो जाने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) कोई औपचारिक जांच नहीं कराई गई है। लेकिन अपशिष्ट पदार्थ में जिंक की मात्रा बहुत ही नगण्य अर्थात सामान्यत: एक मिलियन में दश अंश से भी कम होती है जिसका मूल्य 150/- रुपए प्रतिदिन बैठता है।

(ख) और (ग) इस कारण रोग फैलने या जमीन के अनुपयोगी हो जाने की किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी स्मेल्टर के आस-पास के क्षेत्र में फसल व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों और हिंदुस्तान जिंक लि० के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। देबारी जिंक स्मेलटर से अपशिष्ट पदार्थ 1967 से निकाला जा रहा है। इस अपशिष्ट पदार्थ का अंतिम निकासी से पहले एक तलाब में चूने से शोधन किया जाता है। चूंकि अपशिष्ट पदार्थ में विद्यमान जिंक की नगण्य मात्रा को प्रभावी ढंग से निकाला नहीं जा सकता, इसलिए कंपनी को हानि होने का सवाल नहीं उठता। राजस्थान जल प्रदूषण बोर्ड सामान्यत: अपशिष्ट के शोधन की सुविधाओं का निरीक्षण करता है और उसकी निकासी जारी रखने की अनुमति देता है।

फिल्म प्रोड्यूसरों द्वारा फिल्मों का आयात

***613. डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म प्रोड्यूसरों को उनकी निर्यात आय के आधार पर जारी किए गए सम्पूर्ति लाइसेंसों पर (1) ईस्टमैन कलर और (2) फुजी कलर पौजीटिव रौल्स का आयात करने की अनुमति है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस के चेयरमैन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उक्त प्रक्रिया समाप्त कर दी जाये और उक्त कलर पौजिटिव रौल्स का एकाधिकार के आधार पर आयात किया जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फिल्म प्रोड्यूसरों ने उक्त प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है ; और

(घ) कलर पौजिटिव रौल्स के आयात के लिए प्रोड्यूसरों के कितने आवेदन पत्र आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के पास इस समय निलम्बित पड़े हैं ; यदि हां, तो किन कारणों से और उन्हें कब तक निपटाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म ने कुछ समय पहले सरकार को अभ्यावेदन किया था कि पुनः पूर्ति की हकदारी प्रचुर मात्रा में कम कर दी जानी चाहिए । यह फिल्म उद्योग की मांग तथा सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद लिए गए सरकार के निर्णय के प्रतिकूल था । मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया ।

(घ) प्रोड्यूसरों का कोई अभ्यावेदन संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, कलकत्ता के पास अनिर्णीत नहीं है । बम्बई और मद्रास स्थित संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के संबंध में स्थिति पता की जा रही है और उसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

बड़ौदा उर्वरक संयंत्र में उर्वरकों का उत्पादन

***614. श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) बड़ौदा उर्वरक संयंत्र में वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 में उर्वरकों का किस्मवार, कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) कुल उत्पादित उर्वरक में से गुजरात राज्य को उक्त अवधि के दौरान, जिलावार, कितनी मात्रा में उर्वरक दिया गया ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर बड़ौदा जिले में बहुत कम मात्रा में उर्वरक सप्लाई किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में उर्वरकों का अधिक कोटा आवंटित करने के लिये कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) बड़ौदा खाद कारखाने में वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान उर्वरकों का

उत्पाद-वार उत्पादन और गुजरात राज्य में जिला-वार वितरण को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन प्रत्येक फसल के आरम्भ होने से बहुत पहले लिया जाता है और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उर्वरकों का वितरण करने के लिए विभिन्न निर्माताओं और आयात में से आवंटन किया जाता है । इसमें केन्द्रीय सरकार की भूमिका यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्यों की सम्पूर्ण आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हों । चूंकि राज्य में उर्वरकों की अनुपलब्धता का मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अतः राज्य सरकार ही ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करती है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4238/79]

ईरान द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई

*615. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान से तेल की सप्लाई में बाधा पड़ने के परिणामस्वरूप अशोधित तेल की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ने पर आई लागत ईरान के साथ पहले किये गये ठेके में निर्दिष्ट तेल की लागत की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है ;

(ख) अब चूंकि ईरान में नई सरकार बन गई है इसलिये क्या सरकार ने ईरान की नई सरकार से तेल की बाधित सप्लाई को पुनः चालू करने के प्रश्न पर बातचीत की है यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और किन दरों पर ;

(ग) ईरान से तेल की सप्लाई में बाधा पड़ने के कारण देश को कुल कितनी अतिरिक्त लागत चुकानी पड़ी ; और

(घ) भारत की अशोधित तेल की पूरी मांग को पूरा करने के लिये कब तक व्यवस्था किये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ग) विभिन्न ठेकों के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत 1978 के दौरान ईरान से 5.3 मि० मी० टन के आयोजित स्तर तक के आयात की तुलना में, अक्तूबर के अन्त से दिसम्बर, 1978 के अन्त तक की अवधि में ईरानी अशोधित तेल की सप्लाई में 1 मिलियन मीट्रिक टन की कमी हुई । ईरान से सप्लाई की इस कमी को ईराकी नेशनल तेल कम्पनी से अतिरिक्त आयात का प्रबन्ध करके पूरा किया गया । इस विषय में मूल्यों तथा अन्य शर्तों का ब्यौरा देना इण्डियन आयल कार्पोरेशन के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा और यह अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के भी विपरीत होगा ।

(ख) जी हां। ईरान ने विश्वास दिलाया है कि हमारी अशोधित तेल की मांग को उचित महत्व देंगे। ईरान से भारत को अशोधित तेल की सप्लाई शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये इस समय बातचीत चल रही है।

(घ) वर्ष 1979 के दौरान 16.5 मि० मी० टन अशोधित तेल का आयात किए जाने की आशा है। अभी तक निम्नलिखित आयात प्रबन्ध किए गए हैं :

देश	मात्रा
ईराक	5.5
यू० ए० ई०	1.5
सऊदी अरब	3.0
यू० एस० एस० आर०	1.5

इसके अतिरिक्त ईराक से दीर्घकालीन ठेके के अन्तर्गत की जाने वाली सप्लाई के अलावा ईराक और कतार की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से जनवरी-मार्च, 1977 के दौरान लगभग 1.2 मि० मी० टन तक अशोधित तेल के आयात की व्यवस्था की गई है। आयातित अशोधित तेल की शेष आवश्यकताओं के लिए अन्य प्रबन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है।

एसोसिएशन आफ नेचुरल गैस कन्ज्यूमिंग इण्डस्ट्रीज आफ गुजरात द्वारा गैस के मूल्य निर्धारण के लिए मांग

5801. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात के गैर-सरकारी उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली गैस के मूल्य में 30 जनवरी, 1979 से की गई वृद्धि के बारे में एसोसिएशन आफ नेचुरल गैस कन्ज्यूमिंग इण्डस्ट्रीज आफ गुजरात, बड़ौदा और गुजरात के मुख्य मंत्री ने उन्हें (पैट्रोलियम मंत्री को) पत्र लिखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और इन मांगों को ध्यान में रखते हुए क्या मूल्य निर्धारित किये जाने की सम्भावना है और कब तक मूल्य निर्धारित किये जायेंगे ;

(ग) क्या वर्ष 1967-68 से 1975-76 की अवधि के दौरान गैस का वितरण बिक्री मूल्य के अनुसार किया गया था और यदि हां, तो वर्ष 1967-68 से 1975-76 की अवधि के दौरान बिक्री की गई गैस का वर्ष-वार मूल्य क्या रहा ;

(घ) वर्ष 1976, 1977 और 1978 में गैर-सरकारी उद्योगों को सप्लाई की गई गैस के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कितना मूल्य वसूल किया ;

(ङ) क्या अप्रैल, 1978 से 504 रुपये की दर से गैस की बिक्री की जा रही है और मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और बड़ौदा उद्योगपतियों के बीच जनवरी, 1977 से मार्च, 1977 के दौरान यह सहमति हुई थी कि गैस का मूल्य 351 रुपये की दर से वसूल किया जायेगा और यदि हां, तो अप्रैल, 1978 से इसे बढ़ाकर 504 रुपये कर देने के क्या कारण हैं और पहला मूल्य कब तक फिर से लागू किया जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। गुजरात में निजी उद्योगों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सप्लाई की जा रही प्राकृतिक गैस के मूल्य के संबंध में गुजरात के मुख्य मंत्री से दिनांक 30 जनवरी, 1979 का पत्र प्राप्त हुआ है। इस मामले में गुजरात, बड़ौदा के प्राकृतिक गैस की खपत करने वाले उद्योग संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वसूल किये जा रहे प्राकृतिक गैस के मूल्य बहुत अधिक हैं और गैस का मूल्य गैस के उद्गम के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिये न कि उसके बराबर कोयले के आधार पर जैसा कि गुजरात में निजी उद्योग के यूनिटों से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्तमान नीति में किसी परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) गैस का वितरण समय-समय पर गैस की मांग और उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। समय-समय के मूल्य परिवर्तन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) विभिन्न उद्योगों से आयोग द्वारा वसूल की गई कीमत, विभिन्न पार्टियों के साथ हुई द्विपक्षीय शर्तों के आधार पर होती है। पिछले तीन वर्षों यानि वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 पार्टीवार वसूल की गई गैस की कीमत संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ङ) जी, हां। अप्रैल, 1978 से बड़ौदा उद्योगों की गैस की बिक्री 504 रुपये प्रति हजार घन मीटर की दर पर की जा रही है। इस मूल्य को उष्मीयदक्षता के पहलू को लेने के बाद कोयले के समतुल्य आधार पर निश्चित किया गया था।

(च) दिनांक 31-3-77 तक ही प्रति हजार घन मी० पर 351 रुपये मूल्य लागू था। अक्तूबर, 1976 के स्तर से रायल्टी और बिक्री कर में विभिन्नता के कारण समायोजन करने के लिए दिनांक 1-4-77 से 31-12-77 तक की अवधि के लिए प्रति हजार घन मी० के लिए 371.16 रु० प्रदान करने का करार है। उपर्युक्त (ङ) में उल्लेख के आधार पर दिनांक 1-4-78 से प्रति 1000 घ० मी० के लिए मूल्य 504 रु० तक बढ़ा दिया गया। पुराने मूल्य का परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

विवरण

वर्ष 1976-77 से 1978-79 के दौरान गुजरात में उद्योगों को दी जाने वाली गैस के मूल्य को दर्शाने वाला विवरण ।

रु०/1000 मी^{3}

	1976-77	1977-78	1978-79
1. बड़ौदा इंडस्ट्रीज	अप्रैल से दिसम्बर, 76=341.75 रु०	अप्रैल से जुलाई 77 =371.16 रु०	504.00 रु०
	जनवरी, 77 से मार्च 77=351.00 रु०	अगस्त 77 से मार्च, 78=382.15 रु०	
2. कलोल इंडस्ट्रीज			
(1) नवजीवन मिल्स	136.17 रु०	386.28 रु०	408.26 रु० (8/78 तक) 504.00 रु० (3/79 तक)
(2) महेन्द्रा मिल्स	4/76 से 10/76 =136.17 रु०	386.28 रु०	408.26 रु० (6/78 तक) 504.00 रु० (3/79 तक)
	11/76 से 3/77 =355.00 रु०		
(3) मेट्रो वुड इंजी० वर्कस	=136.17 रु० (9/77 तक)	136.17 रु०	408.26 रु० (10/78 तक) 504.00 रु० (3/79 तक)
		(3/78 तक) 386.28 रु०	
(4) मेलानिन फाइबर बोर्ड	(4/76 से 10/76) =345.77 रु० (7/77 तक)	375.16 रु०	408.26 रु० (10/78 तक) 504.00 रु० (3/79 तक)
	(11/76 से 3/77) =355.00 रु० (3/78 तक)	386.28 रु०	

(5) केलिको मिल्स		355.00 रु०	–वही–	–वही–	408.26 रु०	(6/78 तक)
					504.00 रु०	(3/79 तक)
(6) भारत विजय मिल्स	(4/76 से 5/76)	136.17 रु०	–वही–	–वही–	408.26 रु०	(5/78 तक)
	(6/76 से 3/77	355.00 रु०	–वही–		504.00 रु०	(3/79 तक)
3. मेहसाना जिला को-आपरेटिव मिल्स प्रोड्यूसर्स यूनियन		380.80 रु० +6% बिक्री कर पर सरचार्ज	(7/77 तक) (3/78 तक)	401.20 रु० 412.45 रु० +6% बिक्री कर पर सरचार्ज	433.42 रु०	+6% बिक्री कर पर सरचार्ज

गुजरात उद्योगों के लिए गैस का मूल्य ।

रु०/1000एम^3

	1-4-67 से 31-3-70	1-4-70 से 31-3-71	1-4-71 से 31-12-75	1-1-76 से 31-3-76
बड़ौदा उद्योग	74.19	75.62	93.38	322.63

शराब के उत्पादन में कमी

5802. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा मद्य निषेध लागू किये जाने के बावजूद देश में शराब के उत्पादन और उसके प्रयोग में भारी कमी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों में देश में उसका कुल कितना उत्पादन और प्रयोग हुआ ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

बोंगाईगांव तेल शोधनशाला द्वारा कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण

5803. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी क्षेत्र में स्थित बोंगाईगांव तेल शोधनशाला ने कुछ पैट्रोलियम उत्पादों का प्रयोगात्मक उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा और उसके श्रेणी-वार उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा स्थित तालचेर उर्वरक कारखाना विश्व में कोयले पर आधारित सबसे बड़ा कारखाना है; और

(घ) क्या यह चालू वर्ष के मध्य चालू हो जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बोंगाईगांव रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट ने 6 फरवरी, 1979 से परीक्षणात्मक कार्य संचालन प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) कोकिंग यूनिट तथा केरोसीन ट्रीटिंग यूनिट के आरम्भ होने तक क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का उत्पादन 0.5 मिलियन मी० टन तथा अशोधित तेल का उत्पादन निम्नलिखित रूप में होगा :—

उत्पाद	प्रतिवर्ष लक्ष्य हजार मी० टन में
(i) नैफ्था	104.00
(ii) हाईस्पीड डीजल	170.4
(iii) लो-सल्फर हेवी स्टाक	174.8

(ग) जी हां, कोयले की गैसीकरण पद्धति पर आधारित 900 मी० टन प्रतिदिन अमोनिया तथा संबंधित यूरिया क्षमता वाली तालचर फर्टिलाइजर फैक्ट्री संसार में अपने किस्म की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ।

(घ) यूरिया का परीक्षणात्मक उत्पादन जुलाई, 1979 से आरम्भ होने की आशा है ।

बिजली विभाग, चण्डीगढ़ में कार्य करने वाले कर्मचारी

5804. श्री भगत राम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1-5-1967 को और उसके बाद बिजली विभाग, चण्डीगढ़ में काम कर रहे कर्मचारियों को चण्डीगढ़ प्रशासन में अन्तिम रूप से खपा लिया गया है और यदि नहीं, तो ऐसा करने के लिए उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र बनने से पूर्व चण्डीगढ़ बिजली विभाग में काम करने वाले कितने व्यक्ति और किस आधार पर पंजाब राज्य बिजली बोर्ड/हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में अब तक वापस भेजे जा चुके हैं;

(ग) 2-5-1967 के बाद तथाकथित प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा खाली किए गए स्थानों और बनाए गए नए पदों पर संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में बिजली विभाग में कितने व्यक्ति सीधे भर्ती किए गए हैं ; और

(घ) यदि संघ राज्य क्षेत्र के लिए बनाए गए नये संवर्ग में ऐसे सभी कर्मचारी लिए जाने का निर्णय किया जाता है तो उन कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वापस भेजा गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं । सूचित किया गया है कि मामले पर चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) 2-5-1967 की स्थिति के अनुसार, पंजाब तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्डों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे व्यक्तियों में से 220 व्यक्ति या तो पदोन्नति के कारण अथवा उनके अपने-अपने बोर्डों द्वारा उन्हें वापस बुला लिए जाने के कारण तथा दो व्यक्ति उनके असन्तोषजनक कार्य के कारण उनके मूल बोर्डों को वापस भेज दिए गए हैं ।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 156 व्यक्ति उन पदों पर कार्य कर रहे हैं जिन पदों पर 2-5-1967 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों पर आए व्यक्ति कार्य कर रहे थे । उसके बाद सृजित किए गए 324 पदों के स्थान पर सीधे भर्ती किए गए 276 संघ शासित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

(घ) यह मामला प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को खपाने से संबंधित निर्णय से जुड़ा है, और सूचित किया गया है कि यह मामला चण्डीगढ़ प्रशासन के विचाराधीन है ।

टी० वी० एस० आयंगर ग्रुप की कम्पनियां

5805. श्री नाथू सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० वी० एस० आयंगर ग्रुप के सदस्यों के नियंत्रण/स्वामित्व के अधीन सभी कम्पनियों के नाम क्या हैं और वित्तीय वर्ष 1977-78 और कैलेंडर वर्ष 1978 को सम्मिलित करते हुए तथा छोड़ते हुए गत पांच वित्तीय वर्षों में इन कम्पनियों में से प्रत्येक की आस्तियों से किस प्रकार का व्यापार किया जाता है ;

(ख) इन कम्पनियों में से प्रत्येक में किन-किन वित्त पोषक संस्थानों की कितनी-कितनी राशि लगी है ;

(ग) इन कम्पनियों में से प्रत्येक की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है और प्रत्येक में टी० वी० एस० आयंगर ग्रुप के कितनी-कितनी पूंजी के शेयर हैं ; और

(घ) यदि इस ग्रुप की कम्पनियों के वर्ष 1976 और 1977 के आस्तियां सम्बन्धी आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि लोक सभा के 14 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2690 के उत्तर में बताया गया था, तो ऐसी प्रत्येक दोषी कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के सन्दर्भ में केवल वे कम्पनियां ही टी० वी० एस० आयंगर ग्रुप की कम्पनियां मानी जाती हैं जो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जिनको अधिनियम की धारा 20(क) लागू होती है और जो साथ ही या तो (i) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सूची में टी० वी० एस० आयंगर जैसे बड़े घराने की कम्पनी कही गई हैं (ii) या ऐसी कम्पनियों से अन्त: सम्बंधित हैं । संलग्न विवरण-पत्र 1 इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी के व्यापार को बताता है । और साथ ही 1974, 1975, 1976 और 1977 में प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्तियों का विवरण देता है । कई मामलों में 1975 की बैलेंस शीट पर आधारित परिसम्पत्तियों की सूचना अभी सरकार के पास नहीं आई है और अतएव उसका अध्ययन नहीं हो पाया है ।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र 2 प्रश्न में कही गई कम्पनियों में 1-2-75 को वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाये गए धन का विवरण देता है साथ ही 1977 में उनकी बैलेंस शीट में बताई गई सूचना के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा उन्हें दिए गए ऋण की सूचना भी देता है ।

(ग) संलग्न विवरण-पत्र 3 प्रत्येक कम्पनी की प्रदत्त पूंजी बताता है और टी० वी० एस० आयंगर परिवार से संबंध रखते प्रतीत होते हुए प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित शेयरों का मूल्य बताता है । इसमें वे कम्पनियां शामिल नहीं हैं जो प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कही गई हैं । किसी परवर्ती तारीख पर समस्त कम्पनियों के बारे में एकरूप भाव से समेकित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) 1976 और 1977 के बारे में परिसम्पत्तियों के आंकड़े मिल गए हैं और प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में शामिल कर लिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4239/79]

मिट्टी के तेल की मांग और सप्लाई

5806. श्री दलपतु सिंह परस्ते : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मिट्टी के तेल के मूल सामग्री और ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के संदर्भ में इसकी मांग और सप्लाई का वर्तमान अनुमान क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : देश में बेची गयी मिट्टी के तेल की बहुत बड़ी मात्रा का खाना पकाने और जलाने के लिये उपयोग किया जा रहा है। कच्चे माल अथवा उद्योग के लिये इसका उपयोग बहुत सीमित है। देश में मिट्टी के तेल की आवश्यकतायें मंत्रालय द्वारा राज्यों तथा संघ शासित राज्यों को माह-वार आवंटन के माध्यम से पूरी की जाती हैं। आवंटन पिछली खपत की प्रवृत्ति और अन्य संबद्ध तत्वों पर आधारित है। वर्ष 1978 में मिट्टी के तेल की कुल बिक्री 3.93 मि० मी० टन थी जोकि वर्ष 1977 में हुई बिक्री पर लगभग 11.4 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। कुल बिक्री में से लगभग 1.56 मि० मी० टन का आयात किया गया था और शेष का देश की शोधनशालाओं में उत्पादन किया गया था।

विद्युत उत्पादन अगले पांच वर्षों के दौरान दुगना किया जाना

5807. श्री युवराज : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन अगले पांच वर्षों के दौरान दुगना करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और इससे कुल कितनी बिजली का अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) मार्च, 1978 के अन्त तक कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 25,940 मेगावाट थी 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 18,500 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव है। 1978–83 की पंचवर्षीय योजना में विद्युत विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये 15,750 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1978-79 के दौरान जोड़ी गई प्रतिष्ठापित क्षमता को दिखाने वाला विवरण उपाबंध-एक में दिया गया है। 1979-80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान लाभ देने वाली संभावित परियोजनाएं उपाबंध-दो, तीन, चार तथा पांच में दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4240/79]

1978–83 के पंचवर्षीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कुल परिव्यय

5808. श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978–83 के पंचवर्षीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए मांगे गए कुल परिव्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के अनुसरण में वर्ष 1978-79 में कौन सी विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं और इनमें से प्रत्येक परियोजना की अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ; और

(ग) आवश्यकता में कितनी कमी होने की सम्भावना है और इस योजना के अन्त में कितनी विद्युत उपलब्ध होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) पंचवर्षीय योजना (1978–83) में विद्युत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 15750 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस राशि का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	(करोड़ रुपए में)
उत्पादन	8750*
पारेषण तथा वितरण	5300
ग्राम विद्युतीकरण	1450**
सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	230
एस० एण्ड टी०	20
	15750

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान जोड़ी गई प्रतिष्ठापित क्षमता को दिखाने वाला विवरण उपबन्ध में दिया गया है।

(ग) 1982-83 में विद्युत की प्रत्याशित सप्लाई की स्थिति संक्षेप में नीचे दी जाती है :—

प्रतिष्ठापित क्षमता—मेगावाट	42,115
व्यस्ततमकालीन उपलब्धता—मेगावाट	26,280.3
व्यस्ततम मांग —मेगावाट	27,333.7
अधिशेष (कमी) —मेगावाट	–(1,053.4)
ऊर्जा उपलब्धता—मिलियन यूनिट	1,58,090.8
ऊर्जा आवश्यकता—मिलियन यूनिट	1,50,819
अधिशेष (कमी)—मिलियन यूनिट	+7,272

*इसमें नान-यूटीलिटीज में किया गया निवेश शामिल नहीं है।

**इसमें वित्तीय संस्थानों से प्राप्त 300 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।

विवरण

वर्ष 1978-79 के दौरान जोड़ी गई प्रतिष्ठापित क्षमता को दिखाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	क्षमता (मेगावाट)
	उत्तरी क्षेत्र	
	जल-विद्युत	
1.	लोअर झेलम यूनिट-दो	35
2.	ब्यास (देहर) यूनिट-तीन	165
3.	ब्यास (देहर) यूनिट-चार	165
4.	पोंग यूनिट-तीन	60
5.	पोंग यूनिट-चार	60
		485
	ताप-विद्युत	
6.	ओबरा यूनिट 10	200
7.	गुरू नानक देव ताप विद्युत भटिंडा यूनिट-4	110
8.	पानीपत यूनिट 1	110
9.	बदरपुर यूनिट 4	210
		630
	पश्चिमी क्षेत्र	
	जल-विद्युत	
10.	कोयना चरण-तीन	80
	ताप विद्युत	
11.	उकई यूनिट 3	200
12.	उकई यूनिट 4	200
13.	अहमदाबाद	110
14.	सतपुड़ा यूनिट 6	200
15.	नासिक यूनिट 3	210
16.	भुसावल यूनिट 2	210
		1130

क्र० सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	क्षमता (मेगावाट)
	पूर्वी क्षेत्र	
	जल-विद्युत	
17.	रिचिंगटन यूनिट 1	1
18.	रिचिंगटन यूनिट 2	1
		2
	ताप-विद्युत	
19.	संथालडीह यूनिट 3	120
20.	चन्द्रपुरा यूनिट 6	120
		240
	दक्षिणी क्षेत्र	
	जल-विद्युत	
21.	कुन्डा चरण-4 पी० एच० यूनिट-4	50
22.	सुरूलियार यूनिट 1	35
23.	लोअर सिलेरु यूनिट 5	100
		185
	ताप-विद्युत	
24.	तूतीकोरिन यूनिट 1	210
	जल-विद्युत	
25.	किरडम कुलाई यूनिट 1	30
26.	किरडम कुलाई यूनिट 2	30
		60
	जोड़ी गई प्रतिष्ठापित क्षमता (जल-विद्युत)	812 मेगावाट
	जोड़ी गई प्रतिष्ठापित क्षमता (ताप-विद्युत)	2210 मेगावाट
	जोड़ी गई कुल प्रतिष्ठापित क्षमता	3022 मेगावाट

नान-ग्रापरेशनल संगठनों में सर्विस ग्रधिकारियों की नियुक्तियां

5809. श्री राज कृष्ण डान : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के ग्रन्तर्गत ग्रनुसंधान, विकास निरीक्षण ग्रौर उत्पादन जैसे नान-ग्रापरेशनल संगठनों में विभिन्न सर्विस ग्रधिकारियों को नियुक्त करने के बारे में सरकार के क्या उद्देश्य हैं ; ग्रौर

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इन सर्विस ग्रधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों में टेन्योर ग्रधिकारियों के रूप में ग्रधिकतम दो ग्रथवा तीन वर्ष के लिए नियुक्त करने की कोई योजना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां। इन संगठनों में विभिन्न रक्षा उपस्करों ग्रौर प्रणालियों का विकास, निरीक्षण तथा उत्पादन करने में सिविलियन वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के साथ सहयोग करने के लिए सैनिक ग्रफसरों की ग्रावश्यकता होती है। ग्रनुसंधान तथा विकास ग्रौर निरीक्षण कार्य करने के लिए शस्त्र प्रणालियों के संक्रियात्मक उपयोग ग्रौर ग्रनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य में ग्रनुभव की ग्रावश्यकता होती है।

(ख) ग्रावश्यकता के ग्रनुसार 2 से 3 वर्ष की ग्रवधि के लिए कुछ चुने हुए ग्रफसरों को लिया जाता है ग्रौर जिन्हें उपयुक्त समझा जाता है उन्हें स्थायी तौर पर रख लिया जाता है।

ग्राकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र से प्रसारण

5810. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र से होने वाले प्रसारण उत्तर ग्रौर मध्य ग्रन्डमान में तथा निकोबार द्वीप-समूह में बहुत दिन से सुनाई नहीं देते हैं तथा इस बारे में ग्रनेक बार ग्रभ्यावेदन भी दिये गये हैं परन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला, ग्रौर यदि हां, तो इस बारे में सरकार का कब तक ग्रौर क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्राकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से ग्रंडमान ग्रौर निकोबार द्वीप समूह जैसे दूरस्थ एवं ग्रलग-ग्रलग पड़े संघ राज्य क्षेत्रों के समाचारों को प्रसारित नहीं किया जाता है, ग्रौर यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) 9 से 26 फरवरी तक ग्राकाशवाणी, दिल्ली को पोर्ट ब्लेयर से प्रधान मंत्री के दौरे के ग्रतिरिक्त कितने ग्रन्य समाचार भेजे गये ग्रौर उनमें से कितने प्रसारित किये गये ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण ग्राडवाणी) : (क) (1) पोर्ट ब्लेयर स्थित मीडियम वेव ट्रांसमीटर द्वारा फिलहाल ग्रंडमान ग्रौर निकोबार द्वीपसमूह का मध्य भाग, नार्थ ग्रंडमान को उपयुक्त रूप से कवर नहीं किया जाता। पोर्ट ब्लेयर के ग्राकाशवाणी केन्द्र की क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रंडमान ग्रौर निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन से ग्रनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन ग्रभ्यावेदनों की ग्रोर उपयुक्त ध्यान दिया गया है।

(2) पोर्ट ब्लेयर स्थित मीडियम वेव ट्रांसमीटर फिलहाल अस्थायी एन्टीना पर कार्य कर रहा है । एक अनुदिक (डायरैक्शनल) एन्टीना स्थापित किया जा रहा है । इससे ट्रांसमीटर की कवरेज में सुधार होगा ।

(3) कवरेज में आगे और सुधार करने के लिए, हाई पावर (100 किलोवाट मीडियम वेव) ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए एक योजना को स्वीकृत छठी पंचवर्षीय योजना 1978–83 में शामिल किया गया है ।

(ख) और (ग) 9 से 26 फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान, आकाशवाणी ने पोर्ट ब्लेयर में अपने संवाददाता से 17 समाचार (प्रधान मंत्री की यात्रा की कवरेज से सम्बन्धित समाचारों के अलावा) प्राप्त किए जिनमें से 10 समाचारों का विभिन्न समाचार बुलेटिनों में प्रयोग किया गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि समाचारों को दिल्ली से प्रसारित किए जाने वाले अखिल भारतीय समाचार बुलेटिनों में शामिल करने से पहले उनका चयन समूचे देश से प्राप्त सैकड़ों समाचारों में से उनके समाचारिक महत्व और सम्बन्धित महत्व के आधार पर किया जाना होता है ।

तालचर में उर्वरक संयंत्र की लागत में वृद्धि

5811. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की लागत कई गुणा बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तालचर उर्वरक प्रायोजना की मूल अनुमानित लागत 70.49 करोड़ रुपये थी जबकि संशोधित स्वीकृत लागत 184.76 करोड़ रुपये है ।

(ख) लागत में वृद्धि के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :

(i) निस्त्राव परिष्करण और प्रदूषण नियंत्रण, कोयले के रख-रखाव आदि के लिए संभावनाओं में परिवर्तन और अतिरिक्त प्रावधान ।

(ii) प्लांट में सुधार और चौथे गैसीफायर के लिये प्रावधान ।

(iii) विदेशी मुद्रा की समता में परिवर्तन ।

(iv) मूल्य वृद्धि ।

(v) प्रायोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब के कारण वित्तीय लागत और विभागीय प्रभारों में वृद्धि :—

(क) सिविल डिजाइन को तैयार करने में विलम्ब ।

(ख) ठेकेदार द्वारा सिविल निर्माण कार्य में विलम्ब ।

(ग) उपकरणों की सप्लाई और उनको चालू करने में विलम्ब ।

(vi) सीमा शुल्क और समुद्री भाड़े में वृद्धि ।

दिल्ली टेलीविजन पर पुरानी हिन्दी फिल्मों का दिखाया जाना

5812. श्री सुरेन्द्र बिक्रम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीविजन से अधिकांश रूप से पुरानी हिन्दी फिल्में दिखाये जाने के क्या कारण हैं जिसके विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या वे दिल्ली तथा अन्य टेलीविजन केन्द्रों से अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बच्चों तथा बच्चों की शिक्षा पर आधारित अधिकतम हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की फिल्में दिखाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों संबंधी विदेशी अंग्रेजी फिल्में प्राप्त करने तथा उन्हें टेलीविजन पर दिखाने का प्रबंध करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन नई फीचर फिल्में प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करता है किन्तु आमतौर पर प्रोड्यूसर ऐसी फिल्में देने में अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि इससे वाणिज्यिक सर्किट में उनकी आय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतया दूरदर्शन को उपलब्ध की गई फिल्में तीन से सात वर्ष पुरानी होती हैं।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान विदेशी टेलीविजन संगठनों द्वारा निर्मित फिल्मों सहित बच्चों पर और उनकी विशेष रुचि वाली उपयुक्त फिल्में तैयार करने और उन्हें टेलीकास्ट करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

'टिस्को' उद्योग समूह में सरकारी पूंजी निवेश

5813. श्री ए० के० राय : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'टिस्को' कोयला खान और उद्योग समूह में 1 जनवरी, 1979 तक कितनी सरकारी पूंजी लगी थी और इसमें लगी कुल पूंजी से उसकी प्रतिशतता क्या है और कम्पनी के मुख्य शेयरधारी कौन हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कोई निदेशक सरकारी धन के उचित उपयोग और इसका अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग न किये जाने को देखने के लिये हैं ; यदि हां, तो उन निदेशकों के नाम क्या हैं और किस तारीख से वहां काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि वे सब मूक निदेशक हैं और बैठकों में अधिक भाग नहीं लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप 'टिस्को' द्वारा बड़ी मात्रा में सरकारी धन का अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 9 कम्पनियां हैं जिनसे टिस्को समूह की कम्पनियां संघटित होती हैं। उपलब्ध सूचना अनुसार इन कम्पनियों की

हिस्सा पूंजी में सरकारी वित्तीय संस्थानों के नियोजन, प्रतिशत जो इन कम्पनियों में मुख्य हिस्से धारियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, टिस्को समूह की इन 9 कम्पनियों में केन्द्रीय सरकार का कोई निदेशक नहीं है । तथापि, इन कम्पनियों में से दो के निदेशक मंडल में वित्तीय संस्थानों के कुछ मनोनीत हैं, जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०

(1) श्री मन्तोष सोंधी, सचिव, इस्पात एवं खान मंत्रालय (25-5-77 से) ।

(2) श्री जे० मत्थान (16-1-79 से) पहले श्री एस० रंगराजन, अध्यक्ष, एल० आई० सी० 11-3-78 से वहां थे ।

(3) श्री एच० टी० पारिख (20-6-74 से) ।

(2) इन्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड

(1) डा० एन० डी० जोशी (आई०डी०बी०आई० द्वारा 1-2-79 से मनोनीत—इनसे पहले 12-5-77 से श्री बी० एम० सक्सेना, आई०डी०बी०आई० का प्रतिनिधित्व करते थे) ।

(2) श्री रूसी सी० दूधमल (13-9-74 से आई०सी०आई०सी० आई० का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं) ।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी । सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा मनोनीत सदस्य इन संस्थानों के हितों पर दृष्टि रखते हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4241/79]

महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये प्रस्ताव

5814. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा अब तक दिये गये और शामिल करने के लिए स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कितने प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान महाराष्ट्र के प्रस्तावों को मंजूरी के लिये क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में यदि कोई कठिनाईयां हैं तो वे क्या हैं और महाराष्ट्र में नई उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने और वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार

के लिए वर्ष 1979-80 के दौरान कितनी राशि का पुंजी निवेश करने का प्रस्ताव है और वर्ष 1979-80 के लिये योजना प्रस्तावों की महत्वपूर्ण बातें क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में थाल बैसठ नामक स्थान पर सरकारी क्षेत्र में गैस पर आधारित बड़े पैमाने के दो उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। परियोजना में दो अमोनिया संयंत्र होंगे जिनमें प्रत्येक की क्षमता प्रतिदिन 1350 मी० टन होगी तथा 3 यूरिया संयंत्र होंगे जिनमें प्रत्येक की क्षमता प्रतिदिन 1530 मी० टन होगी। प्रतिदिन 900 मी० टन अमोनिया तथा प्रतिदिन 1000 मी० टन यूरिया की क्षमता के साथ एक और उर्वरक परियोजना अर्थात् ट्राम्बे V, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के ट्राम्बे संयंत्रों के एक विस्तार के रूप में कार्यान्वियनधीन है।

बम्बई के पास तलोजा में गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिदिन 259 मी० टन अमोनिया का निर्माण करने के लिए मैसर्स दीपक नाइट्राईट को एक आशय पत्र भी जारी किया गया है।

(ग) थाल परियोजना के बारे में तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया है तथा पूंजी निवेश निर्णय के लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(घ) 1979-80 के लिए थाल बैसठ तथा ट्राम्बे V परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित धनराशि व्यवस्थायें की गई हैं :—

	(रुपये लाखों में)
थाल बैसठ	3,000
ट्राम्बे V	4,500

कीटनाशी पदार्थों के संयंत्रों की स्थापना

5815. श्री मातीभाई आर० चौधरी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** कीटनाशी पदार्थों के कारखाने की स्थापना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3944 दिनांक 20 मार्च 1979 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कीटनाशी पदार्थों के संयंत्रों की स्थापना की जानी है और किन-किन राज्यों में ये संयंत्र सरकारी क्षेत्र में होंगे और किन-किन गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ख) देश में कीटनाशियों की कुल वार्षिक खपत कितनी होती है और सबसे अधिक खपत वाला राज्य कौन-सा है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में तकनीकी श्रेणी के पेस्टीसाइडस का निर्माण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में संयंत्रों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किये गये हैं। गुजरात में सरकारी क्षेत्र में, आंध्र

प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में राज्य सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा तथा महाराष्ट्र और केरल में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र में पेस्टीसाइडस संयंत्रों की स्थापना की जा रही है/स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ख) पेस्टीसाइडस पर कार्यकारी दल के अनुमानों के अनुसार 1978-79 में फसल सुरक्षा के लिए देश में 47,790 मी० टन पेस्टीसाइडस के कुल प्रत्याशित उपयोग की आशा है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य पेस्टीसाइडस का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता है ।

आंध्र इस्पात निगम लि०, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों से ज्ञापन

5816. श्री शरद यादव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र इस्पात निगम लि०, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रोजगार से वंचित रखने के लिए कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध पर्याप्त आरोप लगाये गये हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल में कारखाने के 2000 कर्मचारियों को बचाने के लिये कारखाने को पुनः खोलने के लिये प्रबन्धकों को तैयार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"एवियेशन लुब्रीकैन्ट्स" का आयात और उत्पादन

5817. श्री सौगत राय : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारा देश अपनी आवश्यकताओं के लिए एवियेशन लुब्रीकैन्ट किन स्रोतों से प्राप्त करता है ;

(ख) उसे प्राप्त करने संबंधी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसके उत्पादन के लिए हमारी तेल कंपनियों की गुंजाइश और अनुसंधान क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन की कैनेलाइजिंग एजेंसी लुब्रीकैन्ट विमानन की आवश्यकता की खरीद ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम तथा हालैण्ड से करता है ।

(ख) ऐसे आयात या तो स्वामित्व खरीद के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं या पार्टियों को निविदा पूछताछ के द्वारा जारी किये जाते हैं जो इंडियन आयल कारपोरेशन के डाक-सूची पर है और इसके बाद उत्पाद सबसे कम बोली देने वाले से खरीदा जाता है जिसका कोटेशन निर्धारित विनिर्देशन से मिलता है ऐसे आयात निर्बंध विदेशी मुद्रा संसाधनों से हैं ।

(ग) विमानन तेलों में इंजिन तेल, हाइड्रालिक तेल तथा विभिन्न उपकरण तेल आता है क्योंकि हमें उपरोक्त प्रत्येक श्रेणियों के कई ग्रेडों की आवश्यकता हमारी वायु सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है। जिनका कि कई देशों से आयात किया जाता है, प्रत्येक ग्रेड की मांग बिल्कुल कम है। अतः ऐसे सभी तेलों का विकास किफायती नहीं हो सकता। परन्तु आई० ओ० सी० (अनुसंधान तथा विकास केन्द्र) कुछ ऐसे तेलों का विकास करने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहा है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में अभी भी आपात कालीन स्थिति (एमरजेंसी स्टिल डाग्स एच० ए० एल० शीर्षक समाचार)

5818. श्री वसन्त साठे :
श्री विजय कुमार एन० पाटिल :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1979 के ब्लिटज साप्ताहिक में हिन्दुस्तान यरोनाटिक्स लिमिटेड के अधीन अभी भी आपात कालीन स्थिति (एमरजेंसी स्टिल डाग्स एच० ए० एल०) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी गम्भीर प्रकार की अनेक टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबंधक अपने अफसरों को दण्डित अथवा परेशान नहीं कर रहे हैं जैसा कि समाचार पत्र में आरोप लगाया गया है। वे अफसरों की सभी उचित शिकायतों तथा सुझावों पर अपेक्षित ध्यान दे रहे हैं।

दूरदर्शन पर भोजपुरी कार्यक्रम दिखाया जाना

5819. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली दूरदर्शन पर न कोई भोजपुरी कार्यक्रम और न ही मुस्लिम समुदाय के लिए कोई कार्यक्रम दिखाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भोजपुरी और मुसलमानों के लिए अधिक कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) मुख्य भाषा जिसमें दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं, हिन्दी है। तथापि, केन्द्र कभी-कभी भोजपुरी में कार्यक्रम भी शामिल करता है।

धार्मिक आधार पर कार्यक्रम टेलीकास्ट करना दूरदर्शन की नीति नहीं है। विभिन्न समुदायों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण समारोहों और घटनाओं को दूरदर्शन के कार्यक्रमों में प्रतिबिम्बित किया जाता है ताकि एक मिश्रित सांस्कृतिक चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में दो महानिदेशकों के सेवाकाल को बढ़ाया जाना

5820. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष आकाशवाणी और दूरदर्शन में दो महानिदेशकों की सेवा की अवधि 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति होने पर उसी ाद पर एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष सेवा निवृत्त होने वाले उप-महानिदेशकों के मामले में भी इस पूर्वोदाहरण का अनुसरण करने और उनकी सेवा में एक वर्ष की वृद्धि करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो दो उप-महानिदेशकों को पहले सेवा काल में वृद्धि देने के क्या कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) आकाशवाणी में एक उप-महानिदेशक और दूरदर्शन में अन्य उप-महानिदेशक को गत वर्ष अधिवार्षिकी आयु के हो जाने के बाद क्रमश: 9 मास और 11 मास के लिए पुनर्नियुक्त किया गया था क्योंकि निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार जिस संवर्ग से पद भरे जाने थे उसमें कोई भी अधिकारी ऐसी पात्रता नहीं रखता था जिसके नाम पर उप-महानिदेशक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया जा सके। आकाशवाणी और दूरदर्शन में उप-महानिदेशक के पद, जो इस वर्ष खाली होने हैं, को नियमों के अनुसार भरने की आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है। पदों को शीघ्र भर दिए जाने की आशा है।

1976-78 के दौरान आयात

5821. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या **उप-प्रधान मंत्री** तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1976 से 1978 के दौरान वस्तु-वार तथा देश-वार कितने मूल्य के आयात किए गए तथा आयात करने वाली कम्पनियों एवं व्यक्तियों के नाम एवं पते क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 1976–78 की अवधि में हमने दुनियां के विभिन्न भागों के अनेक देशों से रक्षा मदों का आयात किया है। यह आयात विशेष मद की आवश्यकता, उसकी उपलब्धता और सप्लाई की शर्तों के आधार पर किया गया है। आयात विभागीय अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से सरकारी खाते पर किया जाता है। किसी निजी कम्पनी अथवा व्यक्तियों की मार्फत कोई आयात नहीं किए जाते हैं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विदेशों से रक्षा उपस्कर प्राप्त करने के बारे में ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

आकाशवाणी, टेलीविजन तथा अन्य माध्यमों से राजनैतिक दलों का प्रचार

5822. श्री बी० सी० काम्बले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (एक) रेडियो (दो) टेलीविजन (तीन) अंग्रेजी दैनिक (चार) स्थानीय भाषाओं के दैनिकों के माध्यम से प्रत्येक राजनैतिक दल का कितना प्रचार हुआ ; और

(ख) प्रश्न के उक्त भाग (क) में किए गए उल्लेख के अनुसार भारत की रिपब्लिकन पार्टी का कितना प्रचार हुआ ; और

(ग) असमानता को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) अपने समाचार बुलेटिनों तथा सामयिकी कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन राजनैतिक गतिविधियों को उनके समाचारिक महत्व के आधार पर कवर करते हैं। तथापि, किसी राजनैतिक दल का इस प्रकार कोई प्रचार नहीं किया जाता। समाचार पत्रों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई स्थित लेखाकारों और लेखा परीक्षकों की कम्पनी के बारे में जांच

5823. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया ने बम्बई स्थित लेखाओं और लेखापरीक्षकों को कम्पनी के विरुद्ध पूरी जांच करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया द्वारा अपने रिकार्ड में प्रगट तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना निम्न प्रकार है :—

कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, बम्बई ने मैसर्स ए० एफ० फर्गूसन एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई के श्री के० आर० अल्पेवाला और श्री ए० के० महीन्द्रा जो मैसर्स त्रिशूर इन्डिया लिमिटेड के लेखा परीक्षक हैं, के विरुद्ध शास-प्राप्त लेखापाल अधिनियम 1949 की धारा 21/22 के अन्तर्गत शिकायत दर्ज की थी। चार्टर्ड एकाउन्टेंट विनियम 1964 के नियम 11/11(5) के अनुसार प्रतिवादियों को शिकायत की एक प्रति भेजी गई थी जिसमें उसने यह प्रार्थना की गई थी कि वे नियम 11(6) के अन्तर्गत अपने बचाव में लिखित ब्यान दें। श्री के० आर० अल्पेवाला ने अपना लिखित ब्यान 1 मार्च, 1978 को दायर किया, इसी प्रकार श्री ए० के० महीन्द्रा ने अपना लिखित ब्यान 1 मार्च, 1978

को दायर किया। शिकायत और लिखित ब्यान पर इंस्टीट्यूट की परिषद ने 14, 15 और 16 सितम्बर को अपनी 84वीं बैठक में विचार किया और विचारोपरान्त परिषद का यह विचार बना कि प्रथम दृष्टि में प्रतिवादी व्यावसायिक और/या अन्य प्रकार के कदाचार के लिए दोषी है अतएव यह निर्णय किया गया कि परिषद की अनुशासन समिति मामले की जांच करे। जांच के लिए अनुशासन समिति की एक बैठक 6 फरवरी, 1979 के लिए तय की गई थी। 31 जनवरी 1979 के एक पत्र द्वारा प्रतिवादियों ने कहा कि त्रिशूर इन्डिया लि० ने बम्बई उच्च न्यायालय में ए० एफ० फर्गूसन एण्ड कम्पनी की फर्म उसके भागीदारों और स्वयं प्रतिवादियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है जिसमें बहुत कुछ वही शिकायतें उठाई गई हैं जो उनके खिलाफ कम्पनी रजिस्ट्रार ने दायर की हैं। इन हालात में प्रतिवादियों ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है और उच्च न्यायालय के फैसले तक सुनवाई के स्थगन की मांग की गई। इस प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया कि अनुशासन समिति की कार्यवाही एक आगे की तारीख तक स्थगित की जाये।

4 अक्तूबर 1977 के अपने पत्र में त्रिशूर इन्डिया लिमिटेड ने वह दायर किया जो उनके अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम 1949 की धारा 21 के अन्तर्गत "सूचना" होती है। इस पत्र की प्राप्ति पर, कम्पनी से पूछा गया कि क्या वह एक रस्मी अर्जी निर्धारित फार्म में देना चाहेगी। 30 नवम्बर, 1977 के अपने पत्र द्वारा कम्पनी ने सूचित किया कि शिकायत रजिस्ट्रार के द्वारा इंस्टीट्यूट के सामने पहले ही दायर कर दी गई है, चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना को निपटाने की प्रक्रिया वही है जो एक सदस्य के खिलाफ आई शिकायत पर लागू होती है और अतएव वे केवल सदस्य के व्यवहार पर सूचना देना ही वांछनीय समझते हैं और यह इंस्टीट्यूट पर छोड़ते हैं कि वह इस मामले को जरूरी समझे अपने को किसी विशेष कदाचार तक सीमित न करते हुए करे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनका उद्देश्य इंस्टीट्यूट के सामने सारे तथ्य रख देने पर अच्छी तरह पूरा हो जायेगा। 4 अक्तूबर 1977 को कम्पनी से प्राप्त पत्र को उन मामलों में "सूचना" समझा गया जोकि कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा श्री के० आर० अल्पेवाला के खिलाक दायर शिकायय में नहीं शामिल थे। सूचना और उसके साथ सदस्य के लिखित ब्यान पर विचार करने के बाद परिषद का यह प्रथम दृष्टि में विचार रहा कि यह व्यावसायिक और या अन्य प्रकार के कदाचार के दोषी थे। अतएव अनुशासन समिति को जांच करने का निर्देश दिया गया। 7 फरवरी, 1979 को इस मामले की बम्बई में सुनवाई भी तय की गई थी पर उन्हीं आधारों पर जिन पर श्री आर० के० अल्पेवाला ने पहले स्थगन प्राप्त किया था, इस बार भी स्थगन मांगा गया। सुनवाई को उन्हीं आधारों पर स्थगित कर दिया गया जिन पर पहले किया गया था।

"कोर" उत्पाद (इस्पात) के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव

5824. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार "कोर" क्षेत्र के उत्पाद इस्पात के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वस्तु के उत्पादन तथा उसके वर्तमान मूल्य ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण (कोर) क्षेत्र के उत्पादों जैसे इस्पात के मूल्यों पर सतत् नजर रखी जाती है ।

(ख) इस प्रकार की समीक्षा करते समय इस बात पर भी उचित ध्यान दिया जाएगा कि इसका उत्पादन तथा मूल्य ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण

5825. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री ए० आर० बद्री नारायण :

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक संयंत्र के आधुनिकीकरण से देश की कृषि सम्बन्धी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और भारतीय उर्वरक निगम के लिए भी ये लाभप्रद होगा ;

(ख) यदि हां, तो सिन्दरी संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए किन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ;

(ग) इस पर कुल कितना खर्चा होगा ; और

(घ) क्या विश्व बैंक ने संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए ऋण अथवा सहायता का प्रस्ताव किया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : सिन्दरी में इस समय दो परियोजनाओं पर काम हो रहा है अर्थात् आधुनिकीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण प्रायोजनाएं । इसके अतिरिक्त एक नवीकरण योजना भी चल रही है जिसके अंतर्गत अमोनिया सल्फेट प्लांट तथा आन्तरिक खपत के लिए बिजली उत्पादन प्लांट जैसे कुछ वर्तमान प्लांटों को नया बनाया जायेगा । यद्यपि ये परियोजनाएं भारतीय उर्वरक निगम की एक परिसम्पत्ति होंगी परन्तु इन प्लांटों के उत्पादन से, उत्पादन और खपत में जो वर्तमान अन्तर है उसको पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा ।

(ख) सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना में प्रतिदिन 900 मी० टन अमोनिया का उत्पादन करने की सुविधाओं की व्यवस्था है जिसमें से प्रतिदिन 600 मी० टन को आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत लगाये जाने वाले 1000 मी० टन प्रतिदिन क्षमता वाले यूरिया प्लांट में, यूरिया में परिवर्तित किया जाएगा और शेष 300 मी० टन अमोनिया का अमोनियम सल्फेट तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जायेगा । सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण योजना में प्रतिदिन 1087 मी० टन टी० एस० पी० के उत्पादन क्षमता स्थापित करने की व्यवस्था है ।

(ग) सिन्दरी आधुनिकीकरण की अनुमोदित पूंजीगत लागत 152.04 करोड़ रुपये है जबकि सुव्यवस्थीकरण परियोजना की अनुमोदित पूंजीगत लागत 50.93 करोड़ रुपये है। नवीकरण कार्यक्रम का अनुमानित व्यय 16 करोड़ रुपये के आस-पास होगा।

(घ) सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए आई० डी० 'ए० से दी गई 91 मिलियन अमरीकन डालर ऋण सहायता का उपयोग किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के कथित नियंत्रण के संबंध में जांच के लिए 'सेल'

5826. श्री बेदव्रत बरुआ : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपनी कम शेयर धारिता के कारण भारतीय कम्पनियों पर दूर से नियंत्रण रखे जाने के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक 'सेल' बनाया है ;

(ख) क्या कम्पनियों के पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने के सम्बन्ध में अनुमोदन देने का एक कारण कम विदेशी शेयर धारिता वाली भारतीय कम्पनियों पर से विदेशी नियंत्रण हटाना है ; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित जैसा इस प्रकार का कोई "सेल" कम्पनी कार्य विभाग में गठित नहीं किया गया है। 50% से कम विदेशी शेयरधारण सहित कम्पनियों के मामले में नियंत्रण भारतीयों के हाथों में शेष शेयरों के वास्तविक वितरण पर निर्भर करेगा। अगर इस शेयरधारण को उन शेयरधारियों में जो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, विशाल रूप से वितरण किया जाता है, तो प्रभावी नियंत्रण इस प्रकार के मामले में विदेशी शेयरधारियों जो शेयरों के अधिक हिस्से धारित करते हैं, के हाथों में ही यथावत रहता है।

(ख) तथा (ग) कम्पनियों के शेयरधारण के ढांचे से पृथक, पब्लिक कम्पनियों या प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हैं, में प्रबन्धकीय या पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 269 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए कथित धारा 269 में उल्लिखित विचार इस प्रकार से एकरूपता में लागू होता है। इस सम्बन्ध में, यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि इस प्रकार की कम्पनियों के विनिगमन के समय पर विदेशी शेयरधारण करने वाली कुछ भारतीय कम्पनियों के मामले में, संस्था अन्तर्नियमों में विदेशी शेयरधारियों द्वारा कुछ अभ्रमणशील निदेशकों को (प्रबन्ध निदेशकों को सम्मिलित करते हुए) नामित करने की व्यवस्था की जाए या पहले ही व्यवस्था की गई हो। इस प्रकार के मामलों में सम्बन्धित कम्पनियों के संस्था-अन्तर्नियमों में इस प्रकार के उपबन्धों में परिवर्तन करने में सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। तथापि अगर संस्था-अन्तर्नियमों में पहले ही से इस प्रकार की कोई

व्यवस्था नहीं थी और विदेशी शेयरधारकों द्वारा प्रबन्धकीय पूर्णकालिक निदेशकों को सम्मिलित करते हुए अभ्रमणशील निदेशकों के नामित किए जाने के लिय व्यवस्था के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 268 के अंतर्गत अन्तर्नियम में, व्यवस्था करने के संशोधन अब सरकार को प्रस्तावित किए जाते हैं, तो सरकार नीति के रूप में इस प्रकार के संशोधनों को प्रोत्साहित नहीं करती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय

5827. डा० रामजी सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सदन को आश्वासन दिया था कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के मुख्यालय को रांची स्थानान्तरित किया जाएगा और कब;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विभाग रांची स्थानान्तरित किये जा चुके हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रांची में हिन्दुस्तान स्टील की अपनी इमारत है जिसका इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार पहले की गई वचन बद्धता से पीछे हटना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) सदन को पहले सूचित किया गया है कि "सेल" के मुख्यालय को चरणों में तथा उपयुक्त समय पर रांची ले जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। कार्यालय के लिये उपयुक्त स्थान तथा रिहायशी मकानों और अन्य सुविधाओं, जिनकी इस कार्य के लिए अनिवार्यत: आवश्यकता होगी, की उपलब्धि संबंधी मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड नासिक के एयरोनाटिकल डिवीजन से ज्ञापन

5828. श्री वी० जी० हांडे : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक डिवीजन के एयरोनाटिकल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी पदोन्नतियों और अन्य मांगों के बारे में अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए प्रबंध निदेशक बंगलौर और महाप्रबंधक नासिक डिवीजन को कोई ज्ञापन भेजा है ;

(ख) क्या प्रबंधकों ने मैकेनिकल प्रशिक्षुओं के रूप में नए स्नातक लिए हैं और उन्हें नासिक डिवीजन में कार्मिक तथा वित्तीय विभागों में खपाया है;

(ग) क्या यह सच है कि इससे इकानामिक आफिसर्स (गैर-तकनीकी सभी नासिक डिवीजन में) के भविष्य पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या सरकार उनकी शिकायत दूर करने के लिये कोई कदम उठाना चाहती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) जी नहीं । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की भर्ती नीति के अनुसार, प्रबंधक प्रशिक्षुओं को सीधी भर्ती कोटे पर नियुक्त किया जाता है । इन नियुक्तियों से उस प्रभाग के गैर-तकनीकी कर्मचारियों के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मन्दिर तक जाने वाली सड़कों का बन्द कर दिया जाना

5829. श्री लालजी भाई : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा (राजस्थान) के ददवाड़ा क्षेत्र में "हनुमान जी" का एक पुराना मन्दिर है जहां सैंकड़ों भक्त दर्शन के लिये प्रतिदिन जाते हैं परन्तु इस मन्दिर के चारों ओर की भूमि सेना द्वारा अर्जित कर ली गई है और मन्दिर तक जाने वाली सभी सड़कें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) क्या सेना के अधिकारी भक्तों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं और वे इस प्रकार लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की शीघ्र जांच करायेगी और लोगों में व्याप्त रोष को दूर करने के लिये मन्दिर तक मार्ग प्रदान करने के लिये प्रयास करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी इस समय सक्रिय रूप से जांच की जा रही है ।

भारतीय सैनिकों को परमाणु आक्रमण से बचाने के प्रबंध

5830. श्री केशवराव घोंडगे : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सैनिकों की परमाणु आक्रमण से रक्षा के लिये क्या प्रबंध किए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या हमारी सशस्त्र सेनाएं परमाणु आक्रमण का सामना करने के योग्य हैं, और यदि नहीं, तो इस संबंध में उन्हें इसके योग्य बनाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण देते समय परमाणु विकीरण के खतरे से बचाव का निवार्य प्रशिक्षण भी देते हैं ।इस संबंध में कोई ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा ।

सरकार परमाणु शस्त्रों के बारे में अपनी नीति कई बार स्पष्ट कर चुकी है । तदनुसार, हमारी रक्षा तैयारी परम्परागत शस्त्रों के आधार पर की जाती है । इस संबंध में हम अपनी रक्षा

सेनाओं को अपनी आवश्यकताओं और परिवर्तित प्रौद्योगिकी तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सुसज्जित करते रहते हैं तथा उनका आधुनिकीकरण करते रहते हैं ।

उवरकों के वर्तमान उत्पादन को बढ़ाने के प्रस्ताव

5831. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषकों द्वारा उर्वरकों के उत्तरोत्तर ज्यादा उपयोग को देखते हुए उर्वरकों के वर्तमान उत्पादन को बढ़ाने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) नये संयंत्रों की स्थापना कहां पर करने का विचार है; और

(ग) क्या वर्तमान संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का भी विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) उर्वरक क्षमता का विस्तार करने के लिए एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत 11 उर्वरक परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं । आशा है कि ये परियोजनाएं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी हो जायेंगी और इनसे उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । जिन राज्यों में ये परियोजनाएं स्थित हैं वे नीचे दिये गये हैं:—

क्रम संख्या	प्लांट का नाम	राज्य जिनमें कार्यान्वित की गई है ।
1.	सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण	बिहार
2.	रामागुण्डम	आंध्र प्रदेश
3.	तालचर	उड़ीसा
4.	सिन्दरी आधुनिकीकरण	बिहार
5.	भटिन्डा	पंजाब
6.	पानीपत	हरियाणा
7.	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
8.	ट्राम्बे	महाराष्ट्र
9.	ब्रोअच	गुजरात
10.	फूलपुर	उत्तर प्रदेश
11.	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त बम्बई हाई और दक्षिण बेसिन गैस पर आधारित दो बड़े उर्वरक प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव हैं, इनमें से दो महाराष्ट्र में और दो गुजरात में होंगे । ओ०एन०जी० और ओ० आई० एल० की गैस पर आधारित एक प्लांट आसाम में स्थापित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिवस लि० कानपुर उत्तर प्रदेश को अपने कानपुर स्थित प्लांट का विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है ।

इसी प्रकार मैसर्स इफको के कांडला स्थित एन० पी० के० प्लांट के विस्तार का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। एक मात्र सुपर-फास्फेट के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र में 12 यूनिटों को लाइसेंस देने के लिए भी सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है।

अमरीका, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से खतरा

5832. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से हमारे देश को कोई खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) पाकिस्तान, चीन और अमरीका तथा विश्व के अन्य देशों के बीच बन रहे संबंधों की सरकार को जानकारी है। हमारे पड़ोसी देशों में किसी प्रकार के सैनिक गठबन्धन होना हमारे लिए निस्सन्देह चिन्ता का विषय है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों की सभी गतिविधियों की हम अपनी रक्षा तैयारी की योजनाएं बनाते समय और उन्हें अद्यतन करते समय निरन्तर समीक्षा करते हैं।

'जनता ईरा फर्स्ट ईयर' नामक स्मारिका को कुछ कम्पनियों द्वारा विज्ञापन दिया जाना

5833. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता पार्टी द्वारा 1 मई, 1978 को प्रकाशित 'जनता ईरा फर्स्ट ईयर' नामक स्मारिका को डी०सी०एम०, मोदीपोन लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मोदी कांटीनेन्टल, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कदम एमे एस्टेट कम्पनी, कोरोमंडल इंजीनियरिंग कम्पनी, भोरूका रोडलाइन्स, टी एम एण्ड मैक प्राइवेट लिमिटेड, सिंडीकेट बैंक सहित अनेक कम्पनियों ने विज्ञापन दिये थे ;

(ख) क्या इन कम्पनियों तथा उनके निदेशकों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि (ख) भाग का उत्तर नकारात्मक हो तो कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) पुस्तिका के मूल्य दर मुद्रण आदेश आदि को सम्मिलित करते हुए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का कोई उल्लंघन प्रगट नहीं होता है।

क्षेत्रीय एककों की स्थापना के लिए भारत इलैक्ट्रोनिक्स द्वारा मांगी गई अनुमति

5835. श्री पी० के० कोडियन : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने केन्द्र से प्रस्ताव किया है कि उसे देश में दो क्षेत्रीय एककों की स्थापना के लिए अनुमति दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

दार्जिलिंग के मोनसोंग-रंगपो क्षेत्र में टिन और टंगस्टन

5836. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय के सैंटर आफ एडवांस्ड स्टडी इन जिआलोजी द्वारा आयोजित एक गोष्ठी से प्राप्त इस रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी कि दार्जिलिंग के मोन-सोंग-रंगपो क्षेत्र में टिन तथा टंगस्टन खनिज पाये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार की उपरोक्त संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय जांच, जो बड़े आर्थिक महत्व की हो सकती है, करायेगी/अब तक करवा ली है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) गोष्ठी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन दार्जिलिंग जिले के मोनसोंग इलाके में भारतीय भू-सर्वेक्षण जिले को सीमित दायरे में टंगस्टन खनिजीकरण का पता चला है । इस खनिजीकरण के सीमित दायरे और सीमित स्थल में होने के कारण, भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा वहां फिलहाल आगामी खोज करने का कोई कार्यक्रम नहीं है । इस जिले में अभी तक कोई टिन खनिजीकरण नहीं पाया गया है ।

"कोल लेबर वांट्स पैक्ट बाइ मार्च एन्ड" शीर्षक समाचार

5837. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 फरवरी, 1979 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" (कलकत्ता संस्करण) में "कोल लेबर वान्ट्स पैक्ट बाइ मार्च एन्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कोयला उद्योग श्रमिकों की हड़ताल, जिसके लिए धमकी दी गई है, न हो ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) कोयला उद्योग के लिए एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति बनाई गई है जिसमें प्रबंध मण्डल और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं। इस समिति को यह काम सौंपा गया है कि वह 31-12-1978 को समाप्त होने वाले मज़दूरी समझौते के स्थान पर एक नए मज़दूरी समझौते के लिए बातचीत करे। इस संयुक्त द्विपक्षीय समिति की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं जिसमें अंतिम बैठक 26 और 27 मार्च, 1979 को हुई थी। इस बात के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा पारस्परिक समझौता हो जाए जिसमें सरकारी उद्यमों में मज़दूरी के स्तर के संबंध में सरकार की सामान्य नीति का भी ध्यान रखा जाए।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में अलकतारा शेड का बन्द किया जाना

5838. श्री रामविलास पासवान : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने में अलकतारा शेड को बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या चार करोड़ रुपये की लागत का अलकतारा संयंत्र बेकार पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह कब से बन्द पड़ा है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बरौनी स्थित बिटुमन संयंत्र को इस कारण बन्द कर दिया गया था क्योंकि इससे उत्पन्न उत्पाद यद्यपि आई० एस० आई० के तत्कालीन विनिर्देशन के अनुकूल था तथापि उत्पाद में इधर उधर बहने की प्रवृत्ति पाई गई और वह समान बन्धक का काम नहीं करता था।

(ख) इस बिटुमन योजना की पूंजीगत लागत 1.06 करोड़ रुपये थी। यह सही है कि यह यूनिट इस समय बेकार पड़ी है।

(ग) डिजाइनरों तथा भारतीय विशेषज्ञों की विस्तृत जांचों/विचार विमर्श के परिणामस्वरूप ऐसा उत्पादन होना संभव हो सका था जो आई०एस०आई० के विनिर्देशन से मिलता था लेकिन संशोधित तकनीक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल होने के कारण इसका उत्पादन आरम्भ नहीं किया गया।

(घ) यह यूनिट दिनांक 8 जुलाई, 1968 को बन्द हो गया था और अभी तक पुनः आरम्भ नहीं हुआ है।

आग्नेय शस्त्रों और गोला बारूद की निर्यात नीति का पुनरीक्षण

5839. श्री के० मालन्ना : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आग्नेय शस्त्रों और गोला बारूद की अपनी निर्यात नीति का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नीति का ब्यौरा क्या है और सामान्य लाइसेंस प्रक्रिया के अन्तर्गत किन शस्त्रों का निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आरक्षित खनिज क्षेत्र

5840. श्री श्याम सुन्दर दास :
श्री बलपत्त सिंह परस्ते :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ खनिज क्षेत्र सरकारी उपक्रमों के उपयोग के लिये आरक्षित कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को खुले क्षेत्र घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी हां । कुछ खनिज क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर सरकारी उपक्रमों के उपयोग के लिए आरक्षित कर दिए हैं। क्षेत्रों के ऐसे आरक्षण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

अशोधित तेल का उत्पादन और आयात

5841. श्री समर गुह : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान देश में अशोधित तेल का उत्पादन कितना हुआ और कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) क्या अशोधित तेल के उत्पादन तथा आयात में कोई कमी हुई है ;

(ग) क्या पैट्रोलियम उत्पादों की खपत बढ़ गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या देश में अशोधित तेल के उत्पादन में अथवा आयात में कमी के परिणाम-स्वरूप पैट्रोलियम डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(च) यदि हां, तो क्या अशोधित तेल की कमी की मात्रा के आधार पर ऐसे उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का हिसाब लगाया गया है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) (मात्रा मि० मी० टन में)

अशोधित तेल	1977-78	1978-79
उत्पादन	10.76	11.76*
आयात	14.44	15.00*
		(*अनुमानित)

(ख) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान अशोधित तेल के उत्पादन का लक्ष्य क्रमश: 11.25 मि० मी० टन तथा 12.70 मि० मी० टन और ऊपर (क) में दिखाया गया है इसमें कमी हुई थी। अशोधित तेल का आयात आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) पैट्रोलियम उत्पादों की औसत बिक्री/खपत में (आर० बी० एफ० को छोड़कर) वर्ष 1977 की तुलना में वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 104% तक की वृद्धि हुई है।

(ङ) दिनांक 1-3-1979 से कुछ पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि वर्ष 1979-80 के बजट प्रस्ताव में निहित उत्पाद शुल्क की दर में वृद्धि फलस्वरूप थी।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े तापीय बिजली घरों की स्थापना के लिए स्थल चयन-समिति

5842. श्री सरत कार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1973 के दौरान देश में बड़े तापीय बिजली घरों की स्थापना के लिए कोई स्थल चयन-समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में, वहां की बिजली की कमी दूर करने के लिए, 1982-83 तक सुपरतापीय बिजली घर लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों में ये बातें शामिल हैं :—

1. निम्नलिखित 11 (ग्यारह) स्थलों के बारे में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने सहित विस्तृत अन्वेषण शीघ्र हाथ में लिए जाने चाहिएं ताकि तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा सके :

(1) दक्षिणी क्षेत्र में रामागुण्डम तथा नेवेली।

(2) पश्चिमी क्षेत्र में चन्द्रपुरा, कोरबा और सतपुड़ा।

(3) पूर्वी क्षेत्र में फरक्का, राय, तेनुघाट और तलचेर ।

(4) पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली ।

(5) उत्तरी क्षेत्र में ओबरा ।

2. निम्नलिखित स्थलों के बारे में और आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिएं और उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए :—

(1) पश्चिमी क्षेत्र में बीरसिंगपुर में बार्गी, वेनगंगा ।

(2) पूर्वी क्षेत्र में रानीगंज ।

3. समिति ने पश्चिमी क्षेत्र में उमरेर, तवा और विश्रामपुर के स्थलों को उपयुक्त नहीं पाया था ।

4. समिति ने आगे यह सिफारिश की कि विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को अन्य संभावित स्थलों का भी अन्वेषण कार्य हाथ में लेना चाहिए ताकि भावी योजनाओं में सुपर ताप विद्युत् केन्द्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त स्थलों का पता लगाया जा सके ।

5. देश में विभिन्न स्थलों पर सुपर ताप विद्युत् केन्द्रों की स्थापना करने के लिए पर्यावरण दृष्टिकोणों से अनुमोदन सहित पूर्णतः अन्वेषित काफी संख्या में स्थलों की व्यवस्था करने हेतु सरकार को केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के अन्तर्गत एक उपयुक्त स्थायी स्थल चयन कक्ष स्थापित करना चाहिए । यह कक्ष अपने द्वारा स्वयं अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से क्षेत्रीय अन्वेषणों से एकत्रित किए गए विस्तृत आंकड़ों का, सतत आधार पर, विश्लेषण ऐजेंसी के रूप में काम करेगा ।

अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, क्षेत्रीय ताप विद्युत् केन्द्रों की स्थापना के केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के प्रथम सोपान में सरकार ने पांच सुपर ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है । ये केन्द्र हैं :— उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली, पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा, दक्षिणी क्षेत्र में नेवेली और रामगुण्डम तथा पूर्वी क्षेत्र में फरक्का । तदनुसार सिंगरौली चरण-1 (600 मेगावाट), कोरबा चरण-1 (1100 मेगावाट), नेवेली में द्वितीय विद्युत् केन्द्र (630 मेगावाट), रामागुण्डम चरण-1 परियोजना (1100 मेगावाट) और फरक्का सोपान-1 चरण-1 परियोजना (600 मेगावाट) को स्वीकृति दी जा चुकी है। उड़ीसा में तलचेर में एक सुपर ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में अन्वेषण करने और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार से भी अनुरोध किया गया था । यह परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

राज्य बिजली बोर्डों को भी सलाह दी गई है कि वे समिति की अपने से संबंधित विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही करें ।

(ग) और (घ) उड़ीसा में तलचेर में सुपर ताप विद्युत् केन्द्र की 1982-83 तक प्रतिष्ठापना करने संबंधी कोई योजना नहीं है ।

समाचार प्रसारणों का स्तर

5843. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आकाशवाणी

और दूरदर्शन में समाचार प्रसारण का स्तर लगातार गिर रहा है और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर इन दिनों समाचारों का विषय और घटनायें अधिकतर इस प्रकार की होती हैं जिनका उल्लेख नहीं होना चाहिए जबकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की उपेक्षा कर दी जाती है ;

(ख) इस बात का क्या कारण है कि समाचार प्रसारणों में मन्त्रियों के भाषणों अथवा अन्य देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने अथवा कुछ कारखानों और फर्मों आदि द्वारा उत्पादन के विषय में व्याप्त कुछ नई उपलब्धियों के कथित समाचार ले लिये जाते हैं और उन्हें अपेक्षित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस की जांच करने और इसके लिए प्रयास करने का है कि जनता को समाचार के रूप में मिलने वाले समाचार प्रसारणों के स्थान पर इन जन संचार के माध्यमों से समाचार प्राप्त हों ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों में श्रोताओं/दर्शकों को सही सूचना देने को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के महत्वपूर्ण समाचारों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने का सदैव प्रयास किया जाता है ।

सरकार को जब तक अपने समाचार प्रसारणों के संबंध में टिप्पणियां तथा आलोचनाएं मिलती रहती हैं और इससे इसकी सेवाओं में सुधार करने में सहायता मिलती है ।

समाचार बुलेटिनों में मन्त्रियों के भाषण, अंतर्राष्ट्रीय करार, कृषि, उद्योग इत्यादि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां उनके समाचारिक महत्व के आधार पर कवर की जाती हैं ।

उपक्रमों द्वारा किया गया प्रचार व्यय

5844. श्री सचीन्द्रलाल सिंघा : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कौन-कौन से औद्योगिक एकक हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, इन एक्कों के एकक-वार, प्रचार व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन एककों द्वारा, एकक-वार, किन-किन दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए गए थे, और इसकी राशि क्या थी;

(घ) इन एककों का, एकक-वार, भाषायी दैनिक समाचार पत्रों के प्रति रुख का ब्यौरा क्या है और भाषायी दैनिक समाचार-पत्रों के बारे में इस रुख की समीक्षा क्या है ; और

(ङ) सरकार की नीति के अनुसार इन एककों द्वारा एकक-वार, भाषाई दैनिक समाचार पत्रों की सहायता करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में चयन ग्रेड के स्टेशन डायरेक्टर के पद

5845. श्री एस० आर० रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टरों के चयन ग्रेड के संवर्ग में कुछ पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यह पद किन कारणों से नहीं भरे जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) आकाशवाणी में, केन्द्र निदेशक (सलेक्शन ग्रेड) के संवर्ग में सात पद खाली पड़े हैं। दूरदर्शन में, केन्द्र निदेशक (सलेक्शन ग्रेड) के संवर्ग में इस प्रकार के कोई पद नहीं हैं, किन्तु कार्यक्रम स्कन्ध में 13 पद हैं जिनका वेतनमान आकाशवाणी में केन्द्र निदेशक (सलेक्शन ग्रेड) के वेतनमान के समान है। भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक, आकाशवाणी में केन्द्र निदेशक (सलेक्शन ग्रेड) के संवर्ग के अधिकारियों के इन पदों पर तैनात किया गया था। इस समय, दूरदर्शन में ऐसे सात पद हैं जिनमें आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक (साधारण ग्रेड) के अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में उपर्युक्त चौदह पदों पर केन्द्र निदेशकों (सलेक्शन ग्रेड) को तैनात न करने के कारण छः वर्ष की स्वीकृत सेवा वाले केन्द्र निदेशक (साधारण ग्रेड) के अधिकारियों का उपबन्ध न होना है जैसा कि भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्र निदेशक (सलेक्शन ग्रेड) के रूप में चयन के लिए जरूरी है। जब कभी अधिकारी उपलब्ध होंगे, उन्हें उनके लिए अभिप्रेत पदों पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

उर्वरक प्रौद्योगिकी के लिए जापान से सहयोग

5846. श्री श्रीकृष्ण सिंह : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक प्रौद्योगिकी के लिए जापान के साथ सहयोग करने का है ; और

(ख) भारत में उर्वरकों के उत्पादन के लिए सहयोग करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तट से दूर संरचनाओं से प्राप्त गैस पर आधारित पश्चिमी तट पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित अमोनिया और यूरिया प्लांटों की अधिप्राप्ति, विस्तृत इंजीनियरिंग, निर्माण और उनको चालू करने के लिए प्रक्रिया जानकारी, मूल इंजीनियरिंग पेकेज और पर्यवक्षी सेवाओं की सप्लाई के लिए जापानी कम्पनियों सहित अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। इन प्रस्तावों का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) निम्नलिखित खाद कारखानों में अब तक विदेशी मुद्रा की भागीदारी प्राप्त हुई है।

भारतीय कम्पनी का नाम	सहयोगी का नाम
1. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	नेशनल इरानियन आयल कम्पनी, ईरान/अमोको इंडिया कम्पनी, यू०एस०ए०।
2. इंडियन एक्सप्लोसिव लि०	इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज, यू०के०, आई०एफ०सी०, वाशिंगटन।
3. कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	चेवरन कैमिकल्स कम्पनी लि०, यू० एस० ए० इन्टरनेशनल मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन, यू०एस०ए०
4. ई० आई० डी० पैरी (इण्डिया) लि०	—वही—
5. जुआरी एग्रोकैमिकल्स लि०	युनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन, यू०एस०ए० इन्टरनेशनल फाइनान्स कारपोरेशन, वाशिंगटन।
6. रेलिस इन्डिया लिमिटेड	मैसर्स फिशन आर्प लंदन।

इसके अलावा भारत में स्थापित किए गए खाद कारखानों के विभिन्न खण्डों के लिए तत्काल आवश्यकता के आधार पर विदेशों से प्रक्रिया जानकारी और तकनीकी सहायता भी खरीदी गई है।

अरुणाचल प्रदेश में कामेंग पन-बिजली परियोजना

5847. श्री रिनचिंग खाण्डू रिन्नमे : क्या ऊर्जा मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में कामेंग पन-बिजली परियोजना किस वर्ष आरम्भ की गई थी और उक्त परियोजना के पूरा होने में कितने और वर्ष लगेंगे ;

(ख) अब तक कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) परियोजना के पूरा होने पर इससे कुल कितने किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) कामेंग जल-विद्युत् परियोजना के अन्वेषण कार्य भूतपूर्व केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा कुछ वर्षों पूर्व शुरू किए गए थे और परियोजना के सोपान-एक और सोपान-दो के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टें जुलाई, 1974 में तैयार की गई थीं। अन्वेषण कार्य अभी भी किए जा रहे हैं। अन्वेषण कार्य पूरे हो जाने के बाद अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। क्रियान्वयन के लिए यह परियोजना अभी तक हाथ में नहीं ली गई है।

(ख) और (ग) 1977-78 तक वास्तविक व्यय 34.60 लाख हुआ। 1977-78 के दौरान प्रत्याशित व्यय 37.19 लाख रु० है। परियोजना के दोनों सोपानों से विद्युत उत्पादन 148 मेगावाट सतत होने का अनुमान लगाया गया है।

कोयले का परिष्करण

5848. श्री कुमारी अनन्तन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर विकसित देशों में उत्पादित कोयले का 50 प्रतिशत से अधिक भाग कोयला तैयार करने वाले संयंत्रों में परिष्कृत किया जाता है जबकि भारत में उत्पादन का 15 प्रतिशत ही धोया जाता है ;

(ख) देश में 15 कोयला प्रक्षालन संयंत्रों की 30 प्रतिशत से अधिक प्रक्षालन क्षमता के बेकार पड़े रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस्पात के उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि तथा उर्वरक संयंत्रों द्वारा कम राख वाले कोयले की खपत में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी 15 कोयला प्रक्षालन संयंत्रों में प्रति घंटा 6600 टन कच्चे कोयले के धोने की वर्तमान संयुक्त क्षमता को दुगना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यह सही है कि अधिकांश विकसित देशों में उत्पादित कोयले के काफी बड़े भाग का परिष्करण किया जाता है लेकिन भारत में कुछ उत्पादन के लिए कम भाग की ही धुलाई होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशों में कोयले की सीमें पतली होती हैं और वहां कोयले का खनन करते समय मिट्टी और अन्य विजातीय पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं जिसके कारण परिष्करण आवश्यक हो जाता है। भारत में सीमें अपेक्षाकृत मोटी हैं इसलिए यहां बाहरी पदार्थों के चट्टानों में होने की संभावना सीमित रहती है। कोयले के परिष्कार की जरूरत दो बातों पर निर्भर करती है—खान से निकला कोयला धुलाई लायक है अथवा नहीं तथा उपभोक्ता की आर्थिक दृष्टि से पसन्द क्या है अर्थात् वह कम कीमत वाला कच्चा कोयला चाहता है अथवा अधिक कीमत वाला/ऊंची किस्म का परिष्कार किया हुआ कोयला चाहता है। अब तक भारत में तो कम कीमत वाला कच्चा कोयला ही पसंद किया जाता है, केवल इस्पात उद्योग ही दूसरी तरह का अर्थात् अधिक कीमत वाला अच्छी किस्म का कोयला चाहता है।

(ख) भारत में कोयला वाशरियां बहुत जटिल हैं और उन्हें धुलाई संबंधी बहुत कठिन समस्याओं वाले कोयले का परिष्कार करना पड़ता है। आजकल वाशरियों के पास आने वाले कच्चे कोयलों में राख का अंश बढ़ गया है इसलिए वाशरियां कच्चे कोयलों की उतनी मात्रा से कम मात्रा में धुला कोयला बना पाती हैं इसके अलावा बिजली की सप्लाई में रुकावट की भी समस्या रहती है। इससे वाशरियों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता।

(ग) जो 15 वाशरियां इस समय हैं उनमें से पांच में सुधार किए गए हैं और उनके अलावा पांच नई वाशरियों का निर्माण हो रहा है और 1978-83 की अवधि में तीन और वाशरियों के निर्माण की योजना है ताकि इस्पात उद्योग की जरूरत पूरी की जा सके।

योजना आयोग द्वारा इस्पात की देशीय मांग को स्वीकार न किया जाना

5849. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने मंत्रालय की इस्पात की देशीय मांग के

अनुमानों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है जिसके अनुसार छठी योजना के शेष वर्षों में इस्पात की खपत में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने आयातों पर लगातार निर्भरता का समर्थन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि निधि के अभाव में तथा विदेशों के अनिश्चित वित्तीय वायदों के कारण नई परियोजनायें भी चालू नहीं हो सकतीं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) इस मामले की योजना आयोग द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में बताया गया है कि "रुपए के स्रोतों की कठिनाइयों तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी होने के कारण इस्पात की अतिरिक्त क्षमता का सृजन चरणों में इस प्रकार किया जाए कि प्रति-वर्ष लगभग 10 लाख टन का निवल आयात किया जा सके।' वर्ष 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में नई इस्पात परियोजना आरम्भ करने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त स्रोतों से और रुपया जुटाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

भूमिगत कोयला खनन गतिविधियों को बन्द किया जाना

5850. श्री के० राममूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1979 के दूसरे सप्ताह में भूमिगत कोयला खनन गतिविधियों के रुक जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) देश में भूमिगत कोयला खनन गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कोयला उत्पादन को खुली खानों तक ही सीमित किया गया है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यह सही नहीं है कि फरवरी, 1979 में भूमिगत खनन कार्य एक दम रुक गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी०वी०सी० इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदन

5851. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की संगठनात्मक समस्याओं और पुनर्व्यवस्था के बारे में डी० वी० सी० इंजीनियर्स एसोसिएशन, कलकत्ता से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम की संगठनात्मक व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए भागीदार राज्यों की बैठक बुलाने का विचार है ताकि जिन उद्देश्यों से उसे स्थापित किया गया है वे प्राप्त किए जा सकें ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विभिन्न सुझावों की विस्तार से जांच की गई है । चूंकि केन्द्रीय सरकार पहले ही दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल और बिहार की भागीदार सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है, अतः औपचारिक बैठक आयोजित नहीं की गई है । जब आवश्यक होगा इस प्रकार की बैठक आयोजित कर ली जाएगी ।

जीवनदायिनी औषधियों के मूल्य

5852. श्री डी० डी० देसाई : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 10 मार्च, 1978 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार बजट में जीवनदायिनी औषधियों पर उत्पादन शुल्क में रियायत दिये जाने के बाद उनके मूल्यों में उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है;

(ख) उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क में वास्तव में कितनी कमी की गई है और इन औषधियों के खुदरा मूल्यों में यदि कोई कमी हुई है तो कितनी; और

(ग) दोनों के बीच अन्तर रहने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मूल उत्पाद शुल्क पर 5% की दर से लगाए गए विशेष शुल्क को वर्ष 1979-80 के बजट में वापस ले लिया गया है । इस शुल्क को 1 मार्च 1978 से लगाया गया था । 1 मार्च 1979 को औषध निर्माताओं को आदेश जारी किए गए थे कि वे फार्मूलेशनों के फुटकर मूल्यों पर से विशेष उत्पाद शुल्क को तुरन्त हटा दें ।

(ख) और (ग) वर्ष 1979-80 के बजट में दी गई तीन प्रकार की रियायतों के प्रभाव का पता लगाने के लिए विस्तृत उदाहरण निम्न प्रकार दिये गए हैं :—

(क) मूल उत्पादन शुल्क से 5% विशेष शुल्क को हटाना : (1) मूल उत्पाद शुल्क पर से 5% के विशेष शुल्क को हटाये जाने का प्रभाव निम्न उदाहरण के जरिए समझाया गया है :—

(क)	पेन्टिड सल्फाज़ (साराभाई कैमिकल) की 6 गोलियों का फुटकर मूल्य उत्पाद शुल्क के बिना	रुपये 2.84
(ख)	उपरोक्त (क) के 7.5% पर 12.5% की दर से उत्पाद शुल्क	रुपये 0.27
(ग)	उपरोक्त (ख) पर 5% की दर से विशेष शुल्क	0.01
	28 फरवरी 1979 को फुटकर मूल्य	3.12
	उपरोक्त (ग) पर विशेष शुल्क को हटाये जाने का प्रभाव	(—) 0.01
	1 मार्च 1979 को फुटकर मूल्य	3.11

(2) उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि विशेष शुल्क को हटाए जाने के कारण (जोकि अंश मात्र हैं) उत्पाद शुल्क में हुई कटौती को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है ।

(ख) कुछ चुने हुए औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर सीमाशुल्क में कटौती

(1) इस प्रभाव को निम्नलिखित उदाहरण के जरिए समझाया गया है :--

टिओक (एरिथ्रोमाइसीन स्टीरेट) के निर्माण में प्रयुक्त आयातित औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर सीमाशुल्क को 75% से घटाकर 25% तक कम कर दिया गया है । औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर सीमाशुल्क को कम करने से एरिथ्रोमाइसीन स्टीरेट के मूल्य में प्रति किलोग्राम 294 रुपये की कटौती करना अनिवार्य हो गया है । तदनुसार मूल्य एरिथ्रोमाइसीन स्टीरेट के बिक्री मूल्य को 1300 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से कम करके 1006 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है ।

(2) उपरोक्त उदाहरण से यह देखा जा सकता है कि एरिथ्रोमाइसीन स्टीरेट के मामले में औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर सीमाशुल्क में कटौती के लाभ को उसके उपभोक्ताओं को दे दिया गया है ।

(ग) चुने हुए बल्क औषधों पर से सीमाशुल्क को समाप्त करना

(1) इसके प्रभाव को निम्नलिखित उदाहरण (ब्रोड स्पैक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स) के जरिये समझाया गया है :—

सीमाशुल्क में 75% के संशोधन से पूर्व के आधार पर मिटोमाइसीन "सी" की अवतरित लागत रुपये 137.15/ ग्राम थी, सीमाशुल्क में कटौती से अवतरित लागत रुपये 79.17/ग्राम तक कम हो गई है । मिटोमाइसीन "सी" फार्मूलेशनों के मूल्य, जो पहले मिटोमाइसीन "सी" की रुपये 137.15/ ग्राम की अवतरित लागत पर आधारित थे, अब रुपये 79.15/ग्राम पर आधारित हैं । सीमाशुल्क में कटौती के सम्पूर्ण लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया गया है ।

भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र की औषध फर्मों द्वारा की गई प्रगति

5853. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में वर्ष 1965 के बाद भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र में कितनी औषध फर्में अस्तित्व में आई हैं और 1965 से 1978 तक यहां बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों ने क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दशक में भारतीय क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस के लिये प्राप्त अनेक प्रस्ताव इस आधार पर रद्द कर दिये गये हैं कि बल्क औषध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में रद्द किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में रद्द किए जाने के क्या कारण हैं ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस बारे में सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अपेक्षित सूचना को एकत्रित करने में लगा समय और प्रयत्न प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे ।

भारतीय तेल निगम (मथुरा तेल शोधक कारखाना) द्वारा दिए गए टेंडरों के आवंटन के बारे में शिकायतें

5854. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री जी० एस० बनातवाला :

डा० विजय मण्डल :

श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों के माध्यम से भारतीय तेल निगम (मथुरा तेल शोधक कारखाना) द्वारा दिये गये टेंडरों के आवंटन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या यह भी मांग की गई है कि इस शिकायत को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच हेतु सौंपा जाये ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बीच इस बारे में कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों में, मथुरा रिफाइनरी के एश हैंडलिंग प्लाण्ट के लिए निविदाओं के संबंध में इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा लिए गये निर्णय में कुछ गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है ।

(ग) जी. हां ।

(घ) इस मामले को जांच के लिए सी०बी०आई० को दे दिया गया है ।

कोयले की सप्लाई में कमी के कारण उर्वरक के उत्पादन में कमी

5855 श्री अन्नत राम जायसवाल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण 1978 के बाद के 6 महीनों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में उत्पादन कम हुआ है और पानीपत तथा भटिंडा उर्वरक कारखानों में कार्य आरम्भ करने में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक की अवधि के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों को पृथक-पृथक कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई और यह उनकी अनुमानित खपत से कितने प्रतिशत कम रही ;

(ग) 1 जुलाई, 1978 से 31 जनवरी 1979 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक उर्वरक कारखाने में नाइट्रोजन तथा फास्फेट उर्वरकों का कितनी कात्रा में उत्पादन किया गया और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना कम रहा; और

(घ) कोयले की कमी के कारण उर्वरक कारखानों के उत्पादन में आई कमी के परिणामस्वरूप प्रत्येक कारखाने को कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यद्यपि वर्ष 1978-79 के दूसरे अर्ध (अक्तूबर 1978 से मार्च 1979) के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन वर्ष 1978-79 के पहले अर्ध (अप्रैल 1978—सितम्बर 1978) के उत्पादन से अधिक है। फिर भी सरकारी क्षेत्र में गोरखपुर तथा नंगल (विस्तार यूनिट) और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोटा एकक नामक कुछ संयंत्रों में कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण दूसरे अर्ध में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

इसके अतिरिक्त, कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण भटिन्डा और पानीपत परियोजनाओं के प्रारम्भ होने में भी विलम्ब हुआ था।

(ख) जुलाई 1978—जनवरी 1979 की अवधि के दौरान कोयले की सप्लाई की गई मात्रा तथा प्रभावित एककों में अनुमानित खपत की कमी की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

यूनिट का नाम	सप्लाई की गई मात्रा (000 मी० टन)	अनुमानित खपत की कमी की प्रतिशतता
1. सरकारी क्षेत्र		
1. गोरखपुर	74.5	7.8
2. नंगल विस्तार	120.0	36.2
2. गैर-सरकारी क्षेत्र		
1. कोटा	81.0	27.7

(ग) जुलाई 1978—जनवरी 1979 की अवधि तथा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यूनिट-वार उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र (अनुबन्ध) संलग्न है।

(घ) जुलाई 1978—31 जनवरी 1979 के दौरान प्रभावित एककों द्वारा मात्रा तथा मूल्य में हुई हानि नीचे दी गई है :—

एकक का नाम	यूरिया की मात्रा के अनुसरण में हानि (मी० टन में)	मूल्य के अनुसरण में हानि (करोड़ रुपये)
श्रीराम कैमिकल इन्डस्ट्रीज कोटा	3,100	0.43
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० नंगल (विस्तार एकक)	7,363	1.03
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० गोरखपुर	425	0.06

विवरण

अनुबन्ध
(000 मी० टन में)

संयंत्र	1.7.78 से 31.1.79 के दौरान उत्पादन		1.7.77 से 31-1-78 के दौरान उत्पादन		कमी की मात्रा	
	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट
1	2	3	4	5	6	7
सिन्दरी	—	1.7	5.6	—	— 5.6	+ 1.7
गोरखपुर	54.0	—	54.7	—	— 0.7	—
नामरूप	21.4	—	25.9	—	— 4.5	—
नामरूप विस्तार	44.4	—	33.6	—	+10.8	—
दुर्गापुर	27.3	—	34.1	—	— 6.8	—
बरौनी	38.5	—	30.0	—	+ 8.5	—
ट्राम्बे	53.9	22.5	51.8	22.7	+ 2.1	—0.2
ट्राम्बे IV	20.8	20.8	—	—	+ 20.8	+ 20.8

1	2	3	4	4	6	7
नंगल	41.7	—	34.3	—	+ 7.4	—
नंगल विस्तार	34.6	—	1.7	—	+ 2.9	—
उद्योगमंडल	30.7	17.0	33.5	17.7	—2.8	—0.7
कोचीन I	58.1	—	43.0	—	+ 15.1	—
कोचीन II	19.0	31.3	11.7	16.5	+ 7.3	+ 14.8
राऊरकेला	44.8	—	43.7	—	+ 1.1	—
नैवेली	25.6	—	27.5	—	— 1.9	—
मद्रास	91.5	65.9	80.6	59.4	+ 10.9	+ 6.5
उप-उत्पाद	14.9	—	12.7	—	+ 2.2	—
वाराणसी	2.8	—	2.5	—	+ 0.3	—
इन्दौर	4.8	6.5	5.2	6.5	— 0.4	—
बड़ौदा	92.1	22.6	95.8	23.3	— 3.7	— 0.7
विजोग	40.1	40.8	38.0	40.1	+ 2.1	+ 0.7
कोटा	65.1	—	79.8	—	— 14.7	—
कानपुर	112.9	—	121.8	—	— 8.9	—
गोवा	85.6	18.2	93.2	20.4	— 7.6	+ 2.2
टूटीकोरिन	106.2	23.4	111.2	12.6	— 5.0	+10.8
मंगलौर	84.4	—	44.3	—	+ 40.1	—
आई० एफ०एफ० सी० ओ०	147.6	101.6	123.8	91.8	+ 23.8	+ 9.8
खेत्री	—	9.8	—	—	—	+ 9.8
एस० एस० पी०	—	98.4	—	93.6	—	+ 4.8
योग :	1362.8	480.5	1240.0	404.6	+ 122.8	+ 75.9

हिन्दी समाचार पत्रों को विज्ञापनों का अंग्रेजी संस्करण दिया जाना

5856. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों से प्रकाशित हो रहे हिन्दी समाचार पत्रों को विज्ञापनों का केवल अंग्रेजी संस्करण भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुवाद में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं ; और

(ग) क्या उक्त उपाय इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) विज्ञापनों का हिन्दी अनुवाद सामान्यतया हिन्दी पत्रों का इस बात का विचार किए बिना भेजा जाता है कि ये पत्र हिन्दी भाषी क्षेत्रों से छपते हैं या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से । तथापि, समयाभाव और उपलब्ध स्टाफ के कारण जबकि वर्गीकृत विज्ञापनों की बड़ी संख्या से हिन्दी समाचारपत्रों को अंग्रेजी में रिलीज की जाती है, तथापि, नियम के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि (क) सभी सजावटी विज्ञापनों और (ख) संघ लोक सेवा आयोग के वर्गीकृत-सजावटी विज्ञापनों आदि का हिन्दी रूपान्तर तैयार किया जाए । जहाँ केवल अंग्रेजी रूपान्तर दिया जाता है वहाँ सम्बन्धित समाचारपत्रों द्वारा अनुवाद की व्यवस्था की जाती है । इसलिए अनुवाद की एकरूपता सम्भव नहीं है । तथापि, हिन्दी के समाचारपत्रों को यथासम्भव अधिक से अधिक विज्ञापन केवल हिन्दी में रिलीज करने के प्रयास किए जाते हैं ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मंत्रालय में आरक्षित पदों के रोस्टर रखा जाना

5857. श्री डी० जी० गवई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मंत्रालय में आरक्षित पदों के लिए कोई रोस्टर नहीं रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के ऐसे हैड ड्राफ्टमैन जिनकी पदोन्नति में गतिरोध आ गया है और जिसे गत 10 वर्षों से कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई है, को कोई प्रोत्साहन देने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विभागीय रूप से अर्हता प्राप्त सीनियर ड्राफ्टमैन को हैड ड्राफ्टमैन के पद पर पदोन्नत करने का है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विभिन्न संवर्गों में बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और ऊर्जा मंत्रालय में रोस्टर रखे जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) भर्ती नियमों के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में रु० 425—700 के वेतनमान में ऐसा वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन जिसने ग्रेड में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 8 वर्ष की सेवा

पुरी कर ली हो तथा जिसके पास विद्युत अथवा यांत्रिकी नक्शानवीसी अथवा इंजीनियरी में कम से कम एक प्रमाण-पत्र हो, वह प्रधान ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र है। प्रधान ड्राफ्ट्समैन के पदों पर पदोन्नतियां तदनुसार की जाती हैं।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पदों को विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	समूह क :		
1.	मुख्य इंजीनियर	2	
2.	निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर	9	प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के कोटे के तीन पदों के बारे में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। दो और पद भी राज्य सरकारों/ राज्य बिजली बोर्डों आदि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। उनसे उपयुक्त अधिकारियों के नाम भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। शेष रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति के जरिए भरने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
3.	उप निदेशक/कार्यपालक इंजीनियर	9	इन पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।
4.	सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर (इंजीनियरी)	80	26 रिक्त पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से नाम प्राप्त हो गए हैं। शेष रिक्त पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1978 में आयोजित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। इस परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है।
5.	क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के सदस्य-सचिव	2	
6.	प्रणाली इंजीनियर	1	
7.	उप-प्रणाली इंजीनियर	2	
8.	वरिष्ठ प्रोग्रैमर	1	

1	2	3	4
9.	प्रोग्रैमर	2	
10.	सहायक प्रणाली इंजीनियर	3	
11.	प्रणाली पर्यवेक्षक	1	
12.	सहायक निदेशक (वित्तीय सांख्यिकी)	1	
13.	उप निदेशक (रसायन)	1	
14.	सहायक निदेशक (विश्लेषक)	1	
	समूह ख :		
15.	अतिरिक्त सहायक निदेशक (ई एण्ड एम)	54	
16.	भारतीय दुभाषिया	1	
17.	वैयक्तिक सहायक	11	रिक्त स्थान 1978 में हुई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्राप्त नामों के आधार पर भरे जाएंगे ।
	समूह ग :		
18.	तकनीकी सहायक (ई एण्ड एम)	75	
19.	कनिष्ठ प्रारूपकार (ई एण्ड एम)	18	
20.	आशुलिपिक ग्रेड-3	9	
21.	उच्च श्रेणी लिपिक	8	
22.	ट्रेसर	9	
23.	ब्लू प्रिंटर	3	
24.	निम्न श्रेणी लिपिक	16	रिक्त स्थान 1978 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई लिपिक ग्रेड की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्राप्त नामों के आधार पर भरे जाएंगे।
25.	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-3	1	
26.	की पंचिंग आपरेटर	4	
27.	कम्पटोमीटर आपरेटर	1	
	समूह घ :		
28.	भूतपूर्व सैनिक दर्बान	1	
29.	सफाईवाला	1	

मतदान-आयु को कम करने के संबंध में राज्य सरकारों के विचार

5858. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् तथा विधान सभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की और मतदाताओं की मतदान आयु को कम करने के बारे में किसी राज्य ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों द्वारा दी गई दलीलों का ब्यौरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ;

(ग) क्या कुछ विशिष्ट निकायों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ने मतदान-आयु कम की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं और किन निकायों की सदस्यता के लिए मतदान-आयु कम की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) केरल सरकार ने केरल विधान सभा के उस अशासकीय संकल्प की एक प्रति भेजी थी जो 26 मार्च, 1971 को हुए उसके अधिवेशन में उसने सर्व-सम्मति से पारित किया था। इस संकल्प में संघ सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वह ऐसे सभी भारतीय नागरिकों को, जिनकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है, मताधिकार देने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करे। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव किसी अन्य राज्य सरकार ने नहीं किया है। जहां तक संसद् और राज्य विधान-मण्डलों के निर्वाचनों में अभ्यर्थिता की न्यूनतम आयु को घटाए जाने का संबंध है, इसके लिए किसी भी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) केरल राज्य विधान सभा के संकल्प में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वह किन कारणों से ऐसा अनुरोध कर रही है। निर्वाचनों में व्यापक सुधार के प्रस्तावों के भाग के रूप में सरकार इस प्रश्न पर भी विचार कर रही है कि क्या संसद् और राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचनों में मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल सरकारों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं/नगर निगमों के निर्वाचनों में मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने पंचायतों के निर्वाचनों में मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। राजस्थान और पश्चिमी बंगाल सरकारों ने नगर निगम/नगरपालिकाओं के निर्वाचनों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है।

देश में बिजली की कमी के कारण

5859. श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में बिजली की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ख) लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा बिजली की कमी के कारण कारखानों में उत्पादन में कमी की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन): (क) और (ख) यद्यपि सम्पूर्ण देश में बिजली की कमी नहीं है, फिर भी कुछ राज्य मशीनों के जबरन बन्द हो जाने की स्थितियों में भिन्न-भिन्न मात्राओं में कमियों का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में बिजली की कमी के प्रमुख कारण हैं—नई विद्युत् उत्पादन क्षमता को चालू करने में विलम्ब, वर्तमान ताप-विद्युत् क्षमता का असंतोषजनक प्रचालन और पर्याप्त प्रतिष्ठापित क्षमता की कमी। जबकि यह सत्य है कि विद्युत् की कमी, विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां विद्युत् गहन उद्योग स्थित हैं, उन योगदायी कारणों में से एक है जिनसे औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है, फिर भी यह कहना ठीक नहीं होगा कि केवल बिजली की कमी के कारण ही उत्पादन में कमी आई है।

तथापि, उपर्युक्त क्षेत्रों में विजली की कमी की समस्याओं को हल करने के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु बहुत से उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं—सतत परियोजनाओं को शीघ्रता से चालु करना, वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम विद्युत् उत्पादन करना, विभिन्न विद्युत् प्रणालियों का समेकित प्रचालन करना और विद्युत् परियोजनाओं के प्रबन्ध में सुधार लाने की दृष्टि से विद्युत् सप्लाई उद्योग की पुनः संरचना करना।

तमिलनाडु में औषधि निर्माता लघु एकक

5860 : श्री के० टी० कोसलराम : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में 300 औषधि निर्माता लघु एककों ने राज्य सरकार के शब्द संकेत (लागोग्राम) आदेश के कारण अनिवार्य औषधियों के अपने उत्पादन में पर्याप्त कमी कर दी है जोकि उन्हें बोतलों, सभी ढक्कनों, गोलियां और आयन्टमैन्टों पर तमिलनाडु शब्द संकेत तथा लेबल लगाने के लिए बाध्य करता है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लघु एककों की सहायता के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

पवन ऊर्जा का उत्पादन

5861. श्री एस० एस० सोमानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पवन ऊर्जा उत्पादित करने की संभावनाओं का पता लगाया है ताकि ऊर्जा के संसाधन बढ़ाए जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में पवन चक्कियों का विकास करने के लिए कुछ अनुसंधान और विकास कार्य प्रगति पर हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में पम्प से पानी निकालने के लिए प्रोटोटाइप पवन चक्कियों की स्थापना करने हेतु नीदरलैंड सरकार के सहयोग से एक समेकित ग्राम विकास परियोजना प्रगति पर है। केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान, बंगलौर भी पम्प के जरिए पानी निकालने हेतु पवन चक्कियों को रुपान्तरित करने की दिशा में कुछ कार्य कर रहा है।

जिन ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में पवन प्रवाह अधिक अनुकूल हैं उनमें उपयोग के लिए 1 किलोवाट वर्टिकल एक्सिज विंड जनरेटर तैयार करने और उसका विकास करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की एक परियोजना है। एक प्रोटोटाइप पहले ही तैयार किया जा चुका है और उसकी जांच की जा चुकी है तथा दो और प्रोटोटाइपों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, बंगलौर ने छोटे फार्मों की सिंचाई के लिए पम्प के जरिए जल प्राप्त करने हेतु 10 एम० पाल वाली एक पवन चक्की का अभिकल्प बनाने, उसका विकास करने और उसका निर्माण करने के लिए एक परियोजना हाथ में ली है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक का दूरदर्शन के कर्मचारी ढांचे पर प्रतिवेदन

5862. श्री अहमद एम० पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी निरीक्षण एकक ने दूरदर्शन के कर्मचारी ढांचे पर अपना प्रतिवेदन क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) स्टाफ निरीक्षण यूनिट ने दूरदर्शन केन्द्रों (रिले केन्द्र, पोस्ट साइट ट्रांसमिटिंग केन्द्र तथा बेस प्रोडक्शन यूनिटों के अलावा) के लिए स्टाफिंग मानक पर कार्यक्रम वचनबद्धताओं, उपलब्ध स्टूडियो तथा तकनीकी सुविधाओं तथा अन्य संबंधित आपरेशनल तत्वों पर आधारित एक रिपोर्ट दी है। इन मानकों के अनुसार कुछ श्रेणियों में स्टाफ की कमी है तो कुछ में अतिरिक्त स्टाफ है। रिपोर्ट में ग्रुप 'ए' पदों के संबंध में जो सिफारिशें की गई हैं, उनको क्रियान्वित किया जा चुका है। अन्य श्रेणियों के संबंध में सिफारिशें शीघ्र ही क्रियान्वित की जायेंगी।

मद्रास एलूमिनियम कम्पनी का निदेशक मंडल

5863. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास एलूमीनियम कम्पनी के निदेशक मंडल की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इसके प्रमुख शेयरधारियों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक के पास कितनी संख्या में और कितने मूल्य के शेयर हैं ;

(ग) कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके समग्र उत्पादन का वर्षवार मूल्य कितना है ;

(ङ) क्या कुछ पार्टियां उक्त कम्पनी में नियंत्रक हित प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रही हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) विवरण-पत्र संलग्न है।

(विवरण-पत्र-1)

(ख) विवरण-पत्र संलग्न है।

(विवरण-पत्र-2)

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दायर किये गए वार्षिक विवरण-पत्र के अनुसार 26-6-78 को कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी 5,93,15,700 रुपये थी।

(घ) 1975, 1976 और 1977 को उत्पादन का मूल्य क्रमशः 16.53 करोड़ रुपये, 25.00 करोड़ रुपये और 23.05 करोड़ रुपये था।

(ङ) कम्पनी कार्य विभाग को नियंत्रक भाग प्राप्त करने के बारे में की गई शिकायत के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(च) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

विवरण—1

कम्पनी रजिस्ट्रार तमिलनाडु के रिकार्ड के अनुसार नीचे लिखे लोग कम्पनी के वर्तकान निदेशक हैं:—

*1. श्री सो० जी० दैवैया, प्रबन्ध निदेशक

2. श्री पी० आर० रामाकृष्णन

3. श्री टी० ए० वर्गीज, आइ० सी० एस० (रिटायर्ड)

4. श्री एन० एन० कापाडिया

**5. श्री ओरिया जी० एंडनी (इटालियन)

6. श्री वी० राधाकृष्णन (सुपुत्र श्री बैंकटा स्वामी नायडू)

7. श्री गीसेपी कैपिएली (इटालियन)

8. डा० एडरीनो फरेटीनी (इटालियन)

*9. श्री एम० वी० कामथ

10. श्री एच० सी० कोठारी

*11. डा० जी० एस० लाडा

12. श्री वी० विजयराघवन, आई० ए० एस० (तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल इन्वैस्टमैन्ट-कारपोरेशन लि० का नुमाइंदा)

13. श्री के० वैन्कटैशन, आई० ए० एस० (तमिलनाडु सरकार का नुमाइंदा)

*कम्पनी के 31-12-77 के तुलन-पत्र में श्री जी० सी० दैवैया को जीवन बीमा निगम का नुमाइंदा दिखाया गया है। श्री एम० वी० कामथ को भारत के औद्योगिक विकास बैंक और श्री जी० एस० लड्डा को भारत के औद्योगिक वित्त निगम का नुमाइंदा दिखाया गया है।

**31-12-1977 के कम्पनी के तुलन-पत्र में श्री अन्द्रीनी की दूसरे दो इटली निदेशकों को कार्यवाहक दिखाया गया है।

विवरण—2

प्रमुख अंशधारी और प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या और मूल्य
(26-6-78 को दायर किए गए विवरण-पत्र के अनुसार)

क्रम सं०	मुख्य शेयरधारियों के नाम	लिए गए हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य
1	2	3	4
	इक्यूटी शेयर होल्डर्स		
1.	मैसर्स अलूमैटल एस० पी० ए०	1,20,000	1,20,00,000
	(विदेशी सहयोगी)	18,855	18,85,500
2.	लाइफ इंशोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया	18,855	18,85,500
3.	यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया	21,310	21,31,000
4.	इंडिस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन आफ इन्डिया	27,905	27,90,500
5.	जनरल इंशोरेन्स कारपोरेशन आफ इन्डिया	24,855	24,85,500
6.	नैशनलाइज्ड बैंक	3,395	3,39,500
7.	तमिलनाडू इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन लि०	70,000	70,00,000
8.	वैश्य बैंक	12,645	12,64,500
9.	इन्डिया सीमैन्ट्स लि०	5,000	5,00,000
10.	जयपुर शूगर कं० लि०	3,678	3,67,800

1	2	3	4
11.	त्रिमूर्ति मिल्स लि०	3,400	3,40,000
12.	श्री पी० आर० रामाकृष्णन	1,100	1,10,000
13.	रामा कृष्णन मशीनरी कारपोरेशन प्रा० लि०	980	98,000
14.	जानसन्स एस्टेट प्रा० लि०	850	85,000
15.	दि बैंक आफ करद लिमिटेड	800	80,000
	अधिमान अंशधारी		
16.	यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया	55,220	55,22,000
17.	तमिलनाडु इन्डस्ट्रीयल इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन	45,000	45,00,000
18.	लाइफ इंशोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया	40,902	40,90,200

40 मीटरी टन लौह चूर्ण के लिये निविदायें

5864. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने सितम्बर, 1978 में 40 मीटरी टन लौह चूर्ण के लिये विश्व के देशों से निविदायें मांगी थीं ;

(ख) निविदायें कब खोली गयीं और क्या-क्या मूल्य निविदाओं के दिये गये ;

(ग) क्या न्यूनतम मूल्य वाली निविदा स्वीकार नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषध फर्मों द्वारा औषध उद्योग में वार्षिक पूंजी निवेश

5865. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 से 1982-83 तक की अवधि में औषध उद्योग में वार्षिक पूंजी-निवेश का क्षेत्रवार (सार्वजनिक, भारतीय, विदेशी और लघु) लक्ष्य क्या है;

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में प्रत्येक क्षेत्र ने वास्तव में कितना पूंजीनिवेश किया; और

(ग) पूंजीनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि सरकार ने कोई कदम उठाये हैं तो वे क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध उद्योग में वार्षिक पूंजीनिवेश के लिए कोई क्षेत्र-वार (सरकारी, भारतीय, विदेशी तथा छोटे पैमाने) लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । तथापि, औषध और भेषज उद्योगों पर योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए कार्यकारी दल ने बल्क औषधों के निर्माण के लिए निम्न नमूने पर निवेश की आशा की है :—

रुपये/करोड़

वर्ष	सरकारी	गैर-सरकारी	कुल
1978-79	28	12	40
1979-80	30	25	55
1980-81	40	30	70
1981-82	40	20	60
1982-83	12	13	25
कुल	150	100	250

(ख) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान औषध उद्योग में किए गए वास्तविक निवेश का कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) सरकारी क्षेत्रों द्वारा निवेश को योजना आबंटनों में से पूरा किय जाने का प्रस्ताव है । नई औषध नीति में निहित विस्तृत निर्णयों, जो अन्य बातों के साथ-साथ भावी लाइसेंसिंग तथा मूल्य निर्धारण पर सुदृढ़ नीतियों पर भी कार्यवाही करती है, को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए अपेक्षित निवेश सुलभ होगा ।

मैसर्स फाइज़र के विरुद्ध शिकायतें

5866. श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स फाइज़र के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और शिकायतों को यदि सरसरी तोर पर विचार करने के बाद निपटा दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार मैसर्स फाइज़र के कार्यों को किस प्रकार नियंत्रित करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स फाइज़र इंडिया लि० के खिलाफ प्रमुख रूप से निम्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं :—

(i) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना प्रोटिनेक्स का उत्पादन करना ।

(ii) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत मूल्य अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्रोटिनेक्स का विपणन करना ।

(iii) आक्सीटेट्रासाइक्लीन का अत्यधिक उत्पादन करना ।

(iv) निर्यात बांड न भरना ।

(v) आक्सीटेट्रासाइक्लीन और उसके फार्मूलेशनों के अनाधिकृत उत्पादन पर अत्यधिक लाभ कमाना ।

(vi) कम्पनी को दिये गये पंजीकरण पत्रों के अन्तर्गत विभिन्न फार्मूलेशनों का अनाधिकृत उत्पादन करना ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर में दी गई प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

(i) और (ii) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना प्रोटिनेक्स का उत्पादन करने तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत मूल्य अनुमोदन प्राप्त किये बिना उसका विपणन करने के सम्बन्ध में स्थिति 20 मार्च 1979 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 के उत्तर में स्पस्ट की गई थी ।

(iii) लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक आक्सीटेट्रासाइक्लीन के उत्पादन के नियमन पर नई औषध नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

(iv) निर्यात बांड के न भरे जाने के सम्बन्ध में स्थिति 20-3-1979 को लोक सभा में पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 3947 के उत्तर में स्पष्ट की गई थी ।

(v) 1970 में जब औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 लागू किया गया था तो मैसर्स फाइज़र ने आक्सीटेट्रासाइक्लीन एच० सी एल का मूल्य 960 रु० प्रति किलोग्राम घोषित किया था जैसा कि वे यह करने के लिए अधिकारी थे क्योंकि यह मद उक्त आदेश के अनुबंध 1 में सम्मिलित नहीं की गई थी । आक्सीटेट्रासाइक्लीन के फार्मूलेशन के मूल्य उपरोक्त घोषित मूल्य पर आधारित करने के लिए स्वीकृति दी गई थी । औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने आक्सीटेट्रासाइक्लीन के लिए लागत एवं तकनीकी जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को 1975 में दी थी । बी०आई०सी०पी० की इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आक्सीटेट्रासाइक्लीन तथा इसके लवण और डेरीवेटिवस के मूल्य घटाकर कम्पनी की अपनी खपत के लिए 725 रुपये प्रति किलोग्राम और अन्य असम्बद्ध फार्मूलेशन निर्माताओं को विक्रय के लिये 349 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया था । आक्सीटेट्रा-

साईक्लीन के घटा ये गये मूल्यों के आधार पर फ़ार्मूलेशनों के मूल्य पुनः निर्धारित किये जा चुके हैं। 14-8-1978 से कम्पनी की अपनी खपत और विक्रय दोनों के लिए आक्सीटेट्रासाइक्लीन, उसके लवण और डेरीवेटिवस के मूल्य और अधिक घटाकर 650 रु० प्रति किलो पर निर्धारित किये गये थे। 20-12-1978 से लेकर बल्क औषध के मूल्यों के अनुरूप फार्मूलेशन के मूल्य और कम किये गये हैं।

(vi) क्या फाईज़र पंजीकरण पत्रों के अन्तर्गत अनाधिकृत फार्मूलेशनों का उत्पादन कर रहे हैं, इस मामले की जांच लाइसेंसों के समेकन के समय की जायेगी।

(ग) अन्य विदेशी औषध कम्पनियों की तरह मैसर्स फाइज़र की गतिविधियां भी नई नीति तथा औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, पैरा आदि जैसे कानूनों की धाराओं के अनुसार नियमित की जायेंगी।

औषधियों/प्रसाधन सामग्री के ब्रांड नामों के प्रयोग को बन्द करना

5867. श्री गणनाथ प्रधान : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ औषधियों/प्रसाधन सामग्री के ब्रांड नामों के प्रयोग को बन्द करने का निर्णय किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिन ब्रांड नामों का प्रयोग बन्द किया जायगा उनका ब्यौरा क्या है और निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 29-3-78 को लोक सभा पटल पर रखे गए विवरण-पत्र के पैरा 71.1 में उल्लिखित पांच औषधों के पहले ब्रांड नामों को समाप्त करने का निर्यण लिया गया है। नई एक मात्र घटक वाली औषधें जब देश में प्रथम बार आरम्भ होगी तो भी ब्रांड नामों के अन्तर्गत नहीं बेचा जायेगा। सौन्दर्य प्रसाधन (कास्मेटिक) के लिए ब्रांड नामों के प्रयोग को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जिन औषधों के ब्रांड नामों को समाप्त किया जाना है उनके नाम 29-3-78 को लोक सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र के पैरा 71.1 में दिये हुए हैं। ट्रेड एण्ड मर्चेनडाइज मार्कस एक्ट 1958 के खण्ड 23 (1) के अन्तर्गत सिवल सप्लाईज ऐण्ड कारपोरेशन विभाग द्वारा 16-3-1979 को ट्रेड मार्कस बम्बई के रजिस्ट्रार को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं कि विवरण पत्र के पैरा 71.1 में उल्लिखित 5 औषधों तथा देश में प्रथम बार आरम्भ की गई एक मात्र घटक वाली औषधों के कोई भी ट्रेड मार्क पंजीकृत न किये जायें।

दिल्ली में गैस के सिलेंडरों में कम गैस की सप्लाई

5868. श्री सुखेन्द्र सिंह :
श्री राम कंवर बेरवा :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सप्लाई किये जाने वाले कुकिंग गैस सिलेंडरों के कम गैस सप्लाई होने के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सिलेंडरों को त्रुटिहीन ढंग से सील करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इनमें से गैस की मात्रा कम न की जा सके ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली में तेल कंपनियों को सिलेंडरों को कम भरे जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) बाटलिंग संयंत्रों में गैस सिलेंडर स्वचालित तथा गैर-स्वचालित मशीनों पर भरे जाते हैं । सिविल सप्लाई तथा सहकारिता मंत्रालय का मापतोल निदेशालय नियमित अन्तरालों में इन मशीनों की जांच करता है तथा मोहर लगाता है । परिवहन करने वालों को सिलेंडर देने से पूर्व उनकी कभी-कभी जांच भी जाती है । यदि कोई कम भरा सिलेंडर होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है और केवल ठीक वजन वाले सिलेंडरों को ही बाटलिंग संयंत्र से परिवहन करने वालों को भेजा जाता है । डीलरों के शो रूम तथा गोदाम की भी जांच की जाती है । इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों को कुकिंग गैस डीलरों की तथा डीलरों द्वारा सिलेंडर सप्लाई किये जाने पर सिलेंडर के भार की जांच करने सहित अचानक तथा नियमित जांच करने को कहा गया है । तेल कंपनियों को कदाचार में लगे डीलरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये भी कहा गया है ।

(ग) सिलेंडरों से तरल पैट्रोलियम गैस के पिल्फरेज की संभावना को कम करने के लिए नए सिलेंडरों में तेल उद्योग द्वारा एक नई स्प्रिंग युक्त विकसित वाल्व जल्दी ही प्रचलित किया जायेगा ।

दामोदर घाटी निगम की सात बहुप्रयोजनीय जलाशय बांधों के निर्माण की योजना

5870. श्री रेणुपद दास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हाल ही की वर्षा और बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार ने मि० डब्ल्यू० एल० वूरड्यून द्वारा तैयार किए दामोदर घाटी निगम के मूल प्रारूप पर विचार किया है जिसमें नदी और उसकी सहायक नदियों पर सात बहुप्रयोजनीय बांधों के निर्माण किए जाने का उल्लेख किया गया है जिससे अधिक पानी इकट्ठा हो सके और अभूतपूर्व बाढ़ों के अत्यधिक तेज प्रवाह को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो दामोदर घाटी निगम के अपवाद क्षेत्र में अप्रत्याशित वर्षा के पानी को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था सोची है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) दामोदर घाटी निगम की मूल योजना में दामोदर नदी पर तथा इसकी सहायक नदियों पर तिलैया, कोनार, मैथोन, पंचेत, बोकारो, बालपहाड़ी तथा आइयेर में सात बहुद्देश्यीय बांधों का निर्माण, बरमों में एक व्यपवर्तन बांध तथा दुर्गापुर में नहरों के तार-जाल सहित एक बराज का निर्माण शामिल है । यह विकास दो चरणों में किया जाना था । पहले चरण में तिलैया, कोनार, मैथोन तथा पंचेत में चार बांधों तथा दुर्गापुर में एक बराज का निर्माण शामिल था तथा पश्चिम बंगाल में सिंचाई प्रणाली 1958 में पूरी की गई थी । शेष तीन बांधों का कार्य हाथ में नहीं लिया गया था क्योंकि यह समझा गया था कि उस समय उनकी आवश्यकता नहीं थी । बाद में, बिहार सरकार ने उद्योगों को पानी सप्लाई करने के लिए, दामोदर नदी पर तेनुघाट में एक बांध का निर्माण किया है । बिहार तथा पश्चिम बंगाल में हाल

ही में आई बाढ़ें मुख्यत: विस्तृत क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि में हुई अभूतपूर्व तथा व्यापक वर्षा के कारण आई। तिलैया, कोनार, मैथोन तथा पंचेत पर बने चार बांधों ने 6.5 लाख क्यूसेक की यह बाढ़ 2.5 लाख क्यूसेक तक नियन्त्रित की।

(ख) दामोदर-बाराकार बेसिन के जल का इष्टतम समुपयोजन करने के बारे में पश्चिम बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारों के बीच जुलाई, 1978 में एक समझौता हुआ है। इस समझौते में अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने तथा मैथोन और पंचेत बांधों की संचयन क्षमता को बढ़ाने की व्यवस्था है।

देश के वे क्षेत्र जिनमें बड़ी मात्रा में हीरों का उत्पादन होता है

5871. श्री मुकुन्द मंडल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें बड़ी मात्रा में हीरों का उत्पादन होता है;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों में "डायमेंटी फेरस टफ" के सिद्ध भण्डार हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में हीरों का वार्षिक उत्पादन कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने हीरों का और अधिक उत्पादन और बिक्री के लिये क्या उपाय किये हैं ; और

(ङ) गत पांच वर्षों में वर्ष-वार प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) मध्य प्रदेश में पन्ना क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन हीरों की मजगवां तथा रामखेरिया की ऐसी दो खाने हैं जिनमें इस समय हीरों का काफी मात्रा में नियमित आधार पर उत्पादन हो रहा है।

(ख) नवीनतम अनुमान के अनुसार फरवरी, 1979 के अन्त में मजगवां और रामखेरिया की खानों में लगभग 10,60,000 कैरेट हीरों का भण्डार बाकी है।

(ग) अन्य उत्पादकों की तुलना में भारत में हीरों का उत्पादन बहुत कम है। वर्ष 1977-78 में विश्व में हीरों के उत्पादन में भारत का योगदान मात्र 0.03 प्रतिशत था। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे संसाधन सीमित हैं तथा दूसरे देशों की तुलना में हमारे पास उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।

(घ) हाल में रूस के तीन विशेषज्ञों के एक दल ने मजगवां तथा रामखेरिया की खानों के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से पन्ना के हीरा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। देशीय हीरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक दल का गठन किया गया है तथा समन्वेषण कार्य में तेजी लाने के लिए अर्थोपाय स्थिति पर विचार करने के लिए सभी संबंधित अभिकरणों की एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई थी।

जहां तक विपणन का सम्बन्ध है, सरकार ने हाल में बिना तराशे हुए हीरों पर आयात-शुल्क हटा दिया है तथा बिना तराशे हुए हीरों की प्राप्ति और बिक्री के लिए हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी की स्थापना की है। इसके अलावा हीरों को तराशने तथा उन पर पालिश करने के लिए समुन्नत तरीकों और तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिए सूरत के निकट एक संस्था भी खोली गई है।

(ङ) अर्जित विदेशी मुद्रा की वर्ष-वार राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1974-75	86.15
1975-76	99.08
1976-77	211.84
1977-78	516.68
1978-79 (अप्रैल-फरवरी)	639.55

उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश

5872. श्री पद्माचरण सामन्त सिहेरा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है और कितने न्यायाधीश वास्तव में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और कब से; और

(ग) कितने मामले लम्बित हैं और कितने वर्षों से ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए सात स्थायी न्यायाधीश और एक अपर न्यायाधीश के पद स्वीकृत हैं । इस समय इन सभी पदों पर न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ।

(ख) उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कोई पद रिक्त नहीं है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

उड़ीसा उच्च न्यायालय में 31-12-1978 को लम्बित मामले

एक वर्ष से कम पुराने	1 से 2 वर्ष तक पुराने	2 से 3 वर्ष तक पुराने	3 से 4 वर्ष तक पुराने	4 से 5 बर्ष तक पुराने	5 से 6 वर्ष तक पुराने
1	2	3	4	5	6
3,866	2,176	916	229	286	167

6 से 7 वर्ष तक पुराने	7 से 8 वर्ष तक पुराने	8 से 9 वर्ष तक पुराने	9 से 10 वर्ष तक पुराने	10 वर्ष से अधिक पुराने	कुल
7	8	9	10	11	12
120	110	85	11	2	7,908

लद्दाख में स्तकना पन-बिजली परियोजना

5873. श्रीमती पार्वती देवी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख स्थित स्तकना पन-बिजली परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ग) चालू वर्ष के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी होगी और इससे बिजली का उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन : (क) इस परियोजना में शामिल कार्य की मुख्य मदें ये हैं : विद्युत् चैनल, बराज, क्रास ड्रेनेज, डिसिल्टिंग बेसिन, फोरबे तथा बिजली घर । विद्युत् चैनल का कार्य निर्माण की प्रोन्नत अवस्था में है । अन्य मदों पर कार्य प्रगति पर है ।

(ख) और (ग) इस स्कीम पर 31-3-1978 तक हुआ व्यय, 1978-79 के दौरान हुआ व्यय तथा 1979-80 के परिव्यय निम्नानुसार हैं :—

	(रुपये)
31-3-78 तक व्यय	412 लाख
1978-79 अनुमोदित परिव्यय	250 लाख
प्रत्याशित व्यव	186 लाख
1979-80 (परिव्यय)	200 लाख

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार के मौजूदा प्रस्तावों के अनुसार परियोजना की प्रथम बिद्युत उत्पादन यूनिट 1981-82 के दौरान तथा दूसरी यूनिट 1982-83 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है ।

मथुरा तेल शोधन कारखाने की अनुमानित लागत

5874. श्री लखन लाल कपूर : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने पर अनुमानत: कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ख) उस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इसके कब तक चालू होने की संभावना है ; और

(घ) इस परियोजना की प्रगति में बाधा के क्या कारण है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मथुरा रिफाइनरी की कुल संशोधित लागत अनुमान 192.32 करोड़ रुपये है ।

(ख) फरवरी, 1979 के अंत तक 107.83 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है । कुल उपलब्ध प्रगति 59 प्रतिशत है ।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार शोधनशाला में वर्ष 1980 के दूसरे मध्य तक कार्य आरम्भ हो जाने की आशा है।

(घ) परियोजना के कार्य संचालन आरंभ करने के लिये विलम्ब का कारण निम्न-लिखित है :—

(i) रूस के वर्किंग ड्राइंग की प्राप्ति में विलम्ब और देशीय उपकरण तथा सामग्रियों के प्राप्त करने की कार्यवाही के विलम्ब के फलस्वरूप।

(ii) रूसी उपकरण तथा सामग्रियों की प्राप्ति में विलम्ब।

(iii) रूस की ओर से प्राप्त आलेखन पर पुनः इंजीनियरिंग की जरूरत को देखते हुए देशीय उपस्कर तथा सामग्री का उपयोग।

(iv) देशीय विक्रेता द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब।

(v) वर्ष 1978 के दौरान हुई अभूतपूर्व वर्षा एवं बाढ़।

(vi) पिछले 6 महीने से निर्माण स्थल पर विभिन्न ठेकेदारों द्वारा हुई लगातार श्रमिक अशांति।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

5875. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय फिल्म नीति के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्थापित करने का है ;

(ख) क्या उक्त निगम एक स्वायत्तशासी निगम होगा जिसके पास आवश्यक शक्तियां भी होंगी ; और

(ग) क्या निगम का गठन और उसके कृत्यों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और यह कब कार्य करना आरम्भ करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को 1975 में निगमित किया गया था। यह तब से प्रसुप्त स्थिति में है किन्तु निगम को शीघ्र सक्रिय करने का प्रस्ताव है। इसके मेमोरंडम आफ एसोसिएशन के अनुसार निगम के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति तथा लक्ष्यों के अनुसार फिल्म उद्योग के समन्वित और फलोत्पादक विकास की योजना बनाना, प्रोत्साहित करना और आयोजन करना।

(2) भारत और अन्य जगहों में चलचित्र फिल्मों/कोरी फिल्मों/प्रोजेक्शन, स्टूडियो, प्रयोगशाला और अन्य चलचित्र उपकरणों के निर्यात के कारोबार को चालू रखना।

(3) फिल्में आयात करना ।

(4) भारत में बनी या विदेशों से आयातित फिल्मों के वितरण के कारोबार को भारत में या अन्य जगह पर चालू रखना ;

(5) सीधे या अन्य एजेंसियों के माध्यम से फिल्मों को प्रदर्शित करना ;

(6) सिनेमा घरों और फिल्मों के प्रदर्शन स्थानों को किराये पर या लीज पर लेना;

(7) सिनेमा घरों का निर्माण और देख-रेख हाथ में लेना ; और

(8) फिल्म उद्योग की प्रगति के उपाय करना ।

यह सरकारी उपक्रम कम्पनी है और अन्य सरकारी उपक्रमों की कम्पनियों की तरह यह स्वायात्तशासी है ।

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

5876. श्री राम किशन : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र कितने हैं ;

(ख) इन दोनों राज्यों के लिए सरकार ने कितने नए संयंत्र स्वीकृत किए हैं ;

(ग) क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने बम्बई हाई और साउथ बसई से मिलने वाली गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय गुजरात में कलोल स्थित एक यूनिट पूर्णत: फीड स्टाक के रूप में गैस पर कार्य कर रहा है जबकि बड़ौदा स्थित यूनिट गैस और नेफथा दोनों फीड स्टाकों का उपयोग करता है । महाराष्ट्र में ट्राम्बे स्थित प्लांट जो अमोनिया पर चल रहा है उसका भी गैस फीड स्टाक में परिवर्तन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त ट्राम्बे में कार्यान्वयनाधीन अमोनिया प्लांट (ट्राम्बे V) भी गैस पर आधारित होगा ।

(ख) महाराष्ट्र (थाल) और गुजरात (नाज़िरा) में एक गैस पर आधारित एक उर्वरक प्रयोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी, हां

(घ) विभिन्न तकनीकी आर्थिक घटकों जिनमें फीड स्टाक की निकटता, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की उपलब्धि उपभोक्ता क्षेत्र की निकटता आदि सम्मिलित होते हैं पर विचार करने के पश्चात् उर्वरक प्रायोजना के स्थल निर्धारण के संबंध में निर्णय किया जाता है । बाम्बे हाई बेसिन संरचनाओं से गैस की निश्चित रूप से उपलब्धि के आधार पर तथा विशेषज्ञ दल की इस सिफारिश कि तटीय सुविधाओं के समीप उर्वरकों का उत्पादन करना सस्ता पड़ेगा, बजाए इसके

कि गैस का उपभोक्ता क्षेत्र तक उर्वरकों के उत्पादन के लिए परिवहन किया जाए, पर सरकार ने यह निश्चय किया है कि गैस पर आधारित दोनों उर्वरक प्लांट महाराष्ट्र में थाल वैशत और गुजरात में नाजिरा में स्थापित किए जाएं। अब पश्चिमी तट की समुद्री संरचनाओं से और अधिक गैस उपलब्ध होने के संकेत हैं। इन संकेतों के सन्दर्भ में अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की आयोजन करते समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र पर नैमित्तिक कैमरामैन

5877. डा० विजय मण्डल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र तथा उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र पर वर्ष 1976 से ऐसे कितने नैमित्तिक कैमरामैन काम कर रहे हैं जो लगभग 400 दिन तक कार्य कर चुके हैं ;

(ख) उन नैमित्तिक कैमरामैनों का ब्यौरा क्या है जिनका चुनाव दिल्ली में वर्ष 1977 में किया गया था परन्तु उन्हें अभी तक नियुक्तिपत्र जारी नहीं किए गए हैं और उन्हें कब नियुक्ति पत्र दिए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इन कैमरामैनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(घ) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र पर कैमरामैनों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और अप्रैल, 1977 से मार्च, 1979 के दौरान कितने पद भरे गये ; और

(ङ) कैमरामैनों के पदों को पहले से चुने गए कैमरामैनों के बारे में सरकार द्वारा निर्णय किए जाने तक, स्थानान्तरण द्वारा भरने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 1976 से दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र और उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में इस समय ऐसा कोई नैमित्तिक कैमरामैन कार्य नहीं कर रहा है जिसने 400 दिन पूरे कर लिए हैं।

(ख) इस प्रकार चुने गए सभी नैमित्तिक कैमरामैनों को नियुक्ति-पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) जी, हां। जैसा कि ऊपर बताया गया है नैमित्तिक कैमरामैनों को पहले ही नियुक्ति-पत्र जारी कर दिए गए है।

(घ) कोई भी नहीं, अप्रैल, 1977 से मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या आठ थी।

(ङ) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में कैमरामैनों की केवल एक रिक्ति को स्थानान्तरण द्वारा भरा गया था किन्तु यह अनुकम्पा के आधार पर किया गया।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 'थम्स-अप' का विज्ञापन

5878. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन पर "रिफ्रेशिंग कोला" के रूप में सर्वप्रथम 'थम्स-अप' का विज्ञापन कब दिया गया ; और

(ख) समिति ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या उक्त विज्ञापन 'वाणिज्य विज्ञापन संहिता' के अनुरूप है उक्त विज्ञापन को कब देखा था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) रिफ्रिशिंग कोला' के रूप में 'थम्स-अप' का पहला विज्ञापन दूरदर्शन पर 16 अप्रैल, 1978 को टेलीकास्ट और आकाशवाणी पर दो जुलाई, 1978 को प्रसारित किया गया था ।

(ख) विज्ञापन की जांच दूरदर्शन ने अप्रैल, 1978 के प्रथम सप्ताह में और आकाशवाणी ने जून, 1978 के तीसरे सप्ताह में की ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटियूकल्स लिमिटेड के कार्यालय का स्थानान्तरण

5879. श्री मही लाल :

श्री कचरू लाल हेमराजजैन :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में साउथ एक्सटेन्शन में स्थित इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सी० पी० डी० कार्यालय को मई 1979 में गुड़गांव स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्यालय को स्थानान्तरित करने से 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों, जो दिल्ली/नई दिल्ली, के निवासी हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें वित्तीय हानि उठानी पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सी० पी० डी० कार्यालय के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में दूसरा स्थान ढूढने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) के मुख्यालय और इसके विपणन प्रभाग के अप्रैल 1979 में जिला गुड़गांव में स्थित डंडहेरा नामक स्थान पर स्थानान्तरण होने की आशा है। कार्मिक विभाग के मुख्य कार्यालय (सी० पी० डी०) आई० डी० पी० एल० के मुख्थालय के प्रभागों में से एक प्रभाग है ।

(ख) जबकि कर्मचारियों को जधिक दूर जाना पड़ेगा, आई० डी० पी० एल० को अपनी इस समय के स्थान से स्थानान्तरण इसलिए करना पड़ा है कि यह गैर-व्यापारिक क्षेत्र घोषित किया गया था और नई दिल्ली में कहीं भी उचित अन्य आवास उपलब्ध नहीं था । अत: जिला गुड़गांव में आई० डी० एल० फैक्टरी के समीप इन कार्यालयों की स्थापना करने के सिवाय और कोई विकल्प न था ।

(ग) जो, नहीं ।

मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के लेखों का निरीक्षण

5880. श्री के० लक्कप्पा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अन्तर्गत दिये गये आदेशानुसार मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लि० गाजियाबाद के लेखों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ख) प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड का कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत लेखा बहियों का निरीक्षण पूर्ण हो गया है । निरीक्षण से निम्नलिखित मुख्य अनियमितताएं प्रगट हुई हैं :–

(क) कतिपय न्यासों को बगैर ब्याज के अग्रिम धन स्वीकार करना ;

(ख) दो आयातित बेलिंग प्रेसों का आस्तत्व में नहीं रहना ;

(ग) उत्पाद प्रवर्धकों की नियुक्ति तथा उनको बगैर औचित्य के कमीशन देना ;

(घ) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और उप मुख्य कार्यकारी को रहने के स्थान और परिलब्धियों की ऊंचो दर तथा निरधारित सीमाओं से अधिक व्यवस्था करना ;

(ड़) कम्पनी द्वारा प्रबन्ध निदेशक और उसके परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए चांदी के बर्तनों को खरीदना ;

(च) कतिपय पार्टियों की गौण उत्पादों को अन्यों से ली गई दरों की अपेक्षा कम पर बिक्री करना ;

(छ) अनुबन्ध में बगैर व्यवस्था किये कार्यकारी अभिकर्ताओं को अग्रिम धन का दिया जाना । कम्पनी द्वारा कमीशन पर विचार करते हुए खरीदी गई कच्ची सामग्री के लिए कार्यकारी अभिकर्ताओं को निक्युत किया गया है ;

(ज) प्रबन्ध निदेशक के पक्ष में मतपत्रियों को एकत्र करने के लिए कर्मचारियों को इनाम और यात्रा व्ययों की अदायगी ;

(झ) बगैर निकासी के खत्ते के माल की कम कीमतों पर बिक्री तथा बाद में उसी प्रकार की सामग्री को ऊंची दरों पर खरीदना ;

निरीक्षण रिपोर्ट में प्रगट सामग्री के परिणामस्वरूप, कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है । इसका उत्तर देने के लिए कम्पनी को 31-3-79 तक का समय स्वीकृत किया गया है । उत्तर पर विचार करने के पश्चात् मामले पर कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा निर्णय किया जायेगा ।

उपरोक्त मुख्य अनियमितताओं को छोड़कर, निरीक्षण रिपोर्ट से कम्पनी अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के उल्लंघन भी प्रगट हुए हैं, जिन पर अलग से कम्पनी से पत्राचार किया जा रहा है ।

मयूरभंज जिले के सिमिलपाल क्षेत्र में निकिल के बड़ी मात्रा में निक्षेप

5881. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मयूरभंज जिले के सिमिलपाल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निकिल के निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसको निकालने के लिए और क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमिलपाल क्षेत्र के कुछ इलाकों में लगभग 97 लाख टन निकिल धारी चट्टानों का अनुमान लगाया गया है जिनमें 0.97 प्रतिशत निकिल है ।

(ख) इस समय इन खनिजों के निकालने के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी व्यापक खोज कार्य किया जाना है ।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में टेलीविजन का जाल बिछाने की मांग

5882. श्री पूर्णो नारायण सिन्हा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर-पूर्व क्षेत्र में टेलीविजन का जाल बिछाने के बारे में क्षेत्र के लोगों से मांगें प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में क्षेत्र के केन्द्रीय भाग में शक्तिशाली टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने में क्या बाधाएं हैं जिससे ग्रामीण और कृषि प्रसारण, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को ले जाने को रोकने के उद्देश्य से, की आवश्यकताएं पूरी हो सकें ; और

(ग) क्या क्षेत्र की संवेदनशीलता तथा बम्बई के लिए क्षेत्रीय विरोध और विदेशियों की घुसपैठ को श्रव्य-दृश्य प्रसारण की व्यवस्था के लिए जो एक राष्ट्रीय आवश्यकता तथा अनिवार्यता है एक उचित कारण नहीं समझा जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) सरकार को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एक या अधिक दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं । तथापि, संसाधनों की कमी और भारत में दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी गई कम प्राथमिकता के कारण छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन की सुविधाऐं प्रदान करना सम्भव नहीं हो पाया है ।

राष्ट्रीयकरण के पांच वर्ष के भीतर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को हुइ हानि

5883. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्रथम पांच वर्षों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। भारत कोकिंग कोल लि० को राष्ट्रीयकरण के बाद पहले पांच वर्षों के दौरान हुई संचित हानि लगभग 76 करोड़ रुपए थी।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० को वर्ष 1971 से 1976 के दौरान हुई हानि का मुख्य कारण कीमतों का ढांचा था जिससे उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती थी--उत्पादन लागत बढ़ने के कारण यह रहे हैं--राष्ट्रीयकृत कोलियरियों के साथ लिए गए कामगारों को अधिक मजदूरी देना, ठेका वाले और आकस्मिक कामगारों को भारी संख्या में नियमित करना, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, उत्पादन निवेशों की लागत में वृद्धि, ग्रेडों के मिश्रण में गिरावट जिसके कारण औसत बिक्री की वसूली में कमी हुई तथा मूल रूप से सोचे गए उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले में उत्पादन में कमी।

कीटनाशी दवाईयों की आवश्यकता और उत्पादन

5884. श्री सुरेन्द्र पाल सुमन : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कीटनाशी दवाईयों की आवश्यकता कितनी है ;

(ख) देश में इसका कितना उत्पादन होता है तथा इनकी उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है ; और

(ग) कीटनाशी दवाईयों की सप्लाई इनकी आवश्यकतानुसार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पेस्टीसाइडस पर कार्यकारी दल के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1978-79 के लिए फसल सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, दोनों के लिए तकनीकी सामग्री के रूप में देश में पेस्टीसाइडस की कुल आवश्यकता 80,490 मी० टन आंकी गई है।

(ख) उसी अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में तकनीकी श्रेणी के पेस्टीसाइडस का उत्पादन 49,000 मी० टन होने की आशा है। इस समय तकनीकी श्रेणी के पेस्टीसाइडस के निर्माण में संगठित क्षेत्र में 25 एकक लगे हुए हैं।

(ग) देश में तकनीकी सामग्री के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना हेतु सरकार ने कुछ प्रस्तावों को अनुमोदित किया है जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं। इसी बीच ऐसे पेस्टीसाइडस, जो कि उपलब्ध नहीं हैं या सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, के आयात की भी स्वीकृति दी गई है।

जम्मू तथा काश्मीर में रेडियो और टेलीविजन सेवाएं

5885. श्री बलदेव सिंह जसरोटिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर मुख्यालय के राजनीतिक महत्व तथा सीमा-वर्ती क्षेत्र होने तथा श्रीनगर और अमृतसर केन्द्रों के दूरदर्शन प्रसारण साफ न दिखाई दिए जाने के कारण विभिन्न वर्गों ने जम्मू में टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो लोगों की मांग पूरी करने और टेलीविजन तथा रेडियो में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू में एक 10 किवा० वाला टी० वी० रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसकी सेवा रेंज 8,000 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र को कवर करते हुए 75 कि० मी० होगी। जहां तक रेडियो का सम्बन्ध है जम्मू में 50 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर पहले से है। इसकी शक्ति बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, श्रीनगर में 20 कि० वा० वाला मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 200 कि० वा० करने का कार्य चल रहा है।

तेल तथा गैस उत्पादों की खोज, उत्पादन सप्लाई आदि में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

5886. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान तेल तथा गैस उत्पादों की खोज, उत्पादन, शोधन, सप्लाई और वितरण तथा उनके मूल्य निर्धारण में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं तथा उनकी तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) उपरोक्त (क) की तरह छठी योजना की शेष अवधि के लिए क्या योजना लक्ष्य हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में मुख्य उपलब्धियां अन्वेषण एवं उत्पादन

कच्चे तेल का उत्पादन, जो वर्ष 1976-77 में 8.9 मिलियन मी० टन था, वर्ष 1977-78 में 10.76 मिलियन मी० टन तक वृद्धि हुई और वर्ष 1978-79 में 11.76 मिलियन मी० टन तक होने की संभावना है। बम्बई हाई का उत्पादन 1 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच गया है।

वर्तमान उत्तर बेसिन संरचना में गैस की खोज की गई थी। इस क्षेत्र की पूरी क्षमता कुछ और कुओं की खुदाई करने के बाद ही मालूम होगी। तथापि आशा की जाती है कि यह खोज बहुत महत्वपूर्ण होगी। दक्षिण बेसिन क्षेत्र में गैस भण्डारों की पूर्व अनुमान की अपेक्षा कहीं अधिक होने की आशा की जाती है।

बम्बई हाई से उरान तक समुद्र के अन्दर पाइपलाइन बिछाने और उरान से ट्राम्बे तक स्थानान्तरण लाइन बिछाने का कार्य छः मास के निर्धारित समय के अन्दर पूरा हो गया था और पाइपलाइन के माध्यम से तेल और गैस जून, 1978 से प्राप्त होनी आरम्भ हो गई थी।

उरान में गैस फ्रैक्शनेशन संयंत्र की स्थापना से संबंधित कार्य आरम्भ हो गया है ।

हमारे हाइड्रोकार्बन भण्डारों की पूरी सूची तैयार करने के लिए तटीय एवं अपतटीय दोनों क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के गहन कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है ।

गुजरात में कुछ संरचनाओं पर तेल और गैस के अतिरिक्त भण्डारों का पता चला है ।

महानदी डेल्टा में अपतटीय क्षेत्र का समुद्री भूमौतिकीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और आशा है कि वर्ष 1979-80 में अन्वेषी खुदाई आरम्भ हो जाएगी ।

तेल शोधन

गुजरात तेल शोधक कारखाने का 3 मिलियन मी० टन तक विस्तार करने का कार्य और बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाने का 1 मिलियन मी० टन वाला अशोधित तेल आसबन एकक पूरा हो चुका है और आरम्भ हो गया है। मथुरा में 6 मिलियन मी० टन की क्षमता वाली शोधनशाला का निर्माण कार्य अच्छी प्रगति पर है ।

सलाया स्थित एस० बी० एम० तथा सलाया-वीरमगम-कोयाली खण्ड की पाइपलाइन को बिछाने का काम पूरा हो गया है तथा तेल ले जाने का कार्य आरम्भ हो गया है । वीरमगम-मथुरा खण्ड की पाइपलाइन को बिछाने का काम निर्माणाधीन है ।

कई नई परियोजनाएं (पाइपलाइन सहित) अनुमोदित हो गयी हैं और कार्यान्वयन के अधीन हैं ।

पूर्ति तथा संवितरण

अक्टूबर, 1978 से ईरान में अशांति के परिणामस्वरूप हमारी अशोधित तेल की सप्लाई में एक गंभीर बाधा उत्पन्न हुई । अशोधित तेल और वैकल्पिक स्रोतों से पैट्रोलियम उत्पादों के बाजार मूल्य भी बहुत ऊंचे हो गये । ईरान में अव्यवस्थित स्थिति तथा अन्य गंभीर समस्याओं के बावजूद पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को बनाए रखा गया ।

तेल उद्योग के पुनर्गठन के उपाय के फलस्वरूप काल्टैक्स आयल इंडस्ट्री को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० में मिला दिया गया है ।

यह निर्णय लिया गया है कि सभी कंपनियों की सभी प्रकार की एजेंसियों का 25% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए और 2% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा । तरल पैट्रोलियम गैस के वितरण में स्वामित्व के केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए भी उपाए किए गये हैं ।

मूल्य निर्धारण

सरकार ने तेल मूल्य समिति की रिपोर्ट पर अपने निर्णय लिए थे और उन्हें 16-12-1977 से लागू किया था । दिनांक 1.3.1978 और 1.3.1979 से लागू उत्पाद कर में कुछ परिवर्तनों को छोड़कर 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्रमुख पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ।

शोधनशाला उत्पादन, पी०ओ०एल० उत्पादों के उत्पादन तथा विक्रय/खपत के आंकड़े निम्न तालिका में दिए गये हैं :

(मिलियन मी० टन)

मद	1977-78	1978-79 (अनुमानित)	पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि
(क) शोधनशाला उत्पादन (उत्पादन के रूप में)	24.90	26.39	+ 6.0
(ख) उत्पादन पी० ओ० एल० उत्पाद	23.22	24.48	+ 5.4
(ग) पी० ओ० एल० उत्पाद की बिक्री/खपत (आर० बी० एफ० को छोड़कर)	25.55	28.20	+ 10.4

घरेलु बिजली का कनेक्शन देने में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लिया गया सामान्य समय

5887. श्री पीयुष तिरको : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए आवेदनकर्ताओं को घरेलु बिजली का कनेक्शन देने में दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को सामान्यतः कितना समय लगता है ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लारेन्स रोड कार्यालय द्वारा आवेदकों को सामान्य समय के अन्दर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं और उनमें से ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है, जो 3-4 महीने से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं और उन आवेदनकर्ताओं की संख्या कितनी है जिन्हें 10 दिन के भीतर बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं ;

(ग) नए आवेदकों को बिजली के कनेक्शन देने में असंगति के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस कार्यालय के निरीक्षक उपभोक्ताओं से रिश्वत लेते हैं और जिन मामलों में उन्हें रिश्वत नहीं मिलती है उन मामलों में किसी न किसी बहाने से विलम्ब किया जाता है ; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) भावी उपभोक्ताओं से प्रतिष्ठापन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान सामान्यतः 3 सप्ताह के भीतर ही कनेक्शन देने की कोशिश करता है ।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के लारेंस रोड कार्यालय द्वारा लगभग 540 मामलों में सामान्य अवधि में कनेक्शन नहीं दिए गए । उनमें से लगभग 270 मामले 3 से 4 महीनों तक की अवधि से पड़े हुए हैं और लगभग 25 घरेलू कनेक्शन, औपचारिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन के भीतर दे दिए गए ।

(ग) इसमें लगने वाला समय मुख्य तौर पर भावी उपभोक्ता द्वारा सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने की गति पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त जहां पर मेन लाइनें पहले से ही होती हैं वहां कनेक्शन जल्दी दे दिए जाते हैं । इसी तरह, जिन मामलों में किसी बिल्डिंग में सर्विस लाइन पहले ही होती है, उन मामलों में भी दूसरे कनेक्शन शीघ्रता-पूर्वक दे दिए जाते हैं । जिन मामलों में कनेक्शन देने में कुछ अधिक समय लगता है उनमें ये शामिल हैं : सड़क पार करना, मालिक मकान और किराएदारों के झगड़े तथा प्रतिष्ठापन परीक्षण रिपोर्टों को पूरा करने में देरी ।

(घ) और (ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें उनके ध्यान में नहीं लाई गई हैं । ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपने सतर्कता विभाग का गठन किया है ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा सिनेमा घरों के निर्माण की योजना

5888. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम की अपने सिनेमाघरों का निर्माण कर उनमें अपनी फिल्में प्रदर्शित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने सिनेमाघरों का निर्माण किया गया है और आगामी वर्ष कितने सिनेमाघरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) फिल्म वित्त निगम की अपने सिनेमाघर बनवाने की कोई योजना नहीं है किन्तु इसकी देश में कम बजट के सिनेमाघरों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फिल्म वित्त निगम के कार्यकरण पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपनी 79 वीं रिपोर्ट (पाँचवीं लोक सभा) की सिफारिश संख्या 47 में यह टिप्पणी की थी कि निगम के लिए अपने सिनेमाघरों के निर्माण करने की कोई योजना प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं है । यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

बदरपुर तापीय बिजलीघर के औषधालय से औषधियों की चोरी

5889. श्री समर मुखर्जी : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजली घर के कुछ कर्मचारियों ने बदरपुर तापीय बिजलीघर (औषधालय), राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम से औषधियों की नियमित रूप से चोरी होने की जानकारी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मामले में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) क्या उन्हें पता है कि उस कर्मचारी को, जिसने चोरी की रिपोर्ट की थी, अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के औषधालय में औषधियों की चोरी के बारे में 1976 में बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के एक कार्य-प्रभारी कर्मचारी ने कुछ आरोप लगाए थे ।

(ख) और (ग) जांच की गई थी और यह पाया गया था कि औषधियों के गबन के बारे में आरोप साबित नहीं हो सके ।

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने सूचना दी है कि संबंधित कर्मचारी को न तो किसी प्रकार से तंग किया गया और न ही उसे नौकरी से हटाया गया । तथापि, फरवरी, 1977 में उसने अपनी इच्छा से नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था ।

फील्ड सैनिक अधिकारियों को भत्ता

5890. श्री दौलतराम सारण : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड क्षेत्रों के सैनिक अधिकारियों को अपनी पत्नियों से दुर रहने के लिए कोई भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) क्या ऐसा भत्ता जवानों को भी दिया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) फील्ड रियायती क्षेत्रों में सेवा कर रहे थल सेना/वायु सेना के विवाहित अफसरों को जिन्हें इन क्षेत्रों में अपने परिवारों को रखने की अनुमति नहीं होती है 70 रुपए प्रति मास का पार्थकय भत्ता दिया जाता है । किन्तु अफ्सर रैंक से नीचे के कार्मिकों को इस तरह का कोइ भत्ता नहीं मिलता है । फील्ड क्षेत्रों में सेवा करते हुए वे 15 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति मास तक विशेष प्रतिपूरक भत्ता पाने के हकदार होते हैं । यह भत्ता अफ्सरों को नहीं मिलता है ।

2. नौसेना के विवाहित अफ्सरों को बेस बन्दरगाहों से दूर जहाजों पर कार्य करने के दौरान 70 रुपए प्रतिमास का प्रार्थकय भत्ता दिया जाता है । इसी तरह की परिस्थितियों में जहाजों पर कार्य करते समय नाविक 20 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति मास तक समुद्री ड्यूटी (सी ड्यूटी) भत्ता पाने के हकदार होते हैं । समुद्री ड्यूटी भत्ता नौसेना के अफ्सरों को नहीं दिया जाता है ।

मंगलौर में इस्पात संयंत्र

5891. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय मंत्रालय, राज्य सरकार-योजना आयोग, इस्पात विभाग, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० और "मेकन" की सलाह से

किया गया है और यदि हां, तो मंगलौर में इस संयंत्र की स्थापना से वहां के स्थानीय लोगों को क्या विशेष लाभ होंगे; और

(ख) उपर्युक्त विभागों ने वहां इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में क्या सिफारिशें दी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) इस्पात उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने के समग्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ समय से सरकार बन्दरगाहों पर तीन निर्यातोन्मुख कारखाने लगाने की सम्भावना पर विचार कर रही है। सम्भावय स्थलों में मंगलौर भी शामिल है। सरकार ने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों की मूल्य-वृद्धि अथवा कमी का मूल्यकांन

5892. श्री आर० के० महालगी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 29 मार्च, 1978 को लोक सभा में औषध नीति के बारे में वक्तव्य दिये जाने के बाद विभिन्न औषधियों के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि वे आवश्यक समझते हैं तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) उद्योग मन्त्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा बनाई गई औषध और दवाइयों की थोक विक्रय मूल्य सूची के जरिए औषध मूल्यों की स्थिति का मूल्यांकन होता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रवृति का पालन किया गया है :—

वर्ष	थोक विक्रय मूल्य सूची	प्रतिशत वृद्धि
1975-76	118.7	—
1976–77	133.9	1975–76 से 13% अधिक
1977–78	136.3	1976–77 से 1.8% अधिक
अप्रैल से दिसम्बर 1978	136.16	1977–78 के स्तर से 0.14% कम

(ग) देश में औषध मूल्यों में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम पहले ही उठाये गये है :—

(i) सरकार द्वारा बल्क औषधियों अर्थात् डाक्सी साइक्लीन, आक्सी टेट्रासाइक्लीन (इसके लवण और डेरीवेटिवस), सल्फा गुनीडाइन, जैरामाइसीन सल्फेटस और

क्लोरेम्पेनिकल पाउडर, फेनोबार्बिटोन और एनलजीन पर आधारित फार्मूलेशनों के 352 पैकों के मूल्य दिसम्बर 1978 में कम किये गये थे। जैंटामाइसीन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य 15 फरवरी 1979 को सरकार द्वारा और कम किये गये थे।

(ii) वर्ष 1979-80 के बजट में 1 मार्च 1978 को मूल कर दर के 5% का अतिरिक्त उत्पाद कर जो लगाया गया था हटा दिया गया है। सरकार ने औषध निर्माण संघ के माध्यम से पहले ही निर्माताओं को अपने मूल्य 1 मार्च 1979 के उत्पाद शुल्क के नये दरों के अनुरूप कम करने के लिए निर्देश दिये हैं।

(iii) सरकार ने 1 मार्च 1979 से जीवन रक्षक और आवश्यक फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए प्रयोग में आने वाली 22 विशिष्ट बल्क औषधियों को पूरी तरह सीमा शुल्क से भी मुक्त कर दिया है। इससे सम्बद्ध फार्मुलेशनों के मूल्य कम हो जायेंगे।

(iv) सरकार ने 1 मार्च 1979 से 7 मध्यवर्तियों से सम्बन्धित कुछ बल्क औषधों, जिन पर सीमाशुल्क को 75% से घटाकर 25% किया गया था, के भी मूल्य कम किये हैं।

सैनिकों को सेवा निवृत्ति से पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण

5893. श्री सुभाषचन्द बोस अल्जूरी : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैनिकों की सेवा निवृत्ति से 6 मास पूर्व उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का है जिससे कि वे रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वयं का कारखाना स्थापित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रशिक्षण

अन्य रैंकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

सेना के कार्मिकों को उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में सेवा निवृत्ति पूर्व और सेवा मुक्ति पूर्व तथा बाद में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण सुविधाएं निम्नलिखित वर्गों में आती हैं :—

(क) कृषि और फार्म पर आधारित प्रशिक्षण

कृषि में प्रशिक्षण से अधिकांश उन सैनिकों को लाभ होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को वापस चले जाते हैं। इस प्रशिक्षण से उन्हें या तो अपने ही खेतों में कार्य करने अथवा कृषि संबंधी रोजगार पर लगने में सहायता मिलती है। फार्म पर आधारित व्यवसायों में प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है।

(ख) तकनीकी ट्रेड में प्रशिक्षण

तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण मुख्यतः विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दिया जाता है जहां सैनिकों के लिए उनकी सेवामुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण के लिए 1000 स्थान आरक्षित किए गए हैं।

(ग) मोटर गाड़ियों के रख-रखाव और उनकी सर्विस, टायर रिट्रीडिंग, टेलीविजन टेक्नालाजी, जीवन बीमा निगम की एजेंसी आदि जैसे धन्धों में प्रशिक्षण जिनमें वे मुख्यतः अपना ही धन्धा चलाते हैं।

मोटर गाड़ियों के रख-रखाव और उनकी सर्विस तथा टायर रिट्रीडिंग में प्रशिक्षण कुछ बड़ी व्यापारिक फर्में देती हैं। लघु उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण इन्टीग्रेटिड ट्रेनिंग सेंटर नीलोखेड़ी द्वारा एक केपसूल पाठ्यक्रम के माध्लम से दिया जाता है। सेवामुक्ति/सेवानिवृत्ति के पश्चात् सैनिकों को जीवन बीमा निगम का एजेंट बनने के लिए जीवन बीमा निगम उन्हें 10 सप्ताह का प्रशिक्षण देता है।

(घ) औद्योगिक सुरक्षा, अध्यापण प्रशिक्षण, सहायक शारीरिक प्रशिक्षण, अनुदेशक पाठ्यक्रम, अग्नि शमन तथा भोजन-प्रबंध में प्रशिक्षण

औद्योगिक सुरक्षा में प्रशिक्षण के लिए प्रति वर्ष दो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। बेसिक टीचर ट्रेनिंग भी दी जाती है। अग्निशमन प्रशिक्षण का प्रबंध महानिदेशक सिविल डिफेंस, गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

अफसरों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

(1) एम०बी०ए० पत्राचार पाठ्यक्रम

पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में एम०बी०ए० पत्राचार पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

(2) लघु उद्योग सेवा संस्थान और दिल्ली उत्पादन परिषद्

लघु उद्योग सेवा संस्थान और दिल्ली उत्पादन परिषद् भी सैनिक अफसरों और शिक्षित अन्य रैंकों को प्रबंन्ध के विभिन्न व्यवसायों और औद्योगिक उद्यम में अल्पकालिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण देता है। देश में इस प्रकार का प्रशिक्षण कुछ सीमा तक अन्य केन्द्रों में भी दिया जाता है।

(3) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान निर्यात प्रबंध में सधन प्रशिक्षण देता है।

(4) दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय कार्मिक प्रबंध और औद्योगिक संबंधों में अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाता है।

झांसी छावनी में सफाई कर्मचारियों को सेवा से हटाया जाना

5894. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी छावनी क्षेत्र में लम्बी सेवा वाले हरिजन सफाई कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है और यदि हां, तो उनके नाम एवं संख्या क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन निर्धन बेरोजगार तथा बेसहारा लोगों की सहायता के लिए उन को फिर से रोजगार देने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) झांसी छावनी बोर्ड इस छावनी के सैन्य दलों को स्टेशन कमांडर के साथ एक-एक वर्ष के लिए हुए सफाई समझौते के अनुसार सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराता है । झांसी छावनी बोर्ड ने 28 सफाई कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस दिया है क्योंकि नियंत्रक रक्षा लेखा, सेन्ट्रल कमान ने सफाई समझौते के अन्तर्गत उनको रोजगार देने पर आपत्ति की है । जब यह मामला सरकार के ध्यान में आया तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए कि बिना वैकल्पिक रोजगार के कोई छंटनी नहीं की जाए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत औषधियों के मूल्यों में परिवर्तन

5895. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कम्पनियों द्वारा इंडोमेथासिन, इराईथ्रोमाइसिन, इथाम्बुटोल आदि के लिए घोषित मूल्यों में किस आधार पर परिवर्तन किए गए हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ख) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश की घोषणा के पश्चात् सरकार की अनुमति के बिना निर्माताओं द्वारा कितने मामलों में घोषित मूल्यों में वृद्धि की गई ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1. **इन्डोमैथासिन :** इस बल्क औषध के एकमात्र निर्माता को यह सूचित किया गया था कि वे इस औषध को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा–5 के अन्तर्गत उनके द्वारा घोषित 1400/– रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि निर्माता ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि सी०पी०सी० को इस औषध का वितरण करना चाहिए क्योंकि यह एक सरणीबद्ध औषध थी । निर्माता के अनुरोध पर और उनकी संस्तुति से यह निर्णय किया गया है कि सी०पी०सी० इस औषध का वितरण 672/– रुपये प्रति किलोग्राम के अस्थायी मूल्य पर कर सकती है । जिस मूल्य पर सी०पी०सी० आयातित इन्डोमैथासिन को बेचने के प्राधिकारी हैं । बशर्ते कि मरमेड कैमिकल्स को सी०पी०सी० द्वारा जारी किए गए सप्लाई आर्डर पर सप्लाई की गई मात्रा के लिए बी०आई०सी०पी० द्वारा किए गए लागत अध्ययन के आधार पर निकाले गए मूल्य और 672/– रुपये के अन्तर का भुगतान किया जाए ।

2. **एरिथ्रोमाइसीन स्टीरेट** : औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा– 4 की व्याख्या के अन्तर्गत यह एक आवश्यक बल्क औषध है। डी०पी०सी०ओ० 1970 के पैरा 4 में निहित आवश्यक बल्क औषध के बारे में घोषित मूल्य युक्तिसंगत नहीं है।

3. **इथाम्बुटोल एच० सी० एल०** : जहां तक इथाम्बुटोल एच० सी० एल० का संबंध है, इस औषध के निर्माता मैसर्स थेमिस कैमिकल्स लिमिटेड ने डी०पी०सी०ओ० 1970 के पैरा– 5 के अनुसार 15 जून 1977 को 2151 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य की घोषणा की थी। डी०पी०सी०ओ० 1970 के अन्तर्गत इस मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) सरकार के ध्यान में निम्नलिखित दो मामले आए हैं:—

(i) **अल्कली एन्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड**

मैसर्स अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने 11 जून 1971 को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तम फेनोथियाजाइन (पशु चिकित्सा में प्रयुक्त एक बल्क औषध) के लिए प्रति टन 11878 रुपये के मूल्य की घोषणा की थी। 11 अक्तूबर 1971 को उन्होंने इस बल्क औषध के मूल्य को प्रति टन 14359 रुपये तक बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी और बाद में सरकार की अनुमति मिलने से पहले ही मूल्यों में वृद्धि कर दी थी। इसी प्रकार उन्होंने 7 नवम्बर 1974 को इस बल्क औषध के मूल्य को पुनः प्रति टन 25848 रुपये तक बढ़ाने के लिए सरकार की अनुमति मांगी और अनुमति प्राप्त होने से पहले ही मूल्य में वृद्धि कर दी थी। तथापि कम्पनी के खिलाफ इस संबंध में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं था क्योंकि सरकार ने इस बल्क औषध पर आधारित पशु चिकित्सा संबंधी फार्मूलेशनों के मूल्यों में पहले 29 नवम्बर 1973 को और बाद में 7 फरवरी 1975 को वृद्धि कर दी थी और मूल्यों में ये वृद्धियां बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि पर आधारित थीं।

(ii) **बोरेक्स गोरारती लिमिटेड**

इस कम्पनी ने वर्ष 1974 और 1977 के दौरान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 का उल्लंघन करते हुए सरकार की मंजूरी प्राप्त किए बिना आई० पी०/पी० पी० ग्रेड के बोरेक्स और बोरिक एसिड के मूल्यों में वृद्धि कर दी थी। कम्पनी को 5 दिसम्बर 1977 से बोरेक्स/बोरिक एसिड के उक्त दो ग्रेडों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी। कम्पनी ने वर्ष 1974 और 1977 के दौरान डी०पी०सी०ओ०, 1970 का उल्लंघन करने के बारे में उनको जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उत्तर दे दिया है। उनके उत्तर की विधि विभाग के परामर्श से जांच की जा रही है।

नई औषध नीति में विदेशी/भारतीय कम्पनियों के बीच अन्तर

5896. श्री चतुर्भुज : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषध नीति के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों, 40 प्रतिशत विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियों और बिना विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियों (पूर्णतया भारतीय) के बीच क्या अन्तर है ;

(ख) क्या यह सच है कि नई औषध नीति में पूर्णतया भारतीय कम्पनियों को 40 प्रतिशत विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियों की तुलना में प्रोत्साहन/रियायतें दी गई हैं ; और

(ग) ऐसा किस कारण से किया गया है जबकि हाथी समिति ने स्पष्ट रूप से 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियों और बिना विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों और 26 प्रतिशत तक की विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियों के बीच अन्तर रखने की सिफारिश की थी। इस स्थिति को किस प्रकार से सुधारने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नई औषध नीति के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनी विदेशी कम्पनी मानी जाती है। नई औषध नीति में 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्यपूंजी वाली तथा बिना विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनी जो भी हो के बीच कोई अन्तर नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हाथी समिति का विचार था कि देश में कार्यरत विदेशी उपक्रमों को शीघ्र अपनी साम्यपूंजी को 40 प्रतिशत तक शीघ्र घटाने के लिए तथा आगे और 26 प्रतिशत तक धीरे-धीरे घटाने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिये। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (फीरा) जो सभी उद्योगों जिनमें औषध उद्योग भी शामिल है, को लागू है, के अन्तर्गत केवल उन कम्पनियों को जिनकी विदेशी साम्यपूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है को भारत में अपना काम जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से स्वीकृति लेनी होगी। नई औषध नीति के अन्तर्गत भी विदेशी कम्पनी को परिमाणित करने के लिए इसी प्रकार के मानदण्ड अपनाये जाने का निर्णय लिया गया था।

श्रीलंका को कुछ फिल्मों की बिक्री

5897. श्री राजनारायण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "कसमे वादे" और "महफिल" नामक दो फिल्में श्रीलंका सरकार को बेची हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को कितना लाभ हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) फिल्मों का निर्यात भारतीय चलचित्र निर्यात निगम– एक सरकारी क्षेत्र उद्यम के माध्यम से किया जाता है। एक निजी निर्यातक मैसर्स बम्बई यूनाइटिड ट्रेडर्स और एक निजी निर्माता मैसर्स गीता प्रोडक्शन्स, बम्बई द्वारा श्रीलंका क्षेत्र के लिए श्रीलंका की लंका माता फिल्म के साथ क्रमश: 'कसमे वादे' और 'महफिल' फिल्मों के निर्यात के लिए बिक्री ठेके किए गए हैं। ठेके श्रीलंका की राज्य फिल्म निगम द्वारा की गई स्वीकृति की शर्त पर हैं। निर्यात को मूर्त रूप दिये जाने पर देश को 70,000 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कोयले की सप्लाई

5898. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले की देशव्यापी कमी तथा इसकी सप्लाई में हो रही

चोर बाजारी और अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी डिपो व्यवस्था को समाप्त करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ही कोयले की सप्लाई करने का है ; और

(ख) क्या कोयले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किये जाने से लाखों लोगों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित मूल्यों पर कोयला मिलेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही कोयले का वितरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22

5899. श्री टी० एस० नेगी : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के शिमला-रामपुर सेक्शन की देखभाल में बहुत अधिक उपेक्षा बरती जाती है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्षा के दिनों में सड़क बन्द हो जाती है और गिरे हुए पत्थर आदि को हटाने में काफी समय लग जाता है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छी हालत में रखा जाए ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस सड़क का यह भाग रख-रखाव के लिये दिया गया है। इसकी ठीक से मरम्मत नहीं हुई।

(ख) यह सड़क मानसून के दौरान भूस्खलन के कारण बन्द रहती है जिससे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता है। भूस्खलनों को हटाने की व्यवस्था में सुधार करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

(ग) इस सड़क को सुधारने के लिये किये जाने वाले सक्रिय उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस सड़क का किओंगल से रामपुर और उसके बाद जिओरी तक का भाग सीमा सड़क संगठन को सौंपने के आदेश दे दिये गए हैं। शिमला से किओंगल तक के शेष भाग को भी अपने हाथ में लेने के बारे में राज्य सरकार के साथ पत्रव्यवहार किया जा रहा है।

गुजरात में बिजली विकास संबंधी योजनाएं

5900. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में बिजली विकास के लिए कुल कितने मेगावाट की कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी हैं ;

(ख) प्रत्येक बिजली योजना का नाम और मेगावाट क्षमता कितनी है ; उनमें से प्रत्येक पर कितनी लागत आने का अनुमान है और वे किस-किस तारीख को प्रस्तुत की गई थीं ;

(ग) उनमें से किस-किस बिजली योजना की मंजूरी दी गई है और उस पर कितनी-कितनी राशि खर्च होगी और कौन-कौन-सी योजना अभी तक मंजूर नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) शेष बिजली योजनाओं की मंजूरी कब तक दी जाएगी ; और

(ङ) मार्च 1979 के अन्त में गुजरात की बिजली क्षमता कितने मेगावाट हो जाएगी और छठी योजना के दौरान कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी और इसके लिए केन्द्रीय सरकार किस-किस प्रकार की सहायता देगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) :(क), (ख), (ग) और (घ) गुजरात सरकार/राज्य बिजली बोर्ड ने 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में गुजरात में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे हैं :—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)	अनुमानित लागत लाख रुपए में	प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	उकई ताप विद्युत विस्तार यूनिट-5	1X210	6683	7-7-1977	24-2-78 को अनुमोदित
2.	वानकबोरी ताप विद्युत चरण-2	3X210	20679	14-9-1977	27-6-78 को अनुमोदित
3.	कच्छ में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र	2X55	5650	संशोधित लागत अनुमान 13-3-79 को प्राप्त हुए ।	आवश्यक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए ये स्कीमें
4.	सिक्का में पुरानी और छोटी यूनिटों के लिए ताप विद्युत प्रतिस्थापन परियोजना	1X120	4414	संशोधित लागत अनुमान 13-3-79 को प्राप्त हुए ।	विद्युत प्राधिकरण में जांचने के विभिन्न चरणों में हैं ।
5.	काण्डला में प्रतिस्थापन ताप विद्युत परियोजना	1X60	2200	संशोधित अनुमान 6-8-77 को प्राप्त हुए ।	आवश्यक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए ये स्कीमें केन्द्रीय

1	2	3	4	5	6
6.	गांधीनगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार की तीसरी यूनिट	1X210	6930	8-7-77	विद्युत प्राधिकरण में जांच के विभिन्न चरणों में हैं।
7.	उतराण में पुरानी और छोटी यूनिटों को ताप विद्युत परियोजना से प्रतिस्थापित करना	1X120	3938	22-2-78	

उस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जिसमें इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने की योजना है, क्र० सं० 3 से 7 पर दी गई स्कीमों का अनुमोदन संतोषजनक ढंग से हल किए जा रहे तकनीकी मामलों तथा राज्य की योजना में संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने पर निर्भर करेगा।

(ङ) मार्च 1979 के अन्त में गुजरात में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 2235 मेगावाट है (इसमें तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से प्राप्त होने वाला हिस्सा शामिल है)। 1982-83 तक प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 3380 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है, जिससे 2135 मेगावाट के अनुमानित व्यस्ततम भार की तुलना में अधिकतम 2027 मेगावाट की उपलब्धता की व्यवस्था हो जाएगी।

अनुमोदित विद्युत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए स्रोतों की व्यवस्था राज्य की वार्षिक योजना में की जाती है। योजनागत व्यय को धन प्रदान करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिसद में स्वीकृत फार्मूले के आधार पर की जाती है। विद्युत विकास में राज्य के प्रयासों की आगे अनुपूर्ति करने हेतु, केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे कोरबा स्थित क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्र के 1100 मेगावाट के प्रथम चरण की प्रतिष्ठापना से गुजरात को 187 मेगावाट क्षमता का आबंटन किया गया है।

फेन्टाईल टीकों की कमी

5901. श्री रामजी लाल सुमन : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स थेमिस कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फेन्टाइल टीके दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं और सरकार दिल्ली तथा इसके अन्य क्षेत्रों में इस नारकोटिक पीड़ाहरण करने वाली औषध की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित करेगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स थेमिस कैमिकल्स, बम्बई द्वारा निर्मित फेन्टाईल इन्जेक्शन, फेन्टाईन साइट्रेट का इन्जेक्शन है। यह एक संवेदनमन्दक औषध है और इस औषध को अपने पास रखने तथा

बिक्री करने के लिए खतरनाक औषध अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस अपेक्षित है। दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण विभाग ने सूचित किया है कि थेमिस कैमिकल्स द्वारा अपने वितरकों अर्थात् एसोसिएटिड एजेन्सीज के माध्यम से फेन्टाईल इन्जेक्शन की दिल्ली में पहली बार शुरूआत की जा रही है। वितरकों ने उल्लिखित अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस लेने के लिए आबकारी विभाग को आवेदन-पत्र भेजा है तथा फीस की अदायगी साईट पलान आदि के प्रस्तुतीकरण के बारे में कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने की कमी तक आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। अतः थेमिस केमिकलस के वितरकों द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् यह औषध दिल्ली तथा इसके आस-पास अन्य इलाकों में उपलब्ध हो सकेगी।

लौह अयस्क के निर्यात में कमी

5902. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लौह अयस्क का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है और उसमें से कितने प्रतिशत का उपयोग देश की धमन भट्टियों में किया जा रहा है तथा विदेशों को निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) लौह अयस्क के निर्यात में हुई कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और प्रयास किस सीमा तक सफल हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1975-76 से 1977-78 के दौरान देश में लौह-अयस्क का औसत वार्षिक उत्पादन 425 लाख टन था। इसमें से लगभग 36% लोह-अयस्क का उपयोग देश की धमन भट्टियों में किया गया और लगभग 53% लौह-अयस्क दूसरे देशों को निर्यात किया गया।

(ख) इस्पात उद्योग में विश्व-व्यापी मंदी के कारण इसकी मांग में गिरावट आ गई और निर्यात के लिये लौह-अयस्क की खरीद में कमी हो गई। जापान के इस्पात निर्माताओं और इस्पात का उत्पादन करने वाले अन्य देशों के साथ दीर्घावधि करार करने के बारे में बातचीत चल रही है।

लघु उद्योग निगम गुजरात को इस्पात की सप्लाई

5903. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :**

श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान नियंत्रक ने गुजरात के लिये वर्ष 1978-79 में 82000 मीटरी टन इस्पात लघु उद्योग निगम को सप्लाई करने का आश्वासन दिया था और क्या इसमें से केवल 33000 मीटरी टन इस्पात 1 फरवरी, 1979 तक सप्लाई किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम को शेष 49,000 टन इस्पात की आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ; और

(ग) क्या गुजरात के लघु उद्योग तथा छोटे आकार के कारखाने "राउन्ड" तथा एच० आर० शीटों की अत्याधिक कमी अनुभव कर रहे हैं और क्या निर्माताओं ने 1600 टन बीम, 2500 टन चैनल, 1800 टन एंगिल, 8000 टन प्लेट, 500 टन चैम्ड प्लेटें, तथा 2000 टन एच० आर० शीटें सप्लाई नही की हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और ये कब तक सप्लाई की जायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) इस समय लोहे तथा इस्पात की किसी श्रेणी पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। तथापि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा इस्पात सामग्री की सप्लाई के लिए बनाए गए अन्तिम कार्यक्रम के अनुसार गुजरात लघु उद्योग निगम को वर्ष 1978-79 में 62,383 टन इस्पात दिया जाना था। इसमें से अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि में उत्पादकों ने लगभग 28,284 टन इस्पात सप्लाई किया है तथा 1 मार्च, 1979 को निगम के पास लगभग 3964 टन इस्पात की सप्लाई की पेशकश तथा प्रेषण आदेश पड़े हुए थे।

(ख) तथा (ग) सरकार लघु उद्योग निगमों को इस्पात की सप्लाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर करती है। पिछले कुछ समय से इस्पात की कुछ श्रेणियों की कमी हो गई है तथा इसका प्रभाव देश के विभिन्न भागों, जिनमें गुजरात भी शामिल है, में महसूस किया जा रहा है। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा लघु उद्योग निगमों के लिए बनाए गए कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उत्पादक हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। पता चला है कि जहां तक गुजरात लघु उद्योग निगम का सम्बन्ध है, उस निगम में अक्तूबर, 1978 से नवम्बर, 1978 तक श्रमिक हड़ताल के कारण माल उठाने के काम में बाधा आई थी।

आदिवासी क्षेत्रों में रेडियो सैटों की व्यवस्था

5904. श्री अमरसिंह बी० राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के आदिवासी क्षेत्रों में निशुल्क अथवा रियायती दर पर रेडियो सैटों की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है जिससे वहां लोगों को शिक्षित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छठी योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना को लागू करने के बारे में विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (ग) और (घ) जम्मू तथा कश्मीर के मामले को छोड़कर सामुदायिक श्रवण योजना राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है तथा इस योजना के अन्तर्गत अपने-अपने राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क साहाय्यित रेडियो सैट की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर राज्य सरकारें विचार कर सकती हैं।

गैस सिलेण्डरों के लिए विशिष्ट किस्म के इस्पात का उत्पादन

5905. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र कम दबाव वाले गैस सिलेण्डरों के लिए अब तक आयात किये जा रहे विशिष्ट किस्म के इस्पात का उत्पादन करने के लिए अब पूर्णत: तैयार है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस किस्म के इस्पात की कमी के कारण (जैसा ऊपर कहा गया है) हल्दिया और बरौनी तेल शोधक कारखाने में पैट्रोलियम गैस बड़ी मात्रा में अवशिष्ट के रूप में जलायी जा रही है ; और

(ग) क्या बोकारो, जिसने तरल पैट्रोलियम गैस सिलेण्डर इस्पात (एल०पी०जी०स्टील) का उत्पादन कर लिया है, इस सम्बन्ध में भारतीय तेल निगम की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) हल्दिया अथवा बरौनी के तेल शोधक कारखानों में गैस को अवशिष्ट के रूप में नहीं जलाया जा रहा है । यदि किसी समय कम दबाव वाले गैस-सिलिण्डरों का उत्पादन नहीं होता है तो गैस का उपयोग तेल शोधक कारखाने की भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है अथवा जहां तक सम्भव होता है इसका प्रयोग मोटर गैसोलीन और नैफ्था के लिये किया जाता है ।

(ग) वर्ष 1978-79 में बोकारो इस्पात कारखाने और टिस्को में तरल पैट्रोलियम गैस सिलिण्डर ग्रेड की गर्म बेलित चादरों का उत्पादन तेल शोधक कारखानों के निर्माताओं, जिनमें भारतीय तेल निगम भी शामिल है, की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं था । अत: कमी को पूरा करने के लिए इसका आयात करना आवश्यक हो गया था । लेकिन वर्ष 1979-80 की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए देशीय उत्पादन में (मुख्यत: बोकारो में) वृद्धि करने की योजना बनाई गई है ।

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

5906. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शताब्दी के अन्त तक इस्पात के उत्पादन का मूल लक्ष्य 7 करोड़ 50 लाख (75 मिलियन) टन था ;

(ख) क्या वर्तमान सरकार ने इस लक्ष्य को घटा कर 2 करोड़ 40 लाख (20 मिलियन) टन कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) अभी तक इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक आधार पर कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अतः लक्ष्यों में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मई, 1976 में सभापटल पर रखे गए श्वेत-पत्र में इस बात का संकेत दिया गया था कि अगले 25 वर्षों में विश्व की इस्पात बनाने की क्षमता में 3000 लाख टन की वृद्धि होने की सम्भावना है। अतः विश्व की इस अतिरिक्त क्षमता में हम अपने हिस्से के रूप में लगभग 750 लाख टन क्षमता के अस्थायी लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए सेल को एक 25 वर्षीय योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनः विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की दीर्घावधि योजना अकेले केवल इस्पात क्षेत्र के लिए नहीं बनाई जा सकती और इसे देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए समग्र योजना के साथ जोड़ना होगा।

वर्ष 1978-83 के लिए पंचवर्षीय योजना के मसौद में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1982-83 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 150 लाख टन तक पहुंच जाएगा। लेकिन योजना आयोग द्वारा पुनर्गठित लोह और इस्पात कार्यकारी दल ने यह परिकल्पना की है कि वर्ष 1988-89 तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की इस्पात पिण्ड की उत्पादन क्षमता 206 लाख टन हो जायेगी। विद्युत चाप भट्ठी उद्योग की क्षमता से यह क्षमता और बढ़ जायेगी। विद्युत चाप भट्ठी उद्योग की इस्पात पिण्ड की वर्तमान क्षमता लगभग 31 लाख टन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महेन्द्र एन्ड महेन्द्र ग्रुप की कम्पनियां

5907. श्री नाथू सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महेन्द्र एण्ड महेन्द्र ग्रुप के सदस्यों के नियंत्रण/स्वामित्व के अधीन सभी कम्पनियों के नाम क्या हैं, वे क्या-क्या व्यापार करती हैं, वित्तीय वर्ष 1977-78 अथवा कैलण्डर वर्ष 1978 सहित और उसके पूर्व के गत पांच वर्षों में इन कम्पनियों की आस्तियां क्या-क्या थीं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में किन्न-किन्न वित्तीय संस्थाओं ने कितना-कितना धन लगाया है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में महेन्द्र एण्ड महेन्द्र ग्रुप की शेयर पूंजी का मूल्य क्या है और प्रत्येक कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है; और

(घ) यदि इस ग्रुप की कम्पनियों की आस्तियां सम्बंधी वर्ष 1976 तथा 1977 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जैसा कि 14 मार्च 1978 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2690 के उत्तर में बताया गया था, तो प्रत्येक दोषी कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) वर्तमान औद्योगिक लाइसेन्स नीति और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के संदर्भ में केवल वे कन्पनियां

ही महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा समूह की कम्पनियां मानी जाती हैं जो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जिनको अधिनियम की धारा 20(क) लागू होती है और जो साथ ही या तो (1) औद्योगिक लाइसेन्स निति जांच समिति की सूची में महिन्द्रा जैसे बड़े औद्योगिक घराने की कम्पनी कही गई हैं। (2) या ऐसी कम्पनियों से अन्तः सम्बन्धित हैं। संलग्न विवरण-पत्र 1 इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी के व्यापार को बताता है और साथ ही 1974,1975,1976 और 1977 में प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्तियों का विवरण देता है। अनेक मामलों में 1978 की बैलेन्स शीट पर आधारित परिसम्पत्तियों की सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं आई है और अतएव उसका अध्ययन नहीं हो पाया है।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र-2 इन कम्पनियों के शेयरों में वित्तीय संस्थानों द्वारा 1-2-75 को लगाये गये धन की सूचना देता है। यह 1977 में उनकी बैलेन्स शीट में बताई गई सूचना के अनुसार वित्तीय संस्थानों द्वारा उन्हे दिये गए ऋण की स्थिति भी बताता है।

(ग) संलग्न विवरण-पत्र-3 प्रत्येक कम्पनी की प्रदत्त पूंजी बताता है और महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित साधारण शेयरों और प्रश्न के भाग (क) के ऊतर में कही कम्पनियों के शेयरों का मूल्य बताता है। सूचना 1-2-1975 की है। एक रूप मान से समेकित सूचना समस्त कम्पनियों के बारे में किसी बाद की तारीख पर तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) समस्त मामलों में समस्त कम्पनियों के 1976 के वर्ष की परिसम्पत्तियों के आंकड़े दे दिये गये हैं। जैसा कि भाग (क) के उत्तर में दिये गये विवरण-पत्र 1 में कहा गया है। एक कम्पनी की 1977 की बैलेन्स शीट मिलनी है। बैलेन्स शीट प्राप्त करने में विलम्ब का कारण आवश्यक रूप से यह नहीं है कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैलेन्स शीघ्र दायर नहीं की गई है। कम्पनियों के रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वे बैलेन्स शीट प्राप्त करके भेजें ताकि सूचना तैयार की जा सके।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4242/79]

साराभाई ग्रुप की कम्पनियां

5908. श्री नाथू सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साराभाई ग्रुप के सदस्यों के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण के अधीन सभी कम्पनियों के नाम क्या हैं, ये कम्पनियां किस प्रकार का कारोबार कर रही हैं, वित्तीय वर्ष 1977-78 अथवा कलैण्डर वर्ष 1978 को शामिल करके और उससे पूर्ववर्ती पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी की आस्तियां क्या थीं ;

(ख) इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी में किन-किन वित्तीय संस्थानों की कितनी-कितनी धनराशि लगाई गई है ;

(ग) इन कम्पनियों में से प्रत्येक में साराभाई ग्रुप की शेयर पूंजी कितनी है और इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी में कुल प्रदत पूंजी कितनी है ; और

(घ) यदि वर्ष 1976 और 1977 के लिये इस ग्रुप की कम्पनियों की आस्तियों के आंकड़े अब भी उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि 14 मार्च, 1978 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2690 के उत्तर में बताया गया था, तो प्रत्येक चूककर्ता कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) वर्तमान औद्योगिक लाइसेन्स नीति और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के संदर्भ में केवल वे कम्पनियां ही साराभाई ग्रुप की कम्पनियों में ली जाती हैं जो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जिनको अधिनियम की धारा 20 (क) लागू होता है। साथ ही जो या तो (i) औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति की सूची में साराभाई जैसे बड़े घराने की कम्पनी कही गई हैं (ii) या ऐसी कम्पनियों से अन्त: सम्बन्धित हैं। संलग्न विवरण पत्र-1 इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी का व्यापार बताता है और साथ ही 1974, 1975, 1976 और 1977 में प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्तियों का विवरण देता है। कई मामलों में 1978 का तुलन-पत्र पर आधारित परिसम्पत्तियों की सूचना अभी सरकार के पास नहीं आई है और अतएव उसका अध्ययन नहीं हो पाया है।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र-2 प्रश्न में कही कम्पनियों से 1-2-75 को वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाये गये धन का विवरण देता है। साथ ही 1977 में उनका तुलन-पत्र में बताई गई सूचना के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा उन्हें दिये गये ऋण की सूचना भी देता है।

(ग) संलग्न विवरण-पत्र-3 प्रत्येक कम्पनी की प्रदत्त पूंजी बताता है। और साराभाई परिवार से सम्बन्ध रखते प्रतीत होते हुए प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित शेयरों का मूल्य बताता है। इसमें वे कम्पनियां भी शमिल हैं जो प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में कही गई हैं। सूचना 1-2-75 की है। किसी परवर्ती तारीख पर समस्त कम्पनियों के बारे में एक रूप भाव से समेकित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) 1976 के बारे में समस्त कम्पनियों ने समस्त मामलों में परिसम्पत्तियों के आंकड़े दे दिये हैं, 1977 के बारे में एक कम्पनी का तुलन-पत्र । जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, अभी प्राप्त नहीं हो सका है। तुलन-पत्र के प्राप्त होने में विलम्ब का कारण आवश्यक रूप से यह नहीं है कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तुलन-पत्र दायर नहीं किया गया है। कम्पनियों के रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वे तुलन-पत्र प्राप्त करके भेजें ताकि सूचना तैयार की जा सके।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4243/79]

कस्तूरभाई तथा लालभाई ग्रुप की कम्पनियां

5909. श्री नाथू सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कस्तूरभाई तथा लालभाई ग्रुप के सदस्यों के नियन्त्रणाधीन/स्वामित्वाधीन सभी कम्पनियों के नाम क्या हैं, वे क्या-क्या व्यापार करती हैं, वित्त वर्ष 1977-78 अथवा कैलेन्डर वर्ष

1978 से पूर्व तथा उसके सहित गत पांच वर्षों के दौरान इन कम्पनियों की आस्तियां क्या-क्या रहीं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में किन-किन वित्तीय संस्थाओं ने कितना-कितना धन लगाया है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में कस्तूरभाई तथा लालभाई ग्रुप की शेयर पूंजी का मूल्य क्या है और प्रत्येक कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है ; और

(घ) यदि इस ग्रुप की कम्पनियों की आस्तियों सम्बन्धी वर्ष 1976 तथा 1977 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जैसा कि 14 मार्च 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2690 के उत्तर बताया गया था, तो प्रत्येक दोषी कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) वर्तमान औद्योगिक लाइसेन्स नीति और एकाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के सन्दर्भ में केवल वे कम्पनियां ही कस्तूरभाई तथा लालभाई समूह की कम्पनियां मानी जाती हैं जो एकाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जिन को अधिनियम की धारा 20 (क) लागू होती है और जो साथ ही (i) औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच की सूची में कस्तूरभाई तथा लालभाई जैसे बड़े औद्योगिक घराने की कम्पनी कही गई हैं। (ii) या ऐसी कम्पनियां जो अन्त: सम्बन्धित हैं। संलग्न विवरण-पत्र इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी के व्यापार को बताता है और साथ ही 1974, 1975, 1976 और 1977 में प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्तियों का विवरण देता है। अनेक मामलों में 1978 की बैलेंसशीट पर आधारित परिसम्पत्तियों की सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं आई है और अतएव उसका अध्ययन नहीं हो पाया है।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र 2 इन कम्पनियों के शेयरों में वित्तीय संस्थानों द्वारा 1-2-75 को लगाये गये धन की सूचना देता है। यह 1977 में उनकी बैलेन्स शीट में बताई गई सूचना के अनुरूप वित्तीय संस्थानों द्वारा उन्हें दिये गए ऋण की स्थिति भी बताता है।

(ग) संलग्न विवरण-पत्र-3 प्रत्येक कम्पनी की प्रदत्त पूंजी बताता है और कस्तूरभाई तथा लालभाई परिवार के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित साम्य शेयरों और प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कही कम्पनियों के शेयरों का मूल्य बताता है। सूचना 1-2-1975 की है। एकरूप मान से संकेतित सूचना समस्त कम्पनियों के बारे में किसी बाद की तारीख पर तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) समस्त मामलों में समस्त कम्पनियों के 1976 के वर्ष की परिसम्पत्तियों के आंकड़े दे दिये गये है। जैसा कि भाग (क) के उत्तर में दिये गये विवरण-पत्र-I में कहा गया है। एक कम्पनी की 1977 की बैलेंस शीट मिलनी है। बैलेंस शीट प्राप्त करने में विलम्ब का आवश्यक रूप से यह कारण नहीं है कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैलेंस शीट दायर नहीं की गई है। कम्पनियों के रजिस्ट्रर से कहा गया है कि वे बैलेंस शीट प्राप्त करके भेजें ताकि सूचना तैयार की जा सके

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4244/79]

सरकारी क्षेत्र में गुजरात पैट्रो-रसायन कम्पनी स्थापित करने की स्वीकृति

5910. श्री छीतू भाई गामित : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र गुजरात में पैट्रोलियम रसायन कम्पनी स्थापित करने के लिये लाइसेंस की मंजूरी देने हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये आशय-पत्र कब तक जारी किया जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) राज्य सरकार के आंशिक स्वामित्व वाले निगम द्वारा एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए गुजरात सरकार से सरकार को एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) दिनांक 28-2-1979 को ही प्राप्त पैट्रो-रसायन पर गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार का निर्णय लेने के बाद ही आशय पत्र जारी करने का प्रश्न उठेगा ।

छठी योजना अवधि के दौरान गुजरात में बिजली की मांग

5911. श्री छीतू भाई गामित : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना-अवधि के दौरान गुजरात राज्य में कुल कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी और उक्त अवधि के दौरान उसका कुल कितना उत्पादन होगा ;

(ख) क्या इस बारे में गुजरात सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इस पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) इस बारे में सभी योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा मूल्यांकित 1982-83 के अन्त में गुजरात में ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की उपलब्धता, व्यस्ततमकालीन भार तथा व्यस्ततमकालीन उपलब्धता नीचे दी जाती है :—

1. ऊर्जा की आवश्यकता—मिलियन यूनिट	11972
2. ऊर्जा की उपलब्धता—मिलियन यूनिट	13142
3. व्यस्ततमकालीन भार – मेगावाट	2135
4. व्यस्ततमकालीन उपलब्धता—मेगावाट	2027

(ख) से (घ) गुजरात सरकार/राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पंचवर्षीय योजना 1978-83 में गुजरात में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट में	अनुमानित लागत लाख रुपयों में	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
1.	कच्छ में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र	2X55	5650	13-3-79
2.	सिक्का में पुरानी और छोटी यूनिटों के लिए प्रतिस्थापन ताप-विद्युत परियोजना	1X120	4414	13-3-79
3.	काण्डला में प्रतिस्थापन ताप विद्युत परियोजना	1X60	2200	6-8-77
4.	गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार की तीसरी यूनिट	1X210	6930	8-7-77
5.	उतराण में पुरानी और छोटी यूनिटों के लिए प्रतिस्थापन ताप विद्युत परियोजना	1X120	3938	22-2-78

आवश्यक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए ये स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच के विभिन्न चरणों में हैं ।

सौराष्ट्र को ताप्ती गैस की सप्लाई और पाइपलाइन का डाला जाना

5912. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप्ती फील्ड गैस को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ले जाने के लिए नई पाइपलाइन मंजूर करने के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इस प्रकार से की गई मांग का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्ताव को कब और कैसे मंजूर किया जायेगा ;

(घ) क्या ताप्ती फील्ड गैस को विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जायेगा ; और

(ङ) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए बम्बई हाई के अलावा प्रस्तावित नई पाइपलाइन की लम्बाई और चौड़ाई कितनी होगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1978 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा हमें भेजे गये पत्रों में सामान्यतया यह उल्लेख किया गया था कि ज्योंही ताप्ती गैस क्षेत्र की स्थापना हो जाती है, सौराष्ट्र में विद्युत उत्पादन आदि के उपयोग के लिए उस गैस को सौराष्ट्र में एक स्थान तक पाइप द्वारा पहुंचाने के लिए कदम उठाये जायं। परन्तु ताप्ती गैस के उपयोग का प्रश्न अभी अपरिपक्व है क्योंकि ताप्ती गैस के समुपयोजन तथा परिवहन के बारे में कोई निर्णय उत्तर ताप्ती तथा दक्षिण ताप्ती संरचनाओं में पूर्णरूप से मूल्यांकन करने तथा वाणिज्यिक रूप से घोषित करने के बाद ही संभव हो सकेगा ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर में सूचना दे दी गई है ।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में जूनागढ़ के कुटियाना तालुक के गांवों का विद्युतीकरण

5913. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में, जूनागढ़ जिले की कुटियाना तालुक पंचायत के अध्यक्ष ने 14 अगस्त, 1978 को मुख्य इंजीनियर, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली तथा उनके मंत्रालय को कुटियाना तालुक में गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक आवेदन पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गयी थीं ;

(ग) उनमें से कितनी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं अथवा स्वीकार कर लेने का विचार है ;

(घ) उन गांवों में बिजली कब सप्लाई की जायेगी ; और

(ङ) कुटियाना तालुक में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और कितने को विद्युतीकरण किया जाना है और शेष गांवों को कब तक विद्युतीकरण कर दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) न तो ग्राम विद्युतीकरण निगम में और न ही विद्युत विभाग में अध्यक्ष, कुटियाना तालुक पंचायत, कुटियाना से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। तथापि, गुजरात में जूनागढ़ जिले के कुटियाना तालुक में 13 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने और पहले से ही विद्युतीकृत 24 गांवों में और सघन विद्युतीकरण करने के लिए एक स्कीम गुजरात बिजली बोर्ड ने फरवरी, 1978 में निगम को भेजी थी। निगम ने मार्च, 1978 में यह स्कीम अनुमोदित कर दी थी। इसे 1979-80 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ङ) कुटियाना तालुक में 46 गांव हैं। 30 गांव पहले ही विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। मार्च 1980 तक 11 और गांवों को विद्युतीकृत कर दिये जाने की उम्मीद है। शेष 5 गांवों के विद्युतीकरण पर बाद में विचार किया जाएगा जो अपेक्षित धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विचारण में होने वाले विलम्ब में कमी करने के लिए विधि आयोग की सिफारिशें

5914. श्री ए० आर० बन्नीनारायण :

श्री निहार लास्कर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि न्यायालयों में विचारण में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए ;

(ख) क्या आयोग ने विचारण में होने वाले विलम्ब को कम करने और न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या तथा कारागारों में ऐसे लोगों की संख्या जिनका विचारण हो रहा है, कम करने के संबंध में, कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ग) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ङ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में विचारण न्यायालयों में विलम्ब और बकाया मामलों को कम करने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है। विधि आयोग ने अपनी 78वीं रिपोर्ट में विचाराधीन बन्दियों की कारागारों में बहुत अधिक संख्या की समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं।

(ग) विधि आयोग की 77वीं रिपोर्ट और 78वीं रिपोर्ट में दी हुई कुछ मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में बताई गई हैं। ये रिपोर्टें संसद् के पटल पर 27 फरवरी, 1979 को रख दी गई थीं।

(घ) और (ङ) विधि आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

विवरण

विधि आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है : —

77वीं रिपोर्ट, 1978

(1) यदि किसी सिविल मामले में उसे रजिस्टर किए जाने की तारीख से उसमें निर्णय सुनाए जाने की तारीख तक एक वर्ष का समय बीत जाता है तो ऐसे सिबिल मामले को पुराना सिविल मामला समझा जाना चाहिए। यह बात सिविल वादों और विशेष अधिनियमों के अधीन मामलों को भी लागू होती है।

(2) आपराधिक मामला छः मास की अवधि के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। सेशन विचारण की दिशा में उक्त अवधि में ऐसी अवधि भी सम्मिलित होनी चाहिए जिसमें सुपुर्दगी की कार्यवाही लम्बित रही है।

(3) वादपत्र की संवीक्षा में (वादपत्र दाखिल करने और वाद रजिस्टर किए जाने के बीच) एक सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

(4) वादपत्र के साथ वादपत्र की प्रतियों के अतिरिक्त समन के आवश्यक प्ररूप भी, जिनमें तारीख को छोड़कर आवश्यक विशिष्टियां सम्यक रूप से भरी गई हों, वादी द्वारा फाइल किये जाने चाहिए, जिससे कि समन के प्ररूपों को तैयार करने में अभी जो समय लगता है वह बच सके।

(5) आदेशिका तामील करने वाले व्यक्तियों के काम का उचित प्रशासनिक पर्यवेक्षण होना चाहिए। यदि आवश्यक है तो उनके वेतनमान का यथोचित रूप से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

(6) न्यायालय-डायरी के नियंत्रण का और तारीखें नियत करने का काम पीठासीन अधिकारियों को ही करना चाहिए और वह काम पेशकार पर नहीं छोड़ना चाहिए।

(7) किसी भी न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या के लिए कोई मानक होना चाहिए। जब कभी इस बात का संकेत मिले कि मामलों की संख्या उस मानक से अधिक हो गई है तब अतिरिक्त न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।

(8) जब पतिपरीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो अनावश्यक हैं, तंग करने वाले हैं या अपमानजनक हैं तब विचारण न्यायाधीश को चाहिए कि वह उनको नियंत्रित करे।

(9) जहां तक सम्भव हो, सम्पूर्ण साक्ष्य एक ही बार में अभिलिखित कर लिया जाना चाहिए।

(10) सिविल प्रक्रिया संहिता के यथासंशोधित आदेश 17 के उपबन्धों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि मामलों का अनावश्यक स्थगन रोका जा सके।

(11) बहस साक्ष्य के समाप्त होने के शीघ्र पश्चात् सुनी जानी चाहिए। आम अनुभव यह है कि इस प्रकार सुनी गई बहस में उस बहस की तुलना में बहुत कम समय लगता है जो एक लम्बे अन्तराल के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है।

(12) जहां तक उस समय का संबंध है जिसके भीतर निर्णय सुना दिया जाना चाहिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 के नियम 1 का अनुपालन किया जाना चाहिए। निर्णय सुनाए जाने और डिग्री तैयार करने के बीच अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 के नियम 6क में प्रसामान्य अन्तराल 15 दिन का रखा गया है।

(13) एक तरीका जो न्यायालयों को मामलों के भारी बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए अपनाया जा सकता है, वह सिविल मामलों में सुलह की पद्धति अपनाना है। यह पद्धति जापान और नार्वे में प्रवृत्त है। पहले यह पद्धति फ्रांस में भी लागू थी। कुछ वर्ष पूर्व वहां इसे समाप्त कर दिया गया था किन्तु अब वह कुछ सीमा तक फिर से लागू कर दी गई है. यह पद्धति कुछ मामलों के लिये पाकिस्तान में भी लागू है।

(14) एक ऐसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के सुझाव पर, जिसमें रैंक और वेतनमान वहीं हों जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के हैं, गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से जो लाभ होंगे वे उन असुविधाओं की तुलना में बहुत अधिक होंगे जिनकी कल्पना की जा रही है।

(15) जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समय-समय पर निरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। निरीक्षण में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी के काम करने के ढंग में सुधार हो। प्रत्येक जिले में न्यायालयों के निरीक्षण के लिए एक पृथक् न्यायाधीश प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

(16) न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने में बहुत अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

(17) बहुत अधिक संख्या में बकाया मामलों को निपटाने के लिए ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की जानी चाहिए जो अपनी ईमानदारी, दक्षता और मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे अधिकारियों को उच्च न्यायालय की सिफारिश पर ही नियुक्त किया जाना चाहिए।

पुराने मामलों को निपटाने के लिए सेवा-निवृत्त न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने के अतिरिक्त, बार के उन उदीयमान युवा सदस्यों में से विशेष भर्ती भी की जा सकती है, जिन्होंने कम से कम सात वर्ष तक वकालत की हो। बार के इन सदस्यों को उच्चत्तर प्रारंभिक वेतन दिया जाना आवश्यक होगा और यदि उनका काम संतोषजनक रहता है तो उन्हें जिला और सेशन न्यायाधीश या अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में सेवा में अन्ततः सम्मिलित करना होगा।

कुछ सेवारत न्यायिक अधिकारियों से भी यह कहा जा सकता है कि वे अनन्य रूप से पुराने मामलों के संबंध में कार्यवाही करें।

अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि लगभग तीन वर्ष की अवधि के भीतर सभी बकाया मामलों को निपटाना संभव हो सके।

(18) विशेष अधिनियमों के अधीन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो अपनी प्रकृति से ही अर्जेन्ट होते हैं और उनको शीघ्र निपटाने की आवश्यकता होती है, उदाहरणार्थ---विवाह संबंधी मामले, बेदखली के मामले, मोटर-दुर्घटना दावा-अधिकरणों के समक्ष फाइल किए गए मामले, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन मामले। अतः यह आवश्यक है कि उक्त प्रकार के मामलों पर तत्परता से ध्यान दिया जाए।

(19) डिक्रियों के निष्पादन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

(20) आपराधिक मामलों में समय बीतने के साथ-साथ कुछ आवश्यक बातों के संबंध में स्मरण शक्ति के कमजोर हो जाने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है और इस बात की भी सम्भावना होती है कि महत्वपूर्ण साक्षी अनुचित दबाव से प्रभावित हो जाएं और अपनी तरफ मिला लिए जाएं। ऐसा तब होता है जबकि वास्तविक घटना और न्यायालय में अभिसाक्ष्य अभिलिखित किए जाने की तारीख के बीच लम्बा फासला होता है। इस दृष्टि से यह अत्यन्त

आवश्यक है कि आपराधिक मामलों के निपटारे में होने वाले विलम्ब को यथासम्भव समाप्त कर दिया जाए ।

(21) प्रत्येक दाण्डिक न्यायालय को एक ऐसा रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें यह दर्शित हो कि किसी तारीख पर कितने साक्षी समन किए गए, कितने साक्षियों की परीक्षा की गई, कितने साक्षियों को वापस भेज दिया गया और उन साक्षियों की परीक्षा किए बिना वापस भेजने के कारण क्या थे ।

(22) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 326 सेशन न्यायालयों को भी लागू की जानी चाहिए जिससे कि कोई सेशन न्यायाधीश अपने पूर्वाधिकारी द्वारा भागतः या पूर्णतः अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्य कर सके ।

(23) प्रत्येक पुलिस थाने पर कम से कम दो पुलिस अधिकारी उस पुलिस थाने से संबंधित मामलों के लिए साक्षियों पर समन की तामील कराने के लिए और सुनवाई की तारीख पर उन साक्षियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अलग रखे जाने चाहिए।

(24) बहुधा पुलिस एक ही तारीख पर सभी सामग्री/साक्षी जानबूझकर पेश नहीं करती है । यह परिपाटी अनुचित है और दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप विचारण का समय भी बढ़ जाता है ।

(25) पुलिस थाने के जो अधिकारी अन्वेषण कार्य से संबंधित हैं उन्हें चाहिए कि वे अन्वेषण कार्य पर ही पूरा ध्यान दें । जहां तक सम्भव हो उन्हें किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए ।

(26) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 130 (1) में यातायात संबंधी कुछ अपराधों के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध है जिसके अधीन अभियुक्त व्यक्ति डाक द्वारा यह सूचित कर सकता है कि वह उस आरोप का दोषी है जो उस पर लगाया गया है और वह विनिर्दिष्ट जुर्माना भेज सकता है । पेशेवर चालकों से भिन्न व्यक्तियों की दशा में कुछ छोटे विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए यह व्यवस्था है कि पुलिस जन द्वारा दिए गए टिकट में विभिन्न प्रकार के यानों की बाबत विभिन्न प्रवर्ग के यातायात संबंधी अपराधों के लिए जुर्माने की रकमें भी अलग-अलग दी गई हों जिससे कि यदि विधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति चाहे तो वह अपने दोष को स्वीकार कर सके और सुनवाई की तारीख से पूर्व संबंधित न्यायालय को जुर्माने की रकम भी भेज सके ।

(27) ऐसे मामलों के निपटारे में, जिनमें अभियुक्तों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए विलम्ब होता है कि कोई एक अभियुक्त सुनवाई की तारीख पर उपस्थित नहीं होता है । ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में विचारण न्यायालय को चाहिए कि वह इस बात का निदेश दे कि अनुपस्थित अभियुक्त का प्रतिनिधित्व काउन्सैल द्वारा किया जाए ।

(28) आरोप विरचित करने के कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए विचारण मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वह आरोप विरचित करने का कार्य अभियोजक पर न छोड़े ।

(29) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने में मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी साक्ष्य जो अपराध में फंसाने वाले हों, अभियुक्त के सामने रखे जाएं।

(30) ऐसे मामलों को जिनमें मृत्यु दण्ड की सम्भावना है अन्य सभी मामलों की तुलना में पूर्विकता दी जानी चाहिए।

(31) जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों में साक्ष्य प्रसामान्यतः टाइप किया जाना चाहिए जिससे कि साक्ष्य की कार्बन प्रतियां पक्षकारों को तुरन्त दी जा सकें।

(32) शपथ पर मिथ्या कथनों और शपथपत्रों में मिथ्या प्रकथनों को बर्दाशित नहीं किया जाना चाहिए। जब कभी किसी मामले के संबंध में उसका मिथ्या होना प्रकट हो जाए तब अपराधी के विरुद्ध विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

साधारण सुझाव

(33) न्यायिक सेवाओं की ओर प्रतिभावान युवा व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की बाबत वेतनमान और अन्य सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे जीवन निर्वाह का एक अच्छा स्तर प्राप्त हो सकता हो।

(34) न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों में जिन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उन्हें उनका मुकाबला कर सकने के योग्य बनाने के लिए भी न्यायिक अधिकारियों के लिए, इससे पूर्व कि वे अपना कार्य आरम्भ करें, एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए।

(35) उपयुक्त न्यायालय कक्षा की व्यवस्था होना चाहिए जिनमें उचित सुविधाएं और पर्याप्त स्थान हो। ये न्यायालय कक्ष उचित रूप से सुसज्जित होने चाहिए और इनमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बार-कक्ष और मुकदमे के पक्षकारों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

(36) न्यायिक अधिकारियों को निवास स्थान देना बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक अधिकारियों के लिए पर्याप्त संख्या में रिहायशी मकान होने चाहिए जो जिला न्यायाधीश के व्ययनाधीन हों और जिनका आवंटन भी जिला न्यायाधीश ही करे।

(37) न्यायिक अधिकारियों को न्यायालय तक ले जाने के लिए और वहां से उन्हें वापस उनके घर तक पहुंचाने के लिए बड़े नगरों में तीन या चार मोटर गाड़ियां जिला न्यायाधीश के व्ययनाधीन होनी चाहिए जिनका आबंटन भी जिला न्यायाधीश ही करे।

(38) ऐसे सभी विषयों में जिनमें किसी अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण फाइल किया जाता है, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण का निपटारा उचित समय के भीतर कर दिया जाए।

(39) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्तर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण में निर्णय के दस दिन के भीतर विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेज दिया

जाए । यदि कोई मामला अपील आदि किये जाने पर विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो यही तरीका अपनाया जाना चाहिए ।

(40) बोलकर निर्णय लिखाने के लिये न्यायिक अधिकारियों को आशुलिपिक दिए जाने चाहिए ।

(41) निर्णयों और अभिसाक्ष्यों की प्रतियां देने में बहुत विलम्ब होता है । यदि टाइप करने की बजाय यह काम यांत्रिक या इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया द्वारा किया जाए तो यह विलम्ब कम किया जा सकता है ।

(42) प्रकीर्ण आवेदनों का निपटारा सूचना दिए जाने के तुरन्त पश्चात् कर दिया जाना चाहिए । उन पर जो आदेश दिए जाएं वे अनुचित रूप से लम्बे या विस्तृत नहीं होने चाहिएं ।

(43) समय पर न्यायालय में न पहुंचने वाले न्यायिक अधिकारी न्यायपालिका को बदनाम करते हैं । समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिला न्यायाधीश विभिन्न न्यायालयों का अचानक निरीक्षण किया करें ।

विधि आयोग की 78वीं रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है :—

1. भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य विधियों के अधीन ऐसे कुछ अपराधों को जो इस समय अजमानतीय हैं, जमानतीय बना लिया जाना चाहिए । तदनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूचि में संशोधन किया जाना चाहिए ।

2. जहां तक जमानतीय अपराधों का संबंध है, यह उपबन्ध करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 (1) में संशोधन किया जाना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पश्चात् एक मास की अवधि बीत चुकी है तो प्रतिभूओं के बिना बंधपत्र पर उसको निर्मोचित कर दिया जाए ।

3. जहां तक अजमानतीय अपराधों का संबंध है, अधिकारी को या न्यायालय को यह विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को प्रतिभूओं के बिना बंधपत्र पर निर्मोचित कर सके । इस प्रयोजन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 (1) में किया जाना चाहिए ।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 395(3) और धारा 439(1)(क) में प्रतिभूओं के बिना बंधपत्र पर निर्मोचित करने की शक्ति का स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया जाना चाहिए ।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इस आशय का एक उपबन्ध अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए कि जमानत पर निर्मोचित व्यक्ति हाजिर होने और अभिरक्षा में अपने को अभ्यर्पित करने के लिए आबद्ध होगा ।

6. भारतीय दण्ड संहिता में एक नया अपराध सृजित करने वाला यह उपबन्ध अन्तः स्थापित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार जिस बाध्यता का वचनबन्ध किया गया है उसके उल्लघंन के लिए दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा। सृजित किया जाने वाला नया अपराध संजेय, जमानतीय तथा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में यथोचित संशोधन किया जाना चाहिए।

टेलीविजन स्टूडियो के उचित कार्यकरण के लिए कर्मचारी

5915. **श्री दयाराम शाक्य:**

श्री हुकम चन्द कछवाय:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन केन्द्र के उचित कार्यकरण के लिए तथा उपयुक्त कार्यक्रम देने और इंजिनियरिंग सैलों की देख-भाल करने के लिए प्रत्येक स्टूडियो में पृथक्-पृथक् कितने-कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) क्या सभी टेलीविजन केन्द्रों में दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और यदि नहीं, तो किन-किन टेलीविजन केन्द्रों में उन कर्मचारियों की संख्या कम है तथा तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वर्तमान टेलीविजन कार्यक्रम न तो पूरी तरह मनोरंजक ही है और न ही शिक्षाप्रद तथा इसके क्या कारण हैं और उन्हें अधिक सफल बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र में कितने स्टाफ की आवश्यकता है यह स्टाफ कार्यक्रम की बचनबद्धताओं, स्टूडियो और तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता और अन्य ओपरेशनल-तत्व जैसी बातों पर निर्भर करता है। अतः कर्मचारियों की संख्या केन्द्र-केन्द्र में भिन्न होती है। दूरदर्शन केन्द्रों (रिले केन्द्रों, पोस्टसाइट ट्रांसमिशन केन्द्र और बेस प्रोडक्शन यूनिट के अलावा) के लिए वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा रखे गये स्टाफिंग मानकों के अनुसार कुछ श्रेणियों में स्टाफ की कमी है और कतिपय अन्यों में अतिरिक्त स्टाफ है। (इन मानकों के अनुसार दूरदर्शन के मुख्य सात केन्द्रों में विद्यमान कर्मचारियों की संख्या और अतिरिक्त स्टाफ या स्टाफ की कमी की प्रतिशतता संलग्न बिवरण में दी गई है। दूरर्दशन के मुख्य केन्द्रों में ग्रुप 'ए' के पदों के संबंध में स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों को पहले कार्यान्वित किया जा चुका है। अन्य श्रेणियों के संबंध में सिफारिशें शीघ्र कार्तान्वित की जाएंगी)।

(ग) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रम में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले तत्व होते हैं।

विवरण

दुरदर्शन केन्द्रों मे विद्यमान स्वीकृत स्टाफ तथा उसमें कितनी कमी है/कितना अतिरिक्त स्टाफ है।

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	प्रग्रेाम प्रोडक्शन		इंजीनियरिंग		प्रशासनकि और अन्य विविध स्टाफ	
		विद्यमान	कमी (—) अतिरिक्त (+) %	विद्यमान	कमी (—) अतिरिक्त (+) %	विद्यमान	कमी (—) अतिरिक्त (+) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	280	(—)5%	107	(—)25.2%	139	(—)7.2%
2.	-तथैव- बम्बई	245	(—)3.3%	115	(—)9.5%	130	(—)23.8%
3.	-तथैव- श्रीनगर	191	(—)28.2%	109	(—)22.01%	131	(—)30.5%
4	-तथैव- मद्रास	189	(—)20.1%	85	(—)37.6%	107	(—)53.2%
5.	-तथैव- कलकत्ता	156	(—)6%	85	(+)18.8%	111	(—)12.6%
6.	-तथैव- अमृतसर	138	(—)31.8%	37	(—)59.4%	73	(—)67.1%
7.	-तथैव- लखनऊ	157	(+)10.1%	81	(+)24.6%	107	(—)6.5%

टेलीविजन केन्द्रों के लिए सुविधाएं

5916. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन केन्द्रों के उचित संचालन के लिये किन बातों को ध्यान में रखना होता है;

(ख) देश में कितने टेलीविजन केन्द्र हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं और क्या इन सभी स्टूडियो में सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो किन सुविधाओं की कमी है ; और

(ग) सरकार द्वारा टेलीविजन स्टूडियो की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके लिए 1979-80 में कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) टेलीविजन केन्द्रों के उचित संचालन के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं, कर्मचारियों, भवनों आदि की आवश्यकता होती है जो उस केन्द्र के लिए नियोजित कार्यक्रमों की मात्रा और स्वरूप के अनुरूप हो।

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या और उनके स्थान निम्न प्रकार से है :—

केन्द्र (स्टूडियो और ट्रांसमीटर)

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. श्रीनगर
4. कलकत्ता
5. मद्रास
6. लखनऊ
7. अमृतसर

ट्रांसमिटिंग केन्द्र :

8. हैदराबाद (बेस प्रोडक्शन यूनिट के साथ)
9. जयपुर
10. रायपुर
11. गुलबर्ग
12. सम्बलपुर (कटक में स्टूडियो के साथ)
13. मुजफ्फरपुर
14. पिज (अहमदाबाद में एस० ए० सी० में स्टूडियो के साथ)

रिले केन्द्र :

15. पुणे
16. मसूरी
17. कानपुर

बेस प्रोडक्शन सेंटर :

1. कटक (सम्बलपुर ट्रांसमीटर के लिए)
2. दिल्ली (जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर ट्रांसमीटरों के लिए)
3. हैदराबाद (हैदराबाद और गुलबर्ग ट्रांसमीटर के लिए)

स्टूडियो के पास कार्यक्रम की आवश्यकताओं का निर्वाह करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं। संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार विद्यमान सुविधाओं के सुधार/वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रायपुर, गुलबर्ग और मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। बेस प्रोडक्शन सेंटर को दिल्ली से जयपुर और हैदराबाद के बेस प्रोडक्शन सेंटर को स्थायी भवनों में ले जाने का भी प्रस्ताव है। 1979-80 की वार्षिक योजना में योजना आयोग द्वारा इन योजनाओं के लिए 55 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकार कर लिया गया है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च की गई राशि

5917. श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को 1972 में अपने नियंत्रण में लिये जाने के बाद से उसको पुनर्जीवित करने के लिए कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या संयंत्र ने उत्पादन में वांछित वृद्धि प्राप्त कर ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) अब तक सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० की संयंत्र पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण और पूंजीगत योजनाओं पर, जो अभी चल रही है, कुल 103.47 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ।

(ख) और (ग) जुलाई, 1972 में कम्पनी के प्रबन्ध अधिग्रहण से लेकर कम्पनी के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है । विक्रय इस्पात की क्षमता का उपयोग, जो वर्ष 1972-73 में लगभग 43% था, वर्ष 1978-79 में लगभग 63% तक पहुंच गया है । लेकिन, निस्सन्देह उत्पादन में सुधार की और गुंजाइश है क्योंकि वर्ष 1977-78 और 1978-79 में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से क्रमशः 25.6 तथा 19.8 प्रतिशत कम रहा है । कम्पनी के कुछ क्षेत्रों में अप्रचलित प्रोद्यौगिकी के उपयोग, धमन-भट्टियों के परिचालन के अनिश्चित मानदण्डों तथा इस्पात बनाने के लिए तप्त धातु तथा स्लेय-लैडल्स की उपलब्धि में कमी, बेसेमर-परिवर्तनों तथा खुले मुंह की भट्टियों की कम उपलब्धि, मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने, दामोदर घाटी निगम से मिलने वाली बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध आदि जैसे मुख्य कारण क्षमता के अधिक उपयोग में बाधक रहे हैं ।

गुजरात में कीट्नाशी औषधियों की खपत

5918. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कीटनाशी औषधियों की कुल कितनी वार्षिक खपत होती है ;

(ख) गुजरात में कीटनाशी औषधियों का निर्माण करने वाले कितने संयंत्र काम कर रहे हैं और कितने संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनमें से कितने संयंत्र चालू हो गए हैं और कितने संयंत्र सरकारी क्षेत्र में हैं और कितने संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भी कितने संयंत्र चालू नहीं हुए हैं ;

(ग) कीटनाशी औषधियों का निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में कितने लाइसेंसों की मांग की गई है और इसके लिए कितने लाइससें जारी किए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गुजरात में फसल सुरक्षा के लिये 1978-79 के दौरान 5000 मी० टन पेस्टीसाइडस की खपत होने की आशा है ।

(ख) संगठित क्षेत्र में आधारभूत स्तर से पेस्टीसाइडस का निर्माण करने के लिए गुजरात राज्य में इस समय 12 संयंत्र अपने औद्योगिक लाइसेंसों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य में तकनीकी श्रेणी के पेस्टीसाइडस संयंत्रों की स्थापना के लिये 5 औद्योगिक लाइसेंस तथा 6 आशय पत्र दिये गये हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव्ज (इफको), जोकि सहकारी क्षेत्र में है, को छोड़कर पहले से ही कार्यरत सभी संयंत्र तथा स्थापित किये जा रहे संयंत्र प्राइवेट क्षेत्र में हैं ।

(ग) सहकारी क्षेत्र में मेलेथियोन के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु केवल मैसर्स आई० एफ० एफ० सी० ओ० ने आवेदन किया है। उनके पहले ही एक आशय पत्र जारी किया जा चुका है जिसको उनके द्वारा शर्तों को पूरा किये जाने पर औद्योगिक लाइसेंस में बदला जायेगा ।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिये आवेदनों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है ।

सिक्किम प्रजातंत्र कांग्रेस से ज्ञापन

5919. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम प्रजातंत्र कांग्रेस ने विधान सभा के आगामी निर्वाचनों से पूर्व मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के बारे में कोई ज्ञापन निर्वाचन आयोग को दिया है ;

(ख) क्या यह अभिकथन किया गया है कि काजी सरकार ने लगभग 50,000 लोगों को उनके मतदान अधिकार से वंचित कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) निर्वाचन आयोग को सिक्किम में मतदाता सूची को अद्यतन बनाने की दृष्टि से उसका पुनरीक्षण करने के संबंध में सिक्किस प्रजातंत्र कांग्रेस से तीन ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) इस प्रश्न में जिस अभिकथन का उल्लेख किया गया है वैसा कोई अभिकथन किसी भी ज्ञापन में नहीं दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के न्यायालयों में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5920. श्री दयाराम शाक्य :

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के न्यायालयों में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के

कर्मचारियों द्वारा 19 फरवरी, 1979 से की गई हड़ताल के कारण वहां सम्पूर्ण कार्य ठप्प हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उनके समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार 19 फरवरी, 1979 को न्यायालयों के वर्ग III और वर्ग IV कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों में काम का हर्जा हुआ था । किन्तु ये कर्मचारी अगले दिन काम पर वापस आ गए थे ।

(ख) इनकी अनेक मांगें थीं । जिनमें से कुछ मांगें स्वीकार कर ली गई थीं और कुछ मांगों पर, उनके सम्बन्ध में जिला और सेशन न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् कर्मचारियों ने जोर नहीं दिया । अब दिल्ली उच्च न्यायालय को निम्नलिखित चार मांगों पर ही विचार करना है जिनके साथ विद्यमान नियमों के संशोधन का प्रश्न या वित्तीय प्रभाव का प्रश्न जुड़ा हुआ है :—

(i) अधिक उच्चतर पदों का सृजन ;

(ii) कुछ पदों के ग्रेड को उच्चतर करना ;

(iii) दिल्ली अधीनस्थ न्यायालय (नियुक्ति और सेवा-शर्तें) नियम बनाना ; और

(iv) जिला और सेशन न्यायालयों के कार्यालय के अधीक्षकों का दिल्ली तथा अंदमान और निकोबर द्वीप समूह तथा दिल्ली न्यायिक सेवाओं में नामनिर्देशन ।

दीनापुर छावनी बोर्ड द्वारा पारित संकल्पों को क्रियान्वित न किया जाना

5921. श्री के० ए० राजन : क्या **उप-प्रधान मंत्री** तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विधान परिषद्, पटना के 15 सदस्यों ने दीनापुर छावनी बोर्ड द्वारा पारित संकल्पों को गत दो वर्षों से क्रियान्वित न किए जाने और वर्तमान अधिशासी अधिकारी, दीनापुर के विरुद्ध अन्य गंभीर आरोपों के बारे में 27 अगस्त, 1978 को रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बिहार विधान परिषद् के ग्यारह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 27 अगस्त, 1978 का एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है । उक्त ज्ञापन में उठाए गए मुख्य तथ्य ये हैं: —

(क) छावनी अधिनियम 1924 में शीघ्र संशोधन ।

(ख) दीनापुर स्थित छावनी कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच।

(ग) दीनापुर छावनी के संबंध में मई और जुलाई 1977 के बीच की अवधि में विधान परिषद के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव का कार्यान्वयन न होना।

(घ) लाल कोठी दीनापुर छावनी से लेकर दानापुर अस्पताल तक के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत/नवीकरण न होने के कारण जनता को हुई असुविधा।

(ङ) दीनापुर छावनी में गंदगी बने रहना।

(च) छावनी कार्यकारी अधिकारी द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण न किया जाना।

(छ) छावनी कार्यकारी आधकारी के उस स्थान से स्थानान्तरण की मांग

(ज) उपर्युक्त विषयों के बारे में स्थिति इस प्रकार है:—

(क) छावनी अधिनियम 1924 का संशोधन करने के लिए एक मसौदा विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) दीनापुर स्थित छावनी कार्यकारी अफसरों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गई है और उस पर आगे की कार्रवाई की जांच की जा रही है।

(ग) दीनापुर छावनी के संबंध में विधान परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। छावनियों का प्रशासन संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–I के विषय संख्या –3 के अनुसार संघ-सूची में रखा गया है। फिर भी, बोर्ड उनके द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करेगा जो कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

(घ) सरकार ने दीनापुर छावनी की विभिन्न सड़कों की मरम्सत और निवीकरण के लिए 98000 रुपये का विशेष सहायता-अनुदान मंजूर किया है। इस अनुदान में से बोर्ड ने अस्पताल रोड से मछली बाजार तक और बीबी गंज रोड से अस्पताल रोड तक की सड़कों की मरम्मत के लिए 47,000 रुपये आवंटित किए हैं। अस्पताल के पीछे की सड़क को मरम्मत कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे जनता को होने वाली वर्तमान असुविधा से राहत मिल जाएगी।

(ङ) दीनापुर छावनी की सफाई की स्थिति संतोषप्रद है। किन्तु सफाई गाड़ियों की कमी के कारण उत्पन्न गन्दगी को दूर करने के लिए अब दीनापुर छावनी बोर्ड को 1,00,000 रुपए का विशेष सहायता अनुदान दिया गया है।

(च) बिहार और उड़ीसा मुख्यालयों के सेनिक प्राधिकारियों ने मानसून के दौरान सारे छावनी क्षेत्र के लिए दो बाढ़ नियंत्रण अभ्यास कार्य आयोजित किए थे। छावनी कार्यकारी अधिकारी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और अपनाए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण उपायों के बारे में जनता को अवगत कराया।

(छ) छावनी कार्यकारी अधिकारो के स्थानान्तरण का मामला एक प्रशासनिक मामला है जिस पर सामान्य रूप से कार्रवाई की जाएगी।

छावनी बोर्ड अधिकारी द्वारा अनियमितताओं के बारे में जांच

5922. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड दीनापुर ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पटना से अनुरोध किया है कि छावनी बोर्ड अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के दुर्विनियोग संबंधी अनियमितताओं के अनेक मामलों की जांच की जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पटना स्थित अधिकारियों ने मामले की जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) दीनापुर छावनी बोर्ड के कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मल उठाने के एक टैंकर की खरीद तथा एक पेड़ की सार्वजनिक नीलामी में बिक्री करने के कथित आरोपों की जांच की है । जांच-पड़ताल से प्रथम-दृष्टया, छावनी बोर्ड के कार्यपालक अफसर स्टोर कीपर और सफाई निरीक्षक को ग्रस्त पाया गया और इनके खिलाफ समुचित प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

निर्वाचन आयोग में परिवर्तनों के लिए प्रस्ताव

5923. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन आयोग में श्रमिकों, कृषकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों, मजदूर संगठनों और सार्वजनिक संगठनों, पार्टी और राज्य नेताओं के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के लिए उनके गठन में परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार निर्वाचन आयोग के गठन में उस रीति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है जिस रीति का उल्लेख प्रश्न के भाग (क) में किया गया है ।

केन्द्रीय कोयला क्षेत्र में श्री बढेरा की चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति

5924. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बढेरा कोयला खान विकास निगम में पर्सोनल डायरेक्टर थे;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय कोयला क्षेत्र में निदेशक के पद का कार्यभार अस्थायी आधार पर सौंपा गया था;

(ग) क्या वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था;

(घ) मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) इस मामले में इन शर्तों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) श्री वी० एल० वढेरा को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में 1970 में निदेशक (प्रशासन) और कोयला खान प्राधिकरण में 1973 में निदेशक (औद्योगिक संबंध और कार्मिक) नियुक्त किया गया था।

(ख) और (ग) उन्होंने नवम्बर, 1974 में कोयला खान प्राधिकरण लि० के केन्द्रीय प्रभाग में प्रबंध निदेशक पद का कार्यभार संभाला था। यह प्रभाग 1-11-1975 से सेन्ट्रल कोल-फील्ड्स लि० बन गया जो कि कोल इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी है। जुलाई, 1977 में सभी सहायक कम्पनियों के प्रबंध निदेशकों को पदनाम बदल कर "अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक" कर दिया गया।

(घ) कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियों के प्रबंध निदेशकों/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति प्रारम्भ में पांच वर्ष की अवधि या वार्धक्य निवृत्ति की तारीख दोनों में से जो भी पहले हो तक के लिए की जाती है। उपर्युक्त अवधि पूरी हो जाने पर उन्हें पांच वर्ष की एक और अवधि (एक बार में ही) के लिए फिर नियुक्त किया जा सकता है।

(ङ) श्री वढेरा को नियुक्ति की सामान्य शर्तों पर ही रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करना

5925. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधन कारखाने से उपलब्ध होने वाले नैफथा पर अधारित एक बड़े उर्वरक संयंत्र की उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थापित किया जायेगा और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारखाने की कुल लागत क्या होगी और इसकी स्थापना में कितना समय लगेगा तथा इसकी क्षमता क्या होगी और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) फीड स्टाक नीति के अन्तर्गत नेफथा को उर्वरक फीड स्टाक के रूप में प्रयोग में लाने की स्वीकृति दी गई है अगर प्रदेश के अन्दर नेफथा अधिशेष हों। मथुरा तेल-शोधनशाला (रिफाइन्रीज़) के चालु करने के संदर्भ में उत्तरी क्षेत्र में नेफथा अधिशेष का सम्पूर्ण प्रश्न जांचाधीन है। इस विषय में निर्णय इस जांच को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

सरणीबद्ध कच्चा माल जारी करने की अधिकतम सीमा

5926. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनके लिए कोई विशिष्ट क्षमता निर्दिष्ट नहीं की गई है, 1976-77 में जारी किये गए सरणीबद्ध कच्चे माल की मात्रा की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है;

(ख) क्या उन वस्तुओं के संबंध में, जहां क्षमताएं निर्दिष्ट की गई हैं, सरणीबद्ध कच्चे माल की मात्रा को लाइसेंसशुदा क्षमता के आधार पर रिलीज करने का विचार है, कौन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाए, और

(ग) सरणीबद्ध कच्चे माल की मात्रा के कितने मामलों में लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक कटौतियां की जाती हैं । कुछ चुनीदा वस्तुओं के सम्बन्ध में ये कटौतियां किस आधार पर की गई हैं और नीति संबंधी दायरे के अन्तर्गत अभी तक अनेक मामले न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अप्रैल से सितम्बर 1978 की अवधि के दौरान डी० जी० टी० डी० यूनिटों को 1976, 1977 से पृथक् मदों के लिए केनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रिलीज़ के 50% तक की रिलीज दी गई थी । परन्तु ये यूनिट कच्चे माल को लाइसेंसीकृत क्षमता के अनुसार प्राप्त करने हेतु दावा करने के लिए स्वतन्त्र थे यदि ऐसी क्षमताएं फार्मूलेशन-वार स्पष्ट रूप से दी गई हों ।

अक्तुबर 1978 से मार्च 1979 की अवधि के दौरान डी० जी० टी० डी० यूनिटों को केनेलाइज्ड कच्चा माल निम्न आधार पर रिलीज़ किया जा रहा है : –

(i) जहां औद्योगिक अनुमोदन में फार्मूलेशन-वार क्षमता स्पष्ट रूप से दी गई है वहां लाइसेंसीकृत क्षमता के अनुसार 50% रिलीज़ दी जाती है ।

(ii) जहां फार्मूलेशन-वार लाइसेंसीकृत क्षमता स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है वहां सम्बद्ध औषध के लिए 1976-77 में दी गई रिलीज़ का 50% दिया जाता है ।

केनेलाइजिंग एजेन्सियों से सरकार ने यह कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि 1978-79 के पहले अर्ध-अवधि के दौरान यदि समस्त पात्रता के सन्दर्भ में कोई अधिक आबंटन दिया गया है तो चालु वर्ष के दूसरे अर्ध के लिए दिए जाने वाले आबंटन में उसका समायोजन किया जाये । इस उद्देश्य से केनेलाइजिंग एजन्सियों ने सभी डी० जी० टी० डी० यूनिटों से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का यह प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा है कि क्या वे यूनिटों की उस श्रेणी में हैं जिसकी फार्मूलेशन-वार क्षमताएं स्पष्ट रूप से दी गई हैं या उस श्रेणी में हैं जिसकी क्षमताएं स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं ।

(ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत ऐसे मामलों की ओर है जहां फार्मूलेशन-वार स्पष्ट क्षमताओं वाली फर्मों को केनेलाइज्ड कच्चे माल की दी जाने वाली मात्रा 1976-77 में

दी गई मात्रा से कम थी । यदि ऐसा है, तो यह बुरोज़ वैल्कम, हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एलम्बिक और रैनबैक्सी लेबोरेटरीज़ के संबंध में हुआ था । यह सत्य है कि कई और कम्पनियों को फार्मूलेशन-वार स्पष्ट क्षमताएं नहीं दी गई हैं अतः वे 1976-77 में दिया गया आबंटन प्राप्त करने के पात्र हैं । इन कम्पनियों के संबंध में आबंटन क्षमताओं के नियमन/समेकन के आधार पर दी जाने वाली विशिष्ट क्षमता के अनुरूप होगा जो नई औषध नीति के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

सिन्थेटिक डीटर्जेन्ट के लघु एककों को कच्चे माल की सप्लाई

5927. डा० बापू कालदाते : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्थेटिक डिटर्जेन्टस के क्षेत्र में लघु एककों की संख्या बहुत बढ़ गई है ;

(ख) क्या इन एककों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या बड़े व्यापार गृहों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन एककों को कच्चे माल की सप्लाई बन्द कर दी है; और

(घ) इन लघु एककों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । इन एककों को कच्चे माल, विशेषकर सोडा-ऐश और लाइनियर अल्काइल बैन्जीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) I. सोडा ऐश :

स्वदेशी बाजार में सोडा-ऐश की उपलब्धता में सुधार करने और सोडा-ऐश का प्रयोग करने वाले एककों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) सरकार ने 15 जनवरी, 1979 से आम लाइसेंस के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) और उनके संघों/निगमों को सोडा-ऐश के आयात की अनुमति दे दी है ।

(ii) सीमा शुल्क को 75% से घटाकर ठोस सोडा-ऐश के लिए 5% और हल्के सोडा-ऐश के लिए 35% कर दिया है ।

(iii) सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को प्रतिमाह 1200 टन सोडा-ऐश का आवंटन करने की व्यवस्था कर दी है ताकि उसे 1-2 किलोग्राम के छोटे पैक में देश भर के धोबियों, गृहणियों आदि में उनकी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण किया जा सके ।

(iv) सरकार ने सोडा-ऐश के सभी निर्माताओं को मार्गदर्शन जारी कर दिए हैं कि वे 1979 में सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम से कम उनकी 1977 की उठान के बराबर सप्लाई सुनिश्चित करें; और

(ग) औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को की गई सप्लाई के ब्यौरे प्रतिमाह राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं ताकि राज्य में सोडा-ऐश की खपत और उसके वितरण की राज्य की ऐजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से देखभाल की जा सके ।

II. **लाइनर अल्काइल बैन्जीन**

इस रसायन की आवश्यकता की पूर्ति आयात से की जाती है । उद्योग को इस सामग्री का सीधे ही आयात करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि 25% आयात सरणीबद्ध ऐजेंसियों को सौंपा जाए, जिसको सीधे आयात की सुविधा प्राप्त नहीं है । इस प्रकार की शर्त से विशेषकर लघु एककों को और लाभ होने की आशा है ।

लाइनर अल्काइल बैन्जीन का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में हाल ही में जनवरी 1979 से आरम्भ हुआ है और इससे लघु उद्योग एककों को लाभ होने की आशा है ।

नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड को लाभ

5928. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, कल्याण अपने हाथ में लिए जाने के बाद इस कम्पनी ने बहुत अधिक प्रगति की है और बहुत कार्यकुशलता से काम कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को गत दो वर्षों में कितना लाभ हुआ है और उसका विस्तार किस प्रकार किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों के जुलाई, 1977 में प्रबन्ध संभालने के पश्चात् कम्पनी की वित्तीय स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुई है, जैसा कि कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार तुरंत आगामी वर्ष में 332 लाख रु० की कुल हानि की तुलना में 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का उसने 215 लाख रु० (आकस्मिक ह्रास, उपबन्ध आदि के पश्चात्) का शुद्ध लाभ कमाया है । कम्पनी द्वारा अपने रेयन प्लान्ट का नवीनीकरण करने तथा नायलोन टायरकार्ड प्रभाग में धागा बदलने की क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में कदम उठाये गये हैं । कम्पनी पेस्टीसाइड और इंस्केटीसाइड के क्षेत्रों में प्रवेश करने की सुगमता पर भी विचार कर रही हैं ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

5929. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में गावों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये कुछ केन्द्रीय अनुदान देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) बिजली बोर्ड ने 1978-79 के दौरान 2,650 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था । इस लक्ष्य के स्थान पर, 28-2-1979 तक 2,960 गांव विद्युतीकृत किए गए थे ।

1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में, देश में एक लाख अतिरिक्त गांवों के विद्युतीकरण की परिकल्पना की गयी है । तथापि, राज्यवार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं ।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए इस समय कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है ।

एल्युमिनियम फाइल की कमी के कारण पावर कैपेसिटर के उत्पादन में कमी

5930. डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्युमिनियम फाइल की कमी के कारण देश में पावर कैपेसिटर के उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई है ;

(ख) क्या एल्युमिनियम फाइल बनाने वाली दो फर्मों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में एल्युमिनियम फाइल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) दो वर्तमान उत्पादकों को अपनी क्षमता के विस्तार के लिए आशय पत्र मंजूर किए गए हैं । नई क्षमता के लिए भी आशय पत्र जारी किए गए हैं ।

दैनिक समाचारपत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई में कटौती

5931. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दैनिक समाचारपत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई में कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उपक्रमों में भर्ती नियम

5932. श्री दुर्गा चन्द : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक श्रेणी में इस समय कितने-कितने कर्मचारी है ;

(ख) क्या प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए भर्ती नियम बना लिए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) जिन पदों के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है और ये पद कब से प्रचलित हैं ; और

(ङ) किन कारणों से भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

असैनिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले रक्षा मंत्रालय के अधीन उपक्रम

5933. श्री दुर्गा चन्द : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के अधीन उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो असैनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक वस्तु कितनी-कितनी मात्रा में बनी और उस पर कितनी-कितनी राशि लगी ;

(घ) इस समय रक्षा प्रयोजनों के लिए प्रत्येक उपक्रम में कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाता है ;

(ङ) क्या प्रत्येक उपक्रम में रक्षा क्षमता के कुछ प्रतिशत को असैनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) अप्रयुक्त रक्षा क्षमता का असैनिक उपयोग के लिए इष्टतम उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना की सेंट्रल वर्कशाप की फालतू मशीनरी की बिक्री

5934. श्री दुर्गा चन्द : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना की सेन्ट्रल वर्कशाप हिमाचल प्रदेश में सालपेर में स्थित है ;

(ख) परियोजना के निर्माण के समय परियोजना के लिए मूल कितनी कीमत की मशीनरी प्राप्त की गई और सेंट्रल वर्कशाप में रखी गयी ;

(ग) परियोजना के पूरा हो जाने पर उक्त मशीनरी का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ;

(घ) क्या इस मशीनरी की नीलामी द्वारा बिक्री की जा रही है ;

(ङ) यदि हां, तो निलामी द्वारा बेची गई मशीनरी का ब्यौरा क्या है और उसे अलग-अलग कितनी-कितनी कीमत पर बेचा गया ; और

(च) क्या मशीनरी और उसके फालतू पुर्जों का कोल बांध परियोजना में उपयोग करने का प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना की एक वर्कशाप हिमाचल प्रदेश में सलापड़ में स्थित है । यह वर्कशाप परियोजना के लिए संरचनाओं तथा पेनस्टाकों को तैयार करने की व्यवस्था करती है ।

(ख) सलापड़ वर्कशाप में मशीनरी की कुल लागत लगभग 45 लाख रुपए है । मशीनरी के ब्यौरे उपाबन्ध में दिये गए हैं ।

(ग) प्रतिष्ठापित की गई मशीनरी देहर विद्युत संयंत्र विस्तार परियोजना के लिए प्रयोग में लाई जा रही है ।

(घ) मशीनरी की बिक्री सामान्यतया खाता मूल्य पर अन्य परियोजनाओं को स्थानान्तरित करके या उचित स्तर पर निलामी करके की जाती है ।

(ङ) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जब कोल बांध का निष्पादन शुरू किया जाएगा, तो अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ऐसी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाएगा जो उपलब्ध होगी तथा उपयोगी होगी ।

विवरण

सलापड़ वर्कशाप में मशीनरी का ब्यौरा

क्र० सं०	मद	मात्रा
1	2	3
1.	रेडियल ड्रिलिंग मशीन	4
2.	बेंचटाइप ड्रिलिंग मशीन	1
3.	वैल्डिंग सेट	53
4.	शीरिंग मशीन	1
5.	हाइड्रालिक प्रेस	3
6.	पंच शीरिंग एण्ड बार कटिंग मशीन	2
7.	लेथ्स	4

1	2	3
8.	हाइड्रालिक हाक-सा	1
9.	सरकुलर सा	1
10.	बेंडिंग रोल	2
11.	वेडिंग ट्रान्सफार्मर	8
12.	वेल्डिंग ग्राइन्डर्स	2
13.	हेवी ड्यूटी शेपिंग मशीन	1
14.	स्लाइडिंग, सरफेसिंग एण्ड स्क्रू कटिंग मशीन	2
15.	मिलिंग मशीन	1
16.	एक्सटिलीन जनरेटर	1
17.	होयस्ट्स	13
18.	ईओ ई० ओ० टी० क्रेन	5
19.	इलेक्ट्रिक मोटर 15 हार्स पावर	1
20.	हैंड आपरेटिड बेन्डिंग ब्रेक प्रेस	1
21.	वेल्डिंग रेक्टाफाइर	4
22.	फ्लक्स रिकवरी यूनिट	1
23.	दो जनरेटरों को जोड़ने के लिए समानान्तर एटेचमेंट	1
24.	हारीजन्टल सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पिग सेट	7
25.	केपेसिटर	4
26.	हाइड्रो न्युमैटिक इन्टेसीफाइड	2
27.	पोरटेबल शैक	1
28.	सी० पी० सलैजड पम्प	1
29.	हैवी ड्यूटी पावरड वेल्डिंग बूम	1
30.	एक्स-रे फिल्म प्रोसैसिंग टैंक	1
31.	इन्डस्ट्रियल कोबाल्ट रेडियोग्राफी कैमरा	1
32.	अल्ट्रा सोनिक फ्ला डिटेक्टर	1
33.	20 सी० एस० रेडियोग्राफी कैमरा	2
34.	वेल्टा स्पाट एक्स-रे यूनिट	1
35.	एक्सटेलीन कम्प्रैसिंग प्लांट	1
36.	वाटर कूलिंग टावर	1
37.	आक्सीजन जेनरेटिंग सेट	1
38.	आक्सीजन सीलेन्डरों के लिए हाइड्रालिक परीक्षण उपस्कर	1
39.	ब्लोअर 15000 सी० एम० क्षमता	1
40.	सीमेंट सिलो	1

1	2	3
41.	पोरटेबल सैन्ड सिलो	1
42.	शाफ्ट तथा की के साथ पुलि	1
43.	वरटीकल एयर रिसीवर	1
44.	सैन्ड बलास्टिंग मशीन	2
45.	ब्लास्ट क्लीनरज	2
46.	बी० ओ० एल० स्टार्टर 7.5 एच० पी०	1
47.	विन्च	3
48.	सिंगल ड्रम एयरटग्गर	2
49.	इलेक्ट्रिक टग्गर	1
50.	रिटर्न आइडलरज	2
51.	टी० एम० बी० ट्रक	2
52.	बेड-फोर्ड पिकअप	1

दूरदर्शन से हिमाचली कार्यक्रमों का प्रसारण

5935. श्री दुर्गा चन्द : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन से कोई हिमाचल कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली दूरदर्शन से हिमाचली कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के प्राथमिक कार्यक्रम कवरेज क्षेत्र के अन्दर नहीं है । अतः विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश को सम्बोधित कोई कार्यक्रम उस केन्द्र से टेलीकास्ट नहीं किया जाता है । तथापि, केन्द्र के कार्यक्रमों में समय-समय पर हिमाचल प्रदेश के लोक गीत और नृत्य जैसे कुछ कार्यक्रम शामिल करने का प्रस्ताव है । हिमाचल प्रदेश में भी विकासात्मक गतिविधियों पर एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कैमरा टीम भी भेजी जा रही है ।

बालाघाट में एक फैरो मैंगनीज संयंत्र की स्थापना

5936. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालाघाट में एक फैरो मैंगनीज संयंत्र की स्थापना हेतु मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड को आशयपत्र जारी किया है ;

(ख) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड ने इस उद्योग की स्थापना में कितनी प्रगति की है ; और

(ग) इस परियोजना में उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस कम्पनी ने शक्यता/परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बम्बई के मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी को सलाहकार नियुक्त किया है । रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) यह शक्यता /परियोजना प्रतिवेदन की प्राप्ति और तत्पश्चात् उसकी जांच पर निर्भर करेगा ।

विमको में कुप्रबन्ध

5937. श्री ब्रजराज सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी के आंतरिक लेखा-परीक्षांक ने वर्तमान प्रबन्धक निदेशक द्वारा विमको के धन के घोटाले और भारी कुप्रबन्ध के ब्यौरे के बारे में सरकार को लिखा है । यदि हां, तो प्रबन्धक निदेशक तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कम्पनी अधिनियम की धारा 243 का उल्लंघन करके विमको ने दिनांक 19 फरवरी, 1977 का ग्रिंडलेज बैंक के चेक संख्या एच/74-324732 के द्वारा 1,00,000 रुपये अदा किये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) आन्तरिक लेखा परीक्षक द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी की लेखा-पुस्तकों के निरीक्षण का आदेश शिकायतों का पता लगाने के लिये दिया गया और निरीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । रिपोर्ट के मिलने पर उसकी जांच के बाद कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार कम्पनी ने शुरू-शुरू में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 1 लाख रुपया दिया । तथापि बाद में इसने उस रकम को सिमकौफ वितरण-कर्ताओं के नाम कर दिया । ऐसी आशा है कि निरीक्षण रिपोर्ट इस बात पर और अधिक रोशनी डालेगी ।

खनिजों संबंधी नियम बनाने के लिए राज्यों को अधिकार अन्तरिक किया जाना

5938. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री वीरेन्द्र प्रसाद :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिजों संबंधी नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारों को राज्यों को न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन अधिकारों को राज्यों को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। संविधान की सातवीं अनुसूची की केन्द्रीय सूची की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत खानों और खनिज विकास के नियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। केन्द्र सरकार द्वारा जब किसी सीमा तक इन अधिकारों का उपयोग करना समीचीन नहीं समझा जाता, तो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के अन्तर्गत राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। चूंकि खनन एक महत्वपूर्ण और भारी पूंजी निवेश वाला उद्योग है इसलिए लोक हित में केन्द्र सरकार के लिए यह हो जाता है कि वह लम्बे समय के लिए एक समान और वैज्ञानिक रूप से ठोस नियंत्रणों की नीति लागू करे। तथापि, राज्य सरकारें इस समय गोण खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों के अनुदान के विनियमन हेतु नियम बनाने के अधिकारों का उपयोग कर रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का यह विभाजन, जो काफी समय से विद्यमान है, सन्तोषजनक पाया गया है।

विधि आयोग की रिपोर्टें

5939. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत के विधि आयोग से सरकार को कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में भारत के विधि आयोग पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) आज तक पिछले दो वर्षों में विधि आयोग ने ग्यारह रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

(ख), (ग) और (घ) जानकारी संलग्न उपाबंध में दी गई है।

(ङ) पिछले दो वर्षों में सरकार ने लगभग 15,60,000 रु० खर्च किए हैं।

विवरण

क्र० सं०	रिपोर्ट का संख्यांक	रिपोर्ट का विषय	मुख्य सिफारिशें। प्रश्न का भाग (ख)	सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें और उनके क्रियान्वयन के ब्यौरे। प्रश्न का भाग (ग) और (घ)
1	2	3	4	5
1.	67	भारतीय स्टाम्प अधिनियम	सिफारिशों के अन्तर्गत कुछ शब्दों की परिभाषाएं भी हैं जैसे कि "विनिमय पत्र," "वचन-पत्र," "बीमा पालिसी," आदि। विधि के कार्यकरण में सुधार करने की दृष्टि से उसे सरल और तर्कसंगत बनाना।	यह रिपोर्ट जो लगभग 1,000 टाइप किए हुए पृष्ठों की है, मुद्रण के लिए भेज दी गई है। इस बीच सरकार द्वारा उसके कार्यान्वयन के लिए उसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय को समीक्षा और आगे कार्यवाही करने के लिए भेज दी गई है।
2.	67	मुख्तारनामा अधिनियम	विद्यमान अधिनियम को आधुनिक विधायी शब्द-विन्यास के अनुरूप प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की गई है।	इस रिपोर्ट के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ संसद् के समक्ष रख दिए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, बार काउन्सिलों, भारत की बार काउन्सिल के विचार/टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं। इस बीच सरकार इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए इसके संबंध में और आगे कार्यवाही कर रही है।
3.	69	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	नए न्याय-शास्त्रीय सिद्धान्तों को समाविष्ट करने के लिए और अधिनियम को सामाजिक, आर्थिक विषयों की परिवर्तनशील आवश्कताओं के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश की	सरकार 2348 टाइप किए हुए पृष्ठों की इस रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए इसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। आशा की जाती है कि रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगी।

1	2	3	4	5
			गई है । इसमें अस्पष्टताओं को दूर करने और संविवादों को समाप्त करने का भी सुझाव दिया गया है ।	
4.	70	सम्पत्ति अन्तरण	विधि आयोग ने अपनी इच्छा से सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का अध्ययन किया और अनिश्चितताओं तथा अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए और विधि को ऐसा नया रूप देने के लिए सिफारिशें की हैं जिससे कि वह विधि अधिक अच्छी रीति में परिभाषित और विनियमित कर सके ।	लगभग 1900 टाइप किए हुए पृष्ठों की यह रिपोर्ट मुद्राणाधीन है और इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार इसके संबंध में कार्यवाही कर रही है ।
5.	71	हिन्दू विवाह अधिनियम–विवाहों का असाध्य रूप से भंग होना	विधि आयोग ने इस आधार पर कि कोई विवाह असाध्य रूप से भंग हो गया है, विवाह के विघटन के लिए, हिन्दू विवाह अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है ।	यह रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी पाठ, दोनों) संसद् के पटल पर रख दी गई है । कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां/विचार प्राप्त हुए हैं । शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्मरण-पत्र भेज दिए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने विचार 31-3-79 से पूर्व भेज दें । इस बीच सरकार रिपोर्ट के संबंध में आगे कार्यवाही कर रही है ।
6.	72	संविधान का अनुच्छेद 220––स्थायी न्याया-	विधि आयोग इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था कि स्थायी न्यायाधीश रह चुकने पर उस व्यक्ति	रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी पाठ, दोनों) संसद् के पटल पर रख दी गई हैं । सरकार

		धीश रह चुकने पर विधि व्यवसाय पर प्रतिबन्ध	द्वारा विधि व्यवसाय करने पर प्रतिबंद लगाने के लिए अनुच्छेद 220 का संशोधन किया जाए।	ने विधि आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।
7.	73	कुछ अधिनियमों के अधीन न्यायालय द्वारा पत्नी को मंजूर किए गए भरण-पोषण व्यय आदि के संदाय के लिए पति के कुछ दायित्व।	विधि आयोग ने पति को ऐसी असफलताओं के लिए दाण्डिक रूप से दायी बनाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों की सिफारिश की है।	रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी पाठ, दोनों) संसद् के समक्ष रख दी गई है। रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जो प्रशासनिक मंत्रालय है, क्रियान्वयन के लिए भेज दी गई है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।
8.	74	जांच आयोगों और अन्य कानूनी प्राधिकरणों के समक्ष साक्षियों द्वारा किए गए कुछ कथनों को ग्राह्य-बनाने के लिए साक्ष्य अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।	विधि आयोग ने मृत साक्षी के कतिपय कथनों को पश्चात्वर्ती सिविल और दाण्डिक कार्यवाहियों में कुछ परिस्थितियों में सुसंगत और ग्राह्य बनाने के लिए साक्ष्य अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की है।	रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी पाठ, दोनों) संसद् के समक्ष रख दी गई है और सरकार इसके क्रियान्वन के लिए कार्यवाही कर रही है।
9.	75	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अनुशासन संबंधी अधिकारिता।	विधि आयोग अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने के पक्ष में नहीं था और उसकी राय है कि इस कारण अधिनियम में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।	रिपोर्ट का अंग्रेजी पाठ संसद् के पटल पर रख दिया गया है। रिपोर्ट हिन्दी में अनुवाद के लिए भेज दी गई है और अभी मुद्रित प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं किन्तु इस बीच रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
10.	76	माध्यस्थम् अधिनियम	विधि आयोग से माध्यस्थम् अधिनियम के कुछ ऐसे उपबन्धों में सुधार करने की दृष्टि से उस अधिनियम के संशोधन की सिफारिश की है जो विलम्बकारी है या जिनसे पक्षकारों को कठिनाई होती है या जो अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिनसे कार्यवाही के सुचारू रूप से चलने में बाधा पड़ती है।	रिपोर्ट का अंग्रेजी पाठ संसद् के पटल पर रख दिया गया है। रिपोर्ट हिन्दी में अनुवाद के लिए भेज दी गई है और अभी मुद्रित प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। किन्तु इस बीच रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
11.	77	विचारण न्यायालयों में विलम्ब और बकाया मामले	विधि आयोग ने बकाया मामलों की संख्या को घटाने के लिए ही नहीं, बल्कि सिविल और दांडिक मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए भी सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विभिन्न प्रकार की हैं। इसका संबंध प्रक्रिया से लेकर सम्पूर्ण न्यायिक पद्धति को नया रूप देने तक से है।	रिपोर्ट (अंग्रेजी पाठ) संसद् के पटल पर रख दी गई है और इसका हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है। इस बीच इसकी प्रतियां इसके निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय और न्याय विभाग को भेज दी गई हैं। मुद्रित प्रतियों के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।
12.	78	विचारणाधीन बंदियों की कारागारों में भीड़ भाड़	विधि आयोग ने इस बात पर बल देते हुए कि विचारणाधीन बंदियों की समस्याओं से कारगर रूप से निपटने के लिए आयोग की 77वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, मामलों के निपटारे के संबंध में उन्होंने जमानतीय अपराधों के प्रवर्गों में विस्तार करने, प्रतिभू बिना बंधपत्र पर निर्मोचन के लिए सिफारिश की है।	रिपोर्ट (अंग्रेजी पाठ) संसद् के पटल पर रख दी गई है और इसका हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है। इस बीच इसकी प्रतियां इसके निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय और न्याय विभाग को भेज दी गई हैं। मुद्रित प्रतियों के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

न्यायिक अधिकारियों की मांग

5940. श्री एडुआर्डो फैलीरो :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री पद्माचरण सांमन्त सिहेरा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेतन बढ़ाने तथा और अच्छी सेवा शर्तों के लिए देश भर में न्यायिक अधिकारियों की मांगों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) राज्यों से जानकारी इक्ठ्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

ईरान द्वारा तेल का निर्यात

5941. श्री पी० एम० सईद :

श्री निहार लास्कर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान मार्च, 1979 के दूसरे सप्ताह में पुनः तेल का निर्यात आरम्भ कर देगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को यह आश्वासन भी दिया गया है, कि ईरान से भारत को पुनः तेल की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी नये करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) ईरान में नये शासन के आने के बाद भारत को कितनी मात्रा में तेल की सप्लाई की जा रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सूचित किया गय है कि ईरान द्वारा अशोधित तेल का निर्यात शुरू कर दिया गया है ।

(ख) ईरान ने एक आश्वासन दिया है कि हमारी आवश्यकताओं को उचित स्थान मिलेगा ।

(ग) ईरान से भारत को अशोधित तेल की सप्लाई शुरू करने के बारे में विचार-विमर्श इस समय चल रहे हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनी कानून सलाहकार समिति

5942. श्री पी० एम० सईद : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक कम्पनी कानून सलाहकार समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इसे क्या मामले सौंपे गये हैं ;

(ग) क्या यह सलाहकार समिति सच्चर समिति तथा कम्पनियों के बारे में नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें एवं एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की भी जांच करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति सम्भवतः कब तक अपना प्रतिवेदन पेश करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमात् जी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार और कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों के लागू करने में उत्पन्न इस प्रकार के मामले, जिनमें सलाहकार समिति का परामर्श प्राप्त करना चाहे, वे समय-समय पर इस प्रकार के मामले उसे भेज सकते हैं ।

वर्तमान सलाहकार समिति की प्रथम दो बैठकों में कम्पनी के कार्यों, जिनमें सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया गया है तथा कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति के कतिपय सुझावों पर चर्चा की गई थी । लेखा परीक्षकों की स्वतन्त्रता का महत्व अन्य मदों में से एक है, जिसको भी इस समय इस समिति को भेजा गया है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी । तथापि, सरकार, सलाहकार समिति के सामने सच्चर समिति के इस प्रकार के सुझावों को भी रख सकती है, जिसको वह सामान्य महत्व का होना समझे तथा उस पर समिति को दिया गया परामर्श इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिये जाते समय ध्यान में रखा जा सकता है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता । चूंकि समिति का कार्य समय-समय पर सरकार को परामर्श देना है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज करने की योजनायें

5943. श्री पी० एम० सईद :

श्री निहार लास्कर :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वर्ष 1979-80 में खोज कार्य पर 340 करोड़ रुपये खर्च करने की योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित्त योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) तट पर तथा तट दूर खोज हेतु कितना व्यय किया जायेगा और खोज कार्य किन क्षेत्रों में किया जायेगा ;

(घ) क्या ग्रायल इंडिया ग्रपने ग्रान्तरिक संसाधनों से समूचा योजना व्यय वहन करेगा ; ग्रौर

(ङ) क्या कोई विदेशी सहायता की मांग की जायेगी ?

पैट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान ग्रो०एन०जी०सी० के सम्पूर्ण कार्य संचालन के लिये 340 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की व्यवस्था है ।

(ख) वर्ष 1979-80 के लिये उक्त योजना परिव्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

		(करोड़ रुपये)
1.	तटीय कार्यक्रम (सर्वेक्षण, ग्रन्वेषी तथा विकासशील ड्रिलिंग, पूंजीगत उपकरण, पूंजीगत निर्माण कार्य खरीद ग्रादि)	130.00
2.	ग्रपतटीय कार्यक्रम	204.75
3.	ग्रनुसंधान संस्थान (कार्य प्रगति पर है)	3.60
4.	ग्रनुसंधान ग्रौर विकास	1.65
	कुल योजना परिव्यय	340.00

(ग) तटवर्ती क्षेत्र में लगभग 130 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय होगा जिसके ग्रन्तर्गत सर्वेक्षण ग्रौर ग्रन्वेषी खुदाई पर खर्च किये जाने वाले लगभग 52.52 करोड़ रुपये भी शामिल होंगे । तटवर्ती ग्रन्वेषी क्षेत्र गुजरात राज्य, ग्रसम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ग्रान्ध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु के कावेरी बेसिन ग्रादि में हैं । ग्रपतटीय क्षेत्र के लिये लगभग 204.75 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय है जिसके ग्रन्तर्गत सर्वेक्षण ग्रौर ग्रन्वेषी खुदाई पर खर्च किये जाने वाले 41.35 करोड़ रुपये शामिल होंगे । ग्रपतटीय क्षेत्र में ग्रण्डमान द्वीप के तटीय क्षेत्रों के ग्रतिरिक्त भारत के पूर्व तथा पश्चिमी तट के महाद्वीपीय मग्नतट में ग्रन्वेषण किये जायेंगे ।

(घ) ग्रनुमान है कि यह ग्रो०एन०जी०सी० के सन्दर्भ में है । वर्ष 1979-80 के लिए व्यवस्थित 340 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से 233 करोड़ रुपये ग्रो०एन०जी०सी० द्वारा ग्रपने ग्रान्तरिक संसाधनों द्वारा पूरा किये जाने की संभावना है ग्रौर शेष सरकार द्वारा बाह्य बजट सहायता द्वारा पूरा किया जायेगा ।

(ङ) भारत सरकार द्वारा ग्रावश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किया जायेगा ।

"ग्रायल शार्टेज टू ईथ बाई मन्थ एन्ड"

5944. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इकनामिक टाइम्स" ग्रौर "फाइनेन्सिल टाइम्स" दिनांक 4 मार्च, 1979 में "ग्रायल शार्टेज टू ईज बाई मन्थ एन्ड" शीर्षक समाचार की ग्रोर गया है ;

(ख) यदि हां, तो लीबिया ने कितना कच्चा तेल देने का आश्वासन दिया है ;

(ग) ईराक तथा अबुधाबी द्वारा कितनी मात्रा की सप्लाई की जायेगी ;

(घ) क्या भारत से 6 मार्च, 1979 को कोई प्रतिनिधिमण्डल विदेशों को गया था और यदि हां, तो उसने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ङ) क्या केन्द्रीय मंत्री ने भी 21 मार्च, 1979 को कुछ अन्य देशों का दौरा किया था ; और

(च) यदि हां, तो किन-किन देशों का और उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) लीबिया से अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में बातचीत इस समय चल रही है ।

(ग) ईराक और यू०ए०ई० से अशोधित तेल की सप्लाई निश्चित करने के लिए निम्नलिखित आयात प्रबन्ध किए गये हैं :—

ईराक .....5.5 मिलियन मी० टन

यू०ए०ई०.....1.5 मिलियन मी० टन

इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान उपलब्धता के आधार पर ईराक ने एक मिलियन मी० टन अतिरिक्त अशोधित तेल निर्यात करने के लिए भरसक प्रयत्न करने का भी वायदा किया । वास्तव में इस अतिरिक्त सप्लाई अनुबंध के अंतर्गत जनवरी-मार्च, 1978 के दौरान 3,50,000 मी० टन की सप्लाई की जानी है ।

(घ) अशोधित तेल और पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए पैट्रोलियम शिष्ट मंडल ने लीबिया और ब्रिटेन का दौरा किया ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षा सेना के कुछ रैंको में अधिकारियों की अधिक संख्या

5945. श्री एम० व० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री निहार लास्कर :

क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1962 के युद्ध के बाद सशस्त्र सेनाओं में अधिक संख्या में भरती के कारण कुछ रैंकों में अधिकारियों की अधिक संख्या होने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ;

(ग) अधिकारियों की इस अधिक संख्या को कम करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसमें किन श्रेणियों के अधिकारी आते हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ख) निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई सूचना की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :—

20-2-1979 को उत्तर दिया गया प्रश्न संख्या 78

27-2-1979 को उत्तर दिया गया प्रश्न संख्या 1005

6-3-1979 को उत्तर दिया गया प्रश्न संख्या 2026

27-3-1979 को उत्तर दिया गया प्रश्न संख्या 4927

27-3-1979 को उत्तर दिया गया तारांकित प्रश्न संख्या 509

उप-प्रधान मंत्री (रक्षा) ने 28-3-1979 को रक्षा मंत्रालय की बजट अनुदानों पर बहस का उत्तर देते समय भी इस विषय पर चर्चा की है ।

मथुरा रिफाइनरी का चालू किया जाना

5946. श्री चित्त बसु :

श्री पवित्र मोहन प्रधान :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा रिफाइनरी का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार नहीं चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) इसे निर्धारित समय पर चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):(क) जी, हां । मथुरा शोधनशाला परियोजना जो वर्ष 1979 के अंत तक मूलत: यांत्रिक रूप से पूरा हो जाने के लिए तथा अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ हो जाने के लिए निर्धारित थी, के अब वर्ष 1980 की दूसरी छमाही तक ही आरम्भ होने की आशा है ।

(ख) इस विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) रूस के वर्किंग ड्राइंग की प्राप्ति में विलम्ब और देशीय उपकरण तथा सामग्रियों को प्राप्त करने की कार्यवाही में विलम्ब के फलस्वरूप ।

(2) रूसी उपकरण तथा सामग्रियों की प्राप्ति में विलम्ब ।

(3) रूस की ओर से प्राप्त आलेखन पुन: इंजीनियरिंग की जरूरत को देखते हुए देशीय उपस्कर तथा सामग्री का उपयोग ।

(4) देशीय विक्रेता द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब ।

(5) वर्ष 1978 के दौरान हुई अभूतपूर्व वर्षा एवं बाढ़ ।

(6) पिछले 6 महीने से निर्माण स्थल पर विभिन्न ठेकेदारों द्वारा हुई लगातार श्रमिक अशांति ।

(ग) इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करनें के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। आई० ओ० सी० और उसकी मुख्य सलाहकार कम्पनी ई० आई० एल० परियोजना के स्तर पर निरन्तर देखभाल कर रहे हैं तथा इंजीनियरिंग प्रापण तथा निर्माण कार्य पर कार्यवाही की गति को और तेज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना में जांच-पड़ताल करने के लिए एक "इण्टर मिनिस्ट्रीयल स्टीयरिंग कमेटी" गठित की गयी है, जो नियमित अंतरालों में बैठकों का आयोजन करती है और परियोजना की समीक्षा करती है तथा परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय करती है ।

बेनामी संव्यवहारों के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें

5947. श्री चित्त बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने बेनामी संव्यवहारों के संबंध में जांच की थी और अगस्त, 1973 में अपनी रिपोर्ट दी थी;

(ख) इस आयोग के अस्थायी निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) ये सिफारिशें इस समय किस चरण पर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी, हां ।

(ख) विधि आयोग ने अपनी सत्तावनवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि एक पृथक् विधि अधिनियमित करके यह उपबंध किया जाए कि कोई भी सिविल वाद बेनामी के आधार पर नहीं चलाया जा सकेगा ओर कुछ उपवादों के अधीन रहते हुए बेनामी को प्रतिरक्षा का आधार बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए ।

(ग) और (घ) प्रस्तावित विधान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधि आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों और विकल्पों पर विचार किया जाना था और इसलिए सिफारिशों पर निश्चित विनिश्चय करने में कुछ समय लग गया । सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक शीघ्र ही संसद् में पुरःस्थापित किए जाने की सांम्भावना है ।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लघंन

5549. श्री किशोर लाल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फाइज़र, सैन्डोज़ और ग्लैक्सो जैसी कम्पनियों द्वारा औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम

और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों का कितनी बार उल्लंघन किया गया और गत दो वर्षों में प्रत्येक अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में ब्यौरे क्या हैं ।

(ख) सरकार ने इन उल्लंघनों को रोकने के लिए केवल भर्त्सना पत्र जारी करने के अतिरिक्त क्या ठोस कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स सैन्डोज़ और मैसर्स ग्लैक्सो द्वारा औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, और आवश्यक जिन्स अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

तथापि मैसर्स फाइज़र को (i) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत किसी विशिष्ट लाइसेंस के बिना, और (ii) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अंतर्गत मूल्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रोटीनेक्स का उत्पादन और विपणन करते हुए पाया गया है ।

जहां तक उपरोक्त (3) कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने का संबंध है, इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है । तथापि वित्त मंत्रालय में स्थिति का पुनः पता लगाया जा रहा है ।

(ख) इस संबंध में स्थिति को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 दिनांक 20.3.79 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स फाइज़र द्वारा अनेक फार्मूलेशनों का विपणन

5950. श्री किशोर लाल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम को मैसर्स फाइज़र द्वारा अनुज्ञा पत्रों, सी० ओ० बी० लाइसेंसों अधिसूचना संख्या 3/3/65 दिनांक 27 मई, 1969, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों आदि, के अंतर्गत अपने अनेक फार्मूलेशनों के विपणन के बारे में किस प्रकार और कैसे लागू करना चाहेगी ; और

(ख) क्या सरकार इस फर्म की क्षमता को मूल अनुज्ञप्त क्षमता तक सीमित करेगी और अवधिकृत उत्पादन के आधार पर बनाई गई आस्तियों को वापस करने के आदेश देगी, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारायें, जो उद्योगों के अन्य क्षेत्रों पर लागू हैं, औषध उद्योग सम्बन्धित एककों पर (फाईज़र सहित) भी लागू होती हैं ।

(ख) औषध कम्पनियों द्वारा अधिक उत्पादन के बारे में नीति, नई औषध नीति के पैरा 27 से 36 तक में दी गई है । इस फर्म के बारे में कार्यवाही भी उसी के अनुसार की जायेगी ।

औद्योगिक लाइसेंस के लिए अनुमोदनार्थ लम्बित पड़े मैसर्स फाइज़र के आवेदन-पत्र

5951. श्री किशोर लाल : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस के लिए मैसर्स फाइज़र के कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास अन्तिम अनुमोदनार्थ लम्बित पड़े हैं;

(ख) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा उनका उत्पादन कितना होगा तथा देश से बाहर जाने वाली विदेशी पूंजी आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मैसर्स फाइज़र के विरुद्ध आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स फाईज़र से प्राप्त दो (2) औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित हैं ।

(ख) मांगे गये ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) मांगी गई सूचना आज (3.4.1979) लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5949 के उत्तर में दी गई है ।

विवरण

क्र. संख्या	आवेदन पत्र की तिथि	निर्माण की मद	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता	निम्न के कारण विदेशी मुद्रा का प्रस्तावित बर्हिगमन	
				संयंत्र और मशीनरी रुपये (लाखों में)	कच्चा माल रुपये
1	2	3	4	5	6
1.	28.4.1976	1. ओलियेंडोमाइसीन 2. पोलीमाइक्सीन 3. बेफिटरासिन और जिंक बोक्टिरासिन (फार्मास्यूटिकल प्रयोग के लिए) 4. जिंक बेक्टिरासिन (वेटरीनरी प्रयोग के लिये)	6,000 बी. यू 1,000 बी. यू 70 बी. यू 1. 500 बी. यू	10.00	10.70
2.	17.1.1978	टिनिडाजोल	2. 500 कि० ग्रा०	शून्य	21.15

गैर-सरकारी व्यापार को इस्पात की सप्लाई

5952. डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी व्यापार द्वारा मांगे गये विभिन्न किस्मों के इस्पात के लिए कितनी मात्रा में इस्पात की सप्लाई की गई और कच्चा लोहा, पुनर्बेलनीय सामग्री सलाबों, छड़ों और स्ट्रक्चरलों, सी०आर० शीटों और जी० सी० ग्रेड किस्मों के अन्तर्गत सरकार ने कितनी मात्रा में कोटा निर्धारित किया है ; और

(ख) इन आवंटनों का गैर-सरकारी व्यापार द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) गैर-सरकारी उद्योग ने मांग की है कि उसे स्टाकयार्ड से प्राप्त होने वाले बढ़िया इस्पात की विभिन्न श्रेणियों का 5% से 50% तक माल सप्लाई किया जाये । सेल द्वारा इस उद्योग को विभिन्न श्रेणियों का इस्पात निम्न मात्रा में देने का प्रस्ताव है :—

कच्चा लोहा	8%
पुनर्बेलन योग्य माल	शून्य
छड़ तथा गोल छड़	10%
संरचनात्मक	5%
ठंडी बेलित चादरें/क्वायल	10%
जस्ती जालीदार चादरें	15%

(ख) चूंकि उद्योग दिए गए माल को बेचने के लिए स्वतंत्र है, अतः उद्योग द्वारा आबंटित सामग्रों का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

महानगरों से सरकारी उपक्रमों के मुख्यालयों का स्थानान्तरण

5953. श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मंत्रालय के अन्तर्गत संबद्ध सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों के मुख्यालयों को महानगरों से उनके अपने-अपने राज्यों को अविलम्ब स्थानान्तरित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी मांग की है कि खानों तथा खनिज संसाधनों के विकास से संबंधित वर्तमान केन्द्रीय कानून को राज्य अधिनियम में बदला जाये ;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों ने इसकी मांग की है ; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित कारणों से इन सुझावों को स्वीकार करना संभव नहीं है :—

(1) भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति के बारे में निर्णय करने का अथवा बाद में उसमें परिवर्तन करने का कंपनी के शेयरधारियों को कानूनी अधिकार है।

(2) कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति के विनियम के प्रावधान हेतु कंपनी अधिनियम में किसी प्रकार के संशोधन का "खनिजों के विनियमन और विकास" के साथ कोई तर्कसम्मत संबंध नहीं हो सकता। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करना न्यायोचित नहीं होगा।

(3) कई कंपनियां कई राज्यों में विभिन्न खनिजों का खनन कर रही हैं। ऐसी स्थिति में पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में समान सिद्धांत अभिस्वीकृत करने में व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी।

(4) ऐसी भी कोई संभावना नहीं है कि पंजीकृत कार्यालयों के स्थानांतरण से किसी राज्य को कोई खास लाभ होगा, क्योंकि आयकर से प्राप्त राजस्व के राज्यों के बीच बंटवारे के बारे में सुस्थापित प्रक्रिया है।

(5) खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957, संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्रीय सूची की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत बनाया गया है। अत : उसको परिवर्तित कर राज्य अधिनियम नहीं बनाया जा सकता।

इण्डोनेशिया अथवा यूनाइटेड अरब एमीरात को स्पंज आयरन के बदले पैलेट बनाये हुए लौह-अयस्क का निर्यात

5954. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पंज आयरन के बदले पैलेट बनाये हुए लौह-अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में इण्डोनेशिया अथवा यूनाइटेड अरब एमीरात के साथ एक लिंक व्यापार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या ये देश इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) लघु इस्पात कारखानों की मेटल स्क्रैप की आवश्यकता तथा इसकी उपलब्धि के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए यह समझा गया है कि जहां-कहीं आवश्यक हो, भारत से लौह-अयस्क के पेलेटों के निर्यात को भारत में स्पंज लोहे की कुछ मात्रा में आयात से जोड़ना उपयोगी सिद्ध होगा ।

(ग) इस्पात और खान मंत्री तथा इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के अनुसार, जिस पर 7.3.1979 को हस्ताक्षर किए गए थे, इस बारे में सिद्धान्त रूप से एक करार हो गया है लेकिन तकनीकी तथा वाणिज्यिक दोनों के और ब्यौरे अभी तय किए जाने हैं । यूनाइटेड अरब ऐमीरात का प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है ।

टेलीविजन स्टूडियो का सुचारू कार्यकरण

5955. श्री दया राम शाक्य : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विभिन्न कारण कौन-कौन से हैं जिनका टेलीविजन स्टूडियो के सुचारू कार्यकरण के लिए आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए ;

(ख) इस समय देश में कितने टेलीविजन स्टूडियो कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ग) क्या वहां पर सभी अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं ; यदि नहीं, तो किन-किन स्टूडियों में सुविधाओं का अभाव है और क्या अभाव है ; और

(घ) इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) टेलीविजन केन्द्रों के उचित संचालन के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं, कर्मचारियों, भवनों आदि की आवश्यकता होती है जो उस केन्द्र के लिए नियोजित कार्यक्रमों की मात्रा और स्वरूप के अनुरूप हो ।

(ख) इस समय सात दूरदर्शन केन्द्रों में स्टूडियो की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त तीन बेस प्रोडक्शन केन्द्र हैं। स्टूडियो सुविधाओं सहित, केन्द्रों के स्थान निम्नलिखित हैं :—

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. श्रीनगर
4. कलकत्ता
5. मद्रास
6. लखनऊ
7. अमृतसर

तीन बेस प्रोडक्शन केन्द्र कटक, दिल्ली तथा हैदराबाद में स्थित हैं ।

(ग) और (घ) स्टूडियो के पास कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार/उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

दिल्ली में राशन कार्ड पर गैस कनेक्शन दिए जाना

5956. श्री दया राम शाक्य : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुकिंग गैस कनेक्शन देने के लिए नवम्बर, दिसम्बर 1978 में राशन कार्ड पर पंजीकरण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गये और उन्हें कब तक गैस मिलने की संभावना है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, दिल्ली में कुकिंग गैस कनेक्शन देने के लिए राशन कार्ड अथवा आवास का प्रमाण देने पर पंजीकरण किया गया था।

(ख) पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) **भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन**

नवम्बर	1978	2952
दिसम्बर	1978	8128

(ii) **इण्डियन आयल कारपोरेशन**

दिसम्बर, 78 और फरवरी 1979 के बीच 1.21 लाख (लगभग)

तरल पैट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) के उत्पादन के लिए नई सुविधाओं के आरम्भ होने से वर्ष 1980-81 के बाद से तरल पैट्रोलियम गैस की उपलब्धता में वृद्धि हो ने से डीलरों के पास पड़ी गैस कनेक्शन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की प्रतिक्षा सूची को शीघ्र निपटाने की आशा की जाती है।

बड़े औद्योगिक धारनों के बारे में एकाधीकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग द्वारा अध्ययन

5957. श्री के० ए० राजन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने देश के बड़े औद्योगिक धरानों के विकास के बारे में अध्ययन आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

एकाधिकार एंव अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने देश में बृहद् औद्योगिक धेरानों के विकास पर कोई अध्ययन प्रारम्भ नहीं किया है। तथा पे, अधिनियम की धारा 21, 22 व

23 के अन्तर्गत, उपक्रमों के विस्तार, नवीन उपक्रमों की स्थापना, विलियन, एकीकरण तथा अधिकार में लेने सम्बन्धी प्रस्तावों, जो आयोग को जांच के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाते हैं, की उसके द्वारा जांच की जाती है, व रिपोर्ट दी जाती है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का समय

5958. श्री सुरेन्द्र भा सुमन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या क्रिकेट जैसे कुछ खेलों के मैंचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का समय ऐसा होता है जब कर्मचारी कार्यालयों में काम पर होते हैं और विद्यार्थी व अध्यापक स्कूल-कालेजों में होते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कमैंट्री के दौरान वे कार्यालय के काम पर और अपने अध्ययन की और कोई ध्यान नहीं देते और रेडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं जिस के परिणामस्वरूप कार्यालय के काम और अध्ययन का नुकसान होता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार "कमैंट्री" के समय में परिवर्तन करने व उसकी अवधि कम करने का है जिससे काम करने के समय कोई बाधा न पड़े ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) आंखों देखा हाल प्रसारित करने का समय वास्तब में खेले जा रहे मैंचों के समय से सम्बन्धित होता है । यह सच है कि क्रिकेट मैचों का समय सामान्यतया वही होता है जो कार्यालय/स्कूल/कालेज का समय होता है । तथापि, अधिक महत्वपूर्ण मैंचों में पर्याप्त रुचि के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन को आंखों देखा हाल के माध्यम से उनको पर्याप्त कवरेज देना पड़ता है । अतः इन कमैंट्रियों के समयों में परिवर्तन करना या समय कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिजली सप्लाई उद्योग के कार्य की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति

5959. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में बिजली सप्लाई उद्योग के कार्य की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना कब की गई थी ;

(ग) इसके सदस्यों के नाम क्या थे ;

(घ) क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ड़) यदि हां, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक देगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) 27 नवम्बर, 1978

(ग) समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. श्री वी० जी० राजाध्यक्ष, सदस्य, योजना आयोग ।
2. श्री एन० बी० प्रसाद, सचिव, विद्युत् विभाग ।
3. श्री एस० एन० राय, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
4. श्री जे० सी० शाह, अध्यक्ष, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ।
5. डा० एन० टाटा राव, अध्यक्ष, आंन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ।
6. श्री जे० एम० पटनायक, अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ।
7. श्री आर० एन० भार्गव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ।
8. प्रो० वी० एन० कोठारी, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय ।
9. श्री के० एम० चिनप्पा, प्रबन्ध निदेशक, टाटा इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी ।
10. डा० के० वी० राघवन, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियरज (इण्डिया) लिमिटेड ।
11. श्री मुथुस्वामी गाउन्डर, अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य कृषिक संघ ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) समिति अपनी रिपोर्ट 12 महीनों की अवधि में प्रस्तुत करेगी ।

एम०ई०एस० पोर्ट ब्लेयर में कर्मचारियों का स्थायी न बनाया जाना

5960. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर में एम०ई०एस० सिब्बन्दी में कृतिक बल के बहुत से कर्मचारियों ने 11/12 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है परन्तु उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है और सभी प्रकार के लाभों से वंचित रखा गया है, और उनकी छंटनी की जाने वाली है । यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवाद, कुल संख्या कितनी है और उनको नियमित रक्षा, सिब्बन्दी में न खपाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों की छंटनी लम्बी सेवा और अनुभव तथा अधिक तथा नए भर्ती नियमों के अनुसार नई नियुक्तियों के लिए पात्र न होने को ध्यान में रखते हुए, जो व्यक्तियों की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार प्राय: बदलते रहते हैं, क्या सरकार रक्षा सिब्बंदी में इन श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित बनाने के लिए विशेष ध्यान रखेगी, यदि नहीं, तो क्यों नहीं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर अण्डमान और निकोबार द्वीपों में रक्षा निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए 1967 में एक कृत्तिक दल गठित किया गया जिसमें ट्रेडसमैनों को एक बार में दो वर्ष के लिए ठेके पर नियोजित किया

जाता है जो विशिष्ट सेवा शर्तों पर आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है । मजदूरों को छः महीने के लिए ठेके पर रखा जाता है पर यह ठेका सेवा की विशिष्ट शर्तों पर आपसी सहमति से बढ़ोया जा सकता है । यह सच है कि इसमें से कुछ मजदूरों ने ग्यारह वर्ष की सेवा कर ली है । ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार सूची संलग्न है ।

इस कृत्तिक दल के कार्मिकों को पोर्ट ब्लेयर में नियमित पदों पर खपाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । कृत्तिक दल के जिन कार्मिकों को पोर्ट ब्लेयर में नहीं खपाया जा सकेगा उन्हें "फालतु कर्मचारियों को खपाने और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने की योजना" के अन्तर्गत अन्य रक्षा स्थापनाओं में खपाने का प्रयास किया जायेगा, बशर्ते कि वे इस प्रकार खपाये जाने के लिये सामान्य सेवा शर्तें पूरी करते हों और रिक्त स्थान उपलब्ध हों ।

विवरण

क्रम संख्या	केटेगरी	संख्या
1.	बैंच फिटर	3
2.	ब्लेकस्मिथ ग्रेड-I	1
3.	ब्लेकस्मिथ ग्रेड-II	2
4.	चार्ज फिटर	1
5.	चार्ज मैकेनिक	12
6.	चार्ज इलैक्ट्रीसियन	5
7.	केबिनट मेकर	10
8.	बढ़ई	65
9.	कंपाउंडर ग्रेड-I	1
10.	चारपाई बुनने वाला	2
11.	केनेवियर	2
12.	चौकिदार	54
13.	ड्राइवर एम ई	2
14.	ड्राइवर ई एस	27
15.	इंजन फिटर	4
16.	इलैक्ट्रीसियन	7
17.	इलैक्ट्रीसियन(एम० वी०)	1
18.	इंजन ड्राइवर ग्रेड-III	1
19.	फिटर (आर० एम० एफ० टी०)	2
20.	हैड मूकुंडन	1
21.	हैमरमैन	2

क्रं० सं०	केटेगरी	संख्या
22.	खलासी	7
23.	लाइनमैन	3
24.	लसकर ग्रो डी	31
25.	मास्टर ट्रेडस मैन	3
26.	मशीनिस्ट वुड वर्कर	1
27.	मैसोन	37
28.	एम टी ड्राइवर	40
29.	एम पी ए	27
30.	मुकंडम ग्राफ लेबर	30
31.	नर्सिग एसिसटेंट	2
32.	ग्रोइलमैन/लुब्रिकेटर	14
33:	पलम्बर	2
34.	पाइप फिटर	9
35.	पेंटर	6
36.	रेफिग मेकेनिक	17
37.	एस बी ए	4
38.	सब ग्रोवरसीयर	1
39.	सुक्केनी	1
40.	स्टोरमैन	11
41.	स्वीपर	13
42.	टरनर	2
43.	टिनस्मिथ/कापरस्मिथ	1
44.	ट्रेडसमैन मेट	45
45.	ग्रपहोलस्टरर	1
46.	व्हीकल मेकेनिक	9
47.	वाल्वमैन	18
48.	वेलडर	3
49.	वायरमैन	3
50.	मजदूर	1141
	योग	1687

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में पोर्ट ब्लेयर पर बिजली का बार-बार फेल होना

5961. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपों में पोर्ट ब्लेयर में बिजली के लगातार बार-बार फेल होने का पता है जिसके कारण जनता को भारी कठिनाई होती है और यदि हां; तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं और उसके लिए क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकारी क्वार्टरों तथा क्लबों को बिजली दी जाती है, जबकि कालेज तथा स्कूल होस्टलों में एक-एक करके बिजली सप्लाई की जाती है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि परीक्षाओं के निकट आने के कारण बिजली न मिलने पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) दो डीज़ल उत्पादन सेटों के जबरन बन्द हो जाने के कारण अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में व्यस्ततमकाल में बिजली की कमियां हुई हैं। दो डीजल उत्पादन सेटों को प्राथमिकता के आधार पर चालू करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए, जर्मन जनवादी गणतन्त्र से 880-880 किलोवाट के दो नए डीजल उत्पादन सेट आयात किये जा रहे हैं तथा आशा है ये सेट एक वर्ष के भीतर चालू हो जाएंगे। 880 किलोवाट क्षमता के तीसरे डज़ील उत्पादन सेट को प्राप्त करने के लिए भी कार्यवाही आरम्भ कर दी है और इसके लिए पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय को इंडेंड भेज दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। लोड शैडिंग बारी-बारी से की गई है। परन्तु अनिवार्य उपभोक्ताओं जैसे अस्पताल तथा टेलीफोन एक्सचेंजों को लोड शैडिंग से छूट दी गयी थी। पहली मार्च, 1979 से होस्टलों को भी बिजली की निर्बाध सप्लाई की जा रही है।

(ग) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन ने सूचित किया है कि सरकारी कालेज, पोर्ट ब्लेयर के छात्रों ने बिजली की अनियमित सप्लाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। पहली मार्च, 1979 से होस्टलों को बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

छोटा नागपुर, बिहार में खनिज अयस्क निक्षेप

5962. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **इस्पात और खानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था को सामान्य रूप से बिहार में तथा विशेष रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिज अयस्क निक्षेप का भारी स्टाक मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंदी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने सामान्य रूप से बिहार और विशेष रूप से छोटा नागपुर के विकास के लिए निकट भविष्य में इस क्षेत्र में कारखाने खोलने का निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां ; बिहार में पाये गये अनेक महत्वपूर्ण खनिज निक्षेप छोटा नागपुर क्षेत्र में हैं । छोटा नागपुर क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क, क्रोमाइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट वैनेडियम धारी मैंगेनेटाइट, तांबा अयस्क, बाक्साइट, अग्निसंह मिट्टी, चीनी मिट्टी, बैराइट, एसबेस्टस, अभ्रक, एपैटाइट, ग्रैफाइट एंडालूसाइट, वर्मीक्यूलाइट और वैन्टोनाइट खनिज निक्षेप हैं ।

विहार में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं :– कोयला–48,632 मिलियन टन ; लौह अयस्क–3057 मिलियन टन ; क्रोमाइट–0.271 मिलियन टन ; चूनापत्थर—251 मिलियन टन ; डोलोमाइट––10 मिलियन टन ; तांबा अयस्क—155 मिलियन टन (1.4% तांबा) बाक्साइट 42 मिलियन टन ; आदि ।

(ग) बिहार में राज्य के खनिज भंडारों पर आधारित अनेक उद्योग जैसे, इस्पात कारखाने, सीमेंट कारखाने, उर्वरक कारखाने, तांवा प्रद्रावक, रिफ्रेक्टरीज, गंधक तेजाब कारखाने, भत्तिकाशिल्प, कांच, अभ्रक आदि उद्योग पहले से हैं ।

सोडा ऐश और सोडियम नाइट्रेट की कमी

5963. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि लघु उद्योगों के सामने सोडा ऐश और सोडियम नाइट्रेट आदि की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या इंडियन कैमिकल मर्चेन्ट्स एण्ड मैन्यूफैकचरर्स एसोसिएशन, कलकत्ता ने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । स्वदेशी वाजार में सोडा ऐश की कमी की सरकार को जानकारी है, परन्तु सोडियम नाइट्रेट की कमी की कोई विशिष्ठ शिकायत इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त नहीं की गई है ।

(ख) जी, हां । इंडियन केमिकल्स मर्चेन्टस एण्ड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, कलकत्ता ने दिनांक 27 अगस्त 1978 के अपने पत्र द्वारा सोडा ऐश की कमी के बारे में हमारा ध्यान आकृष्ट किया है ।

(ग) सोडा ऐश के वितरण और मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है तथापि स्वदेशी बाजार में सोडा ऐश की उपलब्धता को बढ़ाने तथा सोडा ऐश के उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) 15 जनवरी 1979 से सरकार ने वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (औद्योगिक) तथा उनकी संस्थाओं/सहकारी समितियों को आम सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सोडा ऐश के आयात की स्वीकृति दी है ।

(ii) सीमा शुल्क घटाकर डेन्स सोडा ऐश पर 75% से 5% तथा लाईट सोडा ऐश पर 35% कर दिया गया है ।

(iii) सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को प्रतिमाह 1200 मी० टन सोडा ऐश के आवंटन के लिये प्रबन्ध किया है ताकि सम्पूर्ण देश में उनकी सहकारी समितियों द्वारा 1–2 किलोग्राम के छोटे पैकिटों में सोडा ऐश का वितरण धोबियों, गृहनियों आदि को किया जा सके ।

(iv) वर्ष 1979 में समस्त औद्योगिक उपभोक्ताओं को वर्ष 1977 के दौरान उनके द्वारा उठान की मात्रा तक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने सोडा ऐश के समस्त निर्माताओं को मार्ग-दर्शिका जारी की है ।

(v) राज्य में सोडा ऐश के उपभोग और वितरण की राज्य एजेंसियों द्वारा प्रभावी देख-रेख को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से व्यापारियों एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह दी गई सप्लाई के ब्यौरे राज्य सरकारों को सूचित किये जाते हैं ।

निगम के अन्तर्गत भारतीय उर्वरक निगम के एकक

5964. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारतीय उर्वरक निगम के उन एककों का ब्यौरा क्या है जो निगम के अन्तर्गत हैं;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन जैसे इसके कुछ एककों के मुख्यालयों को पटना स्थानान्तरित किया जाना था; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया तथा नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का दिनांक 1-4-1978 से निम्नलिखित पांच कम्पनियों में पुनर्गठन किया गया है :—

कम्पनी का नाम	एकक/प्रभाव
1. फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	सिन्दरी (सिन्दरी आधु निकीकरण तथा सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण सहित) गोरखपुर। तालचर, रामागुण्डम और कोरबा ।
2. नेशनल फर्टिलाइज़र्स लि०	नंगल, भटिंडा और पानीपत
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड	नामरूप, हल्दिया, बरौनी और दुर्गापुर ।
4. राष्ट्रीय कैमिकल एण्डफर्टिलाइज़र लि०	ट्राम्बे की समस्त एककें तथा बम्बई के दक्षिण में गैस पर आधारित संयंत्र ।
5. फर्टिलाइज़र (पी० एण्ड ड़ी०) इंडिया लि०	एफ०सी०आई० का पी० एण्ड डी० प्रभाग ।

(ख) और (ग) उर्वरक कम्पनियों के मुख्यालय, जोकि इस समय दिल्ली में स्थित हैं, को स्थानान्तरित करने का प्रश्न परीक्षणाधीन है ।

पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब डिवीजन में एक जेट विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

5965. प्रो० समर गुह : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कलाईकांडा सेक्टर से उड़ने वाला विमान पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब डिवीजन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के तथ्य क्या हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी जान-माल की हानि हुई ; और

(ग) इस दुर्घटना में प्रभावित लोगों को उचित क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) वायु सेना की पूर्वी कमान के जनरल क्षेत्र में एक विमान दुर्घटना हो गई थी ; जिसमें, दुर्भाग्यवश विमान का पायलट मारा गया । इस दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच अदालत गठित की गई है और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । पायलट के निकतम संबंधी का मुआवजा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों के कलकत्ता और मद्रास के दौरों का 'कवरेज'

5966. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों के गत तीन वर्षों में मद्रास और कलकत्ता के दौरों के अवसरों पर कलकत्ता और मद्रास प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा किए गए कवरेज के बारे में तिथि-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रत्येक अवसर पर किन-किन दैनिक समाचारपत्रों एवं साप्ताहिक पत्रों को केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों की सूचना दी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रेस सूचना ब्यूरो कलकत्ता और मद्रास के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों के अधिकतर दौरों की उपेक्षा की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा दौरों पर आने वाले केन्द्रीय मंत्रियों के साथ स्थानीय भाषाई-पत्रों की भेंट आयोजित करने के बारे में की गई कारवाई का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ङ) पत्र सूचना कार्यालय प्रेस को केवल मंत्रियों द्वारा बुलाये गए प्रेस सम्मेलनों में ही नहीं अपितु केन्द्रीय सरकार के सरकारी समारोहों में भी आमंत्रित करता है । ऐसे सभी अवसरों पर भाषाई-पत्रों सहित सभी स्थानीय दैनिकों तथा साप्ताहिकों, जो विषय से सम्बन्धित हों, को आमंत्रित किया जाता है ।

मंत्रियों की इच्छा पर भाषायी दैनिकों और साप्ताहिकों के विशेष प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकों की व्यवस्था भी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्र सूचना कार्यालय ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों की कलकत्ता और मद्रास की यात्राओं और प्रधान मंत्री जैसा कि विवरण में बताया गया है, को कवर करने की व्यवस्था की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

'विवरण'

वर्ष	प्रधान मंत्री सहित उन केन्द्रीय मंत्रियों जिन्होंने दौरे किए, की संख्या	कबर किए गए प्रेस सम्मेलनों सहित यात्राओं की संख्या
1	2	3
कलकत्ता		
1976		
जनवरी	4	4
फरवरी	4	5
मार्च	3	3
अप्रैल	–	1
मई	–	–
जून	3	3
जुलाई	6	8
अगस्त	2	3
सितम्बर	–	7
अक्तूबर	2	2
नवम्बर	5	8
दिसम्बर	3	6
1977		
जनवरी	3	3
फरवरी	1	1
मार्च	1	1
अप्रैल	2	3

1	2	3
मई	2	3
जून	–	–
जुलाई	1	1
अगस्त	3	7
सितम्बर	3	3
अक्तूबर	1	1
नवम्बर	4	4
दिसम्बर	3	5
1978		
जनवरी	2	3
फरवरी	4	4
मार्च	1	3
अप्रैल	4	7
मई	3	3
जून	4	4
जुलाई	1	3
अगस्त	3	4
सितम्बर	2	6
अक्तूबर	–	4
नवम्बर	–	1
दिसम्बर	–	3
मद्रास		
1976		
जनवरी	4	4
फरवरी	3	4
मार्च	3	3
अप्रैल	4	6
मई	4	4
जून	5	6
जुलाई	4	6

1	2	3
अगस्त	5	7
सितम्बर	4	4
अक्तूबर	3	4
नवम्बर	5	7
दिसम्बर	3	7
1977		
जनवरी	6	6
फरवरी	1	1
मार्च	—	—
अप्रैल	3	3
मई	2	3
जून	1	1
जुलाई	1	1
अगस्त	—	—
सितम्बर	4	4
अक्तूबर	1	1
नवम्बर	1	4
दिसम्बर	4	5
1978		
जनवरी	6	6
फरवरी	5	6
मार्च	1	1
अप्रैल	2	2
मई	1	3
जून	1	1
जुलाई	2	2
अगस्त	—	—
सितम्बर	3	5
अक्तूबर	1	1
नवम्बर	2	2
दिसम्बर	—	—

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का पुनर्गठन

5967. श्री एस० आर० दामाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रस्तावित पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है जिसके लिए वर्ष 1979-80 के प्राक्कलनों में प्रावधान किया गया है ;

(ख) चार तापीय विद्युत केन्द्र प्रशिक्षण संस्थानों के एक पंजीकृत निकाय में प्रस्तावित परिवर्तन से क्या लाभ होगा ; और

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान विद्युत प्रजनन हेतु भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए चुने गये क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एक सांविधिक संगठन है। इसकी स्थापना विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत की गई थी। इस संगठन को आयोजना, जल-विद्युत और ताप विद्युत विकास, विद्युत संयंत्रों के प्रचलन और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की मानिटरिंग तथा विद्युत परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्थापित चार ताप विद्युत संस्थानों का एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में पुनर्गठन करने के लिए 1979-80 के बजट अनुमानों में धन की व्यवस्था की गई है। ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक संस्थान एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किए गए हैं क्योंकि सरकारी विभाग के रूप में उनका वर्तमान प्रबन्ध ढांचा उनके संचालन में परिवर्तन संबंधी गुंजाइशों में बाधक था। यह सोसाइटी विभिन्न यूटिलिटिज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय करके और उसे अपने प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों से सम्पूरित करके देश में विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सर्वोच्चय राष्ट्रीय निकाय है। यह सोसाइटी एक शासी परिषद् के जरिए कार्य करेगी। इसमें व्यापक-आधार पर प्रतिनिधित्व होगा जिसमें समवर्गी क्षेत्रों और विधाओं से व्यक्ति तथा ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ग) दो क्षेत्रों क्रमशः (1) लद्दाख जिले (जम्मू व कश्मीर) में पुगा घाटी और (2) हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले में पार्वती घाटी में 1979-80 के दौरान भी भूतापीय अन्वेषण कार्य जारी रखने की योजना है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की परियोजनाओं की धीमी गति

5968. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनकी धीमी गति के कारण वर्ष 1978-79 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलनों में 5.91 करोड़ रुपये की कमी हुई है ; और इस धीमी गति के क्या कारण हैं ; और

(ख) उन नई परियोजनाओं संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्हें अगले वर्ष अर्थात् 1979-80 में शुरू किया जाएगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) खर्च में कमी होने के मुख्य कारण ये हैं :--

मशीनें देर से उपलब्ध होना और इसलिए देर से स्थापित किया जाना, डिजायन में परिवर्तन होना और उपलब्ध संसाधनों का उचित रूप से उपयोग किया जाना। परियोजनाओं का नाम बताना लोकहित में नहीं है।

(ख) जगुआर परियोजना का कार्य 1979-80 के दौरान शुरू होगा।

अशोधित तेल की खरीद

5969. श्री एस० आर० दामाणी : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य पर कितना अशोधित तेल खरीदा गया और उसमें कितना धन लगा ;

(ख) क्या चालू कैलेंडर वर्ष के लिए मांग और पूर्ति के बीच में अन्तराल को पूरा करने के लिए अशोधित तेल की अतिरिक्त सप्लाई हेतु सोवियत संघ की पेशकश पर्याप्त होगी, यदि नहीं तो आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या अतिरिक्त व्ययस्था की गई है ; और

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने लीबिया के "लो सल्फर" अशोधित तेल के लिए किसी कम्पनी के साथ तुरन्त सौदा किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जनवरी-मार्च 1979 के बीच की अवधि के दौरान ईराक नेशनल आयल कम्पनी तथा कतार जनरल पैट्रोलियम कम्पनी से सरकारी ओपेक मूल्य की अपेक्षा कुल 0.78 मिलियम मी० टन अशोधित तेल इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा अधिक मूल्य पर खरीदा गया। इसके बारे में और अधिक विवरण देना इंडियन आयल कार्पोरेशन के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के विपरीत भी होगा।

(ख) वर्ष 1979 के दौरान रूस से 0.6 मिलियम मी० टन की अतिरिक्त मात्रा की सम्भावित सप्लाई से आवश्यकताओं और वर्तमान निश्चित व्यवस्थाओं के अन्तर को पूरा करेगा। अशोधित तेल की आयातित शेष आवश्यकता को पूरा करने के प्रबन्ध के लिए बातचीत विभिन्न स्तरों पर है।

(ग) प्रश्न के इस पहलू पर अभी अंतिम निर्णय लेना है।

विमानों के बेयरिंगों का निर्माण

5970. श्री सरत कार : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के बेयरिंगों का जिनका पूरी तरह से आयात किया जाता है, भारत में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स ने इस संबंध में किसी परियोजना तकनीकी विशिस्टियों को मंजूर किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोल इंडिया लि० के पास निपटान के लिए पड़े कोयला विक्रेताओं के अनिर्णीत दावे

5971. श्री सरत कार : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के पास कोयला विक्रेताओं के दावों के मामले बड़ी संख्या में अनेक वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो दावा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और वे कब से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) उक्त दावों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) ऐसे लगभग 485 दावे हैं । कोल इंडिया लि० के पास लगभग 79.50 लाख रुपए के दावे निपटाने के लिए विचाराधीन हैं । ये दावे अलग-अलग अवधियों से संबन्धित हैं और कुछ 1973-74 तथा उसकी बाद की अवधि के हैं ।

(ग) कोयला कम्पनियां डीलरों के दावे जितनी जल्दी संभव हो निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं ; ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में दावों की संख्या बहुत है इसलिए वहां तो इनके शीघ्र निपटान के लिए एक अलग अनुभाग स्थापित कर दिया गया है ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स की लालमटिया-हूरा कोयला खानों से कोयला निकालने में धीमापन

5972. डा० रामजी सिंह : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स की लालमटिया-हूरा कोयला खानों में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कोयला निकालने में धीमेपन के क्या कारण हैं ;

(ग) इस समय इन खानों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और दस वर्ष पहले वे कितने थे ; और

(घ) क्या सरकार अन्य खानों में भी काम आरम्भ करेगी तथा पहले उन श्रमिकों को रोजगार देगी जिन्हें पहले सेवा से हटा दिया गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विचारणाधीन व्यक्तियों को कानूनी सहायता

5973. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे विचारणाधीन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने का उपबन्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो कारागारों में लम्बी अवधि से परिरुद्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले हैं और गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों के पृथक्-पृथक् कितने मामलों में ऐसी कानूनी सहायता मांगी गई ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी, हां। कानूनी सहायता से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट "जनता और न्याय (प्रक्रियागत सुधार की भूमिका)" के अध्याय 7 में विचारण-पूर्व सहायता के विषय पर कुछ सिफारिशें की गई हैं। इस रिपोर्ट और राष्ट्रीय कानूनी सहायता से संबंधित भगवती समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ख) सरकार को उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभी विनिश्चय करना है इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुराने जीपों, ट्रकों और टैंकों की बिक्री

5974. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी जीपों, ट्रकों और टैंकों की बिक्री के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सेना की आवश्यकता से फालतू जीप और ट्रकों को सार्वजनिक नीलामी के लिए महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान को दे दिया जाता है। जीपें संसद् सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद् सदस्यों को भी दी जाती हैं। ट्रक और जीपें धर्मार्थ/कल्याण/शिक्षा संस्थाओं और भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को भी दी जाती हैं।

टैंकों के रक्षा सेवाओं से फालतू और बेकार हो जाने पर उनके उपयोगी पुर्जों और सुरक्षा मदों को उतार कर सुरक्षा अनुदेशों के अनुसार उनके पुर्जे अलग-अलग करके सार्वजनिक नीलामी अथवा टेंडर मंगाकर या बात-चीत के माध्यम से बेच दिया जाता है।

पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

5975. **श्री के० मालन्ना :**
श्री वसंत साठे :
श्री विजय कुमार एन० पाटिल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1979 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आयातित अशोधित तेल के मूल्य में अनपेक्षित वृद्धि

के कारण पेट्रोल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार हाल के बजट में पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा हाई स्पीड डीजल पर शुल्क में भारी वृद्धि के बाद इतनी शीघ्र इनके मूल्यों में वृद्धि करने का है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने दिनांक 1-4-1979 से अशोधित तेल के मूल्यों में और अधिक वृद्धि करने का निर्णय किया है।

मूल्य वृद्धि से पैदा होने वाली स्थिति के हर पहलू पर तेल कम्पनियों के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में संगणक का प्रतिकूल प्रभाव

5976. श्री के० मालन्ना : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि हाल ही में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में स्थापित किये गये संगणक का रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसी प्रकार के संगणक अन्य रक्षा एककों में स्थापित करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) भ रत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में कंप्यूटर लगाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य सामान सूची (इन्वेन्टरी) में अधिक अच्छा नियंत्रण प्राप्त करना और उत्पादन योजना में सहायता देना है। कंप्यूटर लगने से कर्मचारियों की छंटनी अथवा रोजगार के अवसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) सरकार ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में कंप्यूटर लगाने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अन्य उपक्रमों में भी आवश्यकता होने पर ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है ।

उर्वरक कारखानों से उर्वरकों की चोरी अथवा छुटपुट चोरी

5977. श्री के० मालन्ना : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उर्वरक कारखानों और सरकारी भंडारों से उर्वरकों की चोरी अथवा छुटपुट चोरी से कितनी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की आवर्ती हानि, छुटपुट चोरियों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान किसी भी प्रमुख उर्वरक फैक्टरी को, फैक्टरी के क्षेत्र से चोरी अथवा अन्य तरह से माल निकाले जाने के कारण कोई हानि नहीं हुई थी। कुछ मामलों में माल को फैक्टरी से उपभोक्ता केन्द्रों को ले जाने के दौरान या फैक्टरियों से बाहर गोदामों में रखे गए स्टाक से चोरी से कुछ माल निकाला गया था जिसके लिए रेलवे, बीमा कम्पनियों या वेयर हाऊसिंग निगमों से या तो उचित प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली गई है या की जा रही है। परन्तु बरौनी उर्वरक फैक्ट्री के मामले में 1977-78 के दौरान रेलवे साइडिंग से भरे हुए रेल डिब्बों में से 20 बोरियों की चोरी हुई थी जिसका मूल्य लगभग 1400 रुपये था।

जहां तक आयातित उर्वरकों का संबंध है, उनकी भारतीय खाद्य निगम द्वारा देख-रेख की जाती है और चोरी आदि के कारण इन वर्षों के दौरान लगभग 45 रुपये के मूल्य की सामग्री बट्टे खाते में डाली गई थी, या डाली जा रही है। 1,07,130/– रुपये के मूल्यों के उर्वरकों की चोरी के मामले जांचाधीन हैं और यह देखा जा रहा है कि क्या इस हानि के लिए कोई दायित्व निश्चित करके धनराशि की प्रतिप्राप्ति की जा सकती है। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी धनराशि इस हानि के कारण बट्टे खाते में डालनी पड़ेगी।

(ग) चोरी आदि की रोक-थाम के लिए उर्वरक कम्पनियों द्वारा निम्न सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(i) अच्छी प्रकार से सुरक्षित सिलों में उर्वरकों का भंडारण।

(ii) सुरक्षा दल द्वारा दिन रात निगरानी।

(iii) फैक्ट्री क्षेत्र के आस-पास पक्की दिवारों या फेन्सिग की व्यवस्था।

(iv) फैक्टरी से उर्वरकों का प्रेषण (डिस्पेच) केवल बन्द वोरों में किया जाता है जिन्हें अच्छी तरह तोल कर सिल दिया जाता है।

(v) अचानक चैंकिंग करना।

(vi) नियमित रूप से स्टाक का वास्तविक निरीक्षण करना।

(vii) रात के समय रेलवे-बोर्ड की पैट्रोलिंग (गश्त) को तेज करना जब माल से लदे रेल डिब्बे बाहर जाने के लिए तैयार हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा देख-रेख किए जाने वाले आयातित उर्वरकों के लिए निम्न सुरक्षा उपाय किए गए हैं :—

(i) अधिकांश रूप से उर्वरकों का भंडारण राज्य गोदाम निगमों तथा केन्द्रीय गोदाम निगमों के गोदामों में किया जाता है, जहां सुरक्षा के यथेस्ट प्रबन्ध हैं।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के लिए दिन-रात देख-रेख की व्यवस्था है।

(iii) नियमित रूप से और अचानक निरीक्षण सुनिश्चित किया गया है।

रक्षा कर्मचारियों द्वारा छुट्टी न लिए जाने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाना

5978. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है कि उन रक्षा कर्मचारियों को 60 दिन की छुट्टी के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा जो इसको नहीं लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसको संशोधित करने के लिए कार्यवाही करेगी और प्रत्येक (जवान) के लिए तीन वर्ष में कम से कम एक बार छुट्टी पर जाने की व्यवस्था को अनिवार्य बनायेगी ताकि वह सैनिक होने के नाते कुछ समय के लिए छुट्टी पर जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) छुट्टियों के बदले नकद राशि देने की रियायत सभी कार्मिकों को केवल एक बार सेवानिवृत्ति के समय दी जाती है । यह रियायत उस कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टियों के अनुसार निम्नलिखित रूप से दी जाती है :—

(क) अफसर 60 दिन

(ख) अफसर रैंक से नीच के कार्मिक

(i) पिछले कैलेंडर वर्ष की कोई भी वार्षिक छुट्टी जमा न करने वाले कार्मिकों के मामले में 60 दिन ।

(ii) जिन भारतीय अधिवास के कार्मिकों ने अपने खाते में पिछले वर्ष की छुट्टियां जमा की हैं उनके मामले में 90 दिन ।

(iii) जिन नेपाल अधिवास के कार्मिकों ने अपने खाते में पिछले वर्ष की छुट्टियां जमा की हैं उनके मामले में 120 दिन ।

आमतौर से, शान्तिकाल में यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाता है कि सभी कार्मिक वर्ष के अन्दर अपनी पूरी वार्षिक छुट्टियां ले लें, परन्तु कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें सेवा की अनिवार्यता के कारण वार्षिक छुट्टियों का पूरा कोटा मंजूर नहीं किया जा सका हो ।

अफसरों के मामले में न ली गई छुट्टियां वर्ष की समाप्ति पर खत्म हो जाती हैं । जिन अन्य रैंक ने वर्ष के दौरान अपनी वार्षिक छुट्टियां नहीं ली हैं वे अगले कैलेंडर वर्ष में अपनी अधिकतम 90 दिनों (गोरखा के मामलों में 120 दिन) की संचित छुट्टियां ले सकते हैं ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला श्रमिकों की संख्या

5979. श्री ए० के० राय : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में नैमित्तिक और स्थाई रजिस्टर में महिला श्रमिकों की संख्या कितनी थी ; पुरुष तथा महिला श्रमिकों का अनुपात क्या था और प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक परिपत्र जारी करके महिला श्रमिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों के स्थान पर पुरुष श्रमिक रखे गये हैं ; यदि हां, तो ऐसे परिपत्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार की नीति सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के बारे में संविधान में दी गई गारंटी के विरुद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला विरोधी नीति अपनाये जाने के कारण महिला श्रमिकों के साथ किये गये अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कम्पनियों को निदेशकों की नियुक्तियों सम्बन्धी दिशा-निर्देश

5980. श्री वेदव्रत बरूआ : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में प्रबन्ध एवं पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के बारे में 20 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर में कहा गया है क्या कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों तथा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्तियों को मंजूर करने वाले अथवा मंजूर करने पर विचार करने के बारे में यदि सब जगह लागू होने वाले कोई दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या इस मामले में निर्णय किन्हीं सोद्देश्य मानकों पर आधारित होता है जिसके लिये प्रत्येक आवेदक कम्पनी द्वारा दिये गये एक-समान तथ्य चुन लिये जाते हैं; और

(ग) यह मत निर्धारित करने के लिये कौन से बोर्ड अथवा अधिकारी प्राधिकृत हैं कि कोई प्रबन्ध निदेशक नियुक्ति के लिये उपयुक्त तथा सही व्यक्ति है अथवा नहीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) तथा (ग) सरकार द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हैं के प्रबन्धकीय और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के प्रस्तावों को निर्धारित फार्म, जिसमें जैसे विद्यमान प्रबन्ध की प्रकृति और रूप प्रस्ताव के कारण प्रबन्धकीय/पूर्णकालिक निदेशकों आदि द्वारा की गई सेवाओं की प्रकृति के सम्बन्ध में विवरण मांगे जाते हैं । ये प्रस्ताव कम्पनी के आकार और कार्यों तथा प्रबन्धकीय/पूर्णकालिक निदेशकों को दिये गये उत्तरदायित्वों और कार्यों के सम्बन्ध में न्याय संगत होने चाहिए तथा अगर वे कम्पनी के हितों के दर्शाये जाते हैं तो अनुमोदित किये जाते हैं । धारा 269 की उप-धारा (3) में विशेषरूप से व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार को जब तक यह सन्तोष नहीं हो जाता है कि कम्पनी का प्रस्तावित प्रबन्धकीय या पूर्णकालिक निदेशक उसकी राय में योग्य है तथा नियुक्ति के लिये उचित व्यक्ति है तथा इस तरह से, इस प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति लोकहित के विरुद्ध नहीं है तब तक वह अपना अनुमोदन नहीं देगी । प्रत्येक मामले पर उपरोक्त नीति और कम्पनी अधिनियम, 1956

की धारा 269 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके गुणावंगुण पर विचार किया जाता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में कार्यक्रम

5981. श्री लालजी भाई : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से पृथक्-पृथक् नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) वर्ष 1979 के दौरान समाचार सेवा प्रभाग सहित आकाशवाणी से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 82 जयन्ती के संबंध में विभिन्न रूपों में 307 कार्यक्रम प्रसारित किये गये और दूरदर्शन से 1977, 1978 और 1979 वर्षों के दौरान 88 कार्यक्रम टेलीकास्ट किये गए। 1977 और 1978 वर्षों के लिए आकाशवाणी के तैयार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और देश के आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और यथासमय सदन की मेज पर रख दिये जाएंगे।

(ख) 1979 में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों और 1977, 1978 और 1979 के दौरान दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों के विवरण परिशिष्ट 1 और 2 में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4245/79]

1973 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले रिजर्व सैनिकों को पेन्शन

5982. श्री वी० जी० हान्डे : क्या **उप-प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व सशस्त्र सेनाओं के उन व्यक्तियों को केवल 10 रुपये पेंशन मिल रही है जो 1973 से पहले सेवानिवृत्त/रिज़र्व किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1973 के बाद के सशस्त्र सेनाओं के रिज़र्व सैनिकों/सेवा निवृत्त व्यक्तियों को पेंशन योजना के पुनरीक्षण से लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार उन पेंशनरों के मामलों पर विचार करेगी जिनको 10 रुपये मासिक मिल रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) 1-1-1973 से पहले लेकिन 1-4-1968 को या उसके बाद पेंशन पर गए रिज़र्विस्टों को 15 रु० मासिक की दर पर पेंशन मिलती है जबकि 1-4-1968 से पहले पेंशन पर गए रिज़र्विस्टों को 10 रु० से लेकर 12 रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है। इस पेंशन के अलावा इन दो श्रेणी के रिज़र्विस्टों को प्रतिमास 15 रु० की तदर्थ वृद्धि, 15 रु० की तदर्थ राहत और 35 रु० की सामयिक राहत मिलती है। इस प्रकार इनकी कुल पेंशन 75 रु० से 80 रु० प्रतिमास बैठती है।

1-1-1973 से तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सेवा कार्मिकों की पेंशन दरों की में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप 1-1-1973 को या उसके बाद पेंशन पर गए अन्य रैंकों के रिज़र्विस्टों की पेंशन की दरें 50 रु० प्रतिमास तक बढ़ा दी गई हैं। पेंशन के अलावा इन्हें 35 रु० प्रतिमास की सामयिक राहत भी मिलती है। इस प्रकार इनकी कुल मासिक पेंशन 85 रु० हो जाती है।

1-1-1973 से पहले पेंशन पर गए रिज़र्विस्टों की पेंशन और इस तारीख को अथवा इसके बाद पेंशन पर गए रिज़र्विस्टों की पेंशन के बीच वास्तविक अन्तर 5 रु० से 10 रु० प्रतिमास है।

(ग) जी, नहीं। अन्य वर्गों के पेंशनरों के मामलों की तरह 1-1-1973 से पहले पेंशन पर गए अन्य रैंकों के रिज़र्विस्टों की पेंशन की दरों में संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेवा निवृत्त रक्षा कर्मचारियों की बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए उपाय

5983. श्री युवराज : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति वर्ष सेवा निवृत्त होने वाले रक्षा कर्मचारियों के रोजगार की समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अनुभव की जा रही आवास समस्या को हल करने के लिये कोइ कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि सैनिकों की सेवानिवृत्ति करने के स्थान पर उन्हें रक्षा सामान तैयार करने वाले कारखानों में रोजगार दिया जाए जिससे कि ठेका पद्धति समाप्त हो और घटिया किस्म का उत्पादन भी रोका जा सके; यदि हां, तो ऐसी योजना कब कार्यान्वित की जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत सरकार में समूह "ग" तथा "घ" में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% तथा 20% स्थान आरक्षित किए गए हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी समूह "ग" तथा "घ" में 17½% तथा 27½% स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। राज्य सरकारों की नौकरियों में भी अधिकतर राज्य सरकारों ने 2% से 28% तक स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए हैं।

अफसरों के एक अध्ययन दल (यह दल राघवाचारी समिति के नाम से जाना जाता है) ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या का गहन अध्ययन किया है और इस दल की सिफारिशों की जाँच की जा रही है। इस कार्यकारी दल की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर आशा है कि सिविल नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों की रोजगार की स्थिति सुधर जाएगी।

(ख) आवास का विषय राज्य सरकार का है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार की सिफारिश

पर अधिकतर राज्य सरकारें अपनी आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवास स्थल तथा तैयार मकानों के आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दे रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

औषधियां बनाने वाली बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा अर्जित अत्यधिक लाभ की जांच करने के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशें

5984. श्री के० राममूर्ति : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों का निर्माण कर रही बहु-राष्ट्रीय फर्मों द्वारा अनुचित रूप से अर्जित किए जा रहे अत्यधिक लाभ के बारे में लगाए गए आरोपों की जाँच करने के लिए नियुक्त समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) समिति द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में कोयले की कमी

5985. श्री डी० डी० देसाई : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद-बड़ौदा क्षेत्र में कोयले के भंडार बनाये जायेंगे ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा अहमदाबाद-बड़ौदा क्षेत्र में कोयले के टाल (डम्प) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, यदि उपभोक्ता/राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर टाल (डम्प) स्थापित करना चाहें तो वहां कोयला पहुंचा दिया जाएगा।

एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिये कम्पनियों की संख्या सीमित करने का प्रस्ताव

5986. श्री डी० डी० देसाई : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों की संख्या पांच सीमित करने का है जिनके लिये एक प्रबन्ध निदेश को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ;

(ख) क्या प्रबन्ध निदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता भी निर्धारित करने का विचार है ;

(ग) क्या ये प्रस्ताव पारिकालिक व्यवसाय की संकल्पना को सीमित करने के लिये है ;

(घ) यदि हां, तो क्या अनेक व्यापारियों, वाणिज्य मंडलों तथा शेयरधारियों ने इन प्रस्तावों का विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) माननीय सदस्य अनुमानतः सच्चर समिति की सिफारिशों की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट की प्रतियां 30-8-1978 को सदन के पटल पर रखी गई थीं। समिति को किये गए हवालों की एक शर्त यस थी कि समिति ".....प्रबन्ध के व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक कदमों पर" विचार करे और रिपोर्ट दे। तदनुसार समिति ने अन्य बातों समेत यह सिफारिश की है कि :—

(i) प्रबन्ध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक को "व्यावसायिक प्रबन्धक" होना चाहिए (रिपोर्ट का अनुच्छेद 3.4)

(ii) व्यवसायिक प्रबन्धक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी विशेष पेशा का होगा या वो किसी स्वीकृत व्यवसायिक संगठन या संस्थान का सदस्य होगा जो अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता होगा या जो प्रबन्ध में किसी डिप्लोमा या डिग्री रखता होगा जो किसी संस्थान द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा दी गई होगी या किसी स्वीकृत विश्व-विद्यालय का स्नातकत्तिर उपाधि का धारक होगा और किसी कम्पनी, निगम, संस्था या सरकार में कम से कम पांच वर्ष का कार्यकारी पद का अनुभव रखता होगा। विकल्प से, एक-व्यवसायिक प्रबन्ध एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे किसी कम्पनी, निगम, संस्थान या सरकार में कम से कम 10 वर्ष का कार्यकारी पद का अनुभव हो(अनुच्छेद 3.4 और 5.6)। कमेटी ने आगे यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को जिसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो, जैसा उपर कहा गया है एक प्रबन्ध या पूर्णकालिक निदेशक रखना चाहिए। कमेटी की दूसरी सिफारिश यह है कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा कम्पनियों का प्रबन्ध निदेशक न बन सकेगा जब तक कि :

(क) धारक-सहायक कम्पनियों के बारे में दोनों कम्पनियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पास कर नियुक्ति स्वीकृत नहीं दी जातीं ;

(ख) किसी अन्य कम्पनी में जब तक नीचे लिखी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं :—

(i) जिस कम्पनी में वह आदमी काम कर रहा है वह दूसरी कम्पनी में नियुक्ति की स्वीकृति दें।

(ii) दूसरी पब्लिक कम्पनी जो ऐसे आदमी को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करना चाहती है इस नियुक्ति को विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत करें।

(iii) कम्पनी ला बोर्ड की स्वीकृति दूसरीं कम्पनी द्वारा ऐसे आदमी की नियुक्ति के लिए ली जाए (अनुच्छेद 5.15)। दूसरी सिफारिश प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा धारित निदेशक पदों की संख्या

को दस तक सीमित करने के बारे में है क्योंकि ऐसा आदमी बहुत सारी कम्पनियों को पर्याप्त समय न दे पायेगा। (अनुच्छेद 5.17)

(ग) ऊपर बताये गये समिति के अनुमोदन प्रबन्ध के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के वास्ते हैं। (अनुच्छेद 5.1 से 5.6)।

(घ) कुछ व्यापार संघों और व्यवसायिक संस्थाओं ने सरकार से कहा है कि समिति द्वारा "व्यवसायिक प्रबन्ध" की दी गई परिभाषा सम्पूर्ण नहीं है और कुछ पेशों और शान क्षेत्रों को छोड़ देती है। कुछ और लोगों ने यह कहा है कि कुछ योग्यताओं, विश्वविद्यालय की डिग्री और कुछ वर्षों के अनुभव पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।

(ड़) समिति की सिफारिशें सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। और उन्हें लागू करने के लिये उचित कदम जिनमें आवश्यक कानूनी संशोधन भी शामिल होगा, समय आने पर लिये जायेंगे।

बंगलौर इस्पात संयंत्र के लिये नया सहयोग

5987. श्री डी० डी० देसाई : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर इस्पात संयंत्र के लिये फ्रांस से सहयोग मांगा जायेगा ;

(ख) सहयोग के लिये अन्य किन देशों ने निश्चित प्रस्ताव किये हैं ; और

(ग) सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों संबंधी विभिन्न शर्तें क्या हैं तथा उनके सापेक्ष लाभ क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार भारत में समुद्री तट पर इस्पात कारखाने लगाने के लिए कुछ विकसित देशों से, जिनमें फ्रांस भी शामिल है, तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। फरवरी, 1979 में फ्रांस के आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल के भारत के दौरे के दौरान उनके साथ इस बारे में केवल सामान्य रूप से विचार-विनिमय हुआ था।

(ख) केवल पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स मैन्समैन डेमाग ने एक प्रारम्भिक प्रस्ताव भेजा है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे माल के नियतन के लिए सी०पी०सी० के पास पंजीकृत फर्में

5988. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तिथिवार, कच्चे माल के नियतन के लिए सी०पी०सी० के पास कितनी फर्में पंजीकृत हैं, ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं, पंजीकरण की तिथि क्या है और कितने कच्चे माल का नियतन किया गया है ; और

(ख) क्या ये सभी फर्में पंजीकृत हैं, उनके पंजीकरण की अवधि कितनी है और गत तीन वर्षों में, वर्षवार कच्चे माल के नियतन, मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड रसायनों, पैट्रो-रसायनों और बल्क औषधों के लिए केनेलाइजेशन की एजेन्सी है । वे रसायन क्षेत्र में संगठित क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के करीब 1000 यूनिटों, पैट्रो-रसायनों के क्षेत्रों में 2500 यूनिटों की और बल्क औषधों के क्षेत्रों में करीब 400 यूनिटों की सेवा कर रहे हैं । इनमें से प्रत्येक फर्म अपने कच्चे माल की आवश्यकताओं के लिए सी०पी०सी० के साथ या तो एक पदार्थ के लिए या एक से अधिक पदार्थों के लिए पंजीकरण कराते हैं । इसके अतिरिक्त 1978-79 की आयात नीति के अन्तर्गत फर्मों को यह भी सुविधा है कि वे अपनी आवश्यकताओं का पंजीकरण वर्ष के दौरान किसी भी समय कर सकते हैं यद्यपि केनेलाइजिंग एजेन्सी को सप्लाई करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाना चाहिए ।

जहां तक आवंटन का संबंध है, प्रत्येक फर्म को वर्ष के दौरान कच्चे माल की उन मदों के लिए आवंटन दिया जाता है जिनके लिए वे पंजीकृत होते हैं ।

सी०पी०सी० की सेवाएं प्राप्त करने वाली फर्मों की संख्या अधिक है और उनके नाम, पंजीकरण विवरण तथा कच्चे माल के आबंटन के ब्यौरे प्राप्त करने में समय और प्रयत्न अधिक होगा और सरकार के विचार में इसके परिणाम उनके अनुरूप नहीं होंगे ।

सरकारी माध्यम से आयातित माल विदेशी औषध फर्मों को वितरित किया जाना

5989. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री कच्चे माल की सीधी आवंटन प्रणाली के सम्बन्ध में 27 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1012 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां क्षमता निर्धारित है तब सैन्डोज, ग्लैक्सो, बोरोज, वैल्कम को उन सभी मदों के लिए जहां उनके औद्योगिक लाइसेंसों में क्षमता निर्धारित की गई है आयातित कच्चे माल का वितरण सीमित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मैसर्स सैन्डोज़ के लिए द्रव के लिए सम्पूर्ण अनुमोदित क्षमता 1,96,000 लिटर है जबकि वे शान्तिविनि का उत्पादन 5 लाख लिटर कर रहे हैं, यदि हां, तो मैसर्स रेनबेक्सो के एम्पीसिलीन के कोटे के मामले में कच्चे माल के वितरण में कटौती करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित कैसे करती है कि सरकारी माध्यम से आयातित कच्चे माल के वितरण के मामले में कोई भेदभाव न हो विशेषकर जब नीति के अधिकार क्षेत्र की घोषणा हो चुकी है और कुछ मामलों में क्षमताओं का समेकन कर लिया बताया गया है और कुछ मामलों में ऐसे समेकन की प्रतीक्षा की जाती है ओर उन्हें सरकारी माध्यम से आयातित माल का वितरण किया जाता है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा अक्तूबर 1978 से मार्च 1979 की अवधि के लिए जारी किए गए मार्ग

दर्शनों के अनुसार डी०जी०टी०डी० एककों को निम्नलिखित आधार पर सरणीबद्ध कच्चे माल का आबंटन किया जाना चाहिए :—

(i) जहां फार्मूलेशन-वार क्षमता दर्शायी गई है वहां ऐसी क्षमता के आधार पर अर्ध-वार्षिक आबंटन किया जायेगा।

(ii) जहां फार्मूलेशन-वार क्षमता दर्शायी नहीं गई है वहां आबंटन वर्ष 1976–77 के आबंटन का 50% तक किया जाएगा।

सैन्डोज़ और ग्लेक्सो ने लागत/सनदी लेखापाल से इस आशय के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं कि उनके पास फार्मूलेशन-वार विशिष्ट क्षमता नहीं है।

इन दो फर्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखते हुए उनको ऊपर (ii) में बताये गए मार्गदर्शनों के अनुसार सरणीबद्ध कच्चे माल का आवंटन किया गया है।

मैसर्स बुरोज़ वैल्कम के पास "ट्राइपोक्साजोल फार्मूलेशन" के लिए फार्मूलेशन-वार क्षमता उपलब्ध है। अतः इस फार्मूलेशन के निर्माण के लिए उनको सल्फामेथोक्साजोल के आवंटन को उपरोक्त (i) पर दर्शाए गए मार्गदर्शन के अनुसार सीमित किया गया है।

2. सैन्डोज़

सान्तिविनी एक तरल दवाई है जिसके लिए सैन्डोज़ को एक सी० ओ० वी० लाइसेंस (एल/22/416/71–रसा०–III, दिनांक 6 जुलाई 1971) जारी किया गया था जिसमें दस अन्य मदें शामिल थीं। इस लाइसेंस में मद-वार क्षमता नहीं दी गई थी। अतः सैन्डोज़ सरणीबद्ध कच्चे माल के आवंटन के लिए उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताई गई श्रेणी (ii) के अन्तर्गत आती थीं।

फिर भी यह सच है कि वर्ष 1977 के दौरान सान्तिविनी का उत्पादन 5,78,767 लिटर हुआ था। सान्तिविनी का इतनी मात्रा में उत्पादन करने के संदर्भ में सैन्डोज़ को सरणीबद्ध कच्चे माल का आवंटन समीक्षाधीन है।

रेनबेक्सी

इस फर्म के पास उपलब्ध औद्योगिक लाइसेंसों और उनके आधार पर एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट के लिए उनकी हकदारी निम्न प्रकार है :—

(i) औद्योगिक लाइसेंस संख्या एल०/222/395/70–रसा०–III दिनांक 13 जुलाई, 1970 उनको अन्य बातों के साथ-साथ एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट पर आधारित फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए भी प्राधिकृत करता है। इस लाइसेंस में फार्मूलेशन-वार क्षमता दर्शायी गई है और 800 किलोग्राम एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट के बराबर संबंधित बल्क औषध की खपत को दर्शाता है।

(ii) मैसर्स रेनबैक्सी के पास एम्पीसीलीन ट्राइहाइड्रेट बल्क औषध के उत्पादन में पर्याप्त विस्तार करने और एक नई मद (ग्लोक्सासिलीन) का 24 टन की संयुक्त क्षमता

के अन्तर्गत उत्पादन करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस संख्या सी० आई० एल० 34(79) दिनांक 19-2-79 है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त लगाई गई है कि फार्मूलेशनों का वर्तमान स्तर से अधिक उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की किसी भी आवश्यकता को कच्चे माल के उत्पादन से प्रेरित होना चाहिए। जिसको वे उक्त लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत विस्तार से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह औद्योगिक लाइसेंस उनको सरणीबद्ध स्टाक से एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट के आवंटन के लिए हकदार नहीं बनाता है।

वर्ष 1978-79 के दौरान मैसर्स रैनबैक्सी ने सी०पी०सी० से 2080 किलोग्राम एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट पहले ही प्राप्त कर लिया है जो कि ऊपर (i) में बताई गई उनकी हकदारी अर्थात् 800 किलोग्राम से 1280 किलोग्राम अधिक है।

(ग) सी०पी०सी०/आई०डी०पी०एल० जो कि सरणीबद्ध/वितरण एजेंसियां हैं, वे सरकार द्वारा निर्धारित नीति का उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। जब कभी सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई में पक्षपात के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो सरकार उसकी जांच करेगी।

नई औषध नीति की घोषणा के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिए गए ऋण लाइसेंस

5990. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

डा० विजय मंडल :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष नई औषध नीति की घोषणा के बाद किन-किन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ऋण-लाइसेंस दिए गए और प्रत्येक मामले में ऐसा किन कारणों से किया गया ;

(ख) ऋण-लाइसेंसों के लिए सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई को केवल 20,000 रुपये प्रतिवर्ष तक सीमित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने कुछ ऋण लाइसेंसों की प्रारम्भिक पूंजी अपने स्वयं के एकक स्थापित करने के उद्देश्य से राज सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(घ) फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में लघु एककों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ऋण लाइसेंस राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा उनसे अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) वर्ष 1977-78 आयात नीति की प्रावधानों के संदर्भ में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दी गई सलाह पर 20,000 रुपये की सीमा मार्च 1978 में निर्धारित की गई थी, जिसका अनुसरण अप्रैल 1978, मार्च 1979 के दौरान किया गया।

(ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) नई औषध नीति की विशिष्ट व्यवस्थाओं के साथ-साथ छोटे पैमाने के उद्योगों पर सरकार की सामान्य नीति, जो भी उनसे संबंधित हो, को ध्यान में रखते हुए फार्मास्यूटिकल उद्योग में छोटे एककों की विशिष्ट शिकायतों की जांच की जाती है।

गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद और उकई में तापीय बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई

5991. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गूजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद और उकई स्थित तापीय बिजलीघरों को सितम्बर से दिसम्बर, 1978 तक कितना कोयला सप्लाई किया गया तथा प्रत्येक बिजली घर की खपत कितनी है और प्रत्येक बिजली घर ने कितने कोयले की मांग की थी ;

(ख) 1977 में उन बिजली घरों को सप्लाई किये गये कोयले की तुलना में 1978 में उन्हें कितना कोयला सप्लाई किया गया ; और

(ग) इन बिजली घरों में कोयले की कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) सितम्बर, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक की अवधि में गुजरात में प्रत्येक विद्युत केन्द्र द्वारा अपेक्षित कोयले की मात्रा, स्थायी लिंकेज समिति द्वारा आबंटित मात्रा, इन केन्द्रों द्वारा वास्तव में प्राप्त और उपभोग किए गए कोयले की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है।

(ख) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान तीन विद्युत केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र को सप्लाई किए गए कोयले की कुल मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

(ग) इन विद्युत केन्द्रों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला की सप्लाई करने के लिए कोयला सप्लाई कर्त्ताओं तथा रेलवे दोनों से अनुरोध किया गया है। गुजरात के विद्युत केन्द्रों सहित, वृहत विद्युत केन्द्रों की भंडार स्थिति की मानिटरिंग दिन-प्रति-दिन के आधार पर की जाती है और ऐसे विद्युत केन्द्रों को जिनके पास कोयला का भंडार कम है प्राथमिकता के आधार पर कोयले की सप्लाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण—एक

सितम्बर, 1978 से दिसम्बर, 1978 की अवधि में गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा अपेक्षित कोयले की मात्रा, ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में कोयले का आबंटन, उनके द्वारा वास्तविक प्राप्तियों तथा उपभोग को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टनों में)

क्रम सं०	ताप-विद्युत केन्द्र का नाम		ताप-विद्युत केन्द्र द्वारा अपेक्षित कोयले की मात्रा	स्थायी लिंकेज समिति द्वारा आबंटन	वास्तविक प्राप्ति	उपभोग
1.	अहमदाबाद	सितम्बर, 78	90000	90000	82114	67771
		अक्तूबर, 78	110000	100000	69334	84194
		नवम्बर, 78	110000	110000	71001	69854
		दिसम्बर, 78	110000	110000	76335	76475
2.	गांधी नगर	सितम्बर, 78	50000	50000	17253	29242
		अक्तूबर, 78	50000	40000	29988	41160
		नवम्बर, 78	50000	50000	35045	46508
		दिसम्बर, 78	50000	50000	44181	44449
3.	उकई	सितम्बर' 78	55000	55000	23382	26950
		नक्तूबर, 78	65000	60000	34376	38034
		नवम्बर, 78	70000	60000	38182	33851
		दिसम्बर, 78	80000	60000	35946	44276

विवरण—दो

वर्ष 1977 और 1978 की अवधि में कोयले की वास्तविक प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्र का नाम	प्राप्ति (आंकड़े मीटरी टनों में)	
	1977	1978
अहमदाबाद	9,04,194	8,86,030
गांधी नगर	1,24,031	4,23,912
उकई	2,47,452	4,85,830

"मैकन एक्यूज्ड आफ लाईज ओवर एक्सपेंशन प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

5992. श्री वसन्त साठे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1979 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "मैकन एक्यूज्ड आफ लाईज ओवर एक्सपेंशन प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की, टिप्पणीवार, प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) उल्लिखित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) और (ग) ज्ञातव्य है कि सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने की 40 लाख टन क्षमता के विस्तार कार्यक्रम से अन्तर्गत लगाई जाने वाली दूसरी ठंडी बेलन मिल के रूपांकन, निर्माण तथा सप्लाई का काम पहले भारतीय संगठनों को सौंपा था। तदनुसार, मेकन तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि० परियोजना के मुख्य ठेकेदार नियुक्त किए गए थे तथा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० बिजली के काम के लिए इनके मुख्य सहयोगी थे। यह भी फैसला किया गया था कि परियोजना की समस्त लागत तथा उपस्करों के वितरण की समय-सूची को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव होगा अधिक से अधिक उपस्करों का देश में ही निर्माण किया जाएगा। कथित विवाद में मुख्य बात हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को परियोजना के लिए अपेक्षित यांत्रिक उपस्करों के निर्माण तथा आपूर्ति के लिए आर्डर देने का प्रश्न है। जहां तक बेलन मिलों के लिए यांत्रिक उपस्करों का संबंध है, जिनके लिए मेकन द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, इस मामले पर भी सरकारी स्तर पर विचरा किया गया था और देशीय निर्माण सक्षमता, कठोर तकनीकी आवश्यकताओं और कड़ी समय-सूची आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह फैसला किया गया था कि ऐसे उपस्करों का कुछ भाग आयात किया जाए तथा शेष उपस्करों का देश में उत्पादन करने के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को आर्डर दे दिए जाएं बशर्तेकि उनके मूल्य भारत में गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र की अन्य पार्टियों द्वारा दिए गए मूल्यों के समतुल्य हों। चूंकि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिए ऐसा करना संभव नहीं था अत: मेकन के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अलावा अन्य पार्टियों को आर्डर देने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। इसी तरह सहायक उपस्करों के अन्तर्गत 46 क्रेनों के लिए अन्य फर्मों को आर्डर दिए गए। इनमें से अधिकांश उपक्रम सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं क्योंकि उनके मूल्य हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा दिये गये मूल्यों से कम थे। "प्रोसेसिंग लाइन" के लिए देशीय उपस्करों के बारे में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मूल्य का प्रश्न अभी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इन्डिया) लि० के विचाराधीन है।

लांग वेव बैंड के बारे में समाचार

5993. श्री वसन्त साठे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1979 के इंडियन एक्सप्रेस में "इंडिया इण्ट्रामाइन्डस एबाउट लांग वेव बैंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) टिप्पणीवार इस मामले के तथ्य क्या हैं और की गई कार्रवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने आई०टी०यू० रीजन–3 (एशिया और प्रशान्त देशों) में प्रसारण के लिए लांगवेव बैंड के आवण्टन की सभी विषमताओं की जांच करने और इस मामले में उपयुक्त राष्ट्रीय नीति की सिफारिश के लिए सम्बन्धित विभागों के विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित किया है। सरकार कार्यदल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद विचार करेगी ।

दैनिक समाचार-पत्रों के लिए ब्लाक बनाने की व्यवस्था

5994. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात का पता है कि कुछ राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर दैनिक समाचार-पत्रों के लिए ब्लाक बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रेस सूचना ब्यूरो ने इन दैनिक समाचार-पत्रों के लिए ब्लाक सप्लाई करने की व्यवस्था की है ;

(ग) यदि हां, तो व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अगरतला के दैनिक समाचार-पत्रों के विशेष-सन्दर्भ सहित प्रत्येक राज्य में आज तक किन-किन दैनिक समाचार-पत्रों को लाभ मिला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से समाचारपत्रों को एबोनाइड ब्लाक सप्लाई किए जाते हैं ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

औद्योगिक एककों द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय

5995. श्री सचीन्द्र लाला सिंघा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार इन एककों द्वारा प्रचार पर किए गए व्यय का एककवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन दैनिक समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इन एककों ने, एककवार, विज्ञापन दिये तथा उसकी राशि क्या है;

(घ) इनमें से प्रत्येक एकक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति क्या रवैया है तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रतिबिम्बित रवैये का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की नीति के अनुसार इनमें से प्रत्येक एकक द्वारा लघु और मध्यम स्तर के दैनिक समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक गोपनीय फिल्म के बारे में समाचार

5996. श्री जी० एम० बनातवाला :

डा० रामजी सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 17 फरवरी, 1979 के ब्लिट्ज में "सीक्रेट आर०एस०एस० फिल्म और देवरस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है और यदि हां, तो वह क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'टाटोजय' नामक उक्त फिल्म मुख्यतया श्री देवरस के राष्ट्र व्यापक दौरे से संबंधित है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय से ठेके पर कुछ टेलीविजन कैमरामैन इस काम में लगे थे ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सब मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) श्री एन० जी० जोशी द्वारा निर्मित फिल्म में श्री देवरस के 1977 में जेल से मुक्त होने के बाद देश के विभिन्न भागों में किए गए दौरे को कवर किया गया है ।

(ग) इसमें दूरदर्शन पर ठेके पर लगा कोई कैमरामैन नहीं है । तथापि, पता लगा है कि निर्माता द्वारा एक कैमरामैन, जो अप्रैल, 1977 तक टी० वी० स्ट्रिंगर था (स्ट्रिंगर एक फ्रीलान्सर फोटोग्राफर होता है जो कहीं से भी काम ले सकता है ।) को काम पर लगाया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

काश्मीर में पत्रकारों को परेशान किये जाने का आरोप

5997. डा० बापू कालदाते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार और उसके अधिकारी काश्मीर में पत्रकारों को परेशान कर रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और काश्मीर के श्रमजीवी पत्रकारों के प्रस्ताव पर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) 26 दिसम्बर, 1978 में जम्मू में हुई श्रमजीवी पत्रकारों और स्थानीय सम्पादकों की बैठक में पारित प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा संवाददाताओं पर अनपेक्षित और अवांछित आक्रमण करने के आरोप पर चिंता व्यक्त की गई है । राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा परेशान किए जाने की कोई विशिष्ट घटना की सरकार को जानकारी नहीं है ।

भारतीय प्रेस परिषद् 1 मार्च, 1979 से स्थापित की गई है और इसके कार्य प्रारम्भ करने की शीघ्र आशा है । इसके कार्य क्षेत्र में ऐसे मामले, जिससे स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता हो, भी शामिल होंगे ।

पाकिस्तान द्वारा भारत पर तीन ओर से आक्रमण किए जाने की सम्भावना

5998. डा० रामजी सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1979 के अंग्रेजी समाचारपत्र ब्लिट्ज में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर तीन ओर से आक्रमण किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र में "बस्टर्ड" के शिकार के लिए सउदी अरब के प्रिंस के हाल के दोरे का भारत की सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और (ख) सरकार** ने प्रेस रिपोर्ट देखी है और उस पर कोई टिप्पनी नहीं करना चाहती है ।

संसद् में जैसा कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारी सुरक्षा सेनाएं सारी सीमा पर चौकसी बनाए रखती हैं और उन्हें आदेश है कि जहां आवश्यक हो कड़ी कार्यवाई करें ।

(ग) जी, नहीं ।

गोपालपुर-आन-सी के निकट प्रक्षेपास्त्र केन्द्र और छावनी की स्थापना

5999. श्री सरत कार : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गोपालपुर-आन-सी के निकट प्रक्षेपास्त्र केन्द्र और छावनी स्थापित के कार्य के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख इस प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन करते समय कितने व्यक्ति प्रभावित हुए ; और

(ग) उनसे ली गई भूमि के बदले उन्हें वैकल्पिक भूमि अथवा मुआवजा देने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है । इसके लिए जल-पूर्ति की व्यवस्था एक संयुक्त योजना के माध्यम से की जा रही है जिसे राज्य सरकार कार्यान्वित कर रही है । इस परियोजना को तीन चरणों में शुरू किया जाना है और इसे 1991 तक पूरा करना है । परियोजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक मंजूरी दे दी गई है । एम० ई० एस० के निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए अपेक्षित आवास और न्यूनतम बाह्य सेवाओं की व्यवस्था करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । परियोजना के अगले चरणों को भी यथासमय मंजूर कर दिया जाएगा ।

(ख) इस परियोजना के लिए 527.65 एकड़ प्राइवेट भूमि का अधिग्रहण किया गया है । इससे जो गांव और जमीन के मालिक प्रभावित हुए हैं वे निम्नलिखित हैं :—

गांव का नाम	प्रभावित मालिकों की संख्या
बोक्सीपल्ली	48
गोलाबन्ध	425
विक्रमपुर	27
कोडरापल्ली	74
जोड़	574

(ग) भूतपूर्व भूमालिकों को 57,05,774.46 रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं । यह राशि भूमि के बाजार भाव पर दी गइ है जिसे कानून के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारित किया था और इसमें भूमि को अनिवार्य रूप से अधिग्रहीत करने के लिए 15 प्रतिशत मुआवजा भी शामिल किया गया है ।

बदरपुर बिजलीघर के श्रमिकों की सेवा शर्तें

6000. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम द्वारा बदरपुर बिजलीघर के प्रबन्ध को अपने

नियन्त्रण में लेने के बाद श्रमिकों की सेवा शर्तें और खराब हो गई हैं और क्या इन सेवा शर्तों को अब तक तय नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने छुट्टी, पेंशन, अनिवार्य बीमा योजना, सामान्य भत्ता आदि के मामले में कर्मचारियों की कुछ सुविधाओं में कमी की है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में असंतोष और अशांति पैदा हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और श्रमिकों की दशा सुधारने और उनके साथ कोई अप्रिय घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) बिजली का कम उत्पादन होने और अक्तूबर-नवम्बर, 1978 में तापीय संयंत्र के 15 दिन तक बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के अन्तर्गत समाधान करते हुए दिनांक 31 अगस्त, 1978 को हस्ताक्षर किए गए एक समझौते के अन्तर्गत कामगारों को खपाने के लिए शर्तें तय की गई थीं। समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, 1 अप्रैल, 1978 से मूल वेतन में 10% की अन्तरिम वृद्धि जो अधिकतम 100 रुपये प्रति माह होगी, की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नियमों में कामगारों के लिए वर्ष में 20 दिन की अर्जित छुट्टी, 7 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 12 दिन की सवेतन छुट्टी के लिए व्यवस्था है जबकि इसकी तुलना में, केन्द्रीय सरकार नियमों के अन्तर्गत वर्ष में 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 12 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 16 दिन की सवेतन छुट्टी अनुज्ञेय है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नियमों के अन्तर्गत 75% अर्जित छुट्टी को भुनाने की अनुमति है जबकि सरकारी नियमों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। छुट्टी के मामले में, कामगारों को यह विकल्प प्राप्त है कि वे या तो सरकारी नियमों के अनुसार छुट्टी लेना जारी रख सकते हैं अथवा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नियमों के लिए विकल्प दे सकते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नियमों में सरकार के नियमों की तरह, पेंशन, अनिवार्य बीमा योजनाओं इत्यादि के लिए व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नियमों के अन्तर्गत कामगारों को पेंशन के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि और अनिवार्य बीमा योजना के बदले गैर-अंशदायी सामूहिक बीमा योजना के लाभ मिलते रहेंगे। कम्पनी नियमों के अन्तर्गत मकान किराये का भुगतान मूल वेतन का 30% है जबकि इसकी तुलना में सरकारी नियमों के अन्तर्गत यह भुगतान 15% निर्धारित है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नियमों में छुट्टी यात्रा रियायत की व्यवस्था है। कामगारों को कई वित्तीय लाभों के अलावा उन्हें अनेक कल्याणकारी सुविधाएं भी दी गई हैं। लगभग 1500 कामगारों में से पांच को छोड़कर, सभी कामगारों ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में खपाए जाने के लिए स्वेच्छा से विकल्प दिया है।

(ङ) पिछले वर्ष के अन्तिम तीन महीनों की तुलना में वर्तमान वर्ष में उसी अवधि के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है :

	विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिटों में	
	1977-78	1978-79
दिसम्बर	89.30	123.83
जनवरी	65.75	110.01
फरवरी	40.54	85.78
मार्च	40.66	122.00

अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल कर देने के कारण अक्तूबर-नवम्बर, 1978 के दौरान 15 दिनों के लिए इस ताप विद्युत केन्द्र को बन्द करना पड़ा था। कर्मचारियों की मांगों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में खपाने संबंधी शर्तों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना भी शामिल है। हड़ताल गैर-कानूनी गोषित कर दी गई थी।

(च) इस विद्युत केन्द्र के कार्य निष्पादन में और अधिक सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रबन्धकों ने बहुत से कदम उठाए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) पारयोजना नवीकरण का कार्यक्रम जिसमें आशोधनों तथा प्रतिस्थापनों का कार्य शामिल है।

(2) सुप्रलेखित प्रचालन और अनुरक्षण नियम-पुस्तिकाओं और अनुसूचियों के जरिए सुधरी प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियों का प्रयोग शुरू करना।

(3) प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(4) विद्युत केन्द्र के लिए पर्याप्त कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना।

(5) पर्याप्त पुर्जों का भंडार बनाने और क्रांतिक पुर्जों के लिए वैकल्पिक स्रोत बिकसित करने की व्यवस्था करना।

(6) सेवा संबंधी अनिर्णीत मामलों को हल करने और औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के साथ निरन्तर बातचीत करना।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे **(व्यवधान)**। यह कौन सी आदत है ? **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्री भुट्टो की फांसी के प्रश्न पर भारत सरकार ने रहस्यपूर्ण ढंग से जो चुप्पी साध ली है, वह एक आश्चर्यजनक बात है। इस प्रश्न को पाकिसतान के राष्ट्रपति के साथ उठाया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अधीन एक सूचना की अनुमति दी है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कोल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 और कोयला बोर्ड कलकत्ता के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदनों के विवरण, ऊर्जा मंत्रालय की 1979-80 की विस्तृत अनुदानों की मांगें और नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन, आदि ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में कोल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाले तीन विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4225/79]

(2) कोयला बोर्ड, कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक @ प्रतिवेदन तथा लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4226/79]

(3) वर्ष 1979-80 के लिये ऊर्जा मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरा-वार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4227/79]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन, लिमिटेड नेवेली (तमिलनाडु) के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4228/79]

लोक लेखा समिति

111 वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नरसिंह राव (हनमकोंडा) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय से संबंधित अण्डमान वन विभाग पर समिति के नौवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 111वां प्रतिवेदन ।

@प्रतिवेदन 21 मार्च, 1979 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवायें) के गोला बारूद्ध के खोलों की सप्लाई हेतु संविदा से सम्बन्धित पैराग्राफ 26 पर 119वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

29 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बट) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्न-लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड पर समिति (पांचवी लोक सभा) के 85वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 29वां प्रतिवेदन ।

(2) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, पर समिति (पांचवी लोक सभा) के 79वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड पर समिति (पांचवी लोक सभा) के 77वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 38वां प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : हम अब नियम 377 के अधीन मामले लेंगे ।

(एक) लघु उद्योग एककों में उत्पादन के लिये मदों के आरक्षण सम्बन्धी नीति

श्री वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं सभा का ध्यान निम्नलिखित मामले की ओर दिलाता हूं। उद्योग मंत्रालय ने 3 और 5 जनवरी, 1979 को जो प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं, उनसे लघु औद्योगिक एककों में एक नइ कठिनाई उत्पन्न हो गई है । 10 लाख रुपए के निवेश के साथ 307 चीजें लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित की गयीं हैं । इस नीति से जो छोटे पैमाने के एकक नहीं हैं, उन्हें नुकसान होगा और इन्हें 1973 के स्तर पर उत्पादन में कटौती करने की आवश्यकता होगी । दुर्भाग्य की बात है कि जो इस समय छोटे पैमाने के एकक नहीं हैं परन्तु पहले छोटे पैमाने के एकक थे और जिन्होंने अनेक कठिनाइयां झेलकर कठोर परिश्रम कवके अपने लाभ को विस्तार कार्य में लगाया है, उन्हें सबसे अधिक नुकसान है । इस नीति से व्यापक प्रतिक्रिया होगी और गैर-लघु पैमाने के एककों के उत्पादन और लाभ पर प्रभाव पड़ेगा जो कानून या गैर-कानून अपने एककों को दो हिस्सों में बांट लेंगे और अपने निवेश तथा उत्पादन में कटौती कर लेंगे तथा सदैव 'लघु पैमाने के क्षेत्र' शीर्षक के अन्तर्गत रहेंगे । दुर्भाग्य की बात है कि यह नीति उन बड़े पैमाने की कम्पनियों की क्षमता पर लागू नहीं होती है जिन्हें

औद्योगिक लाइसेंस का संरक्षण प्राप्त है। उद्योग (विकास तथा यिनियमन) अधिनियम के अंतर्गत लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची 1978 में बढ़ा दी गयी है और इसके परिणामस्वरूप बहुत से छोटे पैमाने के एवक लघु क्षेत्र के लिए एकाएक आरक्षित की गयी बस्तुओं को बनाते हैं जबकि बड़ी एवकें पूर्जीगत सघन क्षेत्रों में विविध उत्पादन कर सकती हैं, पहले की लघु एककों की नयी नीति से काफी धक्का पहुंचा है।

(दो) 20 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में खेतिहर मजदूरों के प्रदर्शन और रैली के बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित समाचार

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :—

आकाशवाणी और दूरदर्शन ने 20-3-1979 को भारतीय खेतिहर मजदूर संघ द्वारा दिल्ली में आयोजित कृषि मजदूरों के विशाल प्रदर्शन को उस दिन के समाचार बुलेटिनों में जो भेदभावपूर्ण और तुच्छ रवैया अपनाया है उसकी ओर सभा का ध्याय दिलाना चाहता हूं। दिल्ली से प्रकाशित सभी राष्ट्रीय अखबारों में बोट क्लब पर हुए प्रदर्शन और रैली के बारे में चित्रों सहित समाचार प्रकाशित हुए थे। प्रदर्शन अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से आयोजित हुआ था।

खेतिहर मजदूर, हरिजन, आदिवासी और सभी जातियों, धर्मों और मजहबों के अन्य गरीब ग्रामीण लोगों ने विशाल प्रदर्शन में भाग लिया था। वे संसद् के समक्ष अपनी शिकायतें और मांगें पेश करने के लिए देश के सभी भागों से आए थे। महोदय, आपके प्रतिनिधि उस दिन आपसे मिले थे और उन्होंने आपको एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें उनकी मुख्य मांगों का उल्लेख था।

खेतिहर मजदूरों का यह विशाल प्रदर्शन राष्ट्रीय महत्व की घटना थी। पहली बार खेतिहर मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों और गांव के अन्य गरीब वर्ग के लोगों ने संसद् के समक्ष अपनी शिकायतें पेश करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किया था। इससे इस बात का पता लगता है कि अतिशोषित वर्ग के लोगों में एक नयी जाग्रति आई है और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।

सभी न्याय पसन्द लोग ग्रामीण निर्धन वर्ग के लोगों में आयी इस नयी जागृति का स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे देश की प्रगति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और विशेषरूप से कृषि के विकास के लिये यह एक अच्छी बात है परन्तु राष्ट्रीय महत्व की इस बड़ी घटना की आकाशवाणी और दूरदर्शन ने उपेक्षा की है। आकाशवाणी ने इस प्रदर्शन और रैली के बारे में समाचार बुलेटिन के अंत में और एक या दो वाक्यों में दिया। परन्तु दूरदर्शन में इससे भी कम महत्व दिया गया। बुलेटिन के अंत में इसने खेतिहर मजदूरों के प्रदर्शन का कुछ चित्रों सहित कुछेक शब्दों में ही उल्लेख किया। चित्र में मुख्य प्रदर्शन से अलग हुए कुछ लोग ही दिखाये गये। इन चित्रों में न तो प्रदर्शन में आगे चलने वाले नेताओं को ही दिखाया गया और न ही प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा ही दिखाया गया। रैली का कोई चित्र नहीं दिखाया गया।

मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन की इस कार्य की तुलना 6-3-79 को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रैली के बारे में दिए गए समाचारों से करता हूं। आकाशवाणी और दूरदर्शन

ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की इस रैली के समाचारों के बारे में न केवल अधिक समय ही दिया अपितु दूरदर्शन ने तो लाठी घुमाते हुए युवकों तथा रैली में भाग लेने वाले नेताओं को दिखाते हुए पूरी रैली का चित्र दिखाने की भी कोशिश की थी।

मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक समर्थक रवैया अपनाया है और हमारे देश के दो मुख्य प्रचार माध्यमों ने राजधानी में ग्रामीण गरीब लोगों के पहले विशाल प्रदर्शन और रैली के प्रति भेदभावपूर्ण और अपमानजनक रुख अपनाया है और सरकार से मेरा निवेदन है कि वह भविष्य में राष्ट्रीय घटनाओं के समाचार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से दें।

(तीन) **राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मराठवाडा डिवीजन के मिल मजदूरों की मांगें**

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, महाराष्ट्र राज्य के मराठवाडा विभाग में औरंगाबाद और नांदेड़ के टैक्सटाइल मिल्स सहकारी सूत गिरनी, वाझेगांव, टैक्सकाम, घनेगांव के हजारों मजदूरों के साथ जो ना-इन्साफी हो रही है उस लोकमहत्व के प्रश्न को आपकी अनुमति से यहां पर उपस्थित कर के मैं इन्साफ की मांग कर रहा हूं।

नांदेड़ टैक्सटाइल मिल और औरंगाबाद की टैक्सटाइल मिल्स 1974 से नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के आधीन काम कर रहे हैं। बेसिक-वेजेज और मंहगाई भत्ता (डीअरनेस एलाउन्स) इन मिलों के मजदूरों को महाराष्ट्र के दूसरे विभाग के मजदूरों के मुकाबले बहुत ही कम मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन-आफ-डीअरनेस नांदेड़ और औरंगाबाद मिल्स में सिर्फ 38 परसेन्ट मिलता है, जब कि महाराष्ट्र की दूसरी मिलों में 75 परसेंट मिलता है। इस डीअरनेस एलाउन्स के कम मिलने की वजह से हजारों मजदूरों की तनख्वाह पर और उनके दैनेदिन जीवन-मान पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इन मजदूरों में भुखमरी की नौबत आ रही है। महंगाई भत्ते के फर्क के कारण नांदेड़ और औरंगाबाद के मिल मजदूरों को अमलनेर, नागपुर और शोलापुर के मुकाबले दर-माह हर मजदूर को 150 रुपये से 160 रुपये कम पड़ता है। हर माह इतना नुकसान मराठवाड़ा विभाग के इन मिल मजदूरों को होता है। यह इन मजदूरों के साथ खुल्लम-खुल्ला अन्याय है। इस बारे में एक ही राज्य में समान नीति नहीं है। बाजारों में बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए इन मजदूरों को कम से कम मंहगाई भत्ता दे कर उन पर जुल्म हो रहा है। इसलिये इन नांदेड़ और औरंगाबाद के मिल मजदूरों का महंगाई भत्ता महाराष्ट्र के दूसरे विभाग के मिल मजदूरों के बराबर लाना बहुत जरूरी है।

अपनी न्यायोचित मांग के लिये नांदेड़ के 6000 मिल मजदूरों ने संघर्ष शुरू किया है। 16 फरवरी, 1979 से मिल-मजदूरों ने हर शिफ्ट में एक घंटा 'टूल-टाउन' सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर के इन्साफ की मांग की है। 1978 के नवम्बर में नान्देड़ के 3000 मजदूरों ने अपनी मांग दस्तखत कर के शासन के पास भेजी थी। 26 जनवरी, 1979 को एक विशाल मोर्चा निकाला और अब उन्होंने 'टूल-डाउन' सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया है। महाराष्ट्र राज्य के मजदूर-मंत्री जी ने मजदूरों की मांग को जायज मानकर नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन को इस बारे में फैसला करने के लिये कहा था। यह मसला महाराष्ट्र विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा उठाया गया है।

केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी को भी 23-3-1979 को निवेदन भेज कर महाराष्ट्र के विधान सभा सदस्यों ने इन्साफ की मांग की है।

शोलापुर मिल मजदूरों और सांगली के सूत मिल मजदूरों को जैसा मंहगाई भत्ते के बारे में इन्साफ दिया गया है, वैसा ही इन्साफ नांदेड़ और औरंगाबाद के मिल मजदूरों और नांदेड़ सहकारी सूत मिल, वाभेगांव और टैक्सकाम, घनेगांव के हजारों कामगारों को भी इन्साफ देना जरूरी है।

केन्द्रीय उद्योग मंत्री और मजदूर मंत्री की तरफ से मन्जूरी मिले बगैर इन मजदूरों को इन्साफ नहीं मिलेगा और केन्द्र शासन के आदेश के बिना नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन भी मराठवाड़ विभाग के इन मजदूरों को इन्साफ नहीं देंगे। मजदूरों में तीव्र असन्तोष फैलता जा रहा है। यह मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र के हजारों रजदूरों का महत्वपूर्ण सवाल है। मैं माननीय उद्योग मंत्री और मजदूर मंत्री जी से इन मजदूरों को इन्साफ देकर मजदूरों आन्दोलन का समाप्त करा कर मराठवाड़ा को न्याय देने की मांग करता हूं। । जय क्रान्ति ।

(चार) पश्चिम बंगाल में बिजली, मिट्टी का तेल और कोयले की अपर्याप्त सप्लाई का समाचार

श्री राजकृष्ण डान (बर्दवान) : बिजली के उत्पादन के लिए अपेक्षित अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई कम होने के कारण पश्चिम बंगाल में विद्युत ऊर्जा की सप्लाई की स्थिति काफी बिगड़ गयी है। इसके अतिरिक्त गांवों और शहरों में मिट्टी का तेल नहीं है जिसके फल-स्वरूप परीक्षार्थियों को, जो हमारे देश की भावी सम्पत्ति हैं, परीक्षा की तैयारी करने में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। पश्चिम बंगाल राज्य पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य को वर्तमान संकट से बचाने के लिए मिट्टी का तेल, कोयला और माल डिब्बों की शीघ्र सप्लाई के लिए एक संकट संदेश भेजा है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि समुचित अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

कोयले की कमी के कारण ताप विद्युत्त केन्द्रों द्वारा बिजली का उत्पादन नहीं किया जा सकता यद्यपि कोयला क्षेत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टाक है। कोयला इन क्षेत्रों से विद्युत उत्पादन केन्द्रों को भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि रेलवे मालडिब्बे कम होने के कारण इनकी पर्याप्त संख्या में सप्लाई नहीं कर रहा है। यद्यपि बड़े माल डिब्बा निर्माता कम्पनियां सरकारी क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल में हैं फिर भी रलवे बोर्ड मालडिब्बों की मांग का पता नहीं लगा सकी। रेलवे बोर्ड ने माल डिब्बा निर्माता कम्पनियों को समय पर मालडिब्बा खरीदने के आर्डर नहीं दिये जिससे इस समय माल डिब्बों की भारी कमी हो गयी। माल डिब्बों की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में कमी आई है और स्थित यहां तक पहुंच गयी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी उधोगों के लिए सप्ताह में दो बार उधोग बन्द करने का निर्णय किया है और राज्य सरकार दुकानों को भी 6बजे शाम को बंद करने की योजना बना रही है। सभी प्रकार की ऊर्जा अर्थात् कोयला, बिजली, मिट्टी का तेल, भट्टीतेल, गैस आदि के न होने से स्थिति बहुत गंम्भीर बन गयी है। पेयजल सप्लाई के लिए अपेक्षित न्यूनतम ऊर्जा की सप्लाई भी नहीं की जा सकती। नागरिक जीवन पूरी तरह

अस्त-व्यस्त हो गया है। इस तरह की स्थिति माल डिब्बों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई न होने के कारण उत्पन्न हो गयी है। इससे इस बात का पता लगता है कि रेलवे बोर्ड और सम्बन्धित प्राधिकरण वास्तविक रूप से विचार नहीं कर सके और योजना नहीं बना सके।

मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युत की कमी से न केवल औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है अपितु अनेक मजदूर और राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में है। इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का, कोयले की कमी, जो कि माल डिब्बे की सप्लाई पर निर्भर है, उपयोग नहीं किया जा सकता, जिससे हम ऊंचे मूल्य पर इस्पात आयात करने को मजबूर हो गये हैं। इस्पात सामग्री की कमी के कारण न तो बड़े उद्योग अपितु छोटे उद्योगों को भी, जिन्हें सरकारी नीति के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सामग्री मिलनी चाहिए, सामग्री नहीं मिल रही है और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता से स्थापित किए गए अपने एककों को बन्द करने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा है और इस सामग्री की कमी के कारण से ही अनेक मजदूर बेकार हो जायेंगे। या उन्हें खुले बाजार से 500 से 2000 रुपए के बीच प्रति मीट्रिक टन अधिक मूल्य देकर इस्पात खरीदकर और भारी घाटा उठाकर एकक चलाने पड़ेंगे।

बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि० जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए क्रयादेश समय पर पूरे नहीं किये गए, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से प्रबन्धक कुशल और निष्ठावान नहीं हैं। वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार ने विशेष शिकायतों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया है। विद्युत और मिट्टी के तेल की कमी के कारण हजारों परीक्षार्थियों ने मजबूर होकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालयों को हजारों आवेदनपत्र या तो परीक्षायें स्थगित करने या एक दिन में केवल एक प्रश्नपत्र लेने के लिए लिखा है और ये आवेदनपत्र शिक्षा अधिकारियों ने राज्य सरकार को भेज दिए हैं। राज्य सरकार भी असहाय है, क्योंकि रेलवे कोयला, मिट्टी का तेल, भट्टी का तेल आदि लाने के लिए अपेक्षित पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई करने में असफल रहा है। वास्तव में स्थिति शोचनीय है।

बिजली की कमी के कारण जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण भी खतरे में है और निर्मित औषधियों को रेफ्रीजरेटरों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। गाड़ियां देरी से चल रही हैं। इस्पात और अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग बंद हो गये हैं और बिजली की कमी की वजह से सभी तरह की दूकानें अनिवार्य रूप से बंद हो जायेंगी और बेरोजगारी की समस्या विकट बनती जा रही है। समान रूप से आर्थिक स्थिति और नागरिक जीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त है। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बेरोजगारी की विकट स्थिति के कारण पश्चिम बंगाल के युवकों ने नकसलवादी आन्दोलन चलाया है जो अन्ततोगत्वा समूचे देश में फैल जाएगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जायेगी और यदि ये आपात कालीन उपाय नहीं किये जायेंगे तो समूचे देश में रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी अर्थात् :–

(एक) जब तक स्वयं राज्य में पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं होता है तब तक अन्तर्राज्यीय प्रेषण लाइनों के माध्यम से अन्य राज्यों से बिजली को नियमित और स्थिर सप्लाई करना ;

(दो) मिट्टी का तेल, कोयला, पेट्रोल और पैट्रोलियम प्रदार्थ, उर्वरक, सीमेंट आदि को शीघ्र ढोने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा माल डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित किया जाना ;

(तीन) माल डिब्बे निर्माताओं द्वारा डिब्बों की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करना ;

(चार) मिट्टी का तेल, सीमेंट, कोयला, औद्योगिक कच्चा माल, इस्पात आदि की अधिक सप्लाई सुनिश्चित करना ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें नियम 197—ध्यानाकर्षण के अधीन लोक महत्व के मामलों को उठाने की अनुमति देते परन्तु इसके बजाय आप मुझे नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति देते हैं जिसे जैसा आप जानते हैं सरकार कोई महत्व नहीं देती है और वह ऐसे मामलों का कोई उत्तर भी नहीं देती है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार इन मामलों का शीघ्र उत्तर दे ।

अध्यक्ष महोदय : काफी है । शेष तो दोहराने की बात है । श्री पूर्णनारायण सिन्हा ।

श्री राज कृष्ण डान : मुझे अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप शेष बातें दोहरा रहे हैं और कुछ नहीं । मैं इस पर ध्यानाकर्षण की अनुमति देता हूं ।

श्री राज कृष्ण डान : कृपया मुझे वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : शेष तो दोहराने की बात है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले बता दिया गया है । श्री पूर्णनारायण सिन्हा ।

(पांच) आसाम और पूर्वोतर क्षेत्र में गेहूं, नमक, चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट और इस्पात की कमी के समाचार

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

मैंने सम्बन्धित मंत्रालयों का ध्यान इस ओर दिलाया है कि कुछ समय से उत्तर पूर्व के अन्य सभी राज्यों के अतिरिक्त आसाम और नागालैंड में गेहूं, नमक, सीमेंट, चीनी, मिट्टी के तेल और इस्पात की कमी है । परन्तु एक बार तो पैट्रोलियम मंत्रालय ने यह इकरार किया था कि आसाम राज्य सरकार से उन्हें कोई शिकायत मिली है । अब स्थिति यह है कि जहां एक ओर भारतीय खाद्य निगम ने गैर-सरकारी पार्टियों को नए भाण्डागार बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया है, वहां दूसरी ओर वर्तमान गोदामों में गेहूं नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप आसाम की आटा मिलें प्रायः बन्द ही हो रही हैं । मुझे मिलों और सरकारी स्रोतों से अनेक तार मिले हैं कि भारतीय खाद्य निगम की गोदामों में गेहूं न होने से राशन की दूकानों पर आटा उपलब्ध नहीं हो रहा है, नमक पहले ही आसाम में जाना बन्द हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में फुटकर मूल्य 1 रुपए प्रति

किलोग्राम पहुंच गया है । चीनी 3.50 से 4 रुपए तक बिक रही है। मिट्टी का तेल 5 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े बदल रहे हैं ।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : ये आंकड़े 10 दिन पहले के हैं । ये नवीनतम आंकड़े हैं ।

काला बाजार में सिमेंन्ट की कीमत 45 रुपए प्रति बोरी है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य एजेन्सियां हिन्दुस्तान इस्पात लि० द्वारा गोहाटी में बेचे जा रहे इस्पात के मूल्य से दुगने मूल्य पर इस्पात बेच रही हैं। उस इस्पात की जांच भी नहीं होती है। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कुछ बेईमान सीमेंट ऐजेंट कुछ और धन कमाने के उद्देश्य से सीमेंट में ब्रह्मपुत्र की गाद मिट्टी को मिला देते हैं। इस प्रकार से आसाम और उत्तर पश्चिम के पिछड़े आदिवासी और अन्य लोगों को नुक्सान पहुंचा है। यह शिकायत की जाती है कि रेलवे आसाम में अवश्यक वस्तुयें ले जाने के लिए माल डिब्बों की बुकिंग पर लगाए गए प्रतिबन्ध को नहीं हटाता है और व्यापारियों को मजबूर होकर दुगने मालभाड़े पर अधिकांश माल ले जाने के लिए ट्रक किराये पर लेने पड़ते हैं। ट्रकों की क्षमता रेलवे के माल डिब्बों की क्षमता की आधी होती है। इन सभी बातों और इस नाजुक क्षेत्र के सामुदायिक कठिनाइयों में रुचि न दिखाने को ध्यान में रखते हुए गरीब, पिछड़े और आदिवासी लोगों को असहनीय कष्ट हो रहा है। नौकरशाही ढांचा, जो देश पर शासन करता है लोगों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देता है ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह कृषि और खाद्य, पैट्रोलियम और रसायन, उद्योग और रेलवे मंत्रालय से यह कहें कि वे लोगों को गेहूं, नमक, चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट और इस्पात शीघ्र वितरित करने के लिए बनाई गई प्रणालियों को बचाने हेतु इन चीजों की शीघ्र सप्लाई करे ।

(छः) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की हाल में की गई नीलामी

श्री शरद यादव (जबलपुर) : आपने मुझे आज 377 में वक्तव्य देने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मामला थोड़ा बड़ा है .....

अध्यक्ष महोदय : आप अपने को वक्तव्य तक ही सीमित रखें ।

श्री शरद यादव : उनको इतना समय आपने दिया है । दो दो मंत्रालय डीडीए की जो नीलामी हुई है राजेन्द्र पैलेस में उसके साथ जुड़े हुए हैं .....

अध्यक्ष महोदय : आपको वक्तव्य पढ़ना चाहिए ।

श्री शरद यादव : मैं पढ़ रहा हूं । दो दो मंत्रियों ने गलत बयानी की है । राज्य सभा में डीडीए के जो प्लाट एनाउंस हुए थे .....

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, कृपया अपना वक्तव्य पढ़िये । नियम 377 में यह व्यवस्था है कि आप केवल वक्तव्य पढ़कर सुनाइये और कुछ नहीं ।

श्री शरद यादव : वही तो मैं बोल रहा हूं ।

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अव्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मनी राम बागड़ी : आप से मैं व्यवस्था चाहता हूं । 377 के अन्दर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उन से पहले अपनी बात अगर कोई कुछ कहना चाहे तो क्या आप उसको भी सुनना नहीं चाहते हैं ? उसकी परिस्थिति को भी आप सुनना नहीं चाहते हैं ? आप इस तरीके से ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, नहीं ।

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : यह भ्रष्टाचार का मामला है । जैसे कोई स्कूल मास्टर बच्चों को कहता है, कहो क और वह कहता हैं हां क, इस तरह से तो यहां नहीं होना चाहिये । लोक सभा का जो सदस्य है उसको जनता की बात को कहने का आप मौका तो दें । उसको इसका हक तो होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे वक्तव्य पढ़कर सुनाने के लिए कहा है । आप वक्तव्य से नहीं पढ़ रहे हैं ।

श्री शरद यादव (जबलपुर) : इसके बारे में गलत बयानी दोनों हाउसिस में की गई है । राजेन्द्र पैलेस कम्पलैक्स में ···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप या तो वक्तव्य पढ़िये या बिलकुल न पढ़िये ।

श्री शरद यादव : कागजों की ओर देख कर बोलता हूं । उस में बोलियां लगाई गईं । बोलियां लगाने में पांच आदमी थे ···

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत आप केवल वक्तव्य पढ़कर सुना सकते हैं ।

श्री शरद यादव : आज कोई नया मामला है ? 377 में बहुत से मामले उठाए गए हैं । आपकी कैसे मामला समझ में नहीं आता है । मुखारबिन्द से बोलता हूं । जो लिखा है मात्र वही बोल रहा हूं । ये क्यों बैठे हैं ? लिखेंगे । दो दो जगह, जुल्फिकार उल्लाह साहब ने यहां श्री के०ए० राजन साहब के क्वेश्चन के जवाब में कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में ····

अध्यक्ष महोदय : कृपया वक्तव्य पढ़िये ।

श्री शरद यादव : डीडीए ने हाल ही में जो प्लाट की नीलामी की थी जिस में लोगों ने बोलियां लगाई थीं उसके बारे में राज्य सभा और लोक सभा में जो गलत बयानी की गई है उस में यह कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई नीलामी में पहले नम्बर पर बोली अंसल इंडस्ट्रीज ने लगाई थी । मेरा कहने का मतलब यह है कि इस में पांच लोग थे । पहली बोली जो थी वह 1 करोड़ 31 लाख 37 हजार ···

अध्यक्ष महोदय : मैं अब रिपोर्टरों से कह रहा हूं कि इसे सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें । आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं । नियम के अंतर्गत आपको केवल विवरण पढ़कर सुनाना है, और कुछ नहीं ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत न किया जाये । आप चार-बार मुझे चुनौती दे रहे हैं । आपने मुझे एक लिखित वक्तव्य दिया और मैंने उसकी अनुमति दे दी है । या तो आप उस लिखित वक्तव्य को पढ़ें या नहीं · · · · (व्यवधान)

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, कोई नई परम्परा इस सदन में नहीं डाली जानी चाहिये । जो वक्तव्य सदस्य ने लिख कर दिया है वही पढ़ना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में जो नियम हैं, उनका आपको पालन करना पड़ेगा ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अन्यथा उन्हें बैठना पड़ेगा । यह तरीका नहीं है । अनुशासन का पालन करें ।

अध्यक्ष महोदय : हमने नियम बनाये हैं और हम उनका पालन करते हैं । (व्यवधान)**

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा लगता है कि आप में सुधार नहीं हो सकता । मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता · · · (ध्यान आप वक्तव्य पढ़िए और नियमों का पालन करिए ।

श्री शरद यादव : यह प्रमाण तो लेंगे आप ?

श्री के० गोपाल (कारूर) : यह एक गंभीर मामला है । यह नियम 377 तक सीमित नहीं रह सकता । सत्ता में जो लोग · · ·

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न मामला है । इस समय हम नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं ।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जिस दिन मैं स्टेटमेंट दे रहा था, आपको 8 दिन पहले दिया था । उसके बाद मेरे पास बहुत सी इनफ़ौर्मेशन आ गई हैं · · ·

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते । जब तक आप हमें उसकी प्रति न दें तब तक आप नहीं पढ़ सकते ।

श्री सरद यादव : तो यह जो गलत बयानी है इसका नोटिस देता मैं आपको ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले सदस्य को बुलाता हूं । श्री ज्योतिमय बसु ।

(सात) पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जेड० ए० भुट्टो को दिया गया मृत्यु दण्ड

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं आज यह निम्नलिखित मामला उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं जिस पर न केवल इस देश के अपितु समूचे विश्व का ध्यान लगा है ।

मामला पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने से सम्बन्धित है जिन्हें राजनीतिक विरोधी की हत्या के षडयंत्र के आरोपों में पाकिस्तान के अनेक न्यायालयों द्वारा दोषी पाया गया ।

** सभा के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जहां यह परम्परा रही है कि किसी देश के आन्तरिक मामलों पर हस्तक्षेप न किया जाये—प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई का वक्तव्य उचित था—वहां पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्री शंकर बाजपेयी की इस सप्ताह दिल्ली की एकाएक यात्रा और श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा अन्य राजनीतिक नेताओं से मिलकर इस्लामाबाद वापस लौट जाने के कारण एक नई स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसा समझा जाता है कि उनकी यात्रा का सम्बन्ध श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ओर से की गई पुनरीक्षण याचिका को रद्द किये जाने से था। हाल ही में हमारे देश के एक सर्वोच्च व्यक्ति ने एक सार्वजनिक भाषण में यह कहा था कि भुट्टो को छोड़ दिया जाये। हम भी नोट करते हैं कि विशेष रूप से विश्व की सभी सरकारों ने क्षमा के लिए अपील की थी। जबलपुर के बार एसोसिएशन ने जनाब भुट्टो के सम्बन्ध में एक संकल्प पास किया था।

चूंकि पाकिस्तान हमारा निकट पड़ोसी देश है और हमारे इस देश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं इसलिए यह स्वाभाविक है कि देश के राष्ट्रपति के कथन के सन्दर्भ में सरकार के हाल के रवैये के मुकाबले में श्री भुट्टो से सम्बन्धित जो घटनाएं वास्तव में हो रही हैं उनको जानने की सभा को दिलचस्पी होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष जी, पाकिस्तान में भुट्टो की सजा को लेकर विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। पाकिस्तान हमारी सीमा पर सेना इकट्ठा करके हमला करना चाहता है जिससे पाकिस्तान की जनता का ध्यान बट जाये। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे। श्री आकृष्ण सिंह।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की इच्छा यह है कि उसकी जान बख्शी जाए, लोक सभा के मेम्बरों की यह इच्छा है कि उसको फांसी न चढ़ाया जाए। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : अध्यक्ष महोदय, श्री भुट्टो को दी जाने वाली प्रस्तावित फांसी के फलस्वरूप बहुत से लोग जम्मू में घुसने लगे हैं। आज का समाचार है कि अपनी जान बचाने के लिए उनके बहुत से सम्बन्धी सीमा पार कर भारत आ रहे हैं। क्या इस मामले को नियम 377 के अधीन उठाने की आप मुझे अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए पूर्व सूचना दें। तब मैं उस पर विचार करूंगा। सूचना न मिलने तक मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्योंकि आप इस पर विचार कर रहे हैं इसलिए मैं आप की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, आप 9 मिनट ले चुके हैं, आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा मुद्दा यह है कि आपने इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया। आपने पहले मुझे इस दलील पर अनुमति नहीं दी कि यह राज्य विषय है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। श्री सिंह।

अनुदानों की मांगें, 1979-80

योजना मंत्रालय

श्री श्री कृष्ण सिंह (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन चर्चा करते हुए हमने कहा था कि हर प्रखंड में एक भूमि सेना खड़ी करनी चाहिये। जब हम इतनी सारी विकेन्द्रित अर्थ नीति चला रहे हैं, अन्त्योदय का कार्यक्रम, सिंचाई, विद्युत, उत्पादन, सड़क, पाठशाला, भवन-निर्माण आदि जब यह सारे काम चल रहे हैं तो हर प्रखंड में कुछ चुने हुए स्थानों पर हमको लैंड आर्मी, भूमि सेना बनानी चाहिये और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के तहत इसको दे देना चाहिये और कुछ आफिसरों के अधीन दोनों के काम की प्रगति का मूल्यांकन करते रहना चाहिये। जब तक जनता का, प्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, स्वयंसेवी संस्थाएं साझेदार नहीं होंगी, जब तक प्लानिंग फ्राम बिलो, ग्रास रूट से, और इसके लिए मैकनिज़म डेवलप नहीं करेंगे तो काम में प्रगति हम नहीं कर पायेंगे।

इसलिये मैं प्रधान मंत्री से मांग करता हूं कि योजना को यहां भी वालेन्टियरी आर्गेनाइजेशन्स के माध्यम से देश के चुने हुए प्रखंडों में हर प्रदेश में आप शुरू कराइये। कुछ जगहों पर बहुत कुशल कारीगर हैं। 5,7 पीढ़ियों से कुशल कारीगरी का धन्धा होता आ रहा है। जमालपुर का कारखाना सन् 1860 में शुरू हुआ जिसे अंग्रेजों ने शुरू किया। वह सबसे बड़ा वर्कशाप है। जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने वहां स्टीम इंजन का काम बन्द कराकर शस्त्र बनाने का काम शुरू कराया। जब तक 3, 4 वर्षों तक युद्ध चलता रहा तो वहां शस्त्र बनते रहे। जमालपुर में उस समय 22 हजार मजदूर आर्मस एम्यूनीशन का कास करते रहे। शस्त्र बनाने में भी वहां के मजदूर कुशल हो चुके हैं। 125 वर्ष तक स्टीम इंजन का काम चलता रहा है। इतने कुशल लोग वहां हैं, उनका कुछ उपयोग करना चाहिये। वह मारखाना आज दम तोड़ रहा है। मुश्किल से 7,8 हजार आदमी वहां बचे हैं। जब कई पीढ़ियों से लोग कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, तो यह सरकार का काम है कि वहां शस्त्र निर्माण का अथवा अन्य काम कराये। शस्त्र निर्माण का काम मुंगेर में चल रहा है जो कि जमालपुर के बगल में है। वहां 2 हजार आदमी बन्दूक निर्माण का काम कर रहे हैं। जमालपुर में आज भी बीसियों हजार आदमी ऐसे हैं जो आर्म्स-एम्यूनीशन का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, बन्दूक, पिस्तौल सारी चीजें बना सकते हैं। योजनाकारों को चाहिये कि मुंगेर और जमालपुर से बड़ी मात्रा में शस्त्र निर्माण कराएं और साथ ही साथ जमालपुर के कारखाने में डीज़ल इंजन भी बनाने शुरू कीजिये। जमालपुर से वैगनों का काम छीनकर दूसरी जगह दे दिया गया है, व्हील और एक्सल का काम दूसरी जगह दे दिया। मोकामा का कारखाना जो अभी टेक-ओवर किया सरकार ने वैगन बनाने का काम, लेकिन पार्ट पुर्जों का आर्डर दे रहे हैं मोनोपली हाउस को। पार्ट-पुर्जे का काम तो मोकामा और जमालपुर में हो सकता है, वैगन निर्माण का काम हो सकता है। हम योजनाकारों से कहेंगे कि जहां कोयला वगैरा माल उपलब्ध है, वहीं पर कारखाने लगाये जायें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कच्चा माल कहीं है,

कोयला कहीं है और कारखाने कहीं और लगाये जायें। बैकवर्ड रिजन्ज को आगे बढ़ाने के नाम पर कारखाने खोलने के सम्बन्ध में अफ़सरों द्वारा पोलीटिक्ली माटिवेटिड ढंग से काम होता है। हमारी रेलवे पटरियां भी फंसी रहती हैं, समय भी बर्बाद होता है और लागत का खर्चा भी बढ़ता है।

खड़गपुर और झाझा-सिमलतला के बीच में बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन है। क्यों नहीं वहां पर मिनी सीमेंट प्लांट बिठाया जाता है। झाझा में एक मिनी सीमेंट प्लांट था, जो अब बन्द पड़ा है। उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। जमालपुर और खड़गपुर की पहाड़ियों में बाक्साइट भरा हुआ है। बिजली दे कर वहां एलुमिनियम का कारखाना चालू करवाना चाहिए। कहलगांव के नज़दीक कोयला और पानी है। इसलिए कहलगांव में तुरन्त बिजली तापघर चालू करवाना चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा योजना के बारे में जो सुझाव दिए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। योजना के विषय में जो आलोचना की गई है मैंने उस पर भी ध्यान दिया है। पर समग्र रूप में मैं इस बात से भी खुश हूं कि इस बात की आलोचना नहीं की गई है कि आयोजन गलत है। सर्वप्रथम यह कहा गया है संसाधन जुटाने या कराधान के मामले में योजना आयोग की दोहरी नीति है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम संसाधन जुटाना चाहते हैं तब द्विभागीकरण का सवाल कैसे पैदा होता है। कहा गया है कि कृषि को रियायतें दी गई हैं। इसका अर्थ द्विभागीकरण नहीं है। अधिक संसाधन जुटाने के लिए यह किया गया है ताकि अधिक उपज हासिल की जा सके। पर किसी को अनावश्यक रियायत देने का प्रश्न ही नहीं है।

बड़ी संख्या में लोग खेती पर निर्भर हैं। यह सच है। पर इतनी जल्दी इस निर्भरता को कम करना सम्भव नहीं है। यह धीरे-धीरे कम हो रहा है और यह निर्भरता केवल पचास प्रतिशत रहनी चाहिए। पर इसकी प्राप्ति के लिए हमें गांवों के अन्य लोगों को वैकल्पिक रोजगार देना होगा। इसी लिए मैंने गांवों के विकास के मामले में इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया है। अत. जो लोग आयोजन से सम्बद्ध रहे हैं और जिन्हें इसका अनुभव है उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में और बेहतर आयोजन हो।

हमारी योजनाएं पिछले 28 वर्षों से चली आ रही हैं। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरम्भ किया था। शायद बिना पंडित जी के योजनाबद्ध विकास इस देश में नहीं होता। इसके प्रति मेरा यही दृष्टिकोण है और देश के प्रति यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि आयोजन के अभाव में हम प्रगति नहीं कर सकते थे। पर यह हमारे लिए नई है और हम शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए योजना बड़े ही उत्साहवर्धक तरीके से तैयार की गई है। संसाधनों और आकलनों का हिसाब भी इसी उत्सुकता से लगाया गया। यही कारण है कि इसमें हम कभी-कभी भटक भी गए। इसतथ्य की ओर मैंने तीसरी योजना में ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था और इसे वास्तविक आधार दिया था, पर एक दम आगे बढ़ने के अतिआशावाद और आकांशा ने हमारे लिए और अधिक कठिनाइयां पैदा कर दीं। पर ऐसा होता ही है। मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। हमें इन सारे अनुभवों का फायदा उठाना है और यह सुनिश्चित करना है कि योजना प्रक्रिया दिन-प्रति-दिन और बेहतर बनती जाती है।

अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं रखा जाना चाहिए तथा लागत पहलू का भी हिसाब कम नहीं लगाया जाना चाहिए। हम इस पर भी विचार कर रहे है। जो प्राक्कलन तैयार किए गए वे वहीं के वहीं हैं। उन्हें हर बार दुगुना कर दिया जाता है। इन्हीं कारणों से ये कठिनाइयां पैदा हुई हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अनुमान वास्तविक हों और वास्तविक कार्यान्वयन होने पर अनावश्यक रूप से अधिक न बढ़ जाएं। अब हम यह देखेंगे कि जो लोग अनुमान तैयार करते हैं और यदि वे गलत पाए जाते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसमें वास्तविकता लाने का यही तरीका है। इसीलिए हमने ये कदम उठाए हैं। योजना को रोलिंग योजना बनाने का भी यही उद्देश्य है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्रीगण इन अनुमानों को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें इसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए। इनके लिए दूसरे व्यक्ति क्यों जिम्मेदारी लें।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे दोस्त को पता होना चाहिए कि मंत्री विशेषज्ञ नहीं होते वे एकाउन्टेंट या आडिटर नहीं होते। उन्हें विशेषज्ञों द्वारा दिए गए आंकड़े स्वीकार करने ही पड़ते हैं। आपको यह समझना चाहिए। आप भी योजना से समबद्ध रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : पर सजा किसको दी जाएगी।

श्री मोरारजी देसाई : जो अनुमान तैयार करते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रजातंत्र व्यवस्था में मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : अच्छा, ठीक है क्योंकि आप इस समय मंत्री नहीं हैं। अगर आप मंत्री होते तो ऐसा न कहते। तो यह सब कुछ कहने से क्या फायदा ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं हमेशा यही कहूंगा।

श्री मोरारजी देसाई : मैं जानता हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं कोई गलत बात नहीं कहता और मेरे विचार स्थिति-दर-स्थिति नहीं बदलते।

श्री मोरारजी देसाई : पर समस्या के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है। निश्चित ही जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें उत्तरदायी ठहराना ही होगा। मैं इससे सहमत हूं। अगर मंत्री जिम्मेदार है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए। पर जब कोई परियोजना तैयार की जाती है तब वह विशेषज्ञों द्वारा बनाई जाती है न कि मंत्रियों द्वारा। मंत्री अनुमान तैयार नहीं करते। मंत्री उसकी जांच कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं। इससे अधिक वह कुछ नहीं जानते। अतः इस प्रकार की बातों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। मंत्री को तब जिम्मेदार माना जा सकता है जब वह यह पता न लगा सके कि अनुमानों में वृद्धि क्यों हुई तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी है। यह उनका उत्तरदायित्व होगा।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : क्योंकि वह इन आधारभूत तथ्यों से परिचित नहीं हैं इसलिए वह कभी मंत्री नहीं बनेंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि लोकतंत्र के इन सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है तो मैं कभी नहीं बनूंगा।

श्री मोरारजी देसाई : लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। यह बात समझ लेनी चाहिए। जो आलोचना करता है उसे अलोचना सुनने को भी तैयार रहना चहिए। अन्यथा लोकतंत्र नहीं रह पायेगा। अतः यह एक मूलभूत सिद्धांत है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने श्री साठे द्वारा कही गई बात के संदर्भ में यह कहा।

श्री मोरारजी देसाई : इसलिए जब कोई बात कही जाती है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्री साठे कह रहे थे·····

श्री मोरारजी देसाई : जिन बातों का कहने का श्री साठे का अधिकार नहीं है उनका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : मुझे कोई अधिकार नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने यह नहीं कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री वसन्त साठे : जिस विषय में आप बोल रहे हैं वह उसका क ख ग भी नहीं जानते।

श्री मोरारजी देसाई : यह कहा गया है कि रेलों और कोयले के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। यह सच है कि विभिन्न स्थानों पर कोयला पहुंचाने में कठिनाई अनुभव की गई। इसी कारण बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कुछ अन्य उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ के कारण रेलवे को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ मास तक यह कठिनाई रही। पर अब स्थिति ठीक है। मैंने कुछ सप्ताह पहले रेल मंत्री, कुछ अन्य मंत्रियों एवं सम्बद्ध अधिकारियों से बातचीत की थी और स्थिति का जायजा लिया। हमने इस कठिनाई को शीघ्र दूर करने का फैसला किया। जो लोग नियमित यूनियनों के सदस्य नहीं हैं उनके द्वारा अचानक हड़ताल कर देने से भी कठिनाई पैदा हुई। इससे कुछ इलाकों में रेल सेवा में व्यवधान पड़ा और सारा परिवहन मुश्किल हो गया। जो लोग इस प्रकार का काम करेंगे उनको दण्डित करने के लिऐ हम कदम उठा रहे हैं तथा उन्हें नोटिस दिए गए हैं। रेलवे के काम में कठिनाई न आने देने के लिए हम इस काम में प्रादेशिक सेवा का सहयोग भी ले रहे हैं। इस प्रकार जिन स्थानों पर कोयला पहुंचाना है वहां उसे पहुंचाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। पर स्थिति को ठीक करने में कुछ समय लगता है।

किसानों को लाभकर मूल्य देने की दलील दी गई है। मैं इससे सहमत हूं। पर क्या लाभप्रद है और क्या अलाभप्रद, यह हमेशा विवाद का विषय बना रहेगा।

लागत मूल्य का हिसाब लगाने में भी भिन्नता रहेगी। पर हमें इस मामले में अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमने गेहूं, धान, चना तथा अन्य वस्तुओं के समर्थन मूल्य बढ़ा दिए हैं। स्पष्ट है कि हम इस विषय के प्रति जागरूक हैं, पर हम मूल्य बढ़ाते नहीं जा सकते। इससे कीमतें नियंमित नहीं होंगी। अगर मूल्य बढ़ते रहे तो अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं करेगी। मुद्रास्फीति को रोकना होगा यही हमारा प्रयास है।

कहा गया है कि कई कार्यकारी दल बनाए गए हैं और उनकी रिपोर्ट संसद् में पेश नहीं की गई। योजना आयोग के सहायता के लिए लगभग 90 कार्यकारी दल बनाए गए और उन सब की रिपोर्टें यहां पेश नहीं की जा सकतीं। इन पर योजना आयोग ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के पहाड़ी क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों की ओर अधिक ध्यान देने की बात कही गई है। हम इनके लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इनके लिए सब न्योजनाएं बनाई गई हैं तथा इनकी ओर अधिक ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उनमें योजना आयोग इनकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दे रहा है।

भूमि सुधारों की जल्दी क्रियान्वित किए जाने की बात कही गई है। यह एक स्थायी मांग है। और यह ठीक भी है। इनका कई स्थानों में पालन नहीं किया गया है। पर हमारा प्रयास इन्हें शीघ्र अमल में लाने का है। यह राज्यों का काम है। केन्द्र इस विषय में उनको लिख मात्र सकता है। और हम उन्हें बराबर लिखते रहे हैं। पर यदि सदस्य कोई और ठोस प्रस्ताव सुझाएं तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं। क्या सदस्य चाहते हैं कि केन्द्र सरकार राज्यों की शक्तियां अपने पास ले ले? यह कैसे हो सकता है? हमें धैर्य रखना चाहिए। वहां भी कुछ काम हो रहा है। आप राज्यों को कहने की बजाय मुझसे कह रहे हैं क्योंकि मैं आपके सामने हूं। यदि इससे आपको संतोष मिलता है तो मुझे खुशी है।

गंगा-कावेरी लिंक का हवाला दिया गया है। इसका उद्देश्य बेहतर सिंचाई साधन उपलब्ध करना और कई क्षेत्रों को पानी देना है। हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। श्री दस्तूर ने एक नहरमाला योजना बनाई थी जिसे मैंने 1975 में पहली बार देखा था। इसमें मेरी रुचि उत्पन्न हुई। पर शीघ्र ही मुझे बन्दी बना लिया गया और मैं इस पर ध्यान न दे सका। ज्यों ही मैं रिहा हुआ, मैंने इसका फिर अध्ययन किया। मैंने दस्तूर तथा कई अन्य इंजीनियरों को बुलाया। अब हम इस योजना के कार्यान्वयन की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं। इस योजना में कई जोखिम अन्तर्गस्त न होने पर ही हम इसको अमल में ला सकते हैं। इस योजना के सफल होने पर हमारे कई समस्याएं सुलझ जाएंगी और बाढ़ नहीं आएगी। कहीं भी बिजली की कमी नहीं होगी। 90 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई साधन उपलब्ध होंगे। जलमार्ग होंगे जो हमारे यातायात को और सुदृढ़ बनाएंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के अमल में आने पर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा।

पर इस योजना में अनेक जोखिम भी हैं। इसमें इसके अन्तर्गत हिमालय की तलहटी में पूर्व से पश्चिम की ओर 1500 मील लम्बी 400 से 500 फुट गहरी नहर खोदनी पड़ेगी। दो मध्यवर्ती नहरें होंगी और फिर उसमें से सीधी नहरें खोदनी होंगी। इससे हिमालय और नदियों का सारा पानी मिलाया जा सकेगा। कतिपय उपयुक्त स्थानों पर जलाशय बनेंगे। इससे वर्ष भर पानी उपलब्ध होगा। कोई बाढ़ नहीं आएगी। कोई नुकसान नहीं होगा। आज बाढ़ के कारण अनन्त हानि हो रही है। पर कठिनाई यह है कि हिमालय को कच्चा समझा जा रहा है। यद्यपि यह 150 लाख वर्ष पुराने पहाड़ है, पर कहीं भी पक्के पठार नहीं हैं। बहुत अधिक मिट्टी के कारण भू-स्खलन की सम्भावनाएं हैं। ऐसा होने पर बाढ़ रोकने की अपेक्षा हमें

आप्लावन का सामना करना पड़ेगा। हम इस पर बारीकी से विचार कर रहे हैं। हम खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व बैंक के इंजीनियरों की सहायता ले रहे हैं। हाल में मैंने सोवियत संघ के प्रधान मंत्री से भी उनके इंजीनियरों की मदद का आग्रह किया है। उन्हें इसका काफी अनुभव है। वह इसी प्रकार की योजना पर साइबेरिया में काम कर रहे हैं। अतः हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। पर इसे आरम्भ करने से पूर्व हमें इसे पूरा समय देना होगा।

अन्य योजनाएं भी हमने छोड़ी नहीं हैं। अन्य योजनाओं पर भी हम साथ-साथ विचार कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : क्या इसे युद्धस्तर पर लिया जाएगा ?

श्री मोरारजी देसाई : 'युद्ध-स्तर' एक आसान सा शब्द है। हम इस पर शीघ्रता से काम कर रहे हैं। यदि इसे आप युद्ध-स्तर कहना पसंद करते हैं तो मुझे खुशी है। जबसे मैंने कार्यभार सम्भाला है मैंने इस पर अविलम्ब कार्यवाही आरम्भ की है। मैंने विश्व बैंक और खाद्य संगठन से बात की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे युद्ध पसंद करते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं उन्हें युद्धप्रिय नहीं कह सकता। युद्ध कोई नहीं चाहता।

श्री वसन्त साठे : मैं गरीबी के खिलाफ युद्ध चाहता हूं। शायद आप शान्ति चाहते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : गरीबी के प्रति मूक रहने का प्रश्न नहीं है। इस योजना के लिए 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये की रकम की जरूरत होगी। वस्तुतः यह भारी समस्या नहीं है। इसमें 10 से 15 वर्ष का समय लग सकता है। मित्र देशों से सहायता के रूप में धन जुटाया जा सकता है। मेरे विचार में यह कठिन नहीं है। पर प्रश्न है क्या हम इसे बिना किसी जोखिम के पूरा कर सकते हैं। इस पर हम गम्भीरता और शीघ्रता से विचार कर रहे हैं। इस बीच मैं नहरों सम्बन्धी उप-योजनाओं पर भी विचार कर रहा हूं जिससे कि हम बेकार न बैठे रहें और सिंचाई की अन्य सुविधाएं जुटाते रहें क्योंकि अगर यह योजना अमल में नहीं लाई जा सके तब क्या होगा। अतः हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। इस विषय में योजना आयोग हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

घाटे के बजट का प्रश्न उठाया गया। यह एक गम्भीर मामला है। इस समय जो घाटा है मैं उससे कतई खुश नहीं हूं। पर ये सब बातें चली आ रही हैं क्योंकि योजनाएं इस प्रकार की बनती रही हैं। एक दम परिवर्तन से सब कुछ अस्तव्यस्त हो जाएगा। अतः हम धीरे-धीरे ऐसी स्थिति लाने के प्रयास कर रहे हैं जिसमें घाटे की व्यवस्था नहीं होगी। पिछले दो वर्षों में भारी मात्रा में घाटे की व्यवस्था की गई। पर प्रभाव कीमतों पर नहीं पड़ा क्योंकि हमने अन्य उपाय किए हैं कि इन पर प्रभाव न पड़े। घाटे की व्यवस्था को एक सहज साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह ठीक नहीं है। यह एक बहुत ही नाजुक साधन है जिसका कभी कभार उपयोग किया जा सकता है। इसे कतिपय संरक्षणों के साथ उपयोग किया जा सकता है।

जब सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं का काफी उत्पादन हो और सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हों तो घाटे की व्यवस्था का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इससे कीमतें प्रभावित नहीं होतीं। पर इसका विकास के लिए सहारा लेने से पूर्व हमें इन सब बातों की सुनिश्चित करना होगा। योजना आयोग ने इन सब बातों को ध्यान में रखा है।

मुझे घाटे की अर्थव्यवस्था के खतरों की याद दिलाने के लिए मैं सदस्यों का आभारी हूं। तथा पिछले अनुभव को भी ताजा करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। हम उनका लाभ उठा रहे हैं। मेरा भी कभी इससे सम्बन्ध रहा है इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को नकार नहीं सकता। दूसरे में दोष ढूंढना आसान है पर हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमें पिछले अनुभव को ध्यान में रखना होगा ताकि हम उसका लाभ उठा सकें। पिछली गलतियां न हों और अधिक बेहतर कार्य हो सके। इन विषयों पर योजना आयोग इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख कर काम कर रहा है। धन्यवाद।

श्री वी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : जब प्रधान मंत्री रोलिंग योजना के बारे में कुछ कह रहे थे तो श्री श्याम बाबू ने बीच में ही कुछ बात कही। क्या आप इस योजना पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने इसकी पहले ही व्याख्या कर दी थी। उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन पर आरोप न लगाएं। इस रोलिंग योजना का आशय है योजना का लगातार जारी रहना, पर पांच वर्ष की अवधि भी इसमें बनी रहेगी। इसमें भावी 15 या अधिक वर्षों के लिए आयोजन की परिकल्पना है। हम प्रत्येक वर्ष इसका मूल्यांकन करेंगे जिससे कि यह पता लगे कि हमने उस एक वर्ष में कितनी प्रगति की और यह कि क्या हमने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है, या हमने ठीक काम नहीं किया है जिससे कि हम कमियों को दूर कर सकें तथा अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकें। हम हर वर्ष इसमें एक वर्ष जोड़ते जाएंगे। सारा कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि वर्ष के अन्त तक हमें कितनी सफलता मिली है। यह एक नया दृष्टिकोण है जिसे हम अपना रहे हैं। आशा है कि इस विधि से हम अधिक सुधार ला पाएंगे। इसीलिए हम इस विधि को अपना रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अब भी कोई रोलिंग योजना चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रश्नकाल में नहीं बनाया जा सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्या इस योजना के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक नहर को भी लिया जाएगा ? यह पश्चित बंगाल और पूर्वांचल के लिए बहुत ही महत्व-पूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्कीम इस योजना के अन्तर्गत आती है।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं नहर-माला योजना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की बात का समर्थन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि जल राज्य विषय है। कुछ समय से हम इसे राज्य सूची से हटाने की बात कर रहे हैं तथा समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अन्यथा आप किसी योजना को अमल में नहीं ला सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या

सरकार इस प्रकार अन्तर्राज्यीय जल संसाधन को राष्ट्रीय संधान मानने की बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री मोरारजी देसाई : इस विषय में इसे बिना संघ विषय बनाए हम संघ और राज्यों के संसाधनों का एक पूल बना सकते हैं । इसमें कोई राज्य आड़े नहीं आएगा । इसमें मुझे कोई शंका नहीं है । अत: मेरे विचार से इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है और राज्यों के मन में सन्देह उत्पन्न नहीं करना चाहिए । मैं यह नहीं करना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 17 वापस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 18, 19 और 46 से 51 वापस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 20 से 23, 26 से 32 और 43 से 45 वापस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति है ?

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 24 और 25 वापस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी अनन्तन द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 38 से 42 । वह अनुपस्थित है ।

अब मैं कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई योजना मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 72 से 74 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले बर्ष के दौरान होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राजस्व लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में

श्री मोरारजी देसाई : महोदय, श्री भुट्टो के बारे में नियम 377 के अधीन उठाये गये मामले के बारे में मुझे स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें। एक गलत सूचना प्रकाशित हुई है। समाचारपत्रों से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि श्री बाजपेयी यहां किसी गम्भीर कार्य के लिए आये हैं। मैं उनसे नहीं मिला। मैंने केवल समाचारपत्रों में पढ़ा है कि वह यहां आये थे। यदि इतना जरूरी था तो वे मुझसे मिले होते। किन्तु मालूम हुआ है कि वे अपने आप यहां अपने निजी काम से आये हैं और इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है।

श्री भुट्टो को फांसी देने के बारे में मैंने समय-समय पर कहा है, और हर बार मुझसे पूछा गया है, दूसरे देश क्या करते हैं हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से आन्तरिक मामला है। साथ ही यह कानूनी मामला है। अतः जब तक हमें कहा न जाये हम किसी को सलाह नहीं दे सकते। खासतौर से पाकिस्तान के साथ हमारे इस समय जो संबंध हैं उनके बारे में गलत अर्थ लगाया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रपति ने कहा है।

श्री मोरारजी देसाई : जब मैंने राष्ट्रपति से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता **(व्यवधान)** मेरी समझता हूं · · · न कीजिए · · · **(व्यवधान)**। मैं यह नहीं करूंगा। किन्तु मेरे मित्र यहां इस बारे में कुछ कर रहे हैं, वे उस समय क्यों चुप रहे जब ईरान में 60 व्यक्तियों को फांसी दी गई ?

एक माननीय सदस्य : आप भी चुप हैं।

श्री मोरारजी देसाई : क्योंकि मैं एक समान नीति अपनाता हूं। आपकी कोई नीति नहीं है। मैं किसी भी अन्य राज्व के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की एक समान नीति अपना रहा हूं। अतः मैं नहीं कहता। इस मामले में कोई छूट नहीं होनी चाहिए।

अनुदानों की मांगें, 1979-80

गृह मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा अब गृह मंत्रालय की मांग संख्या 47 से 57 तक चर्चा और मतदान करेंगे । ये इस प्रकार है :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजीगत
47.	गृह मंत्रालय	44,78,000	
48.	मंत्रिमंडल	20,66,000	
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,35,07,000	
50.	पुलिस	38,57,73,000	1,84,31,000
51.	जनगणना	1,35,52,000	..
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	33,35,95,000	18,27,80,000
53.	दिल्ली	24,84,29,000	16,13,36,000
54.	चंडीगढ़	3,97,44,000	1,84,98,000
55.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,73,33,000	3,05,33,000
56.	दादरा और नागर हवेली	44,31,000	42,25,000
57.	लक्षद्वीप	98,31,000	41,22,000

वे माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित हुए हैं, यदि चाहते हों तो कटौती प्रस्ताव पेश करें और 15 मिनट के अन्दर कटौती प्रस्ताओं के क्रमांक जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं, दर्शाने वाली पर्चियां सभा-पटल पर रखें । उन कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जाएगा ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : **महोदय, मैं** गृह मंत्रालय पर वाद-विवाद यह कहते हुए आरम्भ करता हूं कि गत दो वर्षों में जनता पार्टी की सरकार का कानून और व्यवस्था, सुरक्षा, एकता तथा देश संगठन, अल्पसंख्यकों और हरिजनों की रक्षा, अपराधों में वृद्धि तथा प्रशासन और

पुलिस, जो कि सरकार के सीधे प्रभार में है, पर सरकार का पूरा नियंत्रण न होना और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में सबसे अधिक निराशाजनक निष्पादन रहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह गत दो वर्षों की सामान्य तस्वीर है और विशेष रूप से पिछले साल की है ।

प्रारम्भिक विजय और केन्द्र में अचानक सत्ता प्राप्त करने के सुख में निमग्न रहने की बजाए इस सरकार को अपनी स्थिति बनाने और देश की एकता और ताकत को मजबूत करना चाहिए था । इसके बजाए हमें जो तस्वीर दिखाई देती है वह यह है कि सरकार निरर्थक, प्राथमिकता रहित तथा वैक्तिक वैर की नीति अपना रही है । एक माननीय मित्र ने कहा है कि समस्त केन्द्रीय नीति को देखें जिसका सारी विचारधारा और सरकार के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है । तो सरकार की इसी में व्यवस्थता दिखाई देती है । अतः वे सही दिशा में सही नेतृत्व नहीं दे पाये हैं । जो सरकार आयोगों, त्रुटियों और अत्याचारों पर निर्भर करती है वह स्वभावतः गैर-प्राथमिकता कार्यों को ही अपनायेगी ।

मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कानून और व्यवस्था का है । किसी भी सरकार का यही प्राथमिक उत्तरदायित्व है । इस क्षेत्र में क्या हो रहा है ? हम बिहार के अत्याचारों से आरम्भ करते हैं । फिर अलीगढ़ में दंगे हुए । कानपुर और पंतनगर में सैंकड़ों मजदूरों को गोली से मारा गया । राजधानी दिल्ली में साधारण व्यक्ति की जिन्दगी इतनी असुरक्षित है कि पिछले दिन कालेजों की लड़कियों को विरोध में प्रदर्शन करना पड़ा और संसद् में अध्यक्ष से मिलने तथा यह कहने के लिए आना पड़ा कि दिन दहाड़े भी वे बसों में सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकतीं । क्या इस सरकार के कानून और व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासन की यही सराहना है और मैं समझता हूं कि सबसे दुखद बात यह है कि अन्त में इस देश के इतिहास में पहली बार मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों को जो न्याय देते हैं, को गलियों में जलूस निकालने पड़े और समान व्यवहार की मांग करनी पड़ी । यदि उनको जो न्याय देते हैं न्याय नहीं दिया जाता है और यदि उनमें न्याय की भावना नहीं होती तो वे किस प्रकार का न्याय देंगे ?

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्योंकि वह एक प्रशासक भी रहे हैं, कि अधिकारियों में विश्वास पैदा करने का लबसे अच्छा रास्ता क्या है ? उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि राजनीतिज्ञ और मंत्री उनका समर्थन करेंगे चाहे वे कोई गलती भी क्यों नहीं करते हैं । किन्तु जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है उसका क्या रवैया रहा है ? भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर बदला लेते हेए आपने दो वरिष्ट अधिकारियों, सचिवों को निलम्बित किया और गिरफ्तार किया । इससे सरकारी सेवाओं का मनोबल गिरा है और अन्दर-अन्दर ही विरोध हुआ है । परिणाम यह हुआ कि आपको अपना ही आदेश वापस लेना पड़ा और उन्हे इज्जत से नौकरी पर लेना पड़ा । यह सभी जानते हैं कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारी विरोध हुआ है । उन्हें इस कारण वापस लिया गया कि वे आपके अनुसार अपराधी नहीं ठहराए गए । किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति अर्थात् भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विरुद्ध जिसने अपने हस्ताक्षर भी नहीं किए केवल सहमति दी, उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है ।

दूसरा मामला भिन्डर के बारे में था । एक कुख्यात डाकू ने कई हत्याएं की । आरोप यह है कि उसे डुबाया गया । ठीक है । आप क्या करते हैं ? आप पुलिस के एक आदरणीय अधिकारी

के विरुद्ध जो उप-महा निरीक्षक के ओहदे का है, धारा 302 के अधीन हत्या का आरोप लगाते हैं। आप समझते हैं कि इससे पुलिस का क्या होगा ? क्या वे अब अपनी ड्यूटी करने में प्रोत्साहित होंगे। वे यही सोचेंगे कि वे डाकुओं को पकड़ नहीं सकते और उनके ऊपर अभियोग नहीं चला सकते, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की किसी में रुचि होगी, तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। अतः उन्हें दिन दहाड़े हो रही हत्याओं और डकेतिओं की जांच करने में रुचि क्यों होनी चाहिए ?

आप समझ सकते हैं कि आपकी इस ग्रस्नता से क्या हुआ है। आपने कहा कि आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सबसे ताजा मामला वोरा का है। मैंने इसी सभा में कहा था। आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आपने कहा कि उसकी नियुक्ति पहले ही निश्चिक की जा चुकी थी और आपने केवल यही किया कि जब उसके द्वारा मामले को वास्तव में निपटाए जाने तक अधिसूचना जारी नहीं की। अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई ? यदि आपने उसे न्यायाधीश बनाने का निश्चय कर लिया था तो आप कह सकते थे कि उसकी नियुक्ति के बारे में निर्णय लिया जा चुका है किन्तु वह कार्यभार तभी संभालेगा जब वह मामले को निपटा देगा। वाप इसकी घोष्णा कर सकते थे। नहीं, आप इसकी पहले धोषणा नहीं करना चाहते थे। आप घोषणा को तब तक स्थागित करना चाहते थे जब तक वह अपने समक्ष व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधीं होने का फैसला नहीं दे देता। यह साधारण बुद्धि की बात है और इससे क्या आम धारणा बनती है। क्या आप इस प्रकार न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के बारे में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं ?

दूसरा मामला है जिसमें मैं गृह मंत्री को इसके लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं। पिछले दिन मैंने नियम 377 के अधीन मणीपुर आयोग में श्री तिर्खा की नियुक्ति के बारे प्रश्न पूछा था। आपका उत्तर यह थां कि इस व्यक्ति को शाह को प्रतिवेदित करने के लिए एक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके विचार में मूल विषय यह थे कि ज्योहीं शाह आयोग का समय समाप्त हो जायेगा इस प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। किन्तु नहीं, यह नहीं हुआ। मणिपुर सरकार स्वयं भी उसे और अधिक नहीं चाहती थी। उन्होंने यह बार-बार कहा। किन्तु आपने सलाह दी, आपने ही अपने उत्तर में कहा कि आपने ही मणिपुर सरकार को सलाह दी। आपका अर्थ क्या है ? क्या मैं गृह मंत्री को उत्तरदाई न समझूं ? क्या कल किसी छोटे अधिकारी को सजा दी जायेगी ? आप कहते हैं विचारार्थ विषयों के अनुसार प्राधिकारियों को आरम्भ में शाह जांच आयोग को प्रतिवेदन देना था और जब 31 दिसम्वर, 1978 को शाह आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ तो सभी राज्य सरकारों को जिन्होंने प्राधिकारी नियुक्त किये थे, यह सुझाव दिया गया कि "(i) वे प्राधिकारी का कार्यकाल कुछ और बढ़ा दें और उन्हें उन मामलों को समाप्त करने दें जिनमें उन्होंने जनता की सुनवाई पहले ही शुरू की है, (ii) प्राधिकारी के विचारार्थ विषयों में ऐसा उपयुक्त संशोधन करें कि उसके बाद प्राधिकारी प्रतिवेदन को शाह आयोग को प्रस्तुत करने की बजाये जैसा कि पहले व्यवस्था थी सम्बद्ध राज्य सरकार को प्रस्तुत करें और (iii) शेष शिकायतों की सामान्य प्रशासनिक माध्यम से जांच करवायें।" आपने यह सलाह दी है। फिर बाद में यह दिया हुआ है। आपने पैरा 6 में कहा : "कार्यकाल को 31-3-1979 तक बढ़ाने के मणिपुर सरकार के आदेश जारी करते हुए.....।" मेरे पास यहां अधिसूचना की प्रति है। ".....सरकार ने कहा है कि कार्यकाल में यह वृद्धि अन्तिम होगी।" ये शब्द हैं : "यद्यपि मणिपुर के राज्यपाल का अब यह विचार है कि कार्यकाल

को अन्तिम बार बढ़ाते हुए···।" चार बार कार्यकाल बढ़ाया गया। आगे बढ़ाने की यह प्रार्थना क्या है। किस लिए है ? इसका क्या अभिप्राय हो सकता है । वह यहां किसी से कहते हैं कि मैं नहीं समफता हूं कि गृह मंत्री इस प्रकार के बर्ताव के शिकार बनेंगे । मुझे कुछ और समय दीजिये मैं श्रीमती गांधी को भी पकड़ में ले रहा हूं । मैंने उनके विरुद्ध वारंट जारी किया है। मुझे केवय एक और अवसर दीजिये । क्या यही उद्देश्य है जिसके लिए आयोग अथवा प्राधिकारी को काम करना है ? पिछली बार आपने राज्य सरकार को सलाह दी कि उसका कार्यकाल एक बार और बढ़ाईए । यह कितना घृणित और अपमानजनक है । सरकार इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है ? मैं यह नहीं समझ सकता । प्रधान मंत्री, मोरारजी देसाई ने कहा, "इस आदमी को हटाइए, वह सफेद हाथी है । आप उसे बरदास्त नहीं कर सकते ।" विधि मंत्री के अनुसार उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति भी उचित नहीं थी । विधि मंत्री और प्रधान मंत्री की एक ही विचारधारा है । इसमें क्या खास बात और क्यों गृह मंत्री, श्री पटेल मणिपुर सरकार को यह सलाह दे रहे हैं और इसे इस व्यक्ति को बने रहने के लिए कह रहे हैं। अब आप कहते हैं कि आखिरी बार कार्यकाल बढ़ाया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसका कार्यकाल 31 मार्च से आगे बढ़ाया गया है क्योंकि यह केवल आपकी ही सलाह से होगा । यदि यह सब कहने के बाद कि जांच पूरी करने के लिए आखरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है तो इसका निष्कर्ष केवल यही होगा कि गृह मंत्री यह बैर के कारण कर रहे हैं और इसका एक मात्र उद्देश्य श्रीमती गांधी की बेइज्जती करना है । आप यह महसूस नहीं कर सकते । श्रीमती गांधी को साक्षी के रूप में बुलाया जा रहा है। यह जांच प्राधिकारी केवल मणिपुर की ज्यादतियों के लिए नियुक्त किया गया है । उन्हें यहां से साक्ष्य के लिए वहां बुलाया जा रहा है और एक, दो बार उन्हें कठिनाइयां भी हुई । उन्हें तामिल नहीं हो सकी । प्राधिकारी क्या करता है ? वह वारंट भेजता है और यही नहीं वह अपमान की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं । क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कोई जांच प्राधिकारी ऐसा करेगा ? किस शक्ति के अधीन सरकार यह कह रही है ? आप ऐसा मूर्ख नहीं पायेंगे जो कानून के बुनियादी सिद्धान्त न जानता हो · · ·

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उन्हें वह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए · · · **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, साठे जी · · ·

श्री वसन्त साठे : मैं उस शब्द को वापिस लेता हूं । आप उनमें कोई भी बुद्धिमानी वाला नहीं पायेंगे ।

आपकी सरकार का सामान्य चित्र दो प्रकार का है । आपकी सरकार बदले लेने वाली और उत्पीड़ित करने वाली सरकार है । आप इस से हट नहीं सकते । आपके पास अधिक महत्यपूर्ण कार्यों को करने के लिये समय नहीं है। आप कानून और व्यवस्था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और इसाइयों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते। आज भी वे बदले की भावना के शिकार हैं । दिन दहाड़े हत्याएं और डकैतियां हो रही हैं । यह है आपकी जिम्मेदारी । आपके पास इनके लिए कोई समय होगा, क्यों कि आपको एक ही सनक है, कि कैसे श्रीमती इन्दिरा गांधी और उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर विशेष न्यायलय बनाकर मुकदमें चलाये जायें । किन्तु उसी अपराध के लिए आम्र कान्ति देसाई के लिए, चरणसिंह

के भतीजे के लिए, किसी दूसरे मंत्री के लड़के के लिए और श्री सकलेचा के लड़के के लिए विशेष न्यायलय नहीं बनायेंगी । उसके पास बोली लगाने के लिए एक करोड़ रुपया कहां से आया ? आप यह नहीं करेंगे । अतः इस सरकार ने गृह कार्यों में और कानून और व्यवस्था में अपनी विश्वनीयता बिल्कुल खो दी है । अब भी उन 19 महीनों को भूल जाइए । वह रिकार्ड अब पुराना हो गया है । आप इन 24 महीनों अथवा दो वर्ष सभा में रहे हो, अब आप उसकी बात कीजिए । अब भी कम से कम होश में आइए । सारे देश को अच्छे रास्ते पर लाइए तभी आपको सहयोग का वातावरण मिलेगा । इस पागलपन को समाप्त कीजिए । मैं यही कहना चाहता हूं । इस देश को अच्छे रास्ते पर लाइए । यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी होगी ।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया है ।

गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
47.	13.	**श्री केशवराव घोंडगे**	महाराष्ट्र में मराठवाडा विद्यापीठ का नाम बदलने के सम्बन्ध में हुए दंगों की जांच के लिए केन्द्रीय न्यायिक जांच का गठन करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	14.		डाक्टर अम्बेदकर की मृत्यु की जांच के लिये नियुक्ति की गई जांच समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में असफलता।	,,
,,	15.		नव-बौद्धों को पिछड़ी जातियों में शामिल किये जाने की मांग और उन्हें वे सभी सुविधायें देने की निति जो दलित वर्गों को उपलब्ध हैं ।	,,
,,	16.		समाज विरोधी गतिविधियों में लगे साम्प्रदायिक संगठनों और संस्थाओं के प्रति उदासीनता का रुख ।	,,
,,	17.		संघ राज्य क्षेत्र में सभी घुमन्तु जातियों को स्थायी रूप से बसाने के प्रति उदासीनता ।	,,
,,	18.		उन सभी धार्मिक पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता जिसमें जातिवाद, सम्प्रदायवाद, अस्पृश्यता और अन्य बुराइयों को बढ़ावा दिया जाता है ।	,,

1	2	3	4	5
47	19	**श्री केशवराव घोंड़गे**	शिवाजी, महात्मा बशेश्वर, महात्मा फुले, डा० अम्बेदकर, राणा प्रताप, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे व्यक्तियों की जन्म और पुण्य तिथियों तथा श्री जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जायें ।
,,	20.		धर्म और संस्कृति के नाम पर जातिवाद और साम्प्रदायवाद का प्रचार करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
,,	21.		पुलिस कर्मचारियों के सेवाकाल तथा उनके वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के प्रति उदासीनता ।	,,
,,	22.		पुलिस और होम-गार्ड के प्रति राष्ट्रीय नीति का अभाव ।	,,
,,	23.		पुलिस अधिकारियों में जन विरोधी प्रवृत्ति और कदाचार का बढ़ाना तथा इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र को पैदा हुआ खतरा ।	,,
,,	24.		साम्प्रदायिक दंगों को रोकने तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जन-विरोधि नीति ।	,,
,,	25.		सरकार की साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देने वाली नीति ।	,,
,,	26.		महाराष्ट्र के नानदेड़ जिले में स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों के आश्रितों को सहातयानुदान देने में असफलता ।	,,
,,	27.		गोआ को राज्य का दर्जा प्रदान करने के प्रति सरकार की उदासीनता ।	,,
,,	28.		महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा पर बसे 10 लाख मराठियों को न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
47	29.	**श्री केशवराव घोंड़गे**	महाराष्ट्र राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के निकट सम्बन्धियों को सहायता देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	30.		राष्ट्रगान जन-गण-मन में क्रांन्ति का पुट देने की आवश्यकता ।	,,
,,	31.		हरिजनों, गिरिजनों और अन्य पद दलित वर्गों के प्रति अन्याय के मामलों में न्याय देने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने में असफलता ।	,,
,,	32.		देश में विशेषकर महाराष्ट्र में पद दलित लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में असफलता ।	,,
,,	33.		देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा इसके प्रति सरकार की निष्क्रियता ।	,,
,,	34.		संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	35.		दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति ।	,,
,,	36.		हरिजनों, गिरिजनों तथा अन्य पद दलित वर्गों का उत्थान करने की आवश्यकता ।	,,
,,	37.		देश में जातिवाद तथा वर्ण-व्यवस्था को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	38.		लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु के सम्बन्ध में गलत घोषणा करने के लिए जिम्मेवार लोगों को दण्ड देने में असफलता ।	,,
,,	39.		राज्यों के बीच सोहार्दपूर्ण सम्बन्धों का अभाव तथा सरकार की राज्य विरोधी नीति ।	,,

1	2	3	4	5
47	40.	**श्री केशवराव घोंड़गे**	संघ राज्य क्षेत्र में समाज विरोधी गतिविधियों तथा चोरी और डकेती की घटनाओं को रोकने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
48	41.		महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच न्यायिक सिद्धान्तों पर सीमा समझौता कराने में असफलता ।	,,
47	58.		महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट मालीवाड़ा गांव में विदेशी मिशनरियों द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप को रोकने में असफलता ।	,,
47.	59.	श्री ए० के० साहा	नैपाली भाषा को उचित स्थान दिये जाने की आवश्यकता ।	राशि को घटा कर 1 रु० किया जाये
,,	60.	,,	उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशनों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता जिन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा भाग विदेशी साम्राज्यवादियों से लड़ने में बिताया ।	—तबैव—
,,	61.	,,	पिछले 6 महीनों से सरकार के पास पड़ी नागरवाला कांड सम्बन्धि रेड्डी जांच आयोग की रिपोर्ट पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने में असफलता ।	—तदैव—
50.	62.	,,	पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान की गई उल्लेखनीय सेवाओं की दृष्टि से राज्य पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता ।	—तदैव—
,,	63.	,,	राज्यों में पुलिस प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	—तदैव—
,,	64.	,,	देश में पुलिस बल के संबंध में राष्ट्रीय नीति का अभाव ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।

1	2	3	4	5
50	65.	**श्री ए० के० साहा**	हरिजनों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर अत्याचार, हिन्सा, बलात्कार और हत्याओं की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।
,,	66.		पश्चिमी बंगाल में नदिया के करीमपुर पुलिस थाने के अन्तर्गत शिकारपुर आंचल के गंधीना, फूलवाड़ी और चार मुगना ग्रामों में बंगला देश की दूसरी ओर के लोगों की लगातार घुस पैठ को रोकने में असफलता ।	—तदैव—
55	67.		भूतपूर्व पूर्वी बंगाल के कुछ शरणार्थियों को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनः बसाने में असफलता ।	—तदैव—
,,	68.		अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने की आवश्ययता ।	—तदैव—
,,	69.		ओंगों, अपदमानियों, सोंपों और निकोबारियों के उपचार और पोषण के लिये एक व्यापक योजना बनाने में असफलता ।	—तदैव—
,,	70.		मुख्य भूमि के साथ तीव्रगामी सस्ती और नियमित परिवहन सेवा चालू करने में असफलता ।	—तदैव—
47	85.	**श्री गिरिधर गोमांगो**	पांचवी योजना और छठी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं में आदिवासी उपयोजना प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने में विफलता ।	—तदैव—
,,	86.		सामाजिक, आर्थिक उत्थान और विकास के लिये उत्तरदायी केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिये धन आबंटित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
47	87. **श्री गिरीधर गोमांगो**		परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और धन उपलब्ध कराने के लिये आदिवासी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी आंकड़ें रखने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	88.		आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने और उनकी योजनाओं के लिए धन आवंटित करने में असफलता ।	,,
,,	89.		आदिवासियों को सभी पुकार के शोषण से बचाने और आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के कार्यक्रमों को समयबद्ध आधार पर लागू करने के लिये प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाने में असफलता ।	,,
,,	90.		मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों से सम्बद्ध आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यकारी दलों की सिफारिशों को लागू करने तथा राज्यों को आदिवासियों तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित को गई विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर कार्यवाही करने की समय पर सलाह देने में असफलता ।	,,
,,	91.		केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य द्वारा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में संसोधनों का उपयोग करने में असफलता ।	;,
,,	92.		आदिवासी शिक्षा के सम्बन्ध में कार्यकारी दल का गठन करने में असफलता ।	,,
,,	93.		केन्द्र द्वारा आदिवासी क्षेत्रों सम्बन्धी उत्पादन शुल्क नीति, वन नीति, कर्मचारी नीति, शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, सांस्कृति नीति तथा अन्य नीतियां लागू करना सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
49	94.		आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिये अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर उप-संवर्ग बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
49	95.	**श्री गिरिधर गोमांगो**	आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों का व्यापक रूप से अध्ययन करने और उसके सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश करने के लिये एक समिति का गठन करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें।
52	96.		आदिवासी भाषाओं को लिखित और मौखिक रूप में सुरक्षित बनाये रखने तथा उनका विकास करने की आवश्यकता जिससे सौरा, सन्थाली और कुरुक आदिवासी लिपि, जिसकी खोज इन आदिवासियों ने इतिहास लिखने और सांस्कृतिक साहित्य लिखने के लिए किया था, का विकास हो सके।	,,
,,	97.		केन्द्र और राज्यों की सरकारी एजेन्सियों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार कराकर आदिवासी समुदायों के विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाई ग्रुपों से उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक ग्रुपों में शामिल करने के लिये अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करने तथा सरकार से आदिवासी भाषाओं, संस्कृति और परम्परा की रक्षा करने के बारे में सिफारिश करने की आवश्यकता।	,,
55	98.	**श्री मनोरंजन भक्त**	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग के अन्तर्गत 'बुश पुलिस' को सामान वेतनमान देने की आवश्यकता।	,,
,,	99.		अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुलिस रेडियों आपरेटरों को सलेक्शन ग्रेड दिये जाने की आवश्यकता।	,,
,,	100.		अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा और चिकित्सा विभागों में प्रयोगशाला सहायकों और परिचरों के वेतनमानों में विद्यमान विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
55	101.	**श्री मनोरंजन भक्त**	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिये प्रर्याप्त धन देने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं।
,,	102.		अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में केम्पबेल खाड़ी में एक निशुल्क पतन बनाने में असफलता।	
,,	103.		अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के छात्रों की छात्रवृति/वजीफा की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यता।	,,

श्री रामानन्द तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात कहने से पहले मैं माननयी श्री साठे से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी बिहार के सम्बन्ध में, और खासकर हरिजनों तथा भूमिहीनों पर होने वाले अन्याय के सम्बन्ध में, कहा, मगर क्या वह वे दिन भूल गये, जबकि बिहार के सैंकड़ों हरिजनों को नक्सलाइट्स के नाम पर उन की पुलिस ने कत्ल करवाया और उन पर अन्याय किया। आज उस अवसर को भुला कर वह जो आंसू बहा रहे हैं, वह उचित नहीं है।

आजादी के बाद गृह विभाग पहली बार एक अवकाश-प्राप्त आई० सी० एस० को मिला है। मैं बड़ी नम्रता के साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सम्पूर्ण भारत में कानून और व्यवस्था में जो गिरावट आई है, उससे हमें इन्कार नहीं करना चाहिए। उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आई है और यह कांग्रेस के तीस वर्षों के शासन की देन है। इसके साथ-साथ आये-दिन अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का निर्माण इसलिए हुआ था कि देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रहे। जब तक देश में शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रहेगी देश का विकास भी नहीं होगा। यह अपराध और कानून व्यवस्था की गिरावट देश के विकास को भी नुकसान पहुंचा रही है। मैं ज्यादा आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन यह बतलाना चाहता हूं कि 1960 में जब 1 लाख पर 140.5 अपराध होते थे तो 1977 में 195.10 अपराध हुए हैं। पुलिस के अनुसन्धान को देखा जाए तो 1974 में जब साठे साहब की सरकार थी तो यदि सौ व्यक्ति गिरफतार हुए तो पुलिस ने 40 पर चार्जशीट दी और न्यायालय से 7 को सजा मिली। यह प्रमाणित करता है कि हमारा अनुसन्धान, हमारी पुलिस का आचरण और पुलिस का चरित्र कैसा है। 1943 में 5.56 लाख केस थाने में रजिस्टर हुए और 1978 में यह अनुमान है कि लगभग 15 लाख हुए। 73 में 13 लाख से अधिक हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि अपराधों के चरित्र को देखते हुए हमें उसका गहरा और गम्भीर अध्ययन करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से आए दिन ये अपराध बढ़ रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि पुलिस विभाग में आज ऊपर से नीचे तक जो श्रेणियां बनी हुई हैं इन श्रेणियों में किस तरह से काम हो रहा है। इसको भी देखना होगा कि हमारे अधिकारियों और पुलिस विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों

की स्थिति क्या है ? उनकी मनः स्थिति क्या है ? क्या वजह है कि 32 वर्ष की आजादी के बाद भी भारतीय पुलिस जनसेवी नहीं बन पाई ? अंग्रेजों ने यह पुलिस बनाई थी, यह हम समझते हैं। इसके बारे में आगे चल कर बतलाऊंगा। लेकिन यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 32 वर्षों की आजादी के बाद आज भी जनता उसी रूप से भयभीत और आतांकित है जिस रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में थी, इसका कारण क्या है ? उन का रिश्ता आज भी आतंक का और भय का है। पुलिस और जनता के बीच में जो खाई है, जो खन्दक है वह पाटी नहीं गई। कभी 30 वर्ष की अवधि में आप ने सोचा, चिन्तन किया कि यह पुलिस एट 1861 का बना हुआ है, आज अपराध करने की टेकनीक बदल गई, सारी चीज बदल गई और आज के आधुनिक युग में आप वही चाहते हैं कि पुराने हथियार से हम लड़ाई करें। आधुनिक लड़ाई आप पुराने हथियारों से लड़ना चाहते हैं। इस पर कभी आपने विचार किया, सोचा ?

हम यह जानना चाहते हैं कि पुलिस विभाग का जो भूलभूत ढांचा है उस में आप ने कौन सा परिवर्तन किया ? क्या कारण है कि आज हमारी पुलिस हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल है, असमर्थ है ? इन सारी बातों पर कभी आपने विचार किया ? आज पुलिस का चरित्र, उन का मानस, उन का प्रशिक्षण, उन का व्यवहार तो वही पुराना ही न है ? क्योंकि 30 वर्षों तक की हुकूमत ने पुलिस को जनसेवी न बना कर अपनी पार्टी की सरकार के रक्षक के रूप में उन से काम लिया। उसी तरह जिस तरह 1861 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को भयभीत और आतंकित कर के रखा था उसी तरह उन्होंने भी रखा। कभी आपने सोचा कि यह क्या स्थिति है ?

इतना महत्वपूर्ण यह विभाग है। आप आये दिन पुलिस को गाली देते हैं, हम भी गाली देते हैं। उन का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि लन्दन के भूतपूर्व आयुक्त, राबर्ट मार्क स्पष्ट रूप से कहते है कि हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम किसी पार्टी के नौकर नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के नौकर नहीं हैं—हम नौकर हैं कानून के, हम नौकर हैं जनता के। वे तो यहां तक कहते हैं कि यदि सरकार हमें आदेश कुछ और दे और कानून कुछ और कहता है तो हम उसको मानने से इन्कार करेंगे। 1974 में श्री जयप्रकाश नारायण ने जब बिहार में पुलिस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को चुनौती दी थी और कहा था कि तुम किसी पार्टी के नौकर नहीं हो, तुम कानून के नौकर हो, तुम जनता के नौकर हो, तब उन्हें फासिस्ट और देशद्रोही कहा गया था। अगर तब उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता तो आज स्थिति कुछ और होती।

आपको याद होगा कि 1977 में गृह विभाग के बजट पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 1861 के पुलिस ऐक्ट को फाड़ कर फेंक दो, जला दो और नए पुलिस आयोग का गठन करो। मुझे खुशी है कि तत्कालीन गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी ने पुलिस आयोग का गठन किया। साठे जी जिस दल में हैं मैं उनमें पूछना चाहता हूं कि जिस काम को आजादी के बाद ही फौरन हो जाना चाहिए उस पर कभी उन्होंने सोचा ? ब्रिटिश साम्राज्य का लार्ड एलेनबरा लिखता है कि इस तरह की परिस्थिति लो दो कि पुलिस सिपाही अपराध कर्मियों से जिना भयभीत नहीं होता है उससे अधिक अपने अधिकारियों से भयभीत रहे। लेकिन क्या कभी आपने इन सारी बातों को जानने का प्रयास किया ? जो काम 1947 में ही हो जाना चाहिए था उसको जनता

पार्टी की सरकार बनने के साथ ही किया गया। लेकिन उसमें भी मेरा एक संशोधन है। पुलिस आयोग में एक-एक अच्छे अफसर हैं लेकिन इन आई० पी० एस० अफसरों पर विश्वास करते हुए मैं कहना चाहता हूं क्या वे एक गरीब सिपाही के दुःख दर्द को जानते हैं ? क्या कभी उन्होंने उस दर्द को अपने जीवन में महसूस किया है ? मैं उसी जीवन को बिताकर यहां पर आया हूं। 13 वर्ष सिपाही के पद पर रहने तथा बिहार में गृह विभाग के मंत्री के पद पर रहने के बाद अपने अनुभव के आधार पर मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन किया था कि पुलिस में सिपाही से थानेदार तक किसी प्रतिनिधि को आयोग में रखा जाये। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने रुस्तमजी और सक्सेना जी जैसे अफसरों पर अविश्वास किया है लेकिन हम जानते हैं कि उनका अनुभव किताब का है, जीवन का अनुभव उनके पास नहीं है। उनके दुःख और उनकी तड़पन को आप कैसे जानेंगे ? क्या पिछले तीस वर्षों में कभी आपने सोचा कि एक पुलिस सिपाही को लगातार 6 घंटे सोने का अवसर मिलता है क्या ? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अखिर इसका कारण क्या है ? आज आप जो आदेश देते हैं उनका पालन पुलिस वालों को करना पड़ता है। यदि वे पालन नहीं करते हैं तो आप उनको परेशान करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पुलिस को निडर बनावें—निडर का मतलब उद्दण्डता से नहीं है कि वे डिसिप्लिन तोड़ें—लेकिन उन्हें विश्वास हो कि आई पी सी, सी आर पी सी या और जितने कायदे कानून हैं उनका सख्ती के साथ पालन करेंगे और यदि बाहर जायेंगे तो दण्ड मिलेगा लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता में कायम रहने के लिए पहले उनका प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने जनता को भयभीत करने, आतंकित करने तथा अपना साम्राज्य कायम रखने के लिए पुलिस का गठन किया था। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो फौजी तरीके पर यहां की पुलिस विकसित हुई लेकिन आप उसको बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय पुलिस सीना तानकर हिम्मत के साथ कहे कि हम किसी पार्टी के नौकर नहीं हैं, यहां तक की सरकार की वही बात मानेंगे जो कानून कहता है, जो नियम कहता है, जो पुलिस एक्ट कहता है—लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। माफ कीजिये—बिहार राज्य का कृषि मंत्री —श्री कपिल देव सिंह विधान परिषद में जब यह कहता है कि हम गुण्डा पालते है, पालेंगे —तब इसका क्या अर्थ निकलता है ? क्या इस से अपराधी मनोवृति नहीं बढ़ेगी, अपराधी मनोबल नहीं बढ़ेगा ? इस तरह की बात कह कर आप उनके मनोबल को बढ़ा रडे हैं। हर काम में हमारे पोलीटिशन्ज इन्टरफीअर कर रहे हैं।

श्रीमन्, 1857 में जो आजादी की लड़ाई हुई और बाद में वह असफल हुई, जिसको अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, उस के बाद 1859 में एक पुलिस आयोग का गठन हुआ, ताकि फोज का स्थान पुलिस ले सके। 1902 में लार्ड करज़न ने कहा था– जनता को सब कुछ देने के बाद यदि पुलिस तन्त्र अयोग्य और अक्षम हो तो फिर हम जनता के साथ न्याय नहीं करते हैं। 1861 के पुलिस एक्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। इसी लिए लार्ड कर्जन ने सोचा था कि इंग्लैंड की पुलिस की तरह से यहां भी पुलिस का यह सर्वप्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए कि जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो, लेकिन वह इस में सफल नहीं हो सके।

अब मैं आप के माध्यम से चार-चार बातें कहना चाहता हूं। आज एक सिपाही 24 घंटे का नौकर है, आप उस से 18-18 घंटे तक लगातार काम लेते हैं, पांच व्यक्तियों का काम आप एक आदमी से लेते हैं—क्या आप ने कभी चिन्तन किया कि इसके बदले में आप उसे क्या देते

हैं ? श्रीमन्, इस 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भी आप देखिये--बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० के जवानों के साथ क्या व्यवहार होता है । उनको 28-28 दिन तक क्वार्टर-गार्ड्स में बन्द कर दिया जाता है, उन को हथकड़ी लगाई जाती है, उन का वेतन काट लिया जाता है । क्यों ? यदि उनसे कोई छोटी सी भूल हो जाती है, वे छुट्टी से आधा घन्टा लेट पहुंचते हैं, यूनीफार्म फटी हुई पहने हैं या कोई और गलती हो जाती है, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है । जिस तरह से इन्दिरा जी के राज में डिक्टेटरशिप थी, इन्दिरा जी की वाणी कानून थी, वही स्थिति इनके साथ है । श्रीमन्, मैं भी उसी जीवन से निकल कर आया हूं । यदि कोई सिपाही अपराध करता है तो उस से एकस्ट्रा ड्रिल कराई जाती है, जिसको हमारी भाषा में 'दलेल' कहते हैं । जेठ की दोपहरी में उसकी पीठ पर 28-28 ईंटें बांध कर और राइफल लेकर परेड कराई जाती है और यह परेड घन्टों चलती है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि कई सिपाही मर जाते हैं । क्या आप ने कभी इसके बारे में सोचा है ?

बी० एस० एफ० का कानून कहता है—यदि थोड़ा कसूर भी हो जाये, 10 मिनट नींद आ जाये, तो उनके अफसरों को यह अधिकार है कि उन को 'ट्रांसपोर्टेशन-आफ-लाइफ की सज़ा दे सकते हैं । आप के लिए तो दफा 307 है, लेकिन उस गरीब के बेटे के लिये, उस दुखिया के बेटे के लिये जिसको अंग्रेज ने, फौज को दृष्टि में रखते हुए सिपाही बनाया था, क्या आप उस को फौज की सुविधा देते हैं ? मैं चाहता हूं कि उस को फौज की सुविधायें दी जानी चाहिये । फौज की डिसिप्लिन को लगाओ लेकिन यह तो आप करते नहीं हैं । इतना ही नहीं, यह जान कर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो अफ़सर हैं, अच्छे से अच्छे अफ़सर हैं, ईमानदार अफ़सर हैं, वे भी इन सिपाहियों से अपना व्यक्तिगत काम लेते हैं । 16-16, 18-18 और 20-20 घंटे तक सिपाहियों को काम करना पड़ता है । मैं गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 60 सिपाही यहां पर सारे गेटों पर ड्यूटी देते हैं । क्या आपने कभी उन के बारे में सोचा है । कैसे वे बारिश में और इस सख्त धूप में ड्यूटी देते हैं । कभी आप ने सोचा कि वे कहां बैठेंगे ? वे सुबह 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं और रात को 8 और 9 बजे तक, जब हमारा सेशन चलता है, वे ड्यूटी देते हैं । उन के लिए आप ने क्या इन्तज़ाम किया है । हमारे लिए तो केन्टीन है और दूसरा सारा सामान हैं लेकिन उनके पास क्या है । 16 घंटे, 12 घंटे और 10 घंटे तक उन को ड्यूटी देनी पड़ती है । आप की नाक के नीचे यह सब होता है जबकि आप ने कानून बनाया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर या दूसरे सेक्टर में लगा हुआ जो आदमी है, उस से 8 घंटे से बेशी कोई काम लेगा तो आप उसे प्रोसीक्यूट करेंगे । यह आपका बनाया हुआ कानून है, आप का बनाया हुआ नियम है; लेकिन दूसरी तरफ आप इन सिपाहियों से 18-18 घंटे काम लेते हो । कभी आप ने इस बात को सोचा है, कभी इस पर विचार किया है, कभी इस का मनन किया है कि उन का शरीर भी थकता है, वे भी मनुष्य हैं, वे भी इन्सान हैं । अफ़सर जो चाहते हैं करते हैं । उन के लिए कोई कानून नहीं है । उन की वाणी ही कानून है और जैसा पहले चलता था वसा ही अब भी चल रहा है । इस लिए मैं बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि कड़ाके की सर्दी में उनका शरीर कांपता है । आप यह देखें कि कड़ाके की सर्दी में भी हमारा जो सिपाही है, वह रात को लाठी लेकर गली-गली जाता है और जनता की रक्षा करता है । और आप उसको देते क्या हो । 240 रुपया उस को आप देते हो जबकि दूसरे लोगों को सारे हिन्दुस्तान में 300 रुपये मिलते हैं । एक पुलिस के कुत्ते के खिलाने पर आप 572 रुपये देते हो । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ने कभी

इस के बारे में सोचा, कभी आप ने इस पर विचार किया। मेरे पास इस वक्त समय नहीं है, मैं ने लिख कर दिया था कि मुझे ज्यादा समय दिया जाये, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी समाप्त करना चाहता हूं आप का आदेश पालन करने के लिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरे सरकारी कर्मचारियों को आप 53 सन्डे और दूसरी छुट्टियां देते हैं। अगर 7 छुट्टियां मान लें तो 60 दिन हो जाते हैं लेकिन आप इन सिपाहियों से रविवार को भी काम लेते हैं। दूसरे सरकारी कर्मचारियों को आप केजुअल लीव और अर्न्ड लीव भी देते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप उन से सन्डेज को भी काम देते हैं, तो उन दिनों का आप उन को वेतन दीजिए। जब मैं बिहार में मंत्री था और आदरणीय श्री धनिक लाल मण्डल हमारे स्पीकर थे, तो मैं ने यह प्रयास किया था कि उन को 2 महीने की छुट्टी दी जाए। 2 महीने की तो उन को छुट्टी नहीं मिली लेकिन 21 दिन की छुट्टी उन को दी गई थी। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि अगर आप उन को छुट्टी नहीं दे सकते तो 2 महीने का आप उन को अतिरिक्त वेतन दीजिए। आप हालीडेज में उन से काम लेते हैं, जबकि दूसरों से काम नहीं लेते। आठ घंटे से बेशी अगर दूसरे काम करते हैं तो आप उन को ओवरटाइम देते हैं। इसलिए यह आप का नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि 8 घंटे से अतिरिक्त उन से काम न लें। अगर काम लेना चाहते हैं, तो उन को ओवरटाइम देना चाहिए।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहुंगा हूं कि हिन्दुस्तान में एक सिपाही का नेतन कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। इस से कम वेतन न हो। हमारा देश एक ग़रीब देश है, इस लिए मैं 500 रुपये कहता हूं। किसी का वेतन 500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

इस के साथ ही साथ, मैं कभी आप को ले कर चलूंगा और वहां आप यह देखेंगे कि एक सिपाही कैसी हालत में रहता है। सिपाही का बैरक ऐसा होता है कि उस में उस के लिए इतना कम स्थान होता है कि कहीं पैर रखने की गुंजाइश नहीं होती। एक चारपाई पर दूसरी चारपाई रखते हैं। उस की स्थिति बड़ी दयनीय होती है पशु से अधिक हीन अवस्थान में उसे रहना पड़ता है। यदि मजदूर से भी हीन अवस्था में किसीं को रहना पडता है तो वह सिपाही को रहना पड़ता है।

सिपाही के परिवार को रहने देने के लिए यदि आपके पास मकान रहीं हैं तो आप किराये पर मकान लेकर उन अभागों के परिवारों को रहने के लिए दो जो कि पुलिस लाइन के नजदीक हों। उसके क्वार्टर में सफाई का, बिजली का इंतजाम हो। उसके क्वार्टर में पंखा नहीं होता है। क्या उसे गर्मी नहीं लगती है ? हमें तो एयर कंडीशनर चाहिए, हमें बिजली का पंखा भी चाहिए, हमारे अफसरों को सब कुछ चाहिए। लेकिन मुझे माफ करेंगे कि क्या वह अपनी मां का बच्चा नहीं है, हम ही अपनी मां के बच्चे हैं ? आप उन्हें बिजली का पंचा दो। आप उन्हें कम से कम दो कमरे वाला क्वार्टर दो। उसके क्वार्टर में रसोईघर भी हो, एक लेट्रीन भी हो, एक बरामदा भी हो। हर सिपाही को कम से कम एक महीने में दस यूनिट बिजली मुफत दी जाए।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इन सिपाहियों की स्थिति में क्या परिवर्तन किया है। आपने इनकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं किया है। बैरकों में सिपाहियों के लिए साठ

वर्गफीट जगह निश्चित होनी चाहिये । जिसमें वह अपनी चारपाई, अपना बक्सा, अपने कागज रख सके । लेकिन आज उसका भी प्रबंध उसके लिए सुनिश्चित नहीं है । आप सिपाही के लिए यह प्रबंध बैरकों में अविलम्ब करें ।

सिपाही के परिवार के लिए आप चिकित्सा का प्रबंध करें । उनके लिए एक केन्द्रीय अस्पताल हो जिसमें तीन-सौ बेड्स का इंतजाम हो । उसमें अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ हों । इसके साथ-साथ सिपाही के बच्चों के पढ़ने के लिए कम से कम आठ सौ रुपये का अनुदान दें ताकि सिपाही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल की पुस्तकें खरीद सके । जब उसके बच्चे कालिज, महाविद्यालय में जाएं तो वहां आप उन्हें छात्रवृत्ति दीजिए ताकि उनके बच्चे भी पढ़-लिख कर आई० पी० एस०, आई० ए० एस० हो सकें । आप क्या चाहते हैं उनके बच्चे जिंदगी भर सिपाही, दरबान या मजदूर बनें रहें ? अगर आप उनका विकास चाहते हैं तो आप उन्हें ये सब सुविधाएं दीजिए।

हमारे भारतीय संविधान में कहा है कि सब को एसोसियेशन बनाने का अधिकार है । हमने बिहार में एसोसियेशन बनाने का अधिकार दिया । पुलिस कमीशन ने भी सिफारिश की है कि सिपाही को एसोसियेशन बनाने का अधिकार दिया जाए । अगर इस पर भी आप उन्हें एसोसियेशन बनाने का अधिकार नहीं देते हैं तो आप उनके साथ ज्यादती करते हैं । आई० पी० एस०, आई० ए० एस०, प्रांविशियल अफसरों को, गजेटेड अफसरों को एसोसियेशन बनाने का अधिकार है, आप सिपाही को भी एसोसियेशन बनाने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ? अगर आप यह अधिकार नहीं देते हैं तो आप उनको ज़बर्दस्ती, अपनी ताकत के बल पर उनको इस अधिकार से रोकना चाहते हैं ।

आप उनको प्रमोशन दीजिए । आज पुलिस के अन्दर 99.6 परसेंट अभागे सिपाही सिपाही होकर ही रिटायर हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनको अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन कैसे मिलेगा ? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी प्रमोशन के अवसरों का विकास कीजिए जिससे उनको प्रेरणा और उत्साह मिले और वे अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक काम कर सकें ।

श्रीमन् अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें पुलिस को सक्षम बनाने के लिए उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हिन्दु समाज में ऊपर से नीचे तक वर्ण व्यवस्था है — उसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं । लेकिन पुलिस विभाग में 80 प्रतिशत सिपाहियों की संख्या है । सारे देश में पुलिस विभाग में 80 प्रतिशत सिपाही हैं जोकि बहुत दलित हैं, क्षुब्ध हैं, क्रोधित हैं । क्या आप सीमेंट का काम बालू से लेना चाहते हैं ? आप सीमेंट की दीवार बालू से खड़ी करना चाहते हैं ? अगर आप चाहते हैं कि उनमें अनुशासन रहे तो अनुशासन के मायने यह नहीं हैं कि उनमें आंतक रहे, वे भयभीत रहें। आप कृपा कर उन दलितों को ऊपर उठाइये । उन्हें क्वार्टर दीजिए, एसोसियेशन बनाने का अधिकार दीजिए ।

एक अंतिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । कोई अपराध कर्मी होता है तो उसके लिए किस-किस अपराध के लिए क्या सज़ा हो सकती है इसके बारे में कानून बना हुआ है।

लेकिन बेचारे सिपाही के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। यदि वह बेचारा दाढ़ी बनाने की वजह से या किसी अन्य कारण से दस मिन्ट भी ड्यूटी पर देर से पहुंचता है तो उसको कोई भी सजा हो सकती है, उसका डिसमिसल भी हो सकता है, उसका प्रासीक्यूशन भी हो सकता है। यह चीज आपने अफसरों की मनमानी पर छोड़ी दी है। मैं चाहता हूं कि जो कोड है उसमें आप निर्धारित करें कि किस-किस अपराध में क्या-क्या सजा उसको हो सकती है। उसको आप गुलाम वना करके न रखें। उनके साथ आप मानवोचित व्यवहार करें, इंसानों का सा व्यवहार करें। उसको विकास करने का आप अवसर दें। पुलिस का जो सिपाही होता है उसी से जनता का लगाव रहता है, उसी पर पुलिस का सारा प्रशासन निर्भर करता है। मैं बड़े ही नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि उसकी तरफ आप विशेष ध्यान दें। जा के पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। वह गरीव है, वह अभागा है, इसको पटेल साहब आप नहीं जानते हैं। इख वास्ते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुलिस विभाग में मौलिक परिवर्तन करें। यह दस लाख पुलिस के जवानों का सवाल है चाहे वे डिस्ट्रिक्ट में हों, बी० एस० एफ० में हो, सी० आर० पी० में हों, औद्योगिक सुरक्षा दल में हो। आप तो जानते ही हैं कि आज सुरसा की भांति अपराध बढ़ रहे हैं। विधि व्यवस्था बिगड़ रही है। यहां तक कि बिहार में कोई राज ही नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, ला एन्ड आर्डर ही नहीं है। बिहार आज जल रहा है। बिहार में कोई सन्ध्या से लेकर रात भर घर से बाहर निकल नहीं पाता है। इसलिए बिहार को आप बचाएं अगर आपने बिहार को नहीं बचाया तो बिहार जल कर भस्म हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के सत्ता में आने के दो वर्ष पश्चात् राष्ट्रय में सब ओर निराशा और कटुता का वातावरण बना हुआ है और राष्ट्र में मटकाव की भावना धर करती जा रही है। मेरे मन में माननीय प्रधान मन्त्री के लिये बड़ा आदर और मैंने कल के उनके प्रसारण को बड़े ध्यान से सुना है जिसमें उन्होंने कई मामले उठाये हैं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यधपि विभिन्न क्षेत्रों में वर्गगत दावे सही हो सकते हैं किन्तु इस संयुक्त सरकार के प्रति मत है और सामूहिक तौर पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत ही कम है क्योंकिइस इस सरकार के घटकों में निरन्तर कलह चल रही है जो अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि इसे महज मजाक नहीं माना जा सकता। जो लोग सत्ता के लिये एकट्ठे हुये थे वह आज आपस में लड़ रहे है किन्तु यह प्रश्न अब केवल जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है बल्कि समूचे राष्ट्र की स्थिरता खतरे में पड़ गई है इसका कारण यह है कि जनता पार्टी कोई सुसंगत नीति, कार्यक्रम और विचारधारा देने में अक्षम रही है।

दो वर्ष पहले मैं गृह मन्त्रालय की मांगों पर बोला था। हमारी राजनीति में अनेक वर्षो से उत्पन्न हो रही चिन्ताजनक स्थितियां अब और भयावह होती जा रही हैं, केन्द्र में सशक्त्म और स्पष्ट नेतृत्व के अभाब में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का ढांचा ही कमजोर होता जा रहा है, विशेषकर यह कमजोरी भौगोलिक क्षेत्रों में परिलतित हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में दो अथवा तीन उदाहरण देना चाहता हूं। आप पूर्वोत्तर का ही मामला लें। वहां पर नागालैण्ड असाम सीमा पर बड़ी भयानक घटना धटी थी जिसमें सैंकड़ों भारतीय नागरिकों की क्रूरतापूर्ण हत्या

कर दी गई थी। इस प्रतिवेदन में उसका थोड़ा-सा उल्लेख किया गया है। क्या वह भारतीय नागरिक नहीं थे ? जब यह घटना घटी तो उस समय गृह मन्त्रालय क्या कर था और हमारे देश में दिन-दहाड़े ऐसी हत्याओं की अनुमति क्यों है ? मणिपुर और मिजोरम में भी स्थिति नाजुक है और समूचेहे पूर्वोत्तर क्षेत्र में खलबली मची हुई है और केन्द्र का इस स्थिति पर कोई नियन्त्रण दिखाई नहीं देता। मेरे अपने राज्य जम्मू और काश्मीर में भी खलबली मचीं हुई है और वहां पर अधिनायकवादी सरकार विद्यार्थियों को धमका रही है। मैं देश से दो सप्ताह बाहर गया था। जब मैं वापस आया तो मुझे शिकायत मिली कि जेलों में विद्यार्थियों को यातनाएं दी जा रही हैं। मेरे पास नाम भी हैं जो मैं गृह मन्त्री को देना चाहता हूं। शिव कुमार सिंह को जेल में यातनाएं दी गई हैं। भारत भूषण रैना को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुम हैं। यूथ एकशन कमेटी के अनेक नेता तथा अन्य सैंकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। अनेक व्यक्ति भूमिगत हो हो गये हैं जिसमें प्रमुख आयोजक सहगल भी शामिल है। भोम सिंह, एक सहयोगी और एम. एल. ए. जो हृदय रोग से पीड़ित थे को कल यहां लाया गया और उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर रखा गया। मुझे निजी तौर पर हस्तक्षेप करना पड़ा और संस्थान में उसके लिये कमरे की व्यवस्था की। इस प्रकार दमन करके जनता की जेन्युन अकांक्षाओं को दबाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री को अलग से लिखा है और इस सदन में भी मैंने यह मामला उठाया है। मैं जम्मू के मामले पर अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। किन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है यह नियन्त्रण के अभाव का यह प्रतीक मात्र है। आप सीधे दक्षिण चले जाइये, पांडिचेरी जाइए। वहां पर बेकार ही खलबली मचा दी गई कि संघ राज्य क्षेत्र का विलय होने जा रहा है। वहां पर गोली चली, वहां बिल्कुल अराजकता का साम्राज्य हो गया था अब भी वहां पर जनता द्वारा कोई निर्वाचित विधान सभा नहीं है। वहां पर नशाबन्दी लागू की जा रही है ऐसा मेरा ख्याल है। मैं इसका विरोध नहीं करता किन्तु इसे लागू करने से 10,000 व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे। इसे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से लागू क्यों नहीं किया जाता ? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं यह आधारभूत आरोप लगा रहा हूं कि भारत सरकार के मामले में कहीं भी सामंजस्य नहीं है, स्पष्टता नहीं है और कल्पनाशीलता नहीं है।

अल्पसंख्यकों की ही समस्या को लीजिए। साम्प्रदायिक दंगों से अब भी देश को कलंकित किया जा रहा है। मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस राष्ट्र में धर्म-निरपेक्षता और समन्वयात्तक संस्कृति को महत्व नहीं दिया जाता, हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को हमेशा खतरा रहेगा।

अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। इससे अल्पसंख्यकों में बड़ी-बड़ी आशाएं जगाई गई थीं कि यह आयोग संरक्षण सुनिश्चित कर सकेगा। किन्तु क्या हुआ ? अल्पसंख्यक आयोग भी महज मजाक बन कर रह गया है। पहले अध्यक्ष ने त्याग-पत्र दिया। दूसरे अध्यक्ष के बारे में कुछ प्रशासनिक समस्याएं थीं। इस आयोग का कहीं कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह विशिष्ठ व्यक्ति थे। मैं स्वयं इस आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ था भारत सरकार उसे अपेक्षित सहायता नहीं दे रही है। जब तक भारत सरकार उसे सहायता नहीं देती तब तक

यह आयोग राष्ट्रीय अखण्डता को सशक्त बनाने तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में एक वास्तविक और प्रभावशाली माध्यम नहीं बन सकता।

एक राज्य के मुख्य मंत्री, चूंकि उन्हें अल्पसंख्यक आयोग के एक सदस्य पसन्द नहीं हैं, कहते हैं, "मैं अल्पसंख्यक आयोग को मान्यता नहीं देता।" यह बड़ी ही विलक्षण स्थिति है। क्या जम्मू और कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या वहां के अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक लाभों से वंचित रखा जाना है? वहां पर कश्मीरी पंडितों की संख्या 50,000 है अर्थात् कुल आवादी का 1 प्रतिशत, बौद्धों की संख्या भी 50,000 है अर्थात् कुल आवादी का 1 प्रतिशत। अल्पसंख्यक आयोग का क्षेत्राधिकार समूचे देश में क्यों नहीं होना चाहिए? जहां मुसलिम अल्पसंख्या में हैं, उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया जाना चाहिए, किन्तु जहां अन्य जातियां अल्पसंख्या में हैं, उन्हें इस आयोग से सहायता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या केवल इसलिए जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक आयोग को राज्य की यात्रा की अनुमति नहीं देते क्यों कि श्री कुशल बकुला भूतपूर्व संसद् सदस्य उस आयोग के सदस्य हैं। आज हम देश में क्या देख रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र की कहीं सत्ता नहीं है। भारत सरकार की प्रभुसत्ता और उसका कानून समूचे देश में चलना चाहिए। क्या किसी न किसी आधार पर मुख्य मंत्रियों को भारत सरकार के प्राधिकार को चुनौती देने का अधिकार है?

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तनाव और जातिगत संघर्षों में भी वृद्धि हो रही है। मेरे से पहले वाले वक्ता श्री रामानन्द तिवारी, जोकि सत्तारूढ़ दल में वरिष्ठ और विशिष्ठ सदस्य हैं, कह रहे थे कि बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है। जातिवाद तो इस देश में हजारों वर्षों से है और हम जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू का स्वप्न यह था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रत्येक भारतीय का उसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन हो न कि जन्म के आधार पर किन्तु आज क्या हो रहा है। जातिगत तनाव बढ़ रहे हैं। सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया में ऐसे तनाव अपरिहार्य होते हैं किन्तु उन्हें व्यवस्था के अन्तर्गत ही रहना चाहिये। उसके लिये घृणा की अग्नि प्रज्जविल नहीं की जानी चाहिये।

आज बिहार में प्रत्येक गांव में संघर्ष चल रहा है, प्रत्येक गली में लोगों में जाति के नाम पर संघर्ष हो रहा है? क्या हम इसी प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे? यह भारत तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम उप-राष्ट्रीयता के टुकड़ों में बट रहा है। हम इस दिशा में देश को कदापि नहीं जाने देना चाहते थे। जब तक केन्द्र में सशक्त और संयुक्त नेतृत्व नहीं होगा मुझे भय है देश अराजकता की भट्टी में जाता रहेगा।

जहां तक जातियों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिये। हमारे संविधान में यही परिकल्पना की गई है और मैं पहले की तरह ही सरकार से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग और अनुसूचित जनजातियों के लिये अलग से आयोग का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं एकदम भिन्न हैं उनका जीवन का ढंग अलग है, भौगोलिक आधार पर वह अलग हैं वह अन्य जातियों से एक दम कटे हुए हैं और उनकी समस्याएं भी विशेष प्रकार की हैं। आजकल अनुसूचित जाति का होना एक अभिशाप है और छुआछात मापक पैमाने पर बरती जाती है। यह अभिशाप

हिन्दू जाति में है किन्तु कश्मीर के पंडितों में नहीं है। यह प्रयास किये जाने चाहिएं कि हमारे राष्ट्र की एकता अखंड रहे और फूट की भावनाएं और गहरी न हों. इसके लिये सत्तारूढ़ दल को अनुसूचित जातियों के लिये एक अलग आयोग तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये एक अलग आयोग बना कर निर्बल वर्गों की जनता की रक्षा करनी चाहिए।

देश में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति में गिरावट आई है। मै अपराधों की संख्या सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा नहीं देना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय गृह मंत्री जो एक वरिष्ठ सिविल अधिकारी रहे हैं शीघ्र ही अपराधों सम्बन्धी ब्यौरा प्रस्तुत कर बतायेंगे कि अपराधों में कमी आई है। किन्तु सभी स्थानों पर विशेषकर दिल्ली में अभी भी असुरक्षा की भावना बनी हुई है। फिल्मों के माध्यम से सामाजिक बुराईयां नित नये रूपों में उभर कर सामने आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने डरावनी फिल्मों का प्रश्न यहां उठाया था। एक समाचार पत्र में आज छपा है, कि "6 अप्रैल को एक डरावनी फिल्म लग रही है जिसमें जैक द रिप्पर---एक बर्बर हत्यारे की रक्त पिपासु भीड़ को तलाश है—उनकी खामोश लाशें मौत से भी भयानक हैं · · (केवल व्यस्कों के लिए)", एक महिला का चित्र छपा है और उस चित्र पर शीर्षक दिया गया है, "रिप्पर से दूर रहो"। महिला भय से चीख रही है और हाथ उसका गला दबा रहे हैं। क्या हम अपनी राजनीति में इस प्रकार का विष फैलाना चाहते हैं? क्या लाभ कमाने की खातिर हम राष्ट्रीय चेतना को इस प्रकार दूषित करते रहेंगे? यह कहना बेकार है कि यह फिल्म व्यस्कों के लिए है। विज्ञापन तो केवल व्यस्कों के लिए नहीं है। चाहे यह फिल्म व्यस्कों के लिए है फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जायेगी। आजकल प्रत्येक फिल्म अपराधों के बारे में बनाई जा रही है। प्रत्येक फिल्म में हिंसा का प्रदर्शन किया जा रहा है; हर फिल्म समाज विरोधी तत्वों के बारे में है। क्या हम इस प्रकार गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करने जा रहे हैं? राज्यों में भी कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गयी है।

अभी हमारे कई मित्रों ने कहा कि मंत्री ने गुंडे पाल कर रखे हैं। आप बताइये कि जब मंत्री ही गुंडे पालने लगें, तो जन-साधारण का क्या होगा। जब मैं हिन्दी में बोल ही रहा हूं, तो मैं एक कविता सुना देना चाहता हूं जो शिवमंगल सिंह 'सुमन' की है, जो बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और आपके ही राज्य के रहने वाले हैं। मैं उनकी कविता के तीन छंद सुनाता हूं। ये हमारी सरकार और इंदिरा कांग्रेस के लोगों पर, जो यहां नहीं हैं, लागू होते हैं :

इधर कूप उस ओर खाई खुदी है
करे कौन जन मन व्यथा का निवारण
उधर नादां बच्चे पै ईमां निछावर
इधर गुटपरस्ती औ बहुरूपियापन।

बड़ी ऊंची बातें, बड़े ऊंचे वादे
हवा में रफू हो गये सब हिरन से
यह तम तोम से जूझने के प्रवादी
करेंगे किनाराकशी गर किरण से।

उफ़क से धुन्धलके में उलटेगा बेड़ा
कहां फिर उजेला कहां फिर सवेरा
यह बेड़ा कहां पार जा कर लगेगा
इधर भी अन्धेरा उधर भी अन्धेरा ।

यह हाल आज हमारे देश में हो रहा है । इसी लिए मैं कह रहा हूं कि इधर किस्सा कुर्सी का, उधर हिस्सा कुर्सी का । इस देश का कौन कल्याण करेगा, मुझे यह बतायें ।

आन्तरिक बातों के अतिरिक्त कुछ बाह्य तत्व भी हैं जिनका हमारी आन्तरिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है । विश्व में अपने-अपने हितों के संरक्षण में लगी महाशक्तियां हैं । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय महाशक्तियां हैं जो अपने शरारती पड़ोसी देशों को सबक सिखा रही हैं और फिर हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आज यह दोनों ही अस्थिरता के शिकार हो रहे है । प्रधान मन्त्री ने कहा है कि मुझे भुट्टो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है । मैं इस बात से सहमत हूं कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है किन्तु मैं अपने निजी अनुभव से यह बात जानता हूं कि श्री भुट्टो इस देश के कट्टर दुश्मन रहे हैं, किन्तु फिर भी मानव अधिकारों के आधार पर मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूं कि उन्हें दया का दान दिया जाये । कम से कम उन्हें जीवन दान दिया जाये, किसी और कारण से नहीं बल्कि मानवता के आधार पर उन्हें जीवन दान दिया जाये और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाये ।

मैं यह कह रहा था कि कुछ ऐसे बाह्य तथ्य हमारे राष्ट्र पर प्रभाव डालते हैं क्योंकि हमारा देश विशाल देश है और उस पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं । यह आन्तरिक और बाह्य तत्व मिल कर देश के लिये समस्याएं पैदा कर सकते हैं और इन्हें सुलझाने के लिये राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होती है । यह मामले किसी दल विशेष के नहीं होते, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सरकार इन गम्भीर खतरों से अवगत ही नहीं है । सरकार बिल्कुल सन्तुष्ट है किन्तु हमारे मन में चिन्ता हो रही है कि देश में एक प्रकार की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है । प्रतीत होता है कि वह इस बात से सन्तुष्ट है और उन्हें सब बातें सन्तोषजनक प्रतीत हो रही हैं । माननीय मन्त्री जी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जवाहारलाल नहेरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अन्य महान् स्वतन्त्रता सेनानियों से प्रेरणा लें और सन्तुष्ठि के लिबादे से बाहर आकर देंखे कि इस समय देश को सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है । यदि आप ऐसा सशक्त नेतृत्व नहीं दे सकेंगे तो जनता प्रतिक्रया करेगी । अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अब आप अधिक देर तक प्रतीक्षा न की जिये । जनता का धैर्य समाप्त होता जा रहा है । धन्यवाद ।

श्री रामनरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया । यह हमारा घर का मामला है । लेकिन घर का मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि पूरे कानून में कहीं भी किसी भी गरीब की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । कोई एक भी धारा आप नहीं बता सकते जिसमें गरीबों की रक्षा के लिए कुछ हो । धारा 323 का क्या मतलब है ? · · · **(व्यवधान)** · · ·

आपको करना चाहिए, नहीं किया है तो अब कीजिए वरना सारा बंटाधार हो जायेगा।

मैं पूछना चाहता हूं धारा 323 का क्या मतलब है ? जिस गरीब आदमी को जब चाहा, जहां चाहो भर पेट मारो, केवल हड्डी मत तोड़ना। यही न मतलब है ? इसीलिए गांव के गरीब आदमी को जब कोई धनी आदमी मारता या मरवाता है तो कह कर मारता है कि देखो, मारते-मारते चाहे भले ही मार डालना लेकिन कुछ टूटे फूटे नहीं क्योंकि वह जानता है कि 323 या 304 बनेगा, 302 नहीं बनेगा। कोई केस नहीं बनेगा। इसलिए बिल्कुल गरीबों के खिलाफ साजिश करने के लिए यह 323 धारा है। इसी तरह यह 379 है। थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर हो गया है लेकिन 379 में अगर 250 रुपये से कम की चोरी हो तो पुलिस दर्ज नहीं करेगी। मै यह पूछना चाहता हूं कि किसी हरिजन बस्ती में या गरीबों के टीले में अगर चोरी हो जाये तो कितने घरों में 250 रुपये का माल मिलेगा ? 250 रुपये का माल जिस गरीब के यहां नहीं है आज की महंगी के जमाने में भी उसके घर की रक्षा कौन करेगा ?

इसी तरह 426 और 427 है, खेत काटने की धारा है। उसमें हरी फसल काटने का दाम लगता है। चाहे रात भर मिल कर 500 आदमी इस सदन का खेत काटा करें, पुलिस लगाएगी दाम घास का और दस पैसे पन्द्रह पैसे बोझा दाम लगाएगी। रात भर काटते फिरिए जब तक 50 रुपये की घास नहीं कट जायेगी तब तक कोई मुकदमा नहीं चलेगा। पशुओं को मार डालने की खुली छूट है · · · (व्यवधान) · · · आई० पी० सी० पढ़िए। यह आई० पी० सी० 1861 में बना था। उस समय एक रुपये में एक मन गेहूं और चावल मिलता था। उस समय पचास रुपये में कौन सा जानवर था ? दस रुपये में बढ़िया से बढ़िया बैलों की जोड़ी मिलती थी। हाथी के अलावा और कोई जानवर इतने पैसे का नहीं था। तो यह हमारी बकरी की रक्षा के लिए नहीं बना था, यह हाथी की रक्षा के लिए बना हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस तरह के उलटे कानूनों को ठीक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हमने मिसा समाप्त करा दिया। मैं पूछता हूं कि धारा 109 और 110 के रहते हुए क्या गरीबों का मिसा खत्म हो गया ? किसी भी गरीब को 109 और 110 में डालकर जिन्दगी भर सड़ाया जा सकता है। आप अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाया करिए। धनियों के लिए और गुंडों के लिए आपने मिसा खत्म कर दिया। गरीबों का मिसा बरकरार है। धनी को डालिए, वह तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ कर छूट जायेगा लेकिन गरीब को डाल दीजिए जिसके खाने का ठिकाना नहीं है, उनको कौन छुड़ाएगा ? तो अब से गरीबों और धनियों के रास्ते पर आपको कानून बनाना पड़ेगा। अगर आप गरीब और धनी की लाईन पर नहीं सोचते हैं तो काम नहीं चलेगा। जैसे आप देखे, आप कट्टा रखना कत्तई बन्द नहीं कर सकते। मंत्री जी जरा ध्यान से सुनें। उनको कट्टा रखने से आप नहीं रोक सकते हैं और शरीफों को लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। तो फिर हम को भी कट्टा फ्री कर दीजिए, हम भी निपट लेंगे। क्यों आप हम को कानून के जाल में फंसाते हैं ? बिल्कुल आपको गुंडों से चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। अगर कट्टा रखने की इजाजत हो तो गरीब निपट लेंगे गांव-गांव में कट्टा रख कर। लेकिन धनियों का कट्टा पुलिस छीनने नहीं जायेगी और गरीब आदमी किसी से कट्टा ले आए तो तुरंत उसे बन्द कर देंगे। झूठा कट्टा भी रखकर बन्द कर देंगे। आप कृपा करके इस कानून को भी बदलिए।

एक माननीय सदस्य : कैसे बदलेंगे ?

श्री रामनरेश कुशवाहा : अब यह वह जानें कि कैसे बदलेंगे ? हम थोड़े ही मंत्री हैं। हम मंत्री होते तो बता देते कि कैसे बदलेंगे। जो मंत्री हो जाता है उसकी अक्ल बड़ी हो जाती है। हम लोग साधारण आदमी हैं। वह तो यही समझते हैं कि हमको अक्ल बहुत कम है। इसलिए मंत्री बनने के बाद हम लोगों की राय एकदम नहीं सुनते।

दूसरी बात मैं आप से कहना चाहता हूं, नौकरशाही है। बहुत मैं सुना करता हूं --निर्भय हो कर काम कीजिए। हमारे प्रधान मंत्री भी कहते हैं कि जनता एकदम निर्भय हो जाए। तो, श्रीमान्, जिस को आप चाहते हैं कि वह निर्भय हो, वह हो या न हो, लेकिन चोर, डकैत, गुण्डे और घुसखोर तो निर्भय हो ही गए हैं, वे इस निर्भयता का पूरा लाभ उठा रहे हैं। वे जिस काम को करना चाहते हैं, उस को कर ही लेते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं।

अब नौकरशाही को लीजिए-- इनके बारे में आप को सोचना पड़ेगा। हमारे पूर्ववर्ती गृह मंत्री जी— चौ० चरण सिंह जी--को धोखा हुआ, किस से हुआ ? इन्दिरा जी की गिरफ्तारी के समय किस से धोखा हुआ– क्या इस तरह की कोइ मिसाल इस दुनिया में है ? मैं पूछता हूं— दफा 420, 379, 120 (ए) के मामलों में मजिस्ट्रेट ने कितने लोगों को छोड़ा है कि आप चले जाइए, अपील कीजिए ? अभी बाबू जय प्रकाश जी के मामले में हमारे प्रधान मंत्री जी को लोकसभा में किस ने गुमराह किया ? मैं आप को कहना चाहता हूं-- ये जो आप के विश्वासपात्र नौकरशाह हैं-- ये आपकी गद्दी को पलीता लगाने के लिए बैठे हैं-- आप हमारी बात को मानिये या न मानिये।

श्री दिनेन भट्टाचारये : यह तो पहले से है।

श्री रामनरेश कुशवाहा : पहले से है या नही है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन आज वे पलीता लगाने के लिए बियकुल तैयार हैं—इस बात को आप नोट कर लीजिए। आप हमारी बात का विश्वास करें या न करें, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, जब तक हम को इस दल में रहना है हम आपको वोट देंगे, इसलिए कि वोट तो आपका है, लेकिन हमारी जीभ, हमारे विचार, हमारे अपने हैं। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप इन पर अकुंश लगाइये।

आपका समाज-कल्याण का काम खूब चलता है, आप आदिवासियों का कल्याण करते हैं, हरिजनों का कल्याण करते हैं, पिछड़े वर्गों का कल्याण करते हैं, लेकिन जो आपके अधिकारी हैं— वे सब उनका नाश करने वाले हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं— उत्तर प्रदेश की सरकार ने "फीस माफी" और "स्कालरशिप" के लिए आदेश निकाला। विद्यार्थी तहसीलदार के पास, कानून-गो के पास या किसी अन्य अधिकारी के पास अटेस्ट कराने जाता है, तो वे सब उसको इन्कार कर देते हैं। आप बतलाइये–बढ़ई और तमोली, में क्या अन्तर है– मैं मंडल जी से पूछ रहा हूँ। कागज में तमोली लिखा है, और बढ़ई तथा तमोली दोनों एक काम करते हैं। लेकिन चूंकि उस ने अपने आप को बढ़ई लिखा है— इसलिए कह देते हैं कि तुम पिछड़े वर्ग में नहीं हो। एक और उदाहरण देखिये— गौण और कहार में क्या फर्क है, लेकिन आपकी नोकरशाही कह देती है कि ये परिगणित जाति या जन-जाति में नहीं हैं। आप जरा देखिये-- किस तरह से अर्थ का अनर्थ किया जाता है। अंग्रेजी में लिखा है—तुरहा, हिन्दी में उसको तुरैहया कहते हैं--अब उस ने यदि तुरैहया लिखा है तो बात खत्म। कुछ समझ नहीं आता कि इसके चलते छिड़े वर्गों का क्या होगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं-- यदि आप सचमुच में पिछड़े वर्ग, हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं तो कृपा करके समाज कल्याण अधिकारी इन्हीं वर्गों के लोगों को बनाइये, वरना आप तो बजट में रुपया देते जायेंगे, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं रहेगा।

नौकरियों में देखिये– आप तो उनके लिए रिज़र्वेशन करते जायेंगे, लेकिन आदमी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग लिख दिया करेंगे कि कोई सुटेबिल आदमी मिलता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इन्टरव्यू की पद्धति को समाप्त कीजिए, आप किस लिए इन्टरव्यू लेते हैं? आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के फार्म में लिखा होता है—क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी सेवा में है? यदि लिखा होता है कि नहीं है तो बहुत मुश्किल से, 200-400 आदमियों में से कोई एक आदमी आ जाता है, वरना आता ही नहीं है। मेरे सामने एक लड़का आया—कुछ काला और नाटा था, उसको मुन्सिफी के इन्टरव्यू में छांट दिया गया। मैंने पूछा क्या बात है? यह उत्तर प्रदेश का मामला है। उसको कह दिया गया कि तुम्हारी पर्सनेलिटी नहीं है। मै पूछना चाहता हूं-- मून्सिफी के लिए या प्रोफेसर के पद के लिए क्या काला या नाटा होना जुर्म है या बेवकूफ होना जुर्म है? सुन्दर होने से वह क्या ज्यादा अच्छा काम करेगा? इन्टरव्यू में सारे अफसर मिल कर पहले से तय कर लेते हैं कि किसको लेना है और यदि कोई बाहर का आदमी कम्पीट करके आ जाएगा तो उसको इन्टरव्यू में छांट दिया जाता है। इसलिए इन्टरव्यू को हटा दीजिए। उसकी जगह पर मैडिकल करवाइए। लड़का एक आंख का है या दो आंखों वाला है, साढ़े पांच फुट का है या साढ़े सात फुट का है, एक पैर का लंगड़ा है या दोनों पैरों का लंगड़ा है, बोलता है या नहीं, यह सब डाक्टर अपनी जांच के बाद बतला देगा। इसलिए मैडीकल करवाइए। सर्विस के लिए डिग्री या सिर्टीफिकेट को भी समाप्त कर दीजिए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम खत्म करने जा रहे हैं। पता नहीं कि आप करेंगे भी या नहीं? अगर नौकरी के लिए, ऊंची नौकरी के लिए आप डिग्री समाप्त कर दें, ती स्कूल कालेजों और यूनीवर्सिटीज़ में जो छुरेबाजी होती है और मास्टरों की जान चली जाती है, वह नहीं होगी और यह चीज बन्द हो जाएगी और कोई नालायक आदमी इस में नहीं आने पाएगा। आप इन्टरव्यू को खत्म कीजिए और नौकरी का इम्तिहान लीजिए। ऐसा आप करेंगे, तो मैं समझता कि अच्छे लोग आ जाएंगे और नाना, चाचा, फूफा और जाति के आधार पर जो लोग आ जाते हैं, वे नहीं आ पाएंगे। आज तो किसी का बाबा कलक्टर है या किसी का साला कलक्टर है तो वह समझता है कि मैं चुना ही जाऊंगा क्योंकि फार्म में भरा हुआ है कि मेरा रिश्तेदार ऐसी सर्विस में है। इस चीज को आप समाप्त कीजिए।

साथ ही साथ हिन्दी का मसला भी आपके ही जिम्मे है। मैं जानता हूं कि आपके यहां कारखाना खुला हुआ है भाषा के ढालने का। भाषा का टकसाल बना हुआ है और यहां कुछ विद्वान बैठे हैं जो हिन्दी के दुश्मन हैं। वे हिन्दी को कारखाने में ढालते हैं और जब तक कारखाने में सम्पूर्ण उत्पादन नहीं हो जाएगा, तब तक कोई मातृभाषा इस देश में चलने लायक नहीं होगी। श्रीमन्, भाषा जबान पर बनती है, जबान उसका कारखाना है। यहां दिल्ली का जो कारखाना है और पार्लियामेंट के लोग बैठ कर बनाते हैं और आप बैठ कर अफसरों से बनवाते हैं, वह ऐसी भाषा है जो लोगों की जबान पर नहीं चलती, वह तिलकहरु बर्तन जैसी है, इसको हमारे मण्डल जी समझते होंगे और शायद दूसरे लोग न समझते हों, हमारे यहां शादी में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है चाहे वह जितना भी बढ़िया हो और बड़ा हो लेकिन तुरन्त चढ़ावा चढ़वाने के बाद अगर ढाल कर पानी पीने के लिए दिया जाए, तो कोई नहीं पिएगा। कहने का मतलब यह है किआपका जो

भाषा विवाद है और शब्द ढाल कर निकलते हैं वे उस बर्तन जैसे हैं और वह ऐसी भाषा है जो आम जनता की जबान पर आने वाली नहीं है। जब तक जनता की जबान पर आने वाली भाषा नहीं होगी, तबतक वह नहीं चलेगी। हिन्दुस्तान की जो 14 भाषाएं हैं, उनमें अंग्रेजी का कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, जिसका पर्यायवाची उनमें न मिले। अगर तमिल में पर्यायवाची शब्द है, तो उसको लेने में क्या हर्ज है, बंगला का पर्यायवाची शब्द लेने में क्या हर्ज है, कन्नड़ का पर्यायवाची शब्द लेने में क्या हर्ज है। शुद्धता के नाम पर हिन्दी और देश की दूसरी भाषाओं को आप क्यों नष्ट कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं अगर विरोध पक्ष में होता, तो शायद प्रधान मंत्री जी का भाषण कोसीजन के आने पर न होने देता। रूस का प्रधान मंत्री यहां पर आ कर रूसी भाषा में भाषण करता है और हमारे देश की कोई भाषा ही नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री अंग्रेजी में भाषण करते हैं। अगर द्विभाषिये को बतलाना ही था, तो हिन्दी का भी ट्रांसलेशन हो सकता था। पूरे देश का अपमान करने से क्या फायदा आपको मिला ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के भाई जब हम को कहते हैं कि हम तुम्हारी भाषा नहीं पढ़ेंगे, हिन्दी नहीं पढ़ेंगे, तो बात हमारी समझ में आती है यद्यपि अगर हम उन पर हिन्दी लाद रहे हैं तो वे भी हम पर अंग्रेजी लाद रहे हैं। यह दोहरा काम चल रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन की जो यह शिकायत है, वह कुछ जायज है और यह आपके राज्य में हो रहा है। हिन्दी प्रदेशों की सरकारें संस्कृत को त्रि-भाषा के सूत्र में डाल कर नाश कर रहे हैं इस देश का। संस्कृत को अगर त्रि-भाषा से निकाल दिया जाए, तो मजबूरन बगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगु, कन्नड़ और ऊर्दु पढ़नी पड़ेगी और तब दक्षिण भारत के जो लोग बैठे हैं, उनको कोई मौका नहीं रहेगा कुछ कहने का। संस्कृत के पक्षपाती यहाँ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। किसी का नाम ले लिया तो पता नहीं क्या होगा। मै सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आपको संस्कृत का मोह हटाना पड़ेगा और तब भारत की एकता कायम होगी। संस्कृत हिन्दी के साथ या भारतीय भाषाओं के साथ सब पढ़ते है और पढ़ेंगे अगर वह एक ओप्शनल सबजेक्ट की हैसियत से रहेगी। इसलिए अगर आप भारतीय भाषाओं को पनपाना चाहते हैं, तो उत्तर भारत की सरकारों से यह निवेदन करें कि यह जाल बट्टा समाप्त करें। और संस्कृत को त्रि-भाषा सूत्र से निकालो। शायद केन्द्रीय फार्मूले में भी संस्कृत नहीं है। यह हिन्दी भाषी प्रांतों की सरकारों ने जाल बट्टा करके जिस से कि दूसरी भाषाओं को पढ़ाना न पड़े, यह चार सौ बीसी कर डाली है और यह चार सौ बीसी करके वे यहां पर हिन्दी, अंग्रेजी का झगड़ा करवाते रहे हैं।

अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर क्षेत्रीय विषमता समाप्त आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाश किया उन प्रधान मंत्रियों ने जो उत्तर प्रदेश के रहे। गांधी जी ने हमें यही सिखाया है कि जो भी अपना विरोध प्रकट करना हो वह सार्वजनिक रूप से कर दो। उत्तर प्रदेश को प्रधान मंत्रियों का खिलौना दे कर के उसका नाश किया गया। बिहार का नाश किया गया। (व्यवधान) बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वाले प्रसन्न थे कि हमारा कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश का उस से कोई हित नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि आप कृपा कर के क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त कर दीजिए। हमारा हिस्सा हम को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश का शुरू से आज तक जितना नाश हुआ, वह आगे नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का नाश इसलिए भी हुआ कि वह आजादी की लड़ाई में बहुत अधिक लड़ा, बहुत अधिक कुर्बानी दी।

उसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने उस के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसे अपना सौतेला लड़का समझते रहे। आप भी समझते रहे और इसलिए समझते रहे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर विरोध पक्ष के लोग चुनाव में जीतते रहे जो कि आजकल सत्ता में आये हैं। कांग्रेस ने भी उत्तर-प्रदेश के साथ वही व्यवहार किया जो अंग्रेजों ने किया। अगर अब जनता पार्टी भी वही करेगी तो ठीक नहीं है। इस से तो अच्छा यही है कि आप राज्यों का पुनर्गठन कर दें। छोटे-छोटे जब राज्य हो जायेंगे तब आप कृपा कर के हमारा हक तो नहीं मारेंगे।

आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में जमीन-आसमान का फर्क है। उत्तर-प्रदेश का हक उत्तर प्रदेश को दे कर के आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का गला घोट देते हैं। आप हमारे साथ न्याय कीजिए। हम उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बटवारा नहीं चाहते हैं लेकिन हमें आप हमारा हक छीन कर मजबूर कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे राजस्व से पश्चिम के लोग आगे बढ़ते रहें और हम पीछे पड़े रहें। आप हमें मजबूर न कीजिए इसके लिए। हम मन से नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो। श्रीमन्, हमारे राजस्व से आपका बेटा एम०ए० तक पढ़ गया लेकिन जब हमारा बेटा हाई स्कूल में नाम लिखाने के लायक हुआ तो यह सब चिल्लाहट हुई। आप हमारे बेटे को भी बी०ए० पास तो कर जाने दीजिए। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में फर्क है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा न हो लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि दोनों भागों के बीच जो असमानता है वह भी दूर हो। जब तक हमारे राजस्व से उनका विकास होता रहा तब तक तो मजा मारो लेकिन जब कुछ हमने अपने विकास के लिए कहा तो कहा कि हम अलग हो जाएंगे। इस को आप खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि चाहे सामाजिक असमानता हो, आर्थिक असमानता हो, क्षेत्रीय असमानता हो, इस सबको दूर करने का बीड़ा जनता पार्टी ने उठाया है। आप गृह मंत्री होने के नाते इस देश के सबसे बड़े मालिक हैं। घर का जो मालिक होता है वही तो घर मंत्री होता है। घर का जो मालिक होता है वह घर में आए किसी भी व्यक्ति को निकाल बाहर कर सकता है। और चाहे तो बाहर गए या भागे हुए आदमी को बुला भी सकता है। आप चाहें तो यह जो क्षेत्रीय असन्तुलन है इसको दूर कर सकते हैं। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इसको दूर करने के लिए आप तुरन्त प्रभावी कदम उठाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, गृह मंत्रालय के जिस वर्ष के कार्य निस्पादन पर चर्चा की जा रही है, वह वर्ष अनिश्चितता, निष्क्रियता और टालमटोल, तदर्थता और यथा-स्थितिवाद का वर्ष रहा।

महोदय, अखिल भारतीय सेवाओं के प्रभारी और इस प्रकार नौकरशाही के प्रभारी होने के नाते गृह मंत्रालय इस देश और प्रशासन पर नौकरशाही का राज्य जमाने में सफल हुआ है। महोदय, इस मंत्रालय को आपातकाल के ढांचे को समाप्त करने और उसे समूल नष्ट करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। परन्तु महोदय, इस महत्वपूर्ण कार्य को इन्होंने कैसे किया है। दो वर्ष ही हुए हैं जब लोगों ने स्वयं लोकतान्त्रिक अधिकार वापस लिए थे और अपने मूल अधिकार वापस जीत लिए थे। इसके साथ-साथ ही उन्होंने सरकार को बदल डाला और आपात काल के 19 महीनों के दौरान भारतीय लोगों के साथ घृणित अपराध करने वालों को दण्ड देने का काम सौंपा। परन्तू लोगों ने पाया कि सरकार कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है। यदि

ऐसा नहीं है तो, डा० कर्ण सिंह ने उचित ही कहा है कि आत्म सन्तोष की भावना है । देश के लोगों की यही धारणा है । अब; महोदय, आपको श्रीमती इन्दिरा गांधी की कैद और फिर रिहाई से आरम्भ होने वाली घटनाएं याद होंगी । यह कार्रवाई सरकार ने समस्याओं को हल करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए की थी । महोदय, लोगों की धारणा है कि सरकार हीन भावना से पीड़ित है और इस से प्रतिक्रियावादी ताकतों को बल मिला है । शाह आयोग ने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी बड़ा सराहनीय काम किया है । परन्तु अनुवर्ती कार्रवाई की गति बड़ी धीमी रही है । शाह आयोग की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता थी परन्तु हमने देखा कि उन्हें अपने अन्दरूनी झगड़ों की अधिक चिन्ता है और इसका लाभ अधिनायक वादी ताकतों ने फिर से इकट्ठा होने में किया। महोदय, निर्णय न लेने पाने की क्षमता और निष्क्रियता से लोकतन्त्र विरोधी ताकतों को बल मिला और वे एकजुट होने लीं । विशेष अदालतों के मामले को लीजिए । हमारी पार्टी ने आरम्भ में ही इसका सुझाव दिया था । चूंकि अपराध इतना जघन्य था कि यदि अपराधिक मुकदमे की साधारण प्रक्रिया का पालन किया जाता तो सारी प्रक्रिया को ताक पर रखना पड़ता और सरकार को निजी सदस्य के विधेयक की प्रतीक्षा करनी पड़ती । अब आगे विधेयक पर उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने की कार्रवाइ को देखिए । मेरे विचार में यह कार्रवाई अचम्भे में डालने वाली है । इससे ऐसा लगता है मानो वे स्वयं को दोषी समझते हैं या वे इस देश के लोगों को यह अनुभव कराना चाहते हैं कि उन्हें अपने द्वारा उठाए गए कदमों पर विश्वास नहीं है । अब उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त कर ली गई है । सदन ने विधेयक को पास कर दिया है । इसमें कुछ संशोधन भी रखे गए हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार कुछ अनिवार्य कारणों की वजह से, जो कि पूर्णतया स्पष्ट है; उनसे सहमत हो गयी है । परन्तु विधेयक की आन्तिम स्वीकृति के संबंध में क्या हुआ । न्यायालयों की स्थापना कब की जाएगी । समय-सारणी क्या है ? क्या इसके लिए कोई समय-सारणी है ? यही कारण है कि लोग यह अनुभव करते हैं कि इस सरकार को बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, और लोगों के आदेशों का पालन कराने का प्रशासनिक भार इस मंत्रालय पर था परन्तु वे समय नष्ट करते रहे हैं और उन लोगों को, देश में घूम-घूम कर लोकतन्त्र के समर्थक होने की शेखी बघारने दी है, जिन्होंने इस देश के लोगों को बन्दी बनाया और उन्हें अपनी दया का पात्र बनाकर रखा तथा स्वतन्त्र भारत के इतिहास में पहली बार इतने अत्याचार किये । यह इस सरकार के कार्यों का आश्चर्यजनक परिणाम है । अतः अत्याचार और फासिज्म की ताकतों को पाठ पढ़ाये जाने की काफी समय से मांग हो रही है ताकि इस देश के लोगों को फिर दास न बनाया जा सके । मेरी धारणा है कि माननीय मंत्री महोदय का लोगों को स्पष्ट रूप से यह बताने का कर्त्तव्य बनता है कि और कितने समय तक यह सब ऐसे ही चलता रहेगा ।

शाह आयोग की रिपोर्ट काफी समय पहले प्राप्त हो गई थी । इसके अतिरिक्त रेड्डी आयोग, ग्रोवर आयोग और अन्य आयोगों की रिपोर्टें भी प्राप्त हो गई हैं । लोग उत्सुकता से सरकार के जागरूक होने और अनुवर्ती कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जांच करवाते हैं, रिपोर्ट प्राप्त होती है, सरकारी धनराशि काफी व्यय होती है परन्तु फिर भी उन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है । ऐसा लगता है कि इससे पहले कोई कार्रवाई की जा सके सरकार अपना बचाव करने का तरीका अपनाना चाहती है । इन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाइ नहीं की जाती है । अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण

मामले में वे देश को विश्वास में लें और हमें स्पष्ट रूप से यह बताएं कि उनका क्या करने का विचार है।

इस मंत्रालय का एक और निराशाजनक रिकार्ड यह रहा कि यह अनुसूचित आति और जनजाति के लोगों, अल्यसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन की रक्षा करने में बार-बार असफल रहा है। इस बात की अवशय ही प्रशंसा की जाती अगर बूढ़े पशुओं को बचाने के लिए शक्ति नष्ट करने की बजाए वे देश के लोगों की जान बचाने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक जागरूक होते। बेलदी तथा अन्य घटनाओं को लेकर मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। रिपोर्ट में, सरकारी वक्तव्य में और सदन में की गई चर्चा के दौरान इस मामले में सरकार की असफलता को स्वीकार किया गया है। पिछली बार हमें चौधरी चरण सिंह ने तुलनात्मक विवरण दिया था, उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो हरिजनों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विरुद्ध थोड़ी बहुत अन्याचार उचित ठहराए हैं। कांग्रेस शासन में यह कहीं अधिक थे अत: हमें इस विषय में अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिए। हमारे विचार में यह दृष्टिकोण ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है जो हरिजनों, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का शोषण करते आए हैं। हम सरकार को बताते आए हैं कि उन्हें न केवल प्रशासनिक कार्रवाई करनी है बल्कि उन्हें भूमि सुधार की ओर ध्यान देना है, ऐसे वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार लाना है। मुट्ठी भर लोग वर्षों से स्वतन्त्रता का लाभ उठाते आ रहे हैं। लोगों के बीच विषमता तेजी से बढ़ती जा रही है और 30 वर्षों के दौरान मुट्ठी भर लोगों के पास अधिक से अधिक धन इकट्ठा होता रहा है जबकि निर्धन और भी निर्धन हो गए हैं।

मैं जानता हूँ कि यह मामला सरकार की संपूर्ण नीति से संबंधित है। और केवल यही मंत्रालय इसके उत्तरदायी है परन्तु यह मंत्रालय अपनी नीतियों में समन्वय रखने के लिए उत्तर-दायी है और इसके साथ-साथ सरकार के अन्य अभिकरणों पर सरकार के उन सभी उत्तरदायित्वों का पालप कराने के लिए जोर डालना है जो कि देश के संविधान द्वारा, देश के कानून द्वारा और संविधान के निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय सरकार को सौंपे गए हैं।

उस कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व का निष्पादन केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है और गृह मंत्रालय इस देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय का दायित्व न केवल उन दुर्भाग्यशाली लोगों के जीवन की रक्षा करना है बल्कि यह स्पष्टीकरण भी देना है कि इन घट-नाओं को रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। आंकड़ों से लोगों के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। दूसरे पहलू को भी याद रखना होगा। देश में जातिवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। जाति पर आधारित राजनीति चल रही है। हमें गर्व है कि बंगाल में जातिवाद नहीं है। मैं अपने किसी मित्र की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमें गर्व है कि राजनोति में जातिवाद चले हम इसपर विश्वास नहीं करते हैं। हमने देखा भी है कि जातिवाद के इस कैन्सर ने राज-नीति रूपी हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाया है। चुनाव जातिवाद पर आधारित राजनीति पर लड़े जा रहे हैं। सेवाओं में जाति पर आधारित राजनीति आ गई है। भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, सार्वजनिक जीवन और सामाजिक जीवन में जातिवांद का कैंसर घुस गया है और यह भारतीय जीवन तथा भारतीय

समाज के ढांचे को नष्ट कर रहा है अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार इन पहलूओं को गम्भीरता से ले ।

साम्प्रदायिक दंगे अभी भी हो रहे हैं । कोई कह सकता है कि "आप इससे बच नहीं सकते" । परन्तु डा० कर्ण सिंह ने ठीक कहा है और मैं उनसे सहमत हूं कि देश में यह भावना नहीं है कि सरकार इस समस्या से अवगत नहीं है और जागरूक नहीं है और ठोस कदम नहीं उठा रही है । आप लोगों को यह विश्वास करने के लिए कैसे कह सकते हैं कि आप इस विषय में वास्तव में तथा गम्भीरता से कुछ कर रहे हैं । वे जानते हैं कि शासक दल को इस बात की अधिक चिन्ता है कि मुख्य मंत्री कौन बनेगा और मंत्री कौन बनेगा आदि-आदि । परस्पर के अविश्वास और शासन दल के कलह और झगड़े ने प्रशासन पर कुप्रभाव डाला है और प्रशासन ने इसका लाभ उठाया है । यदि निष्क्रिय राजनीतिज्ञ होंगे तो प्रशासन इसका लाभ उठाएगा ही । अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह महसूस करे कि समय तेजी से भागा जा रहा है । ऐसी कुछ ताकतें हैं जो आपकी निष्क्रियता का और आपके अन्दरूनी झगड़ों और कलह का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं इनकी पार्टी के अन्दरूनी मामलों से चिन्तित नहीं हूं, मैं तो इस बात से चिन्तित हूं कि प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । इसी कारण बहुत से मामले यहां दिल्ली में महीनों से विलम्बित पड़े हैं । मुख्य मंत्रियों को, मंत्रियों को दिल्ली आना पड़ता है । हम संसद् सदस्यों को बार-बार अभ्यावेदन देने पड़ते हैं । इनमें कुछ अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु अनुभव यह किया जा रहा है कि इन कारणों की वजह से काम रुक जांएगे ।

मेरे पास समय कम है परन्तु मुझे अभी दो महत्वपूर्ण मामलों को उठाना है । यद्यपि लोगों ने लोकतान्त्रिक अधिकार वापस प्राप्त कर लिए गए हैं परन्तु पुलिस द्वारा सत्यापन कराने की प्रणाली अभी भी जारी है । यह एक महत्वपूर्ण मसला है । आर्डिनेन्स फैक्ट्री में भर्ती के समय असैनिकों का भी पुलिस द्वारा सत्यापन होता है । दिसम्बर, 1977 में जनता सरकार के आने पर तथा उससे पहले भी हर दो वर्ष के पश्चात् पुलिस द्वारा सत्यापन कराना होता है । अब इससे कर्मचारियों में रोष की भावना घर कर गई है जो कि उचित ही है । हमारे मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने भूतपूर्व गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को इस विषय में लिखा था । हम गृह मंत्री से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस द्वारा सत्यापन के इस तरीके को, जिससे हजारों और लाखों सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है, आप समाप्त करना चाहते हैं । इससे सरकारी कर्मचारियों के साधारण अधिकार, लोकतान्त्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप होता है । नौकरशाही के ढांचे में यह कैन्सर कैसे बढ़ता जा रहा है ? इस संबंध में मैं पंजाब नेशनल बैंक के दो कर्मचारियों को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भेजे गए पत्र का उल्लेख करता हूं ।

मैं 11 नवम्बर, 1978 के पंजाब नेशनल बैंक के पत्र को पढ़कर सुनाता हूं । इसमें इस प्रकार लिखा है :

"सर्व श्री एस० भौमिक और पी० के० विश्वास,

सी०पी०एम० मेम्बर्स आफ स्टाफ ;

द्वारा पंजाब नेशनल बैंक ।"

सरकारी कर्मचारियों के साथ आप इस प्रकार व्यवहार करना चाहते हैं ? क्या यह अनुदेश आपके मंत्रालय द्वारा, जो कि कार्मिक और प्रशासनिक विभाग का तथा विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं का प्रभारी है, जारी किए गए हैं कि कर्मचारियों को उस राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में जाना जाए जिससे उनका संबंध हो ? एक सरकारी पत्र इस ढंग से लिखा जाता है। मेरे पास जो कुछ उन्होंने लिखा है, वह पढ़कर सुनाने का समय नहीं है। वे कहते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा कोई पूछताछ की गई थी उन्होंने उसे केवल अग्रेषित कर दिया है, वे नहीं जानते हैं कि वह क्या है ? मैं उन्हें उस पत्र की प्रतिलिपि भेजूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों के साथ वे ऐसा ही व्यवहार करेंगे।

दो सप्ताह पूर्व ही हमने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ग) और अनुच्छेद 312 पर चर्चा की है। अगर आप वचन बद्ध सिविल सेवा चाहते हैं, अगर आप प्रशासन के केवल सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं परन्तु अगर आप सामान्यतः कर्मचारियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन तानाशाही उपबन्धों को, जिनका प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के लिए किया गया, समाप्त करना होगा। यह बहुत महत्व का मामला है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर गौर करें।

दूसरा मामला, भाषा समस्या का है। नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की लगभग सर्वसम्मति से मांग की गई है। न केवल इस भाषा के बोलने वालों ने बल्कि देश के और भी अनेक लोगों ने इसका समर्थन किया है। नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में सदन में विधेयक भी पेश किये गए हैं। सरकार का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है ? यदि आप यह सोचते हैं कि हिन्दी समर्थकों के दृष्टिकोण को अपनाकर आप भाषा समस्या का हल कर सकते हैं तो आप गलती पर हैं। जब कभी हिन्दी थोपने का प्रयत्न होगा उसका विरोध भी अवश्य होगा। मेरा संबंध ऐसे राज्य से है जहां हिन्दी का विरोध बिल्कुल नहीं है। वहां लोग हिन्दी बोलते हैं, भले ही वह सही हो गलत। मैं फिर भी यही कहता हूं कि हिन्दी थोपने का विरोध किया जाना चाहिए। मैं देश के उन अधिकांश लोगों की प्रशंसा करता हूं जो हिन्दी थोपने का विरोध करते रहे हैं। चोरी से और अन्य कई तरीकों से इसे थोपने का प्रयत्न किया गया। हिन्दी को अपने बलबूते पर ही विकास करने दीजिए ; हिन्दी को एक सर्वश्रेष्ट भाषा बनने दीजिए। हमारा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं। इसे अपना विकास स्वयं करना होगा। इसे लोगों पर थोपने का प्रयत्न मत कीजिए। इसके साथ-साथ नेपाली भाषा सहित जिसे आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग उचित है, अन्य भाषाओं का भी विकास करना होगा।

पुलिस के संबंध में हमारे मुख्य मंत्री ने कहा है कि भयंकर बाढ़ के समय की गई सेवा के लिए हम न केवल राज्य पुलिस बल्कि केन्द्रीय पुलिस दल की काफी प्रशंसा करते हैं। हमने इसे सबके समक्ष स्वीकार किया है। हम उनके धन्यवादी हैं। उस दुःख के समय हमने उनका यही दृष्टिकोण देखा था। परन्तु दुर्भाग्य से वैसा दृष्टिकोण प्रायः पुलिस में नहीं देखा जाता।

उनका प्रयोग मजदूरवर्ग के आन्दोलनों के दमन के लिए किया जाता है, यहां तक कि दिल्ली में भी जिससे मंत्री महोदय संबंधित हैं।

सिम्पलेक्स कम्पनी लिमिटेड के मजदूर अपनी उचित मांगों के लिए आन्दोलन करते रहे हैं, छंटनी और तालाबन्दी के गैर-कानूनी कार्यों का विरोध करते रहे हैं। मालिक ने स्थिति को कैसे सम्भाला ? उन्होंने श्री पटेल की पुलिस को उकसाया। वे उन पर कृपा करने के इच्छुक हैं। पुलिस दल का प्रयोग मजदूरों की पिटाई करने के लिए किया गया। उन्होंने नैमित्तिक कर्मचारी लाकर और मजदूरों के एकवर्ग को दूसरे से लड़ाकर और उनमें फूट पैदा करके मालिक की सहायता करने का प्रयत्न किया है। मजदूर लोगों की पिटाई करने के संबंध में वे बिल्कुल खबरदार नहीं है। आप पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों की पुलिस में यह अन्तर देख सकते हैं। इसी कारण अब मजदूर वर्ग को अनुभव हो गया है कि उनके वास्तविक मित्र कौन हैं। कृपया मजदूर वर्ग के आन्दोलन को तोड़ने के लिए या उनकी इच्छाओं का दमन करने के लिए पुलिस का प्रयोग मत कीजिए। पाटिल महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे।

इसके लिए अब धन जुटाना होगा। हम पुलिस के लिए अच्छी सेवा शर्तें चाहते हैं। हमारा राज्य अधिकाधिक धन मांगता रहा है ताकि पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधाएं जुटाई जा सकें और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि देश में पुलिस कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। परन्तु उनका एक विशेष दृष्टिकोण बन गया है उनका प्रयोग सभी घृणित कार्यों के लिए किया गया है। जन विरोध गतिविधियों के लिए उनकी सहायता ली गई है और यह कारण है कि उनकी मानसिकता ऐसी ही हो गई है उनका प्रयोग इस ढंग से किया जाता है कि लोगों की प्रतिक्रिया उनके विरुद्ध जाए। परन्तु जब कोई राष्ट्रीय विपत्ति आति तो उनमें प्रशंसनीय परिवर्तन हो जाता है।

अतः हम चाहते हैं कि सरकार राज्य सरकारों की और भी उदारता से सहायता करे ताकि राज्य पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार ला सकें और उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय है। परन्तु दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि आत्म सन्तोष की भावना को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। लोगों के दिलों में ये धारणाएं पक्की हो गई हैं कि वे सुरक्षित नहीं हैं। वे स्वयं को असुरक्षि अनुभव करते हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सरकार को इस मामले पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं को गतिशील बनाएं और देश के लोगों को जता दें कि वे उनके आदेश का पालन गम्भीरता से कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय ने जो गृह मंत्रालय की मांगें रखी हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और इसी सन्दर्भ में कुछ कहना भी चाहता हूं। इन मांगों में प्रधान मंत्री, मंत्री-परिषद्, पुलिस, आदिवासी और हरिजन आदि की समस्याओं

के बारे में कुछ अनुदान मांगा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रधान मंत्री हैं और मंत्री-परिषद् है यह देश की सर्वोच्च शक्ति है। अगर हमारा मंत्रि-मंडल बहुत अच्छी तरह से काम करे, उस के विचार, उस की नीतियां सही हों और जो संकल्प तय किया है उस ओर वह अच्छी तरह से चले तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन के नीचे काम करने वाले जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, विभाग हैं वह और देश की जनता उन का अच्छी तरह से अनुकरण कर सकती है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि हमारा राज्य, हमारा प्रशासन गांधी जी की नीतियों के अनुसार चलेगा, गांधी जी ने जो हम को रास्ता बताया है, जो देश के लिए लाभदायक नीतियां हैं, उन्ही के अनुसार हम चलेंगे, अगर इसका पालन विधिवत होता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के लिए यह प्रशासन बहुत ही लाभकारी होगा। यहां तक मैं कहता हूं कि जो वर्तमान मंत्री परिषद् है उस में, पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार होता था वह आज नहीं है। अगर कहीं किसी में कुछ खामी है तो वह हो सकती है लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वह उतनी खामी नहीं है जितनी पिछले दिनों में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हम ने देखी। विरोध पक्ष के कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी में बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए क्या यह तानाशाही है ? जहां तानाशाही होती है, जहां अधिनायकशाही ही होती है वहां कोई कुछ कह नहीं सकता, वहां जो सुप्रीम होता है वह जो कहता है सब को उस का पालन करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रजातन्त्र में विश्वास है। इसलिये अगर कोई शासन के खिलाफ या पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात कहता है तो उतनी छूट तो देदेंगे, लेकिन हमें अपनी दिशा को, अपनी नीतियों को जरूर सामने रखना चाहिये। इसलिये मैं मानता हूं—कहीं कोई बात होती है, आपस में कोई ऐसी चर्चा होती है तो उसकी छूट जरूर होनी चाहिये, लेकिन जो हमने अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य बनाया है, उससे हमें अलग नहीं होना चाहिये, उसको मज़बूती से पकड़ना चासिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो वर्तमान मंत्री-मंडल है उसको गांधी जी ने जो नीयितां बनाई हैं, उनके अनुरूप चलना चाहिये। अगर वे नहीं चलते हैं तो इसका बुरा प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ता है, अधिकारियों पर भी पड़ता है।

मैं आप को एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं—यद्यपि ये बहुत छोटे हैं—लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप के जो प्राइवेट सैक्रेटरी होते हैं, कहीं से कोई फोन आता है कि मंत्री जी से बात करनी है, मंत्री जी चाहे वहीं कमरे में बैठे होंगे, लेकिन ये खुशामदपरस्त लोग मंत्री जी की वाह-वाही लूटने के लिये कह देते हैं कि मंत्री जी बाथ-रूम में हैं या अभी पांच मिनट हुआ बाहर चले गये हैं। मैं ऐसे मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसे खुशामदी और गलत बात कहने वाले लोग हैं—उन को अपने पास न रखें, सही आदमियों को रखें। मंत्री जी यदि भोजन कर रहे हैं तो वह बतलायें कि अभी नहीं मिल सकते हैं, फलां समय पर मिलेंगे या इस समय काम कर रहे हैं आप फलाने समय पर आयें या टेलीफोन करें। हमारे प्रधान मंत्री जी, जो पुराने गांधीवादी हैं, जिन्होंने गांधी जी के साथ काम किया है, जो उन की नीतियों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं—उन को इस के बारे में सोचना चाहिये। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री लोग सही तरिके से काम करें, चापलूसी करने वालों को अपने पास न रखें।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि चाहे एम०एल०ए० हो या संसद् सदस्य हो, जब वह मंत्री जी को पत्र लिखता है तो उसका जवाब जरूर आ जाता है कि पत्र मिला, कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद दोबारा पत्र आता है कि जांच की गई, यह बात गलत है। मैं आप से

पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने पहले ही फैसला दे दिया था, यदि उसी अधिकारी के पास फिर से उस पत्र को भेजा जायेगा, तो वह कैसे कहेगा कि जो पत्र में लिखा है, वह सही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं इस तरह के जो पत्र आते हैं उन की जांच के लिये आप को कोई दूसरी व्यवस्था करनी चाहिये। जो पत्र आप के पास जाता है या कोई शिकायत भेजी जाती है —उसका निराकरण कैसे हो ? मैं चाहता हूं कि उसकी जांच उच्च-अधिकारियों के द्वारा कराई जानी चाहिये, जिस अधिकारी ने पहले ही उस को रिजेक्ट कर दिया है उसके पास उस को जांच के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये।

अब मैं पुलिस के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पुलिस विभाग एक बड़ा शक्तिमान विभाग है और इसके मनोबल को बढ़ाना भी चाहिये। हमारे तिवारी जी ने भी अभी कहा है —पुलिस के मनोबल को बढ़ाना चाहिये, क्योंकि रक्षा और न्याय दिलाने की ज़िम्मेदारी पुलिस विभाग की है। यदि पुलिस का काम सही तौर पर हो तो उस से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, जनता आराम से रह सकती है। लेकिन आज हम सारा दोष पुलिस को ही देते हैं, अपने को दोष नहीं देते हैं। मैं आप के सामने एक उदाहरण पेश करूगां—यदि किसी डकैत को पुलिस ने पकड़ा, थाने में उस को बन्द कर दिया, तो उस के रिश्तेदार फौरन नेताओं के पास जाते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों और कहते हैं कि निर्दोष को पकड़ा गया है। जिन के यहां डकैती पड़ती है, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनके रिश्तेदार भी नेताओं के पास भागते हैं और कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है। दोनों नेताओं के पास जाते हैं ऐसी स्थिति में नेता का क्या कर्तव्य है ? मैं आप से कहना चाहता हूं--जी नेता है, जो कार्यकर्ता है —चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, वह जनसेवक के साथ-साथ न्यायाधीश भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कोई चोरी हो या डकैती हो या किसी के साथ जुल्म हुआ हो तो उस समय किसी भी नेता या कार्यकर्ता को जल्दी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि वह पड़ता है तो वह न्याय नहीं करता है । आज यही हो रहा है कि नेता और कार्यकर्ता बीच में दखल देते हैं, जिस के कारण पुलिस के अधिकारी सही तौर पर काम नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस में जल्दी दखल नहीं देना चाहिये। जब वह अच्छी तरह से समझ लें कि वास्तव में किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो केवल सुझाव के रूप में वे अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें अधिकारी की कलम को नहीं पकड़ना चाहिये। हम लोग जो जनता में काम करने वाले लोग हैं--हम जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी हैं, इसलिये हम सुझाव दे सकते हैं, लेकिन न्याय में दखल देना हमारा काम नहीं है। इसलिए ज्यादा दखलान्दाजी होती है और उसका प्रभाव यह हो गया है कि लोगों के साथ अन्याय होता है। इसलिए पुलिस को सही तौर पर न्याय कराने की छूट देनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं चाहे वे हैड कान्सटेबिल हों या चाहे बड़े अधिकारी हों, जोकि बड़े ईमानदार हैं, निर्भीक हैं और सही तौर पर काम करने वाले हैं लेकिन अगर वे सही काम करते हैं तो वे अपने स्थान पर नहीं रह पाते और तुरन्त उनका तबादला करा दिया जाता है और उच्च अधिकारी इसको मान भी लेते। हैं मेरा कहना यह है कि जो सही तौर पर काम करते हैं, जो निष्पक्ष तौर पर काम करते हैं, उनको बल मिलना चाहिए और उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह जो व्यवस्था है इसमें सुधार होना चाहिए।

109 धारा के बारे में कहा गया। उसमें पुलिस जिसको चाहे पकड़ ले, कोई आदमी जा रहा है और बिना कारण उसे पकड़ लिया। अगर कोई हिस्ट्रीशीटर है, गुण्डा है, तो उसको जरूर पकड़ें लेकिन कोई शरीफ आदमी है, तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। इसमें पुलिस को विवेक से काम लेना चाहिए। कहीं-कहीं पर विवेक से काम नहीं होता है तो लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस का काम ठीक हो और इसके लिए यह जरूरी है कि जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके वेतन जरूर बढ़ाने चाहिए क्योंकि उनके पास साधन कम है, उनके वेतन कम हैं और उनको काम ज्यादा करना पड़ता है। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो और चाहे बरसात हो, जब भी उनकी ड्यूटी लग जाए, तो उन्हें काम पर जाना पड़ता है। इसलिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए और उनके साधन बढ़ाए जाएं ताकि वे दिलेरी से काम कर सकें।

चौकीदार के बारे में मैं यह निवेदन करूं कि वह सबसे छोटा नौकर है। हम यह समझते हैं कि बेगार खत्म हो गयी है लेकिन उससे बेगार ली जाती है। चौकीदार को राजस्व विभाग से वेतन मिलता है और मध्य प्रदेश में उसको 33 रुपये मिलते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 15 रुपये मिलते हैं और पुलिस विभाग से उसको कुछ नहीं मिलता है। अगर वह थाने में रिपोर्ट कराने जाता है, तो उसको वहां दो दिन रहना पड़ता है और पानी भी वहां पर भरना पड़ता है। 15 रुपये में वह कैसे अपना गुजारा कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पुलिस विभाग को भी उसको कुछ वेतन देना चाहिए। जो सबसे छोटा कर्मचारी है, उसका वेतन बढ़ाना चाहिए।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। जहां मैं यह कहना चाहता हुं कि पुलिस को अच्छे साधन मिलें, उनको अच्छा वेतन मिले, वहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आखिर हमारी सुरक्षा का अच्छा इन्तजाम होना चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र में गृह मंत्री पटेल साहब गये थे और वहां पर लोगों ने यह शिकायत की कि अभी भी बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर, बांदा, सागर आदि ऐसी जगहें हैं, जहां पर डकैतियां बहुत पड़ रही हैं और पुलिस हमें सुरक्षा नहीं दे सकी है। इसके लिए मैंने पहले भी सुझाव दिया था और अब भी निवेदन करता हूं कि कम से कम इसकी जांच तो कराई जाए या कोई कमीशन बैठाया जाए, जो इस बात की जांच करे कि ये डकैतियां क्यों पड़ रही हैं, कौन व्यक्ति इन डकैतियों के पीछे हैं। ईशानगर में जो डकैती पड़ी, उसमें ब्लाक की जीप पकड़ी गई, उस जीप से डकैती डाली गई। मैं गृह मंत्री जी से, गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे मेरी बात को सुनें और बुन्देलखण्ड में जो डकैतियां पड़ रही हैं, उसके लिए जांच कमीशन बैठाएं और वह इस बात की जांच करे कि डकैतियां क्यों पड़ रही हैं और इनका निराकरण कैसे हो सकता है ताकि जनता की सुरक्षा हो सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि औरछा टीकमगढ़ में एक तीर्थस्थान है और वहां के चुतर्भुज मन्दिर से सवा मन के स्वर्ण कलश की चोरी हो गयी जब मैं मध्य प्रदेश की विधान सभा का विधायक था तो बराबर यह मांग करता रहा कि सी०बी०आई० द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहां लिखा-पढ़ी की गई लेकिन केन्द्रीय सरकार से जबाव जाता है कि अभी समय नहीं है। सवा मन सोने की चोरी हो जाए और उसकी जांच न हो।

जिन लोगों का यह विचार था कि इसमें बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों, बड़े-बड़े आदमियों का हाथ है, उन्होंने ऊपर तक लिखा पढ़ी की। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जनता के भ्रम को दूर करने के लिए सी०बी० आई० के द्वारा जांच कराइये ताकि जनता इस बात को समझे कि जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी बात सुनी गई। जनता के तीर्थ स्थान से एक बड़ी चीज चोरी हुई है और चार किस्तों में चोरी हुई है। इसलिए इसकी सी०बी०आई० के द्वारा जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं वे गुमराह करते हैं और कह देते हैं कि कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए इसके बारे में जांच होनी चाहिए जिससे लोगों को यह लग सके कि इसके बारे में जांच हुई है।

अब मैं कहता हूं कि जो सबसे गरीब आदमी है, चाहे वह हरिजन हो चाहे आदिवासी हो, उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका लाभ उस तक पहुंचे। आपने यहां अनुसूचित जाति आयोग भी बना दिया है इसके लिए दस करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह पैसा कम नहीं है और इसमें प्रान्तीय सरकारें भी अलग से मदद करेंगी लेकिन मैं देखता हूं कि इसके बारे में भी विधिवत् पालन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी पैसा आप जिस काम के लिए देते हैं और जिन लोगों के लिए देते हैं उसके बारे में आप देखें कि वह पैसा उन लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। उन हरिजन और आदिवासियों तक सही तौर पर पहुंच रहा है या नहीं ? कभी-कभी इस बात का परीक्षण और जांच होनी चाहिए। अधिकारी लोग जाते हैं, मंत्री जाते हैं। वे जाकर कम से कम इस बात की जानकारी करें कि जो पैसा दिया गया है वह कहां पर खर्च हुआ है, जिनके लिए दिया गया है उनको सहायता मिली है या नहीं। मैं कहता हूँ कि इस बारे में योजना का पूरी तरह से पालन नहीं होता है। इसका पालन पूरी तरह से होना चाहिए।

जो घुमक्कड़ लोग हैं, उनकी मदद करने का भी प्रावधान है कि हम उनको मकान बना कर देंगे, और उनकी बसायेंगे। उनकी मजदूरी देगें धंधा देंगे। लेकिन मैं आप से कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है। आपने चित्तौड़गढ़ में लोह गाड़िया लोगों को बसाने के लिए मकान बनाए लेकिन एक भी लोहगड़िया उन मकानों में नहीं रहता है क्योंकि आप उन्हें साधन तो रहने के लिए दो। केवल मकान दे देने से क्या होता है ? इसलिए चाहे हरिजन हों, आदिवासी हों जब आप उनको बसा देते हैं तो आप उनको साधन भी दो बिना साधन के वे वहां नहीं बस पायेंगे। देश में ऐसे गरीब आदमी भी हैं जो गांव के बाहर पड़े रहते हैं और हर मौसम में परेशान होते रहते हैं। अगर उनको बसाने के लिए मदद करनी है तो उनको साधन जरूर दो, पैसा जरूर दो।

बधुआ मजदूरों को उठाने का भी प्रावधान है। मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इनको मजबूती से ऊपर लाये और प्रान्तीय सरकारों से भी कहे कि वे भी इस काम में मदद करें। जो गरीब हैं साधन हीन हैं, मजदूर हैं, जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए दस करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने रखा है। प्रान्तीय सरकारें भो जो गरीब हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, जो घूमने वाली जातियां हैं, उन सबको साधन दें। मैं आप से निवेदन करूं कि टीकमगढ़ जिले में समितियां बनाई गयीं, उनको जमीन भी दी गई। लेकिन वहां इस तरह से काम खराब हुआ कि जो मैनेजर थे वे सारा पैसा खा गये। तीन सौ एकड़ जमीन पड़ी हुई है। इसको सरकार को देखना तो चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप भूमि सेना बनायें। भूमि सेना परती जमीन

को ठीक कर के देगी तभी लोग खेती कर सकेंगे । यहां लोक सभा से एक प्रस्ताव 15 दिसम्बर 1978 को पास हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश के भू० पू० मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव और मध्य प्रदेश से भी मेरे पास जवाब आता है कि अभी प्रस्ताव पास नहीं आया है । इस तरह से कैसे काम चल सकता है । लोक सभा से प्रस्ताव पास हो जाता है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती है । इस तरह से सरकार की कार्यवाही चलती है । मैं चाहता हूं कि जो पैसा आप हरिजन, आदिवासियों के नाम पर देते हैं, वह सही तरह से उन तक पहुंचता है या नहीं इसको देखा जाना चाहिए । छात्रवृत्ति के नाम से जो पैसा रखा जाता है वह भी सही तरह से उन तक पहुंचना चाहिए । इसके लिए हमें विश्वास भी हो जाना चाहिए कि वह सही ढंग से उनके पास पैसा पहुंचा है । जिससे लोगों को फायदा हो और वे आगे बढ़ें ।

जहां तक विदेशी छात्रवृत्तियां दिए जाने का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को ये नहीं दी जाती हैं, केवल दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के लोगों को ही दी जाती हैं, वही इनको लेते रहते हैं । हमारा बहुत बड़ा देश है । मैं चाहता हूं कि हर जगह से लेकर लोगों को ये छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें ।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को आपने पेंशन दी थी । मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट दे कर पेंशन पा ली है । उनकी जांच होनी चाहिए । और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था और झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर ये पेंशन ली है तो ये बन्द की जानी चाहिए और जो पेंशन की राशि उनको अभी तक दी जा चुकी है वह उन से वापिस ली जानी चाहिये । लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वाकई में जेल गये हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है लेकिन उनको नहीं मिली है । देशी रियासतों में उन्होंने भाग लिया है लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है । वहां वे कुछ नौकरियों में भी थे उनके रजिस्टरों में नाम भी हैं और वे बरखास्त भी हुए हैं । उनका भी आपको ख्याल करना चाहिये । एक नाथू राम बाल्मीकी टीकमगढ़ जो हरिजन है, बराबर स्वतंत्रता संग्राम में उसने काम किया है, लेकिन क्योंकि अधिकारी उससे नाराज हो गए इस वास्ते उसकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई । इस तरह की चीज जो है इसको आपको देखना चाहिए । जिन्होंने वाकई में काम किया है उनको जरूर पेंशन मिलनी चाहिये ।

जेल प्रशासन के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि यह प्रान्तीय मामला है । लेकिन फिर भी केन्द्र अपने दायित्व से बच नहीं सकता है । जो जेलें हैं उन सब का जो प्रशासन है वह देश भर में अलग-अलग तरीके से चलता है, सब की व्यवस्था अलग-अलग तरीके से चलती है । मैं चाहता हूं कि उनके प्रशासन के सम्बन्ध में एक सी व्यवस्था होनी चाहिये, प्रशासन में आपको एकरूपता लानी चाहिए । जेलों में आपको सुधार भी करना चाहिये । जो कैदी वहां जाता है आपको यह देखना चाहिए कि वह सुधर कर बाहर निकले । आज होता है कि जो गलत आदमी जेल जाता है वह और भी गलत बन कर जेल में से निकल कर बाहर आता है । वहां अगर कुछ आराम होता है तो वह कहता है कि हम बाद में फिर जेल में आये । उसका वहां सुधार होना चाहिए, उसको वहां समझाया जाना चाहिये, उस पर इस बात का प्रभाव डाला जाना चाहिये ताकि वहां से वह एक अच्छा नागरिक बन कर निकले । इस तरह की व्यवस्था हो कि जो जुल्म करता है या ज्यादती करता है उसको लगे कि वह गलत काम कर रहा है ।

प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए आपको पुलिस का सहयोग लेना चाहिए। पुलिस का काम केवल इतना ही नहीं होना चाहिये कि वह लोगों को न्याय दिलाए या कुछ सुरक्षा लोगों को प्रदान कर दे। सक्षम पुलिस सिपाही या अधिकारी उसको ही समझा जाना चाहिये जो यह देखे कि उसके क्षेत्र में कोई दुर्घटना ही न होने पाए। वह इस बात की पहले से तैयारी करके रखे, वह दूरदर्शी हो, बराबर चौकसी रखे। घटनाओं को होने से उसको रोकना चाहिये। इस प्रकार की सुन्दर व्यवस्था उसको बनानी चाहिये। केवल न्याय दिला देना या बाद में सुरक्षा व्यवस्था कर देना ही काफी नहीं है। पुलिस का विभाग ऐसा बनना चाहिये कि वह पहले से ही घटना होने से बचाए और देखे कि कोई किसी को सता न सके।

गरीब आदमी, हरिजन, आदिवासी, पिछड़े हुए आदमी को आपने संरक्षण प्रदान किया है। आपने कहा है कि उनके मामलों में, उन पर हो रहे जुल्मों के मामले में पुलिस दस्तंदाजी कर सकती है। यह एक सराहनीय काम है जो आपने किया है। अगर इस पर ठीक तरह से अमल हो तो मैं समझता हूं कि शासन अच्छी तरह से चल सकता है और लोगों को न्याय भी मिल सकता है।

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मैंने होम डिपार्टमेंट के ऊपर अपने तीस कट मौशंज पेश किये हैं। मैं एक बहुत अहम मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद बहुत देर से चला आ रहा है। बैलगांव, कारवाड़, निपानी, भालकी, सन्तपुर, औराद, हेमनाबाद आदि में दस लाख मराठी भाषा भाषी लोग मौजूद हैं। उनको तीस साल से आज तक इंसाफ़ नहीं मिला है। हसने प्रान्तों की भाषाई आधार पर पुनर्रचना की थी। उसकी बुनियाद पर कई राज्यों का रिआर्गेनाइजेशन तो हो चुका है। और उनको इंसाफ मिल चुका है। लेकिन जिनको इंसाफ नहीं मिला है उनको भी तो आपको इसी तत्व पर इंसाफ देना चाहिए। हर चुनाव के अन्दर इनको कामयाबी के बाद हम सभी ने कहा है कि उनकी मांग जायज हैं। जब उनकी मांग जायज है तो उसको पूरा करने की कोशिश भी तो आप को करनी चाहिए। आप कहते हैं कि पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात है कि उनको अभी तक इंसाफ़ नहीं दिया जा रहा है। पिहली सरकार तो इंसाफ नहीं देती थी, लेकिन अब तो जनता पार्टी को सरकार है, आपको इंसाफ़ देने में क्या मुश्किल है? पहले जो इन्द्रिरा जी के सामने सर्वपक्षीय दल की तरफ से दर्खास्त पेश की थी उसमें हर पार्टी के लोग थे, जिनमें से आज बहुत से मंत्री पदों पर बैठे हुए हैं। फिर उन 10 लाख लोगों को इंसाफ़ देने में आपको क्या दिक्कत पेश आ रही है? उन 10 लाख लोगों ने क्या गुनाह किया है कि जो आप उनको इंसाफ़ नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि जब तक दोनों मुख्य मंत्री एक जगह नहीं जाएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा सवाल टेरिटरी का नहीं है, बल्कि 10 लाख लोगों का है। कुछ लोगों ने कहा था कि बालकेनाइज़ेशन आफ़ स्टेट होगा। तो यह अब चीज़ गलत साबित हो चुकी है। अगर रीआर्गेनाइज़ेशन से महाराष्ट्र के अन्दर 5 करोड़ लोग अमन से रह सकते हैं, 3 करोड़ लोग कर्नाटक के अन्दर खुशी से रह सकते हैं, आन्ध्र प्रदेश में लोग रह सकते हैं तो दस लाख मराठी लोगों ने क्या गुनाह किया है। इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि जो उनकी जायज़ मांग है उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को लेनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा दोनों स्टेट् गवर्नमेंटस पर जिम्मेदारी थोप कर आप वहां से भाग नहीं सकते हैं। वह कितने सालों तक आपात काल में और मिसा में रहेंगे? उनके हकूक खत्म किये जा रहे हैं। पिछले चुनाव के वक्त

पूरे यूनाइटेड फ्रन्ट की तरफ से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार के खिलाफ़ बेलगांव में चुनाव लड़ा गया, वहां पर प्रधान मंत्री बेलगांव गये थे और उन्होंने कहा था कि अगर तुम चुन कर आ गये तो इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। मुझे फख्र है कि बेलगांव का नुमाइन्दा चुने कर आ गया। अब आपको और कौन सी कुरबानी चाहिए ? आप इन्साफ़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र कोइ आक्रामक है, किसी की भूमि लेना चाहता है। जो मराठी लोग हैं एक विलेज़ युनिट करार देकर उस एरिया को महाराष्ट्र के अन्दर मिलाइये। अगर आप चाहते हैं तो दुबारा चुनाव करवा सकते हैं। इस मसले पर ओपिनियन पोल भी ले सकते हैं। अगर चुनाव से वह लोग महाराष्ट्र के अन्दर जाना चाहते हैं तो उनको वहां भेजिये। अगर कर्नाटक में जाना चाहते हैं तो वहां भेजिये। इसी तरह से महाराष्ट्र के अन्दर जो कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं उनको उधर भेज दीजिये। हम यह तो नहीं कहते कि कन्नड़ बोलने वाले महाराष्ट्र में ही रहें। सवाल बेसिक प्रोबलम का है। भाषावार प्रान्तीय राज्यों के तत्व के लिहाज़ से उनको आप इन्साफ़ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि अब भी आप इस मसले को हल करेंगे। 25 साल हो गये सीमावासीय लोगों ने हर तरह की कुरबानी दी है, मगर अफसोस है कि इस हुकूमत ने अभी तक इस मामले में इन्साफ़ नहीं दिया है। कम से कम इस मसले पर आप निर्णय दोनों मुख्य मंत्रियों पर न रखते हुए खुद इंटरफीयर कीजिए और 10 लाख लोगों को इन्साफ़ दीजिए। यह आपका फर्ज है।

जो हमारी आजादी के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में 30, 32 साल के बाद भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। मुझे गुस्सा आता है, गम होता है और मैं शासन का विरोध भी करता हूं और मैं सरकार से पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि इतने साल बाद भी यह हुकूमत इस मसले को हल नहीं कर सकी है। मैंने सवाल पूछा था 21 मार्च, 1979 का अतारांकित प्रश्न सं० 4199। उसमें कहा गया है कम से कम 8,478 में से 7,292 केसेज़ इनकमप्लीट हैं, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से कागजात नहीं आये हैं। इसके माने यह हैं कि 1,146 केसेज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। 31 साल के बाद भी महाराष्ट्र के आपने 8 हजार आदमियों को, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दिया है। उन्होंने कौन-सा गुनाह किया है ? अगर आप से नहीं हो सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि इनके कागज़ात इनकमप्लीट क्यों हैं। इस कमी के लिए जिम्मेदार स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवार के लोगों को अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। मेरे जिले नाण्देड़ में कंधार तालुके में कल्दाकी एक देहात है जहां 35 लोग शहीद हो चुके हैं, रजाकारों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी जान दी, पूरी जिन्दगी बरबाद की। यह गांव पूरा जला दिया गया लेकिन एक नया पैसा आपने उनको अभी तक नहीं दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनकी कुरबानी से, जिनके नाम पर आप हुकूमत करना चाहते हैं, जिनके बलिदान की वजह से आप यहां आये हो उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों की मदद करने के लिए 31 साल तक आप खामोश क्यों हैं ? कितनी ही बार मैंने गुज़ारिश की, पत्र लिखे, सवाल पूछते हैं, तो जवाब आता है मंत्री जी का कि हम क्या करें, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमने पूरे केसेज़ केन्द्रीय सरकार को भेज दिये हैं। अभी जल्दी क्या है, 25 साल तक और केसेज़ रहने दीजिए ताकि शहीदों के रिश्तेदार स्वातंत्रय सेनानी भी खत्म हो जायें, फिर आप को याद आये। आप आजादी की बात करते हैं, सैकिंड आज़ादी की बात करते हैं, मगर

पुरानी आज़ादी लाने के लिए जिन लोगों ने जान-निसार किया है, आप उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, आप उनको भूल रहे हैं। अगर आप उनको इन्साफ नहीं देना चाहते, तो आप उनको ज़हर देकर मार दो ताकि वह हमेशा के लिए यह कहें कि हमने गुनाह किया है इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए काम कर के। मैं गुजारिश करूंगा कि यह मामला नया नहीं है, पुराना है। कितने सालों तक स्वतंत्रता आन्दोलन में रज़ाकारों के खिलाफ लड़ते हुए कई देहात बर्बाद हो गये हैं। जो देहात बर्बाद हो गये हैं, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। और इन वीर लोगों का सन्मान करना चाहिए।

डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की मौत के बारे में एक कमीशन मुकर्रर हुआ था। मैंने कई बार मांग की है कि उस कमीशन की रिपोर्ट शाया होनी चाहिए। मुझे सोनु सिंह पाटिल साहब का खत आया है मेरे 1 मार्च 1979 के खत के जवाब में। खत क्र० अ० स० पत्र1/13016/34/78 एस० एण्ड पी० दो मार्च 1979 :

> "स्वर्गीय डा० अम्बेदकर की मृत्यु की जांच रिपोर्ट को प्रकाशित किए जाने के बारे में आप के 1 मार्च 1979 के पत्र में किए गए अनुरोध पर मैंने भली भांति विचार किया है।
>
> यह जांच रिपोर्ट गोपनीय स्वरूप की है, इसलिए खेद है कि इसे प्रकाशित करना उपयुक्त नहीं होगा।
>
> शुभ-कामनाओं सहित।"

मैं कहना चाहता हूं कि क्या करना है आपकी शुभ कामनाओं का, क्या जरूरत है उसकी ? जिसके लिए हम गुजारिश करते हैं, जब वह काम आप नहीं कर सकते तो आप खुदा के लिए अपनी शुभ-कामाएं अपने पास रखिए। आप वह रिपोर्ट यहां पर लाइये, जिससे पता लगे कि डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की मौत कैसे और किस हालत में हुई। जब आपके पास रिपोर्ट है तो आप उसको शाया क्यों नहीं करते ? क्या आप गुनाहगार हैं, क्या आपने उनको मारा था ? अगर आप की पहले की गवर्नमेंट कहती कि हम शाया नहीं करते तो दूसरी बात थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौनसी गोपनीय चीज उसमें है ? क्या आप उस कांसीप्रेसी में थे जो आप उसे शाया नहीं करते ? अगर आप शाया नहीं कर सकते तो मुझे दीजिए, हम उसे शाया करेंगे। यह पब्लिक मैटर है, जांच रिपोर्ट आपके पास मौजूद है, उसका इस सभागार में पेश करना जरूरी है।

इतना कहकर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई लोगों की और हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में जो नवबौद्ध हो चुके हैं, उनको भी दलित समाज की पूरी सहूलियतें मिलनी जरूरी हैं। परसों प्राइम मिनिस्टर साहब बम्बई गये थे, वहां के दलित पैन्थरों और दीगर पार्टियों ने उनसे मांग की कि उन्होंने कौनसा गुनाह किया है, हिन्दू धर्म के अन्दर वर्णाश्रम के अत्याचारों की वजह से उन्हें धर्मान्तर करना पड़ा, उनको सहूलियतें क्यों नहीं देते ? धर्मान्तर के बाद उनमें कौन सा फर्क पड़ा है ? उनकी मुआशी हालत अच्छी नहीं हुई है, वह अमीर और बड़े नहीं हुए। मेरा कहना है कि नवबौद्धों को भी वही सहूलियतें देना जरूरी है। इतना ही नहीं जो इकनामिकली बैकवर्ड हैं, उन तमाम लोगों को भी सहूलियतें देना जरूरी है, चाहे वह किसी जाति के

हों, ब्राह्मण हों, मुसलमान हों या क्रिश्चियन हो। जों इकनामिकली बैकवर्ड हैं, उनको मदद की जरूरत है। आप जाति के नाम पर धर्म के नाम पर मदद करने की बात छोड़ दो, जो इकनामिकली बैकवर्ड हैं उनकी मदद करना आपका फर्ज है। मगर दलित समाज की सहूलियत बंद मत करो।

मराठवाड़ा में जो दंगल हुआ है, उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जानी चाहिए। जो गुनाहगार हैं, उनको सजा दी जानी चाहिए। जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए मोबाइल कोर्ट, स्पैशल कोर्ट मुकर्रर किये जाएं ताकि दलित समाज को मालूम हो कि इस देश में इस राज में हमारी और हमारी मां-बहिनों की इज्जत महफूज है। शहरों में तो हम जिन्दगी अच्छी तरह से गुजारते हैं, मगर देहातों में जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, जो भटकता हुआ समाज है उनकी कोई जिन्दगी नहीं है। उनको स्थिर जीवन अभी तक नहीं मिला है। वह कहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है जो आज 31 साल के बाद भी हमारे पास मकान नहीं है, क्रैडिट नहीं है, कोई आश्रय नहीं है ? जो रक्षक हैं वह उनके भक्षक बन जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसके लिए सम्पूर्ण क्रांति की बात करते हैं, नई आज़ादी की बात करते हैं। इसके बावजूद भी अगर उसका फायदा पिछड़े हुए लोगों को नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता है तो वह दलित लोग मांग करते हैं कि हमको दलिस्तान चाहिये। इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। उनका इसमें क्या गुनीह है, क्या जुल्म किया है उसने ? मैं गुजारिश करूंगा कि मोबाइल कोर्ट और स्पैशल कोर्ट इनके लिए बनाइए।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी, महाराज महात्मा वसवेश्वर, महात्मा फुले, डा० अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती को या पुण्य तिथि को तातील देने की कृपा करें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म-तिथि को भी तातील देने की कृपा करें। यह बहुत दिनों की मांग है, इसे पूरा किया जाये। यह मांग मैंने आपसे कई बार की है।

राष्ट्रगीत के अन्दर जो "भारत भाग्य विधाता" और "अधिनायक" शब्द हैं यह तानाशाही के हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं भारत में भाग्य विधाता यहां की सार्वभौम जनता है, कोई अकेला आदमी नहीं है। कोई अदृश्यशक्ति नहीं है, को तबदील किया जाना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि इसके लिए एक नेशनल कमेटी मुकर्रर करके जन-गण-मन के राष्ट्रगीत में इन्कलावी तबदीली होनी चाहिए।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नजदीक फ़ारेन मिशनरीज़ द्वारा चलाई जा रही मालीवाड़ा प्रोजेक्ट की निन्दा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा था कि यह एक बोगस प्रोजेक्ट है। इसलिए उसकी एनक्वायरी की जानी चाहिए।

गवर्नमेंट पुलिस को ट्रेड यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं दे सकती है, लेकिन उन लोगों को हफ्तावारी तातील और रुख़सत तो देनी चाहिए और उन्हें दूसरी सहूलियतें मुहैया करनी चाहिए। इसके अलावा पूलिस और होम गार्ड में नेशनल लेवल पर यूनिफार्मिटी होनी चाहिए। जहां तक जेलों का सम्बन्ध है, हम कई बार जेल जा चुके हैं। हम इमर्जेन्सी के दौरान 11 से 19 महीने तक जेल जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जेलों में कोई तरमीम नहीं हुई है। अब तो पूरा भारत

देश ही एक जेल हो गया है। जेलों में तरमीम करने का बहुत जरूरत है। इमर्जेन्सी में जिन लोगों ने अत्याचार और जुल्म किया, हुकूमत उनको सज़ा देना चाहती है। लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर्ज़ गुंडागर्दी और तानाशाही के पुजारी बने थे, पार्टी बदलते ही उन्हें माफ़ कर दिया गया। जैसे, महाराष्ट्र के पिछले चीफ़ मिनिस्टर, श्री एस० वी० चव्हाण, ने जब पार्टी बदली और आपके कोलीशन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बन गये, तो वह देवता और पुण्यात्मा बन गये। उनकी एनक्वायरी होना ज़रूरी है। क्योंकि आपातकाल में उन्होंने बहुत जुल्म किया है।

पोनार आश्रम के महर्षि, आचार्य विनोबा भावे, इमर्जेन्सी के बड़े पुजारी थे और उन्होंने इमर्जेंसी को "अनुशासन पर्व" का नाम दिया और आशीर्वाद भी दिया था। उनकी एक्नवायरी होना भी बहुत जरूरी है। चाहे कोई महात्मा हो, मिनिस्टर हो या देवता हो, हिन्दुस्तान के लोगों से कोई बड़ा नहीं है। आचार्य विनोबा भावे को गोहत्या के प्रश्न के बजाये दलित-हत्या, मानव, हत्या अस्पृश्यता-निवारण और वर्णाश्रम को बदलने के लिए अनशन करने की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे महात्मा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें तो वर्णाश्रम व्यवस्था ही चाहिए।

महाराष्ट्र में सांगली ज़िले में जत के सिविल जज, श्री गणाचार्य, के यहां एक बेचारा नौकर था बी० बी० कांबले, जो रात को कोर्ट की रखवाली का काम करता था। उसको जज की बच्ची सम्भालने के लिए दी गई। वह लड़की रो रही थी, इसलिए कांबले ने जज को कहा कि आप ले लीजिए। तो साहब को बड़ा गुस्सा आया कि रोती हुई लड़की को मेरे सामने क्यों लाया। साहब ने हाथ-पैर से उसको बहुत मारा। यह गैर-इन्साफ़ी है। एक न्यायाधीश दलित समाज के आदमी से खानगी काम कराता है, उसके साथ बांडिड लेबर और गुलाम का सा सुलूक करता है, यह बहुत ही अनुचित बात है। ऐसी हालत बहुत जगहों पर है कि अफ़सर बेचारे कनिष्ठ कर्मचारियों को बांडिड लेबर और गुलाम बना कर रखते हैं और उनसे घर का काम कराते हैं। यह बंद होना चाहिए।

अगर होम डिपार्टमेंट इस देश को सही मानों में स्वीट होम बनाना चाहता है, तो उसे ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि हर एक शहरी या देहाती यह महसूस करे कि उसकी ज़िन्दगी और इज्ज़त महफ़ूज़ है। लेकिन जब यह हुकूमत ही महफ़ूज़ नहीं है, तो वह हमारी हिफ़ाज़त क्या करेगी ?

मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब मेरे सुझावों पर ग़ौर करेंगे और इस मुल्क के दलित और पददलित लोगों को सही मानों में न्याय देंगे, नहीं तो दलित स्थान कायम हुए बग़ैर नहीं रह सकता है। यह चेतावनी देकर मैं भाषण खत्म करता हूं।

जय क्रान्ति।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यतया दो-तीन बातों की ओर सदन और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि वह इस देश में फांसी की सजा को खत्म कर दें। विश्व के किसी भी कोने में जिस किसी भी व्यक्ति को फांसी लगे, तो भारत सरकार को उसकी निन्दा करनी चाहिए। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आप सिर्फ

भुट्टो की बात क्यों कहते हैं, ईरान की बात क्यों नहीं कहते हैं। तो मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे यह नीति बना लें कि चाहे कहीं भी — चाहे नेपाल में, ईरान या पाकिस्तान में — किसी व्यक्ति को फांसी दी जाए, तो निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। इसलिए कि मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि कोई भी काम किसी के सुधार के लिए किया जाता है, लेकिन आप रोग को हटाने के लिए रोगी को खत्म कर दें, रोगी को मार दें तो उस से समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता है। मैं आपको बतलाऊंगा कि रूट काज़ कहां है। आज जितनी बहस हम लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि तीस साल से पार्लियामेंट में बहस चलती आ रही है, उसके भी पहले से देश में बहस चलती आ रही है, हम लोग भी बहस कर रहे हैं और फिर बहस आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इसका रूट काज़ कहां है ? क्या कारण है कि समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है ? क्या कारण है जो हमारे साथी ने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन रहा है ? इनके सब के पीछे जो करप्शन है, जो बेसिक रूट है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। जैसे सम्पत्ति है, तमाम लोगों के दिमाग में एक ही बात घर कर गई है कि किस प्रकार हम सम्पत्ति अर्जित करें, उसके दिमाग में एक ही बात है कि हमारी आगे आने वाली जैनरेशन भूखी न मरे, इसके लिए एक एक बाप इतना पैसा कमा कर रख देना चाहता है कि दस पुश्तों तक पालन पोषण चलता रहे। एक ही परिवार का चारों तरफ पंजा जमा हुआ है। एक ही परिवार है जिस के पास में अरबों रुपये की सम्पत्ति है। उसी परिवार का भाई है, दूसरा भाई बहुत बड़े अफसर के पद पर सेक्रेटरी या कमिश्नर या आइ जी के पद पर बैठा हुआ है। तीसरा भाई राजनीति में बहुत बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है। चौथा भाई है जिसके पास में मिल हैं, जमीन है, लैंड लार्ड है, इस तरह एक ही परिवार का जो वर्चस्व चारों ओर बना हुआ है जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे और सम्पति का मौह लोगों के मन से नहीं तोड़ेगे तब तक यह चीज खत्म नहीं होगी। तब तक लोगों के मन से यह जो अर्थ के प्रति मोह है, जो इसके प्रति लिप्सा है जिसके कारण सारा करप्शन होता है उसको आप खत्म नहीं कर सकेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूं और मैं एक बिल भी लाने वाला हूं इसी चीज के ऊपर। आज नक्सलाइट्स की बात बहुत कही जाती है। मैं ने एक बार इसी सदन में कहा है कि एक लड़का है, 25 साल तक जवान है, छब्बीसवें साल में उसकी उम्र खत्म हो जाती है, नौकरी पाने लायक वह नहीं रहता है। जब उम्र खत्म होने लगती है तो वह अपनी बची हुई उम्र को इस तरह गिनता है कि जैसे फांसी की सजा लगने वाली हो। उस परिस्थिति में वह एम एल ए, एम पी, मिनिस्टर या अफसर सभी के यहां जायेगा, नाजायज ढंग से पैसा खर्च करेगा और इस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाती है कि चप्पल वप्पल टुट जाने के बाद भी जब उसको नौकरी नहीं मिलती है, जब अहिंसा का दरवाज़ा बन्द हो जाता है तो हिंसा का दरवाजा खुलता है, बम का दरवाज़ा खुलता है और वह गलत रास्ते को अख्तियार करता है।

मैंने इसी हाउस में कहा था कि आप तीन काम करें। अगर आप राइट टु जाब, नौकरी पाने का अधिकार सब को नहीं दे सकते हैं तो आप अनएम्पलायमेंट एलावेंस दीजिए। अगर आप बेरोज़गारी का भत्ता भी नहीं दे सकते हैं तो उम्र के ऊपर जो आप ने कैद लगा रखी है कि 25 साल तक ही कोई नौकरी पा सकता है उसको खत्म कर दीजिए। जब हम 55 वर्ष तक और 58 वर्ष तक नौकरी में रह सकते हैं, हमारे लिए पार्लियामेंट का मैम्बर बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है तो उस बेचारे नौजवान के लिए क्यों यह सीमा लगा रखी है कि 25 साल के

बाद तुम को नौकरी नहीं मिल सकती है ? आप उसको कहिए कि पचास साल तक भी तुम नौकरी पा सकते हो । वह तीन ही साल या दो ही साल नौकरी में रहेगा लेकिन उसके इस अधिकार को क्यों खत्म करते हैं ? या तो आप उसको 25 साल में राइट टु जाब दीजिए, 25 साल में रोजगार पाने का अधिकार दीजिए, और यदि आप रोजगार नहीं दे पाते हैं तो उम्र की सीमा को खत्म कर दीजिए । उस में आप का एक पैसा भी नहीं लगेगा । कोई खर्च नहीं है आपका । मैंने जैसा शुरू में कहा मैं इस पर प्राइवेट मेम्बर बिल भी ला रहा हूं और मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग उसको पास करवाइए ।

हमारे एक साथी, शायद कुशवाहा जी ने इंटरव्यू की बात कही । नौजवानों के लिए आप इंटरव्यू रखते हैं । जब हम बी ए पास करते हैं, आइ ए पास करते हैं, एम ए पास करते हैं, बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेते हैं उसके बाद भी हम को जाकर के नौकरी के लिए फिर रिटेन एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, ओरल एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है और हमारा इंटरव्यू भी होता है । तो फिर उस जगह क्यों इम्तहान लेते हैं । या तो यही कहिए कि जो तुम यहां पास करते हो, तुम्हारी डिग्री की बेसिस पर हम तुमको नौकरी देंगे और नहीं तो उस डिग्री को आप खत्म कर दीजिए । हमारा एक ही बार आप नौकरी पाने के समय इंटरव्यू लीजिए तो जितना भी यह कापी वगैरह का मामला है, परीक्षाओं में जितनी धांधली चलती है, वह तमाम खत्म हो जायगी। हमारे साथी बतला रहे थे हरिजनों के संबंध में । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नीति आप चाहे जितनी बना लें, अगर उस का कार्यान्वियन नहीं हो सकता है तो आप की सारी की सारी नीति रखी रह जायगी । अभी हमारे ही साथी ने कहा—जब रक्षक ही भक्षक हो जाय, तब क्या होगा ? मैं आपके सामने दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं, जिनसे आपको इन की गम्भीरता का पता चल जायगा । माननीय मंडल जी बिहार से हैं, हम लोगों के पुराने नेता रहे हैं । होम मिनिस्ट्री ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि जहां कहीं भी हरिजन के ऊपर एट्रासिटी होगी, उसके लिये डी०एम० और एस०पी० को जिम्मेदार ठहरायेंगे—सबसे पहले तो यही शंका है कि आप डी०एम० और एस०पी० को सातवें जन्म तक भी सजा दे पायेंगे ? मैं एक डेफिनिट उदाहरण देता हूं—मैं समझता हूं मंडल जी को भी इसके बारे में मालूम होगा—लेकिन मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—वे इसको गम्भीरता से देखें ।

पटना में एक डोम "टकैता" वहां के निगरानी विभाग के एस०पी० के घर झाड़ू देने के लिए जाता था । उस एस० पी० के यहां चोरी हुई तो उस डोम को पकड़कर दो दिन तक थाने में पीटा गया और वह मर गया ।

एक माननीय सदस्य : कौन एस० पी० था ?

श्री राम विलास पासवान : ज्योतिनन्दन सिंह । जब वहां के हरिजन स्टूडेन्ट्स को मालूम हुआ तो उन लोगों ने जाकर उसकी लाश को मांगा और पोस्ट-मार्टम के बाद वे उसकी लाश को लेकर मुख्य मंत्री के पास गये । यह 17 दिसम्बर की घटना है । मुख्य मंत्री के यहां जाते हुए, रास्ते में पुलिसवालों ने बहुत रोका, लेकिन किसी तरह से वे लड़के उस लाश को मुख्य मंत्री के यहां ले गये । मुख्य मंत्री आये और उन्होंने स्वयं उसकी लाश को कंधा दिया, खुद उसका अग्नि-कांड किया और कहा कि मैं उस अफसर के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा । लेकिन आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जो पहली कार्यवाही होती है—सस्पेन्शन की, वह आर्डर

भी अभी तक नहीं हुए। उस आदमी को जान से मार दिया गया लेकिन मारने वाले के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। मैं कहता हूँ—आप चाहे जितना चिल्ला-चिल्ला कर कहिये कि हम हरिजनों के लिए यह कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए वह कर रहे हैं, माइनारिटीज़ के लिए फलां काम कर रहे हैं—इसका क्या लाभ है। जब मुजरिम सामने है, तब भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब मैंने वहां की एक बैठक में कहा—कि वह एक ऐसे परिवार का आदमी है, जिसका वहां की राजनीति में प्रभाव है, उसके कोई मंत्री भी वहां बैठे हैं, उसके पास करोड़ों की समपत्ति है, वह स्वयं आइ०पी०एस० का अफसर है—तब भी उसका मोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी नीतियों का ठीक से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है।

इसी तरह से एक राधाकान्त धोबी का मामला है। यह बिहार के पंचरुखी-सीवान क्षेत्र का मामला है। वह वहां के ब्लाक के हैडकलर्क के कपड़े धोता था। जब 12 रुपया धुलाई का हो गया, तो वह पैसा मांगने के लिये गया। उसने कहा कि बाद में आना। जब दोबारा गया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमको सबक सिखलाऊंगा। दो दिन बाद वहां के बड़े-बाबू के यहां चोरी हुई तो उसमें बड़े बाबू गवाह बने और उस हरिजन का नाम दे दिया गया, उसको मारते-मारते इतना मारा गया कि वह मर गया।

इसी तरह से रांची के राम प्रसाद का मामला है, जो सब पेपर्ज में निकल चुका है, ब्लिट्ज में भी छपा था और धर्मयुग में भी छपा था। वह हरिजन लड़का था, जो बहुत होश्यार था, हर क्लास में टापर था। लेकिन वहां के पैथालाजी डिपार्टमेंट के जो हैड थे—डा० सैमुअल—वह हमेशा उसको पैथालाजी में फेल कर दिया करते थे। जब वह सातवीं वार परीक्षा में बैठा तो उसने प्रिन्सिपल से जा कर कहा कि ये हम को हमेशा फेल कर दिया करते हैं, यदि इस बार भी फेल कर दिया तो हमारे सामने सिवा आत्म-हत्या के और कोई दूसरा चारा नहीं है। पिन्सिपल ने उसकी मदद करना तो दूर, उल्टा पुलिस में रिपोर्ट करा दी। उस बार भी वह फेल कर दिया गया और सातवीं बार फेल होने पर उसने फांसी लगाकर आत्म-हत्या कर ली। लेकिन मरने के समय यह लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरी लाश इसी लैबोरेट्री में रखी जाय, ताकि डाक्टर आफ़ पैथालाजी जब भी अपने डिपार्टमेन्ट आयें तो देखें और खुश हों कि एक हरिजन लड़का सड़ा पड़ा है। इसके लिये बहुत हंगामा मचा और मांग की गई कि प्रिन्सिपल को और हैड-आफ-दि डिपार्टमेन्ट को हटाया जाय, डिस्चार्ज किया जाय, सस्पेण्ड किया जाय, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं—मेरी कांस्टीचूएन्सी वैशाली–हाजीपुर है। एक दिन मैं वहां जा रहा था, तो मुझे मालूम हुआ कि एक डोम बालचन्द दास को बहुत बेरहमी के साथ पीटा गया है, जो वहां बेहोश पड़ा हुआ है। मैं वहां गया तो देखा कि उसकी पूरी देह और हाथ फूले हुए थे। मैं उसको लेकर कलैक्टर के पास गया, एस०पी० को बुलाया गया, एस०डी०ओ० की बुलाया गया, उसकी इन्जरीरिपोर्ट ली गई। हमने कहा कि जहां के जन-प्रतिनिधि को वहां की जनता ने सबा-चार लाख वोट से जिताया है, वहां आज भी इस तरह का काम आप करते हैं, आप को शर्म नहीं आती है। हमने मांग की कि फौरन उस थानेदार को सस्पेण्ड किया जाय, वरना आपके थाने को यदि आग लगेगी तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। दूसरे दिन वहां के एस०पी० एन्कवायरी के लिये गये, उससे पूछा

कि तुमने ऐसा क्यों पीटा ? उसने जवाब दिया—हुर, यहजू रोड पर पीकर गाली दे रहा था, इस लिये मारा। लेकिन सही बात जो हम को मालूम हुआ कि उस डोम को घर पर काम करने के लिए कहा गया था। उसने कहा कि हम को डाली बनानी है और उसके बाद मैं आऊंगा। एस०पी० ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जाकर एम०पी० साहब से मिल लो। दूसरे दिन सुबह वह हमारे यहां आया और उसने आकर परणाम किया। हमने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा, भगवान सिंह। तो हमने सोचा कि जरूर ही गड़बड़ आदमी होगा। हमने कहा कि सच सच बताओ कि क्या मामला है। उसने कहा, हुजूर हम से गलतो हो गई, हम पिये हुए थे और होश में नहीं थे। अब आप यह देखिये कि एक अधिकारी बड़े अधिकारी से कहता था कि डोम पिये हुए था और होश में नहीं था, इसलिए मारा और यह विश्वास करने वाली बात भी हो सकती है क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि छोटी जाति का आदमी पिये हुए होगा, इसलिए उसे मारा। लेकिन उसने हम से कहा कि वह पिये हुए था और होश में नहीं था, इसलिए उसने मारा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्ट और फैक्ट अलग-अलग हैं। एक्ट में जो गरीब हैं और जो जहां बसे हुए हैं, उनको वहां पर बसने के कागज-पत्र मिलने चाहिए लेकिन फैक्ट क्या है। रात में ही उनके मकान को खत्म कर दिया जाता है और वे खेत बन जाते हैं। जो अफ़सर जितना टेक्टफुल होगा, उतना ही काम अच्छा होगा लेकिन हमारे अफसर हैं ही नहीं, तो काम क्या करेंगे।

आप यह देखिये कि रिजर्वेशन की बात चलती है, हरिजनों के लिए रिजर्वेशन की बात चलती है और आप के संविधान मे भी लिखा हुआ है कि जो सोशली और एजूकेशनली पिछड़ा हुआ है, उस को सरकार विशेष अवसर देगी और उसके लिए रिजर्वेशन आदि की व्यवस्था करेगी लेकिन जहां रिजर्वेशन का मामला उठता है, वहां न्यायालय में रिट हो जाती है और न्यायालय फट से उस पर रोक लगा देते हैं। मैं पटेल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप के पास इन लोगों के लिए कोई क्रान्तिकारी कदम है कि न्यायालय में हरिजन का बेटा, पिछड़ी जातियों का बेटा या आदिवासी का बेटा कभी जज बन पाएगा ? क्या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। आज तो न्यायालयों पर हमारा कबजा नहीं है और यही कारण है कि एक अग्नि, एक ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, वह भीतर ही भीतर सुलग रही है और एक दिन ऐसा आ सकता है कि जबकि हमारी अंगुली न्यायालय के ऊपर भी उठने लगे, जहां हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है और जहां पर पक्षपातपूर्ण तरीके से केसेज को डील किया जाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि न्यायालयों को भी आप देखें और न्यायालयों में किस प्रकार हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और मुस्लमानों के प्रतिनिधि आ सकें, यह भी आप देखें।

जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैंने मण्डल जी को पत्र लिखे थे कि आदिवासी और हरिजनों की किस तरह से नियुक्तियां की जाती हैं। उन्होंने कहा था कि तीन साल तक रिजर्वेशन रहता है, शेड्यूलड कास्ट का रिजर्वेशन शेयूड्लड कास्ट के लिए रहेगा और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रहेगा और तीन साल के बाद अगर उम्मीदवार नहीं मिलेगा, तो इण्टरचेन्ज हो जायेगा। इसी सदन में मैंने इस सवाल को उठाया था और 45 मिनट तक हंगामा हुआ। एक हरिजन केंडीडेट जिसका 8 साल का एक्शपीरयन्स था और जो एम०ए० पास था रेडियो ब्राडकास्ट के लिए उस को नहीं लिया गया और एक बी०ए० पास को और जिस का तीन साल का एक्सपीरयन्स था, उसको ले लिया गया। इसके लिए मैंने पहले होम मिनिस्टर

को,उसके पहले प्राइम मिनिस्टर को और उसके पहले श्री लाल कृष्ण आडवाणी को चार-चार बार पत्र लिखे लेकिन उसके बावजूद भी उसकी नियुक्ति नहीं हुई। जब यहां पर हंगामा हुआ, तो कहा गया कि दोबारा देखेंगे लेकिन दोबारा भी उसकी सपुष्टि की गई और उसको नहीं रखा गया। मैंने हाफ-एन-आबर डिस्कशन के लिए लिखा, तो वह नहीं आया, डाइरेक्शन 115 में लिखा, तो उसकी भी जांच चल रही है और हो सकता है कि वह न आवे। अब आप बताइए कि कौनसा रास्ता हमारे पास रह जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : आपने औरों को आधा घंटा दिया है, मुझे भी थोड़ा समय और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप जल्दी समाप्त करें। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री राम विलास पासवान : जेल में 1 लाख 13 हजार कैदी हैं। ये जो 1 लाख 13 हजार कैदी हैं, ये जेल में सड़ रहे हैं और 15, 15 साल से 10,10 साल से इनके केसों की सुनवाई नहीं हुई है।

रूपसपुर की घटना सब को मालूम है। कांग्रेस के लोगो ने हरिजनों के लिए क्या किया है, यह सबको मालूम है। हरिजनों पर बिहार में वहां पर जब अत्याचार बढ़ने लगे, तो बिहार की सरकार ने कहा कि जितने पूंजीपति हैं उनके हथियार छीनेंगे और हरिजनों को हथियारों से लैस करेंगे ताकि अगर लड़ाई हो तो बेमेल लड़ाई न हो। एक तरफ राइफल हो और दूसरी तरफ निहत्थे हरिजन। जब वह बात कही गई, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी का दूसरे दिन ही बयान आ गया कि यह बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा अगर हरिजनों को हथियार मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह निन्दनीय काम है। आप लोग यहां क्या बोलते हैं ? आप लोग यहां हरिजनों की माला जपते हैं। मण्डल जी को मालूम है कि 1970 में बिहार में एक घटना घटी। वहां के विधान सभा के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के नेता श्री लक्ष्मी नारायण जी सुधांशु जी ने और उनके परिवार के लोगों ने 297 संथाल परिवारों के लोगों की हत्या करायी थी। बहुत से लोग मारे गये थे। लेकिन सब लोग मर गये, लक्ष्मीनारायण जी सुधांशु भी मर गये, और लोग भी मर गये, वह केस अभी तक चल रहा है, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ।

मैं आपसे कहता हूं कि मुखिया ग्राम पंचायत, म्युनिसिपेलिटी के चुनावों में हरिजनों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। हमें मेम्बर आफ पार्लियामैंट की हैसियत से वोट देने का अधिकार है। लेकिन चूंकि हम हरिजन हैं इसलिए हम को कह दिया जाएगा कि आप उसमें हरिजन प्रतिनिधि हो गये इसलिए हरिजन का कांटा काट लिया जाएगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक आप हरिजनों के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनायेंगे जिसको मन से, कर्मठता से और पूरी लगन से लागू किया जा सके तब तक कुछ नहीं बनेगा।

पुलिस विभाग की बात कही जाती है। मैं यह मानता हूं कि पुलिस विभाग में काम बहुत अधिक है। आप उनकी आठ घंटे की ड्यूटी बांध दीजिए। इससे करप्शन भी नहीं होगा। जब 24-24 घंटे तक लोगों को थाने में रहना पड़ता है तो वह वहां बैठे हुए सभी प्रकार की गड़बड़ करते हैं। जब आप आठ घंटे की ड्यूटी बांध देंगे तो हर आठ घंटे के बाद ड्यूटी चेंज हो

जाएगी। इससे करप्शन भी कम होगा। मैंने इसी हाऊस में कहा था कि और कहीं की बात तो छोड़ दीजिए, यहां दिल्ली में थाने नीलाम होते हैं। दिल्ली में अलग-अलग थानों के अलग-अलग रेट हैं। जिस एस०एच०ओ० या एस०पी० को जिस क्षेत्र का एस० एच० ओ० या एस०पी० बनना होता है वह उसका उतना पैसा देने पर बन जाता है। मैंने यहां पर मण्डल जी से, पाटिल साहब से आग्रह किया था कि कम से कम जनता पार्टी की हुकूमत में तो यह बंद कर दीजिए। अब देखिये कि दिल्ली के प्रशासन में हरिजन और पिछड़े वर्गों का क्या शेयर है ? यहां मैंने यह बात मंत्री जी से देखने को कही थी और उन्होंने कहा था कि मैं इसे देख रहा हूं। मुझे पता नहीं कि दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट पर होम मिनिस्ट्री का प्रशासन है या दिल्ली पुलिस के चीफ का सेक्रेटेरियेट पर प्रशासन है। दिल्ली में 52 एस०एच०ओ० हैं उनमें शेड्युल्ड कास्ट्स के केवल दो एस०एच०ओ हैं। मण्डल जी जब बिहार में विधान सभा के अध्यक्ष थे तो हम उन्हें बहुत बोल्ड अध्यक्ष माना करते थे। अब जब मण्डल जी यहां मंत्री हैं तब उनके राज में हरिजनों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है तो फिर कब होगा। मेरे पत्र के जबाब में मंत्री जी ने कहा है कि केवल दो एस०एच०ओ० के पदों पर हरिजन हैं। जब आप यहां मंत्री हो गये हैं तब भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या इसे करने को कलेक्टर या किरानी से कहियेगा ? आप मंत्री होते हुए आप हरिजनों को उनका 14 परसेंट शेयर नहीं दे पा रहे हैं। इन लोगों ने आर्डर भी दे दिया है लेकिन पता नहीं कि इनकी बात कोई मानता भी है या नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में तो ठीक करिये।

गुप्तचर विभाग का मामला लीजिए। मर्ज अनेक, दवा एक। हम लोग जब एमर्जेंसी के समय थे तो एक लतीफा निकला था। यह जयप्रकाश जी के सम्बन्ध में था और उस वक्त के गुप्तचर विभाग पर लागू होता था। एक आदमी को कोर्ट के सामने पेश किया गया –

डांटते हुए सेसन जज ने पूछा कि ए नादान सिपाही इनको क्यों पकड़ लाए ? ये तो हैं मंदिर के पुजारी। तो सहमते हुए सिपाही ने कहा कि हुजूर इसे सजा देना लाजमी है। यह सड़क पर नारायण-नारायण कर रहा था, हो सकता है कि जे०पी० का आदमी हो। तो गुप्तचर विभाग के दिमाग में यह था कि यह नारायण-नारायण कह रहा था तो जरूर जयप्रकाश जी का आदमी होगा। यह है गुप्तचर विभाग। अब तो बम्बई के गुप्तचर विभाग की भी बात सामने आ गयी, हुआ कुछ नहीं और रिपोर्ट दे दी कि यह हो गया। हमारे यहां घटना घटती है तो रूस को पहले मालूम हो जाती है, चीन को पहले मालूम हो जाती है और अमेरिका को पहले मालूम हो जाती है लेकिन हमारे गुप्तचर विभाग को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जब भी गुप्तचर विभाग कोई रिपोर्ट देगा, गलत रिपोर्ट देगा। आपने नारायण-नारायण वाली रिपोर्ट देख ली।

उपाध्यक्ष महोदय आप भाषा का मामला लीजिए। मैंने हजारों बार कहा है कि आप हिन्दी या अंग्रेजी को मत थोपिए। आप एक दक्षिण की भाषा और एक उत्तर की भाषा कम्प्लसरी कर दीजिए कि दोनों भाषाओं को आपको पढ़ना होगा। हम भी एक दक्षिण की भाषा सीखेंगे और दक्षिण वाले एक उत्तर की भाषा सीखेंगे।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : हमारी भाषा का क्या होगा ?

श्री राम विलास पासवान : आपकी भाषा भी सीखेंगे लेकिन आप अंग्रेजी को तो हटाइये। आप अंग्रेजी का खात्मा कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे चल कर इसके

भयंकर परिणाम निकलेंगे। आज भी निकल रहे हैं। असम का डैलीगेशन आया हुआ है। सब लोगों के यहां वह जाएगा। असम सरकार के नियमों का कुछ पता ही नहीं चलता है। बाहर वालों को वह निकाल रही है। चुनाव के समय तो यह कहा गया था कि सब देश के वासी हैं, सबको समान अधिकार है और इस आधार पर वोट भी लिए गए थे। अब कहा जा रहा है बिहारी, उत्तर प्रदेश का आदमी, बंगाल का आदमी असम में क्यों रहे। अगर कोई व्यापार करने के लिए जाए तो उसको हटा दें, अगर कोई स्मगलिंग करने के लिए जाए तो उसको हटा दें यह बात तो समझ में आती है लेकिन जो भूमिहीन हैं, वहां जा कर जो अपना गुजर बसर कर रहा है, उसको असम की सरकार हटाने के लिए कहे यह बात समझ में नहीं आती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप किसी भी समस्या के रूट काज़ में नहीं जाएंगे तब तक किसी मी समस्या का आप निदान नहीं कर सकते हैं।

आप एक निश्चित नीति बनाएं और इतना ही नहीं कि आप नीति बनाएं बल्कि उसको इम्प्लेमेंट भी सही मानों में आप करें। आजकल क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज़ कमिशन की रिपोर्ट आ जाती है लेकिन उन पर एक्शन कुछ नहीं होता है। रिपोर्ट तो आप मंगा लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता है। यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अगर पूरा उसका इम्प्ले-में टेशन करें, उसको सख्ती से अमल में लाएं तब मालूम पड़े कि आप हरिजनों और आदिवासियों और पिछड़ें लोगों के लिए काम कर रहे हैं।

श्री चरण नरजरी (काक्रझार) : मैं कुछ निश्चित विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरा संबंध आसाम राज्य की दूर की जन-जाती से है। आप देखते होंगे कि हम जन-जातियों के व्यक्ति कम बोलते हैं। इसलिए जन-जाति व्यक्तियों की समस्याएं सरकार की जानकारी में कम ही आती हैं। केवल भयंकर मामलों की ही जानकारी सरकार को मिल पाती है। आसाम नागालैंड सीमा संघर्ष ऐसी ही घटना है।

आसाम नागालैंड सीमा संघर्ष के बारे में सदस्य समाचारपत्रों से ही जानते हैं और समाचारपत्रों में छपा समाचार सही नहीं है। इस घटना का जो आसाम नागालैंड सीमा पर 5 जनवरी 1979 को घटी संबंध 25000 व्यक्तियों से है। नागालैंड के बदमाशों ने साधारण ग्रामीण लोगों पर हमला किया जोकि अधिकांश जन-जाति के थे। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 50 पर आंकी है। परन्तु जैसा कि हम जानते हैं आसाम में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तथ्य तो यह है उत्तर पूर्व भारत के इतिहास में यह अत्यन्त बरबरता की घटना है।

कहा गया है कि यह घटना दो राज्यों आसाम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद के कारण हुई। यह सच है। परन्तु इस मामले का सरकारी स्तर पर दो राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच तय होना है परन्तु इस घटना के बाद प्रभावी लोगों का क्या हुआ। सरकारी तथा गैर सरकारी स्रोतों से पीड़ित लोगों को राहत दी गई परन्तु यह राहत अपर्याप्त थी। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन प्रभावी लोगों के पुनर्वास का शीघ्र आयोजन किया जाये। आज हमें आसाम के समाचारपत्रों से पता चला है। आसाम की सीमा के हजारों लोग भय के कारण अपने घर छोड़ कर ब्रह्मपुत्र के उत्तरी छोर पर एकत्र हो गये हैं और इससे स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो गया है।

मेरी क्षेत्रीय पार्टी जो वहां की राज्य सरकार के साथ सहयोगी है परस्पर सहयोग द्वारा समस्या का समाधान कर रही है। परन्तु तब भी राज्य में सरकारी मशीनरी समस्या का उस प्रकार समाधान करने में सफल नहीं हुई। जैसी कि उम्मीद की जाती थी सफल नहीं हुई।

अधिकांश पीड़ित लोग दूसरी ओर क्यों चले गये हैं इसकी पूछताछ की जानी है। इसमें कुछ भेद अवश्य है। परन्तु आसाम में ऐसा क्यों होता है। हमारे अनुमान से आसाम राज्य में लगभग 20000 भूमिहीन जन-जातीय परिवार हैं। परन्तु इन लोगों का भूमि हीन तथा गृह-विहीन होना चिन्ता की बात है। इस मामले की गम्भीरता को समझने के लिए माननीय सदस्यों को तथा सभा को इसकी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए।

भूतकाल में आसाम पूर्णतः जन-जातीय राज्य था। यहां पर जन-जातीय राजा शासन करता है। अहोम्स लोग थाईलैंड से आये और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, उस समय आसाम में बहुत सी भूमि थी परन्तु समय के साथ परिस्थिति बदल गई और बाहर से व्यक्तियों के आगमन से स्थानीय जन-जातीय लोग कम संख्या में रह गये हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आसाम के जन-जातीय लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई जिसके नेता स्वर्गीय गोपीनाथ वरदालाई थे। उसके पश्चात् भी उन्होंने मुस्लिम लीग के सर मुहम्मद ससुल्ला के साथ संयुक्त सरकार का गठन किया।

[डा० सुशीला नैयर पीठासीन हुईं]

इस बीच पूर्वी बंगाल से लोग इतनी अधिक मात्रा में आये कि स्थानीय लोगों में भय पैदा हो गया। इसीलिए आसाम जन-जातीय लोगों ने पहले कांग्रेस के साथ और बाद में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया तथा आसाम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 में अध्याय 'दस' जोड़ने में सफल हुए जिसके अनुसार सभी जन-जातीय क्षेत्रों को जन-जातीय बेल्टों में विभाजित किया गया। वहां पर 33 जन-जातीय बेल्टे और ब्लाक हैं जिनमें बाहर वालों का प्रवेश वर्जित है।

यदि स्वतंत्रता के पश्चात् अध्याय 'दस' को सरकारों द्वारा निष्ठापूर्वक क्रियान्वित किया जाता तब जन-जातियों के हितों का संरक्षण हो जाता परन्तु प्रशासन ने उन्हें क्रियान्वित करने की ईमानदारी से चेष्टा नहीं की। इस बीच पूर्वी बंगाल से तथा देश के अन्य भागों से अप्रवासियों का आना जारी रही तथा गम्भीर रूप से शोषण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शुरू हुआ। शोषण की यह प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। उन्हें उनकी भूमि से निकाला गया तथा आज 2000 जन जाति परिवार भूमि विहीन हैं। उन लोगों ने आरक्षित सरकारी वनों पर कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने नागालैंड की सीमा पर डिप्हू तथा अन्य क्षेत्रों में अधिकार कर लिया, उन्हें इस घटना का सामना करना पड़ा। अब उन्हें बचाव के लिए दूसरे छीर जाना पड़ा है। यह गम्भीर समस्या है।

मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि आसाम की जनसंख्या में गम्भीर असमानता पैदा हो गई है। स्वदेशी व्यक्ति विदेशी आगन्तकों से विशेषतः बंगला देश के, से कम रहते जा रहे हैं। जो व्यक्ति वहां के नागरिक नहीं उन्हें वापस भेजा जाये। परन्तु जब भी राज्य सरकार ऐसे

व्यक्तियों को जिनकी राष्ट्रीयता के बारे में सन्देह है को बाहर भेजने का यत्न करती है तभी इस मामले को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। राज्य सरकार को दृढ़ कार्यवाही करने के लिए आत्मतुष्ट होना चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए अन्यथा देश का वह भाग भविष्य में हाथ से निकल जायेगा। हमें भय है कि निकट भविष्य में आसाम में भी काश्मीर जैसी समस्या पैदा हो जायेगी।

ये बातें मैंने किसी से विद्वेष के कारण नहीं कहीं अपितु केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कही हैं। उत्तर पूर्व के जन-जाति लोगों को ऐसा आभास होना चाहिए कि वे राष्ट्र का अंग हैं। यदि उपयुक्त हालात पैदा किये जाते हैं तो हम लोग भी अपनी भरसक शक्ति से राष्ट्र की सेवा कर सकें। उत्तर पूर्व क्षेत्र के जन जाति के व्यक्तियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि आसाम को बचाना है तो जन-जाति लोगों के हित सुरक्षित करने चाहिए। भूतकाल में कोई केन्द्रीय नेता हमारे क्षेत्र में नहीं गया। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री निश्चय ही जन-जातीय लोगों में अधिक रुचि लेंगे, केन्द्रीय सरकार को उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जन-जाति व्यक्तियों के हित कुछ नीतियां अपनानी चाहिए ताकि जन-जाति लोगों की सेवाएं राष्ट्र के लिए उपयोग में लाई जा सकें।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता। हमारी अपनी समस्याएं हैं। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य उज्जवल होय तथा हम लोग अपनी तुच्छ सेवा राष्ट्र को अर्पित कर सकें।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने नये गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और यह आशा करूंगा कि भारत के राजनैतिक इतिहास में द्वितीय सरदार पटेल के रूप में वह कार्य करेंगे। संयोग से वह भी गूजरात से ही आते हैं।

यह दुर्भाग्य है कि दो वर्षों के दरमियान तीन गृह मंत्री हमारे यहां आये और यही कारण भी है कि गृह मंत्रालय की जितनी पकड़ होनी चाहिए उसका थोड़ा अभाव है। लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि हमारे नवीन गृह मंत्री, जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय में उन्होंने मूल्यों को एक स्थायित्व प्रदान किया है, शांत रह कर जिस प्रकार कार्य करने की इनकी शैली है, उस शैली से काम करते हुए यहां गृह मंत्रालय का कार्य भी वह ठीक करेंगे। कौटिल्य अथवा चाणक्य के अर्थ-शास्त्र में हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। लोग कहते हैं कि विदेश मंत्रालय पर हमें सर्वसम्मत होना चाहिए। मैं तो विरोधी दल के नेताओं से यह नम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि गृह नीति के ऊपर ही विदेश नीति अवलम्बित रहती है। जिस देश का घर टूटा हुआ रहेगा उसकी विदेश नीति भी खंडित रहेगी। इसीलिए गृह नीति के संबंध में हमें कुछ आवश्यक मूलभूत सिद्धांतों का निरूपण करना चाहिए।

हमारी गृह नीति का पहला मूलाधार होना चाहिए कि हम किस घर में रहते हैं। क्या हमारा प्रजातांत्रिक घर है या हमारा तानाशाही घर है। तो पहला हमारा गृह नीति का आधार होगा प्रजातांत्रिक घर और यह हमें खुशी है कि जनता सरकार में चाहे हजार अवगुण हों लेकिन हिन्दुस्तान में आजादी की दूसरी बार लड़ने और प्रजातंत्र को फिर से कायम करने का श्रेय उस का है और हम चाहेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो जाये लेकिन हमारा प्रजातंत्र अक्षुण्ण रहे। जिस दिन गृह मंत्रालय से प्रजातंत्र का सुर्यास्त हो जायेग उस दिन कोई गृह मंत्रालय नहीं चलेगा, किसी

व्यक्तिगत तानाशाह की अपनी स्वेच्छाचारिता चलेगी । इसलिये मैं कहूंगा कि उस 19 महीने की तानाशाही में कोई गृह मंत्रालय नहीं था, बल्कि एक तानाशाही हुकूमत की अपनी स्वेच्छाचारिता थी । इसलिये जब प्रजातांत्रिक अधिकारों की वापसी का प्रश्न आता है—तो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमने सचमुच में जनता के अधिकारों को लौटा दिया, मजदूरों के हड़ताल लरते के हक़ को उन्हें लौटा दिया और ऐसे जितने कानून थे जो जनतांत्रिक अधिकारों को छीनते थे, उन सब को समाप्त कर दिया । लेकिन यहां पर एक चीज़ कहना चाहता हूं—विधि और शासन, 'रूल-आफ-ला' जितनी दूर तक हम स्थापित कर सकेंगे, उतनी ही दूर तक हमारे गृह मंत्री जी सचमुच में सक्षम माने जायेंगे । हम को यह मान लेना चाहिये कि जो यहां पर प्री-वेन्टिव डिटेन्शन और मीसा कानून को लागू कर के शासन को चलाना चाहते हैं, वे उतने ही अक्षम और अकुशल हैं । सभापति महोदय, कुछ लोग कह सकते हैं कि यहां अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिये मीसा लागू करो, लेकिन आज इंग्लैंड में चुनाव होने वाले हैं, आज के ही अखबार में आपने देखा होगा, वहां पर जो 'आइ० आर० आई०' का टेरोरिस्ट गैंग हैं उसने एक लिस्ट प्रकाशित की है कि जो वहां के प्रख्यात चुनाव लड़ने बाले लोग हैं, उनका कत्ले-आम कर दिया जायेगा, लेकिन उसके बाद भी वहां रूल-आफ-ला और प्रजातन्त्र का गला नहीं घोंटा गया । प्रजातन्त्र के लिये केवल शब्दों का उच्चार ही नहीं चाहिये, बल्कि उसके लिये अपेक्षित मूल्य चुकाने के लिये हमेशा तत्पर और सचेष्ट रहना चाहिये । हमने यदि मीसा के प्रावधान को समाप्त किया है, तो इस से हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ गया है । यदि इस समय हम अपने प्रशासन को सक्षम और कुशल नहीं कर सकेंगे और अपराध बढ़ते जायेंगे—तो चूंकि अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिये हम प्रजातान्त्रिक अधिकारों को समाप्त कर दें—यह तर्क नहीं चल सकता है।

इसलिये मैं अपने गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ—जनता सरकार का सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि यहां सक्षम और कुशल सरकार होनी चाहिये ताकि अपराध स्वत: मिट जाय और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा दण्ड-विधान है, उसमें भी अपेक्षित सुधार होना चाहिए । हम लोग 19 महीने जेलों में रहे हैं—जब हम लोग बाहर आये तो लोग कहते थे कि आप यहां जाकर भूल जायेंगे । हमारी जेलें मध्य-येगीन स्मृतियां याद दिलाती हैं—इसलिये इन जेलों का भी अपेक्षित सुधार होना चाहिए ।

हमारे विरोधी दल के माननीय नेता श्री साठे जब गृह मंत्रालय पर बहस शुरू कर रहे थे तो उनके सामने केवल एक ही बात थी । उन्होंने शुरू करते ही एक दम से फतवा दे दिया—"**दिस-इज ए-गवर्नमेंट-आफ-वेन्डेट्टा ।**" उनको सिर्फ एक ही बात दिखलाई देती है—वह हैं स्पेशल कोर्ट्स की बात और उसमें भी वे अकेले पड़ गये हैं । जो पार्टी किसी व्यक्ति की मर्यादा में कैद होती है, उस पार्टी का जीवन उसी दिन समाप्त हो जाता है, जिस दिन उस व्यक्ति की तेजस्विता समाप्त हो जाती है । यदि सचमुच में उनका कोई दोष नहीं है तो फिर डरने की क्या बात है । चाहे कोर्ट हो या स्पेशल कोर्ट हो—उस से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, लेकिन **ए-गिल्टी-माइण्ड-इज-आलवेज:सस्पीशस ।** मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यह कोई नई बात नहीं है, हिन्दूस्तान ही नहीं, समूचे दुनियां के हूंतिहास में देखा जाये तो आप पायेंगे कि स्पेशल कोर्टस् बनाई गई हैं । श्री लंका में स्पेशल कोर्ट बनी है । मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं । जो असामान्य अपराध किये गये हैं, उनके लिये आसामान्य अदालतों का नियुक्त किया जाना भी उतना ही आवश्यक है, वरना इतिहास में लोगों की पब्लिक-मैमोरी बहुत शार्ट होती है, लोग भूल जायेंगे कि एमर्जेंसी के दौरान क्या-क्या अपराध हुए

थे। इसलिये स्पेशल कोर्ट्स से डरने की कोई बात नहीं है, यह प्रजातंत्र के खिलाफ़ नहीं है। हमारी सरकार तो वैसे भी प्रजातान्त्रिक है। राज्य सभा में जो भी सुझाव आये हैं, हमारी सरकार ने उन को स्वीकार किया है, अब तो मैं समजता हूं कि हमारे इन्दिरा कांग्रेस के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिये। लेकिन जब वे राज्य सभा में भी हार गये तो अब कहते हैं कि हम इसको स्ट्रीट्स में सड़कों पर ले जायेंगे। राज्य सभा और लोक सभा में हारने के बाद यदि सड़कों पर र्ट् जाने की ताकत आप में होती, तो जनता पहले ही आपको यहां पर भेजती। इसलिए यह स्पेशल कोर्ट्स से डरने की जो बात है, तो यह उनके जुल्मों उनके अपराधों को प्रमाणित करती है। हमारी जनता सरकार के ऊपर चार्ज लगाए गए और हमारे माननीय साठे साहब ने तो इतने चार्जिज गिनाए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट का वेनडेटा है, यह हरिजनों मुसलमानों और मजदूरों के विरुद्ध बदले की कार्यवाही है। अब अगर इन्दिरा जी को माफ़ कर दिया जाए, तो कोई वेनडेटा देखने को नहीं आएगा।

अल्पसंख्यकों की बात होती है। मैं बहुत विनम्रता के साथ विरोधी दलों के लोगों से पूछना चाहूंगा कि इतने वर्षों के इतिहास मे आज तक अल्पसंख्यक कहते रहे हैं कि हमारे लिये एक अल्पसंख्यक आयोग बना दिया जाए, तो वह क्यों नहीं बनाया गया था। हम कितने ही अयोग्य हों लेकिन आज 31 वर्षों के बाद एक अल्पसंख्क आयोग हमने बनाया है और यह अल्पसंख्यकों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण है। 31 वर्ष हो गये और काश्मीर में सबसे पहली बार प्रजातांत्रिक चुनाव जनता पार्टी के शासन में ही हुए। इसको कौन नहीं जानता। आज तक यह कहते थे कि हमने मुसलमानों को राष्ट्रपति बना दिया मुख्य न्यायाधश बना दिया लेकिन आज तक किसी भी अल्पसंख्यक मुसलमान को वायु सेना का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला था लेकिन हम ने उसको बना दिया और यह अल्पसंख्यकों के प्रति हमारे विश्वास का प्रमाण है। यही नहीं आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बिल को देखिये। राजनीति में चोट पहुंचाने के लिए राज्य सभा में एक बिल स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्वायत्ता ही समाप्त कर दी गई थी वह किस ने की ? वह कांग्रेस सरकार ने की थी। हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय का वास्तविक स्वरूप लाना चाहते हैं, उसे वापस करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ हैं। आज तो हम अल्पसंख्यकों के मामले में सभी दलों से मिलकर बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के सवाल पर विरोधी दलों के नेताओंसे सम्पर्क करना और उनसे विचार करना हम नहीं चूकते क्योंकि अल्पसंख्यकों का सवाल एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। अल्पसंख्यकों की समस्ता केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन कर देने से और उनके किसी व्यक्ति को सेना के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर देने से ही हल नहीं हो जायेगी या उर्दू को प्रोत्साहन देने से यह समस्या हल नहीं हो जाएगी। मैं अपने माननीय गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमारे कुछ सुझाव हैं।

एक सुझाव तो यह है कि नेशनल इनटेग्रेशन कौंसिल की बैठक बुलाई जानी चाहिए ताकि इस पर और गंभीरता से हम विचार करें और जो ये बहुत ज्यादा रायट्स होते हैं, समय होता तो मैं उन सारे रायट्स के बारे में कहता, और उनमें जो मुसलमानों का खून हुआ है, उनके बारे में विस्तार से कहता। समयाभाव के कारण मैं इतना ही कहता हूं कि सन् 1971 में 321, 1972 में 240 और 1978 में जो सब से खराब वर्ष है, 230 रायट्स हुए हैं और इसके लिए हमारे ऊपर चार्ज लगाया जाता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक भी अल्पसंख्यक

की बलि होती है, तो वह सरकार के लिए कलंक है और दंगों को जो रफा-दफ़ा किया जाता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इमर्जेन्सी के जुल्मों के लिए जिस तरह से स्पेशल कोर्ट्स लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से समरी ट्रायलस भी रायट आफेन्डर्स के लिए होने चाहिए।

हरिजनों और आदिवासियों के लिए हमारे श्री राम विलास पासवान ने काफ़ी कह दिया है और इस तरह से मेरा भार कुछ उन्होंने हल्का कर दिया है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि 1977 में जब हम आए, तो उस से पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी और ये कहते हैं कि हम हरिजनों और आदिवासियों के शुभचिन्तक हैं। आप यह देखें कि आज हमारे संघ लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष एक हरिजन है। यह 31 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है वरना मैं रिजर्वेशन्स के बारे में भी दिखा सकता था कि हमने इनके लिए क्या किया है। 1971 से लेकर 1978 तक हमेशा हम बढ़ते गये और जनता सरकार के इन दो वर्षों में रिजर्वेशन की परसेन्टेज भी बढ़ी है और उनका नम्बर भी बढ़ा है। लेकिन सचमुच में हमारा एक काम अच्छा नहीं है। जो काम हम अच्छा करते हैं वह भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। आज हमने जनजाति आयोग बनाया। शेड्युल्ड कास्ट्स कमीशन को स्टेचुटरी कमीशन बनाया। उसमें हमने जनता पार्टी के आदमी को नहीं रखा। श्री भोला पासवान शास्त्री जैसे कांग्रेसी को उसका अध्यक्ष बनाया है। यह है जनता पार्टी की उदारता की नीति। सभापति महोदया, हमने न केवल शेड्युल्ड कास्ट्स, शेडयुल्ड ट्राइब्स का कमीशन बनाया बल्कि हमने पिछड़ी जातियों के लिए भी आयोग बनाया। काका कालेलकर बेकवर्ड क्लासिज कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वह रिपोर्ट 25 वर्ष तक रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। लेकिन अब 25 वर्ष के बाद इसके सम्बन्ध में भी बदलाव आया है। उस रिपोर्ट का अब मूल्यांकन करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई है। ये हैं जनता पार्टी के काम।

सभापति महोदया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स हमारे आन्दोलन का एक बड़ा नारा था। भ्रष्टाचार को खत्म करन का हमने आह्वान किया था। भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं यह हमको अपने हृदय से पूछना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो हमें अब तक करना चाहिए था, निश्चित बात है कि वह हम नहीं कर पाये हैं। मैं केवल सुझाव देना चाहता हूँ कि लोकपाल बिल के पास कराने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसको पास कराने में जनता पार्टी जो देरी कर रही है वह जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। अगर इसी सत्र में इस बिल को पास नहीं किया जाता है तो हमारी नीयत पर संदेह किया जाएगा जिसको कि हम दूर नहीं कर सकेंगे। इसमें पार्लियामेंट के मेम्बर को भी इन्टेग्रेटिड करना चाहिए जिससे कि पार्लियामेंट का मेम्बर भी कम्पलसरीली हर साल अपनी आमदनी का सही ब्यौरा सरकार को दे। अगर उसकी सम्पत्ति बढ़ती है तो सरकार को उसको जप्त कर लेना चाहिए। जब तक हम भ्रष्टाचार दूर करने के अपने कदमों में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और संसद् सदस्यों को सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक सचमुच में जनता से भी हम भ्रष्टाचार नहीं हटा पायेंगे। इसलिए हमें लोकपाल विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए।

अन्त में मैं एन्टी डिफेक्शन बिल के बारे में कहना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान में आयाराम गयाराम का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। यह जनता पार्टी ने भी किया है। इसके

लिए मैं जनता पार्टी को भी दोष दूंगा कि राज्य सभा में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उसने कुछ लोगों को लिया। गांधी जी ने कहा था कि गलत साधन अगर होंगे तो गलत ही काम होंगे। इसलिए एन्टी डिफेक्शन बिल को न लाने का अर्थ उन लोगों के साथ दगाबाजी होगा जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के साथ संघर्ष किया है। मेरा सुझाव है कि आप सचमुच में एन्टी डिफेक्शन बिल को लाइये।

ये ही मेरे कुछ सुझाव हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आप का धन्यवाद।

श्री एफ० एच० मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

जनता शासन के अभी दो वर्ष पूरे हुए हैं। यदि हम उनकी उपलब्धियों पर ध्यान दें तो अत्यन्त निराशा होती है। सरकार का सबसे पहला कर्त्तव्य है देश में कानून और व्यवस्था स्थापित करना तथा अपने नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना और इस कर्त्तव्य में सरकार पूरी तरह विफल रही है। आज स्थिति क्या है? कुछ ही दिन पहले मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा था कि कुछ दिल्ली के संसद् सदस्य और महानगर परिषद् के सदस्य गृह मंत्री से मिले थे। और उन्होंने स्वीकार किया था कि दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह वास्तविकता है। समाचारपत्रों में आप देखेंगे कि प्रतिदिन राहजनियां, डकैतियां, हत्याएं इत्यादि होती हैं। गाड़ियां रोकी जाती हैं। रेल से यात्रा करने वाले सुरक्षित नहीं हैं। कई बार डाकूओं ने रेलों पर हमला किया। उन्हें लूटा और हत्याएं भी कीं। राष्ट्रीय राजपथ पर बसों को रोका जाता है। छोटे मार्गों को तो छोड़ दें राष्ट्रीय राजपथ भी सुरक्षित नहीं हैं।

महानगरों की क्या स्थिति है। उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। सूर्यास्त होने के बाद सम्मान्य लोग सड़कों पर सैर नहीं कर सकते। महिलाएं दिन में भी संरक्षण के बिना बाहर नहीं जा सकतीं। युवा लड़कियों का बाहर निकलना तो जोखिम से खाली नहीं है। असामाजिक तत्व सक्रिय है। चोपड़ा बालकों जैसे अनेक मामले होते हैं परन्तु उस एक मामले का विशेष प्रचार हुआ है। हजारों बच्चों का अपहरण होता है और यदि सरकार अपने नागरिकों को संरक्षण नहीं दे सकती तो उसका अस्तित्व किस लिए है। देश की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती। यह किसी भी सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है जिसमें वह विफल रही है।

यदि 1977 का वर्ष आयोगों का वर्ष था तो 1978 भूलों का वर्ष है और सबसे बड़ी भूल कानून और व्यवस्था के मामले में हुई है। गृह मंत्री ने बताया है कि देश में केवल 250 साम्प्रदायिक उपद्रव हुए। उन्होंने इसकी तुलना 1974 के आंकड़ों से की है क्योंकि 1974 में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुईं। यह कहना सरल है कि पिछले शासन में 1974 में बहुत अधिक साम्प्रदायिक दंगे हूए थे। निःसन्देह उन्होंने स्वीकार किया है कि अलीगढ़ तथा सम्भाई के साम्प्रदायिक दंगे अत्यन्त गम्भीर थे। श्रीमान् वे न केवल भयंकर हैं अपितु उन्होंने जनता पार्टी पर कालिमा पोत दी है। जिस प्रकार अलीगढ़ के दंगे हुए तथा महीनों जारी रहे ये जनता केन्द्र में अथवा राज्यों में सरकार का यश नहीं बढ़ाते। प्रधान मंत्री से उस क्षेत्र की यात्रा करने का निवेदन किया गया था परन्तु उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। भले ही उस समय गृह

मंत्रालय का भार उन पर था। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व है। श्रीमान् क्या अल्पसंख्यकों की रक्षा करना केन्द्र का कर्त्तव्य नहीं है ? शायद वह यह समझने में विफल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना उनका दायित्व है।

हरिजनों पर अत्याचार पिछले वर्षों की सभी सीमाएं लांघ गया है। इसलिए उन्होंने इसके तुलनात्मक आंकड़ें नहीं दिये हैं। हरिजनों पर एक वर्ष में हुए अत्याचारों के मामलों की संख्या सलाहकार समिति में 12870 बताई गई थी—यह पूरे वर्ष के आंकड़े नहीं हैं अपितु अक्तूबर नवम्बर तक के ही हैं। हरिजनों पर अत्याचार के 12817 मामले हुए तथा जनता के राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान इसमें शिखर पर हैं। उत्तर प्रदेश में अत्याचार की नवम्बर तक 5317 घटनाएं हुईं। मध्य प्रदेश को संख्या 2978 है, बिहार की 1489, गुजरात और राजस्थान में क्रमश: 499 और 834 मामले हुए। जनता शासित प्रदेशों में हरिजनों पर अत्याचारों की अधिकता से क्या प्रकट होता है। इससे हरिजनों के प्रति जनता सरकार का रुख प्रकट होता है। उनके विरुद्ध हीन अपराधों, हत्याओं, हिंसा, बलात्कार, आगजनी के मामले हुए हैं। आगजनी के 899 मामले हुए, बलात्कार के 485, हिंसा की 1384 घटनाएं हुई हैं और हरिजनों की 395 हत्याएं हुई हैं। स्थिति इस प्रकार है। इन हालात में अल्पसंख्यक लोग तथा हरिजन कैसे निर्भयता-पूर्वक रह सकते हैं ? ये समाज के निर्धन वर्ग हैं। धनी वर्ग यह समझते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि सरकार उनकी है। हरिजनों की जमीनें बलपूर्वक कभी हत्याओं, बलात्कारों तथा आगजनी द्वारा छीन ली गई हैं। ऐसी बातें बिहार में हो रही हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हरिजनों को आत्म रक्षा के लिए बंदूकें देनी पड़ेंगी। इसका अभिप्राय है कि गरीब हरिजनों को इस सीमा तक तंग किया जाता है कि उन्हें कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जो उनकी रक्षा कर सके। इसलिए उन्हें आत्म रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र दिये जा रहे हैं। देश भर में आज यह स्थिति है।

प्रधान मंत्री के एक वक्तव्य पर पांडिचेरी में उपद्रव हो गये जिनमें कि बहुत-सी सम्पत्ति नष्ट हो गई। देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जैसी कि कभी भी नहीं थी। क्या इस पर गर्व किया जा सकता है ? जनता सरकार की उपलब्धियों पर मैंने प्रधान मंत्री का भाषण सुना था। उसमें सच्चाई तथा तथ्य कम हैं। उन्होंने केवल वचन दिया कि 10 वर्ष में रोजगार दिये जायेंगे। क्या जनता सरकार 10 वर्ष तक बनी रहेगी ? आप बेरोज़गारी भत्ता अथवा जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दे रहे हैं। केरल सरकार ने बेरोजगार को भत्ता देने का विधेयक पहले ही पारित कर दिया है। आपने राज्यों को निर्वाह भत्ता देने की अनुमति नहीं दी है। वस्तुस्थिति यह है।

साम्प्रदायिक दंगों तथा अत्याचारों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शक्ति है। क्या आप सैनिक शिक्षण देने वाली शाखाओं को बन्द करेंगे ? स्वतंत्र भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। हमारे पास राष्ट्रीय सेना है। हमारे पास सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, क्षेत्रीय सेना, आसाम राइफल्स, आई० टी० बी० पी० केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा कई अन्य अर्ध सैनिक बल हैं। किसी गैर-सरकारी दल द्वारा गैर-सरकारी स्वरूप का बल रखने की क्या आवश्यकता है। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा उसकी शाखाओं की गतिविधियों को समाप्त क्यों नहीं करते ? उन्हें हथियार आदि चलाने के लिए व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसका उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य केवल गैर-हिन्दुओं को धमकी देना है। उनका प्रमुख कहता है कि जो भी हिन्दुस्तान में रहता है, वह हिन्दू है। इसका क्या अर्थ हुआ ? अब भी कुछ राज्यों में लोग बहुत तंग हैं। यदि कोई मुसलमान संगठन व्यायाम सिखाता है तो उन्हें तंग किया जाता है और उसकी जांच का आदेश दे दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग यह खुले आम कर रहे हैं किन्तु उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केन्द्र में अब उनकी सरकार है। वे खुलेआम यह सब कर रहे हैं। वे साम्प्रदायिक दंगे करवा रहे हैं किन्तु आप में यह कहने का साहस नहीं है कि आप लोग साम्प्रदायिक दंगे करवा रहे हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। यदि आप इस संगठन पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते तो कम से कम अल्प-संख्यक समुदायों को जो उनकी धमकी देने की गतिविधियां हैं, उनपर रोक लगाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ हद तक ऐसा कर लिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। केरल ने भी ऐसा कर दिया है और कर्नाटक भी कर रहा है। सरकार को अपना इरादा स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों को समाप्त करेंगे या नहीं। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां अल्प-संख्यकों तथा राष्ट्रीय शांति के लिए एक धमकी है। नहीं तो सभी अन्य समुदाय भी शाखाएं खोल देंगे और अर्ध सैनिक बल स्थापित कर देंगे।

साम्प्रदायिक दंगों के दौरान जो क्षति होती है, उसके बदले क्षतिपूर्ति देने की नीति भी बदल दी गई है। घरों को जला दिया जाता है किन्तु कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। हाल ही में जब श्रीमति इंदिरा गांधी को संसद् से निकाले जाने के फलस्वरूप कर्नाटक में गड़बड़ी हुई तो जनता पार्टी के सदस्यों ने विधान सभा में क्षतिपूर्ति की मांग की। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक की रक्षा करें। निर्दोष बेचारे महेनत से अपनी रोटी कमाते हैं। किन्तु शरारती लोग उनके घरों को फूंक डालते हैं और उनका सर्वस्व स्वाहा हो जाता है। चाहे वह हिन्दू हो, सिख हो चाहे मुसलमान जिसकी सम्पत्ति नष्ट होती है, उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। किन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा आपने विशेष न्यायालय विधेयक भी पारित किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप शांति तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप का ध्यान केवल राजनीतिक विरोधियों को दंड देने पर है तथा उन्हें जेल भेजने और उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० दायर करने पर है—(**व्यवधान**) क्या आप यह सब बदला लेने की भावना से नहीं कर रहे हैं ? कल प्रधान मंत्री ने कहा कि हम बदले की भावना से कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही इस बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो फिर यदि यह बदला नहीं है तो फिर क्या है ? लोगों ने उन्हें चुनकर यहां भेजा किन्तु आपने उन्हें यहां से निष्कासित कर दिया। जनता ने उन्हें प्रधान मंत्री बनाया किन्तु अब आप उन्हें जेल भेज रहे हैं और उनके विरुद्ध कई मामले चलाए जा रहे हैं। क्यों ? इसका कारण यह है कि आप उनसे डरते हैं और आप को अगले चुनाव से डर है। आप अगले चुगवों से पहले उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंदिरा गांधी तथा उनके परिवार को अगला चुनाव आने से पूर्व समाप्त कर दिया जाये। मैं कह दूं कि यदि आप किसी से डरते हैं तो वह केवल इंदिरा गांधी है।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : जनता सरकार ने वचन दिय था कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाया जायेगा। आपका यह वचन कहां गया ? ऐसा लगता है कि आपने यह सोचकर वादे किए थे कि शायद आप सत्ता में न आयें। किन्तु अब आपके लिए मुसीबत यह है कि आप सत्ता में आ गए किन्तु आप उन वचनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उर्दू को समुचित स्थान दे। मुझे बताया गया है कि जिन लोगों को उर्दू आती है किन्तु हिन्दी का ज्ञान नहीं है, उन्हें सेवा में नहीं लिया जाता। वहां यह शर्त है कि आप को स्थानीय भाषा आनी चाहिए किन्तु भर्ती हो जाने के बाद। कई मुख्य मंत्री उन लोगों की बिल्कुल भी भर्ती नहीं करते जिन्हें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं होता। इन बातों पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक और सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता है ताकि भाषायी अल्प-संख्यकों के लिए स्कूलों की व्यवस्था की जा सके और भर्ती के समय क्षेत्रीय भाषा जानने की पूर्व शर्त पर जोर न दें।

एक और बात है जिसे मैं जोर देना चाहता हूं। श्री घोंगडे ने सीमा विवादों के बारे में कहा है। सीमा की समस्याएं हैं और यह विवाद काफी समय पहले से पड़े हुए हैं। आपको ये विवाद स्थायी रूप से हल कर देने चाहिए। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की जांच के लिए महाजन आयोग की नियुक्ति की गई थी। उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है। आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते ? श्री महाजन उच्चतम न्यायालय के अच्छे न्यायाधीश थे। यदि महाराष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करता तो आप उसे यथा-पूर्व स्थिति में ही रहने दीजिए। देश के दूसरे भागों के बारे में बिल्कुल भी चिन्ता मत कीजिए। आप सभी सीमा विवादों को हल कर दीजिए। यथापूर्व स्थिति को कायम रखिए। यदि कोई आयोग नियुक्त किया हुआ है तो आप सीधे उसका प्रतिवेदन स्वीकार कर लीजिए। यदि वे आयोग का निर्णय स्वीकार नहीं करते हैं तो किसी और आयोग की नियुक्ति मत कीजिए। यद्यपि कर्नाटक के हाथ से कुछ क्षेत्र निकल रहा है फिर भी महाराष्ट्र उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहा है। चंडीगढ़, फजिल्का आदि के बारे में सीमा समस्या हल नहीं की गई है। यदि आप उन्हें हल नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें यथापूर्व स्थिति में ही रहने दीजिए। आप इस बारे में आयोग पर आयोग मत बिठाइये।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। देश में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसके लिए मैं श्री एच० एम० पटेल को दोष नहीं देता जिन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार हाल ही में संभाला है। किन्तु फिर भी वह मंत्रि-मंडल में थे और इसलिए इन सब बातों के लिए अन्य लोगों के साथ साथ वे भी जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप अल्प-संख्यकों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। अल्प-संख्यक आयोग का क्या हुआ है? डा० रामजी सिंह ने कहा है कि सरकार नेअल्प संख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग आदि की नियुक्ति की है। आप अल्प-संख्यक आयोग के सदस्य से पूछिये कि उनका क्या विचार है और वह क्या महसूस करते हैं। उनका दर्जा भारत सरकार के अपर सचिव के बराबर है। आपने चेयरमैन को तो मंत्रि-मंडल के स्तर का दर्जा दिया है। किन्तु वह यह महसूस करते हैं। कि वह भारत सरकार के अपर सचिव से भी कम है क्योंकि उसे सचिव, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। उनसे परामर्श नहीं लिया जाता। श्री मसानी ने त्यागपत्र दे दिया है। निकट भविष्य में आप कुछ अन्य लोगों के त्यागपत्र के बारे में भी सुनेंगे। आप

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के द्वारा मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। यह और कुछ नही है बल्कि मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकना है। यहां मैं सभा के समक्ष श्री ओम प्रकाश त्यागी के विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपके पास यह "धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक" है जिसे जनता पार्टी के संसद् सदस्य, श्री ओम प्रकाश त्यागी ने पेश किया है। जब मैंने देखा है कि गैर-सरकारी सदस्य ने यह विधेयक पेश किया है तो मुझे चिन्ता नहीं हुई। किन्तु जब पटना में प्रधान मंत्री से ईसाइयों का एक शिष्ट मंडल मिला तो उस पर प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह श्री ओम प्रकाश त्यागी के विधेयक का समर्थन कर रहे थे। हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए लालच या धमकी देते हैं तो फिर ये ऐसे कार्य हैं जिनके लिए भारतीय दंड सांहिता के अन्तर्गत दंड देने की व्यवस्था है। यदि ऐसा है तो फिर उसके लिए पृथक् विधान की क्या आवश्यकता है ? इससे तो ईसाई समुदाय के लोगों के दिल में शंका उत्पन्न होती है जोकि देश के प्रति निष्ठावान हैं तथा कानून के पालनकर्त्ता हैं। आप अनावश्यक रूप से उन लोगों के दिल में संदेह पैदा कर रहे हैं। आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको सभी अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास पैदा करना चाहिए। आपको हरिजनों में विश्वास लगाना चाहिए। आपको देश के गरीब लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। इससे लोगों में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : माननीय सभापति महोदया, मुझे अवसर मिला गृह मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार रखने का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इन मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

अभी जो विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने अच्छाई की बात कोई भी नहीं रखी और सुझाव के रूप में भी कोई बात सामने नहीं रखी। ऐसा दिखाई दे रहा था सारी बहस के अन्दर कि जैसे तीस साल का राज उनके हाथ से निकल जाने के बाद छटपटाहट हो रही थी। इंदिरा गांधी उनके हाथ से निकल गई, अभी जेल के अन्दर वह नहीं गई लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है उनको कि हमारा क्या होगा, हमारी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी और इसलिए सारे का सारा आरोप और कहीं नहीं जा रहा है, कहीं कोई गलत काम किया हो उसके ऊपर नहीं जा रहा है, संघ के ऊपर जा रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू आपके ही नेता थे, इंदिरा जी आपकी ही नेता थीं, तीस साल के अन्दर जो एक बीज से प्रारम्भ हुआ और विराट वट-वृक्ष हो गया, क्यों नहीं आपने उसको रोका ? आपको कहीं भी तब संघ के अन्दर कोई अवगुण नहीं दिखाई देता था। अब जाकर आपको होश आया कि हमने जो एमर्जीसी लगाई, एमर्जीसी का सारा दारोमदार सारा कार्य संघ वालों ने हाथ में लिया और एक क्रान्तिकारी के रूप में बन कर वह संस्था सामने आई और हमारा बंटाधार कर दिया। और आज संघ वाले आपसे हाथ मिलाने लग जाएं तो आप उसके तलवे चाटने लग जाएंगे, यह आपका मौरल है।

इसलिए मैं एक बात कहूं कि आप यों न सोचें कि कौन सी संस्था बुरी है कौन सी अच्छी है, आप राष्ट्र के दृष्टिकोण से सोचते, भारतीयकरण की ओर अगर आपका विचार जाता तो आज यह स्थिति न होती। आज रशिया के अन्दर रशियन लैंगवेज है, चाइना के अन्दर चाइनीज

लैंगवेज है, अमेरिका के अन्दर उनकी भाषा है, फ्रांस के अन्दर फ्रांसीसी है, सारे देश राष्ट्रीयता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और आप हमारे घर को अजायबघर रखना चाहते हैं? जहां हिन्दी भाषा की बात आती है तो दक्षिण से आवाज आती है, हर व्यक्ति की आवाज आती है। क्यों नहीं राष्ट्रीयता आप अपने दिल और दिमाग के अन्दर संजोते हैं? भारत माता का स्वरूप क्यों नहीं संजोते हैं? कन्या कुमारी से लेकर कशमीर तक और पूर्व से पश्चिम तक सारा भारत हमारा है हमारी मातृभूमि है, आप क्यों नहीं उसके बारे में सोचते? दलगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र का विकास करने का भाव होता आपका तो न धर्म का यहां विभेद होता न शेड्यूल्ड कास्ट का विभेद होता न किसी बात का भेद होता। लेकिन हिन्दुस्तान का राजनीतिज्ञ इस तरह से नहीं सोचता। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के अन्दर जितने शेड्यूल्ड काष्ट के व्यक्ति हैं, मुझे बताइये कि कौन हजारपति है? एक भी आदमी मुझे बता दिजिए। जितने आपके नेता हैं सारे के सारे लखपति और करोड़पति हैं। आपकी पार्टी 30 साल के अन्दर, जिसे मेहतर कहा जाता है, जो असल हरिजन है, उसके एक भी व्यक्ति को सामने नहीं लाई। आपने कभी उसको अवसर नहीं दिया। वर्गभेद के ऊपर आप चलते रहे। डिवाइड ऐंड रूल की राजनीति आप चलाते रहे। भूतपूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल ने जो एकीकरण की ओर हाथ बढ़ाया था अगर उनकी नीति को आगे बढ़ाते, उसके ऊपर आगे चलते तो देश को उस स्थान पर ले जाते जहां न हम रशिया के गुलाम बन कर रहते न अमेरिका के गुलाम बनते। हम भारतीय सिपाही के रूप में आगे बढ़ते और आज विश्व के जितने भी देश हैं वे हमारी ओर निगाह उठाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन यह दुर्भाग्य है तीस साल का। आज हमारे देश के अन्दर दुर्भाग्व से कहीं रशियन लाबी काम कर रही है, कहीं अमेरिकन लाबी काम कर रही है। कोई सोचने वाला है कि भारतीय लाबी कहीं काम कर रही है? किसी के दिमाग के अन्दर यह बात नहीं है। भारतीय लाबी की ओर ध्यान नहीं जाता। अगर कोई इस तरफ कदम बढ़ाता है तो कहा जाता है कि वह संकुचित विचार धारा का आदमी है। यह बड़े दुख की बात है। यह देश का दुर्भाग्य है— अनेक नेता होते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उनके गुणों का बखान उन की मृत्यु के बाद होता है। आप जय प्रकाश जी का उदाहरण लीजिए—उन की मृत्यु का समाचार आते ही आप ने राजनीतिक फायदा उठाना आरम्भ कर दिया। मैं कहना चाहता हूं—चाहे सत्ताधारी पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, राजनीतिक विचारधारा हमारी पार्टी के अन्दर हो सकती है, सत्ता के अन्दर हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र निर्माण का प्रश्न सामने आता है हम सब को एक राष्ट्रीय विचारधारा से आगे बढ़ना चाहिए, तब ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है।

30 सालों के अन्दर—क्या मैं पूछ सकता हूं—क्या किसी भी साम्प्रदायिक दंगे में कहीं भी संघ का हाथ दिखाई दिया? यदि संघ का कोई भी व्यक्ति किसी भी साम्प्रदायिक दंगे में पकड़ा जाता है तो आप उसे गोलो से उड़ा दीजिये, उस पर केस चलाइये, उस का ट्रायल कीजिये—मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं स्वयं संघ का सिपाही रहा हूं, संघ के एक महीने के कार्यकर्ता के अन्दर जो चरित्र निर्माण होता है, मैं उसके लिये कह सकता हूं कि जो कार्य वह करता है, जो राष्ट्र का चिन्तन वह करता है, आप का 30 साल का भी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। जो कार्यकर्ता सिगरेट नहीं पीता, जिसमें कोई चारित्रिक दुर्बलता नहीं है—आप उस के लिये आक्षेप लगाते हैं?

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पिछले दो सालों में जनता पार्टी के शासन में, हमारे गृह विभाग ने जो कार्य किया है, वह बहुत सराहनीय है। आप तीस सालों के अपने राज में कुछ नहीं कर सके, केवल वायदे ही करते रहे। लेकिन आज जब हम शासन में आये हैं, तो हमें कुछ सीखने का अवसर मिला है। कुछ गलतियां हमसे हो सकती हैं, हम उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये भी हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। मुस्लिम वर्ग के लिये भी काम कर रही है। आज हम देश के भावनात्मक एकीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी सरदार पटेल का रूप धारण करें और देश के भावनात्मक एकीकरण की ओर कदम बढ़ायें। आज हमारा उत्तर प्रदेश इतना विशाल है कि हमारे वहां के मुख्य मंत्री ज़िले के ज़िलाधीश, डी०आइ०जी० और एस०पी० को भी नहीं पहचानते, इसी लिये शासन में शुद्धता नहीं आ पाती। आपको ऐसे प्रान्त का विभाजन करके शुद्ध प्रशासन देने की व्यवस्था करनी चाहिये और इसके लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जो हमारी राष्ट्र भाषा है, जिसको संविधान ने राष्ट्र भाषा घोषित किया है, उसके लिये हमें चाहे कितनी भी तकलीफें उठानी पड़े—हमें एक रूपता लाने के लिये कदम बढ़ाना चाहिये। विरोध तो होता ही रहेगा, लेकिन हमें राष्ट्र के हित के लिये आगे बढ़ना चाहिये।

इसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स का मामला है—आज यह प्रश्न क्यों उठता है ? यदि आज उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होती, तो यह प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता, सम्प्रदायवाद का मामला भी समाप्त हो जाता। यहां पर हम दो सम्प्रदाय के एम०पी० हैं— हिन्दू और मुसलमान हैं, हम दोनों एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं—कहां समप्रदायवाद है ? लेकिन जिनकी मनोवृत्ति छोटी है, जिन में शिक्षा नहीं है, एक दूसरे के प्रति आदर और श्रद्धा का संस्कार नहीं है, उनमें ही ऐसी भावना पैदा होती है। इसलिये गृह विभाग को चाहिये कि जितने भी साधन उनके पास उपलब्ध हैं उनसे उनके अन्दर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करें।

मैं पुलिस विभाग के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है ? 30 सालों में किसने भाई-भतीजावाद पैदा किया ? आज कोई भी काण्ड हो जाता है—हमारे साठे साहब बोल रहे थे कि उन्होंने यह किया, वह किया—सारे-का-सारा दोष सरकार पर ही मढ़ना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं—आज जिस तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके मुकाबले में हमारी पुलिस का संख्या-बल कम है, हमें उनके संख्या-बल को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी संचार व्यवस्था को बढ़ाना होगा। गुण्डा तत्वों के अन्दर आज नई टैकनालाजी पैदा हो रही है, इसलिये हमें विज्ञान की ओर भी आगे बढ़ना होगा। आज हमारे यहां पूलिस थानों में सात सिपाही होते हैं, जिनमें से दो पेशी पर चले जाते हैं, दो किसी की अर्दली में चले जाते हैं, यदि कलैक्टर आ जाय तो दो उनकी हाज़री में चले जाते हैं, थाने में केवल एक सिपाही रह जाता है, जब कि उस थाने के अन्तर्गत 60 हज़ार जनता होती है। एक सिपाही उनकी क्या सुरक्षा करेगा। मैं तो यह कहूंगा कि समाज का मनोबल, समाज का संस्कार सुधरता जायगा तो चाहे उनकी संख्या कम भी हो तो भी काम चल सकता है। समाज अगर अच्छे संस्कारों वाले लोगों का होगा, तो जितने भी अपराध होंगें, वह सारे घटते चले जाएगें।

आज हम क्या देखते हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार ऐसे नहीं मिटेगा। मुझे यह कहते हुंए शर्म आती है कि हमारे हिन्दुस्तान में एक भाई दूसरे भाई से रिश्वत लेता है, तो उसकी गर्दन झुक क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं उसका सिर टूट जाता और क्यों नहीं रिश्वत देने वाले हाथ टूट जाते। आज एक भाई दूसरे भाई से रिश्वत लेता है, एक भाई दूसरे का गला दवा रहा है, दूसरे का खून चूस रहा है। जब भारतीयपन उसके अन्दर पैदा होगा, तो ये सारे दोष निकलते चले जाएगें। सारी बुराइयों की जो जड़ है वह यह है कि गरीब-अमीर की खाई बहुत बढ़ी है। जब व्यक्ति के अन्दर भारतीयता जाग्रत हो जाएगी, तो उसके अन्दर से ये दोष निकलते जाएगें। मैं पहले भारतीय हूं और फिर दूसरी कोई चीज़ हूं जब ऐसी मनोवृति नहीं होती है, तभी ये अवगुण पैदा होते हैं। खाने-पीने की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, केन्द्रीय सरकार रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबन्ध करे। मैं विस्तार में इसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कुछ सुझाव ही दूंगा।

सभापति महोदया : आपको 15 मिन्ट हो गये हैं, अब समाप्त कीजिए।

श्री चतुर्भुज : मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। वर्तमान स्थिति जो पैदा हुई है, उसके लिए राजनीतिज्ञ जिम्मेवार हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे दल-बदल का कानून इसी सत्र में लावें, लोकपाल बिल भी इसी सत्र के अन्दर लावें। राजनीतिज्ञों पर अंकुश हमेशा रहना चाहिए। जब राजनीतित्र भ्रष्ट होगें, तो सारा समाज भ्रष्ट होता हुआ चला जाएगा। हम दोष दूसरों को नहीं दे सकते। दगें राजनीतिज्ञ करवाते हैं, राजनीतिज्ञ भेद-भाव पैदा करवाते हैं और राजनीतिज्ञ सब कुछ करवाते हैं। जब इन्दिरा गांधी गिरफ्तार हुई, तो बसों के अन्दर आग लगा दी गई और सात आदमी जल गये, कोई लोग हवाई जहाज ले उड़े। देश के अन्दर गुण्डागर्दी कौन करवाता है, ये राजनीतिज्ञ लोग ही करवाते हैं, सत्ता में रहने वाले लोग नहीं करवाते। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राजनीतिज्ञ राष्ट्र हित को ध्यान में रखें। सत्ता के लिए चाहे वे लड़ें लेकिन राष्ट्र के लिए चिन्तन करें और एक होकर रहें।

* **श्री के० कुन्हम्बू** (ओट्टापलम) : सभापति महोदया, मैं इन मांगों का विरोध करता हूं। जनता पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात देश में सामाजिक संघर्ष ने जोर पकड़ लिया है। उत्तरी राज्यों में, जहां जनता पर्टी सत्ता में आई है, हजारों हरिजनों को निर्दयता से पीटा गया है। बेलची में हुई घटना तो केवल शुरूआत थी। बड़े-बड़े भू स्वामियों ने राजनीतिक शक्ति का सहारा लेकर बड़े नियोजित ढंग से हरिजनों का कत्ल किया है। 1978 में ही लगभग 412 हरिजनों का कत्ल किया गया और 450 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यद्यपि प्रधान मंत्री ने तथा सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने समय-समय पर कई घोषणाएं की हैं कि जो लोग हरिजनों पर अत्याचार करेंगे उनका निर्दयता से दमन किया जायेगा किन्तु ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं किया गया है। हरिजनों पर निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं।

आज स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि बिहार के मुख्य मंत्री को कहना पड़ा कि हरिजनों को हथियार दिये जायेंगे ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। इन सब बातों से क्या पता चलता है? इससे केवल यह पता चलता है कि जनता सरकार इस देश के हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है।

* मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं सरकार के ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा 1980 में समाप्त कर दी जायेगी। संविधान में आरक्षण के बारे में उपबन्ध नियमित करते हुए संविधान निर्माताओं ने इस बात की पूर्व कल्पना कर ली थी। हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोग शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नत समुदायों के स्तर तक 1980 तक पहुंच सकेंगे। किन्तु आज वास्तविकता यह है कि वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी लम्बी दूरी तय करनी है, अतः मैं पूरे जोर से मांग करता हूं कि समाज के इन वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दी जाये। मेरी दूसरी बात हरिजनों द्वारा इसाई धर्म अपनाने के बारे में है। धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान का ठोस आधार है। समाज के किसी वर्ग को इस कारण से मौलिक अधिकार देने से इन्कार करना कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, संविधान में निहित धर्म निरपेक्ष के सिद्धांतों के विरुद्ध है। केरल में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है और वे न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें भी वे सब सुविाएं दी जायें जो कि हरिजनों को दी जा रही हैं। काका कालेलकर आयोग, नत्तेर आयोग तथा कई अन्य आयोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है, वे आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से हरिजनों के समान पिछड़े हुए हैं। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध किया है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को हरिजन तथा अनुसूचित जाति के लोगों जैसा समझा जाये और उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जायें जो कि उनके हरिजन भाइयों को प्राप्त हैं किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इन सब अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इस संदर्भ में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व लोक सभा में क्या हुआ। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मण्डल ने एक चर्चा में बीच में गुस्से से बोलते हुए कहा कि इन हरिजनों ने अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म क्यों स्वीकार किया जब कि उन्हें अपनी सामाजिक अयोग्ता का पता था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी का इस तरह से करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इन लोगों को इनके अधिकार देने से इसलिए इन्कार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है। धर्म के आधार पर भेदभाव का यह स्पष्ट मामला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपना रवैया बदले और जो सुविधाएं हरिजनों को दी जाती हैं वे ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले लोगों को भी दें।

मुझे न्यायपालिका के बारे में एक शब्द कहना है। इस देश में न्याय हरिजनों के लिए दुर्लभ वस्तु है। यह एक कटु सत्य है कि देश के उच्चतम न्यायिक निकाय में अर्थात उच्चतम न्यायालय में आज तक एक भी हरिजन न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय को छोड़िये, जरा उच्च न्यायालयों में ही देख लीजिए। भारत के एक भी उच्च न्यायालय में एक भी हरिजन न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई। यही स्थिति जिला न्यायालयों में भी है।

केरल उच्च न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं किन्तु उनमें से एक भी हरिजन वर्ग का नहीं है। यदि हरिजनों को ऐसे पदों पर नहीं रखा जायेगा तो उन्हें न्याय कैसे मिल सकेगा।

लोकतान्त्रिक ढांचा न्याय के समुचित प्रशासन पर निर्भर करता है। यदि हरिजनों को देश की न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायेगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें न्याय मिल पायेगा। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि न्यायिक सेवाओं में हरिजनों को आरक्षण दिया जा रहा है। हरिजनों की समस्याओं पर बोलते हुए मुझे एक आधुनिक मलयालम कवि श्री कदम्मनित्ता रामकृष्ण द्वारा लिखी गई कविता याद आती है। जिसका भावार्थ इस प्रकार है :

> "आपने हमेशा हमारा शोषण किया है। आपने हमारा खून चूसा है और आज आप जो कुछ हैं हमारी बदौलत हैं। आपने हमें हरिजन की संज्ञा दी है। हम भगवान नहीं हैं। हम कीड़ों की तरह हैं किन्तु कीड़े नहीं हैं। हम सूख रहे हैं किन्तु हम फूल नहीं हैं। हम तो दास हैं।"

कवि ने इन पंक्तियों में हरिजनों की व्यथा का वर्णन किया है। आज भारत में हरिजनों की ऐसी ही स्थिति है।

यदि महात्मा गांधी की आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है और यदि लाखों हरिजनों को अच्छे मानव की तरह जीवन बिताना है तो उसका एकमात्र उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। केवल वही संगठन हरिजनों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है और उनकी आशाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है। देश में हरिजनों की जनता पार्टी के प्रति कोई रुचि नहीं है। वे जानते हैं कि जनता पार्टी के हाथों उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्द राम मिरी (सारंगढ़) : गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों ने इन पर बोलते हुए जो भाषण दिए हैं उनको मैंने सुना है। उनमें इतनी भी नैतिकता नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वे सत्य बात को भी स्वीकार करें। सारा दोष उन्होंने जनता पार्टी की सरकार पर मढ़ दिया है और सभी तथ्यों को उन्होंने नकार दिया है। यह जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? हमें सत्ता में आए हुए दो ही साल हुए है। हमसे अपेक्षायें बहुत अधिक की जाती हैं। हरिजन हरिजन चिल्लाया जाता है। मैं अपने इन बन्धुओं से कहना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में हरिजनों की जितनी उपेक्षा हुई है उसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती है। गाय बछड़ा इनका चुनाव चिन्ह था। गाय को ले कर के हरिजन रूपी बछड़े को इन्होंने अलग बांध दिया और गाय का दूध पी पी कर ये मोटे तगड़े होते गए हैं। इसका परिणाम आज भी हरिजन और आदिवासी भुगत रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आदिवासियों और हरिजनों की आड़ में ये लोग अपना स्वार्थ साधते हैं। इनके पास इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों आदिवासियों की पूंछ पकड़ करके ये अपनी वैतर्णी पार करना चाहते हैं। आप देखें कि···इन्होंने क्या किया है ? भारत की सर्वोच्च संस्था यह संसद् है। ये लोग भी बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं। लेकिन उनको सम्मान प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया है ? न यहां उनकी कोई फ़ोटो है और न ही सेन्ट्रल हाल में उनका कोई पोरट्रेट है और न उनके जन्म दिवस पर जो कि 14 अप्रैल को है कोई छुट्टी होती है, जबकि उनका योगदान किसी भी भारतीय महान नेता से कम नहीं है।

इसी प्रकार से अनेक जो कमियां हैं रिज़र्वेशन के बारे में, उनको जमीन आवंटन करने के बारे में, उनके जीवन स्तर को सुधारने के बारे में उनको यह सरकार धीरे-धीरे दूर करने में लगी हुई है। लेकिन खाली हम विरोध पक्ष को कोसते रहें, या अच्छे शब्दों में कुछ कहते रहें, इससे काम चलने वाला नहीं है। सचमुच में हरिजन, आदिवासियों की दशा बहुत बिगड़ी हुई है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी स्वयं एक हरिजन हूं और उनके नजदीक रहता हूं, उनके दुख दर्द को समझता हूं।

हम हरजगह कहते हैं कि रिज़र्वेशन की पोस्ट इसलिए नहीं भरी जा रही है, क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। यहीं लोक सभा और राज्य सभा में आप देखिए, मंत्रिमंडल में आप देखिए, कि कितने हरिजन मंत्री हैं ? यहां के लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय में जो कर्मचारी हैं उनमें कितने प्रतिशत हरिजन, आदिवासी हैं। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं समझता हूं कि उनका परसेंटेज बहुत कम है। बड़े-बड़े जो एस्टेबलिशमेंट्स हैं, अन्डरटेकिंग्स हैं, अभी कुछ महीने पहले मैं भिलाई गया था, वह प्लान्ट रूस की सहायता से बना है और 1956 से चल रहा है। वहां 57 हजार कर्मचारी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर की श्रेणी से चीफ़ सुपरिन्टेंडेंट और उसके समकक्ष जो पद हैं छठी श्रेणी तक के उसमें कोई भी हरिजन और आदिवासी का प्रतिनिधि नहीं है। एक ओर जहां हमारी जनसंख्या 1 बटे 3 है कुल जनसंख्या की, वहां उनके लिये नौकरी में कोई स्थान नहीं है। अभी तक यह कहते आये हैं कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं तो उपयुक्त बनाने की जिमेम्दारी किसकी है ? तो यह बड़ी विडम्बना है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, पर कुछ पोस्ट्स जो रिज़र्वेशन की हैं हरिजनों और आदिवासियों के लिए वह मैं आपको बताता हूं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, वहां पर जो रिजर्वेशन लागू है वह प्रथम और द्वितीय श्रेणी में 15 परसेंट है शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और 18 परसेंट है ट्राइब्स के लिए और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 16 परसेंट अनुसूचित जातियों के लिए और ट्राइब्स के लिए 20 परसेंट है। और नौकरी में कितने लोग हैं ? क्लास वन में 1 परसेंट, द्वितीय क्षेणी में 2.5 परसेंट ओर तृतीय क्षेणी में 11 या 13 परसेंट लगभग आता है जिसमें स्वीपर भी शामिल हैं। तो निषकर्ष निकलता है हम मन से इसको लागू नहीं करना चाहते। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितना बैक लॉग है उसको भरने के लिए स्पैशल एडहाक रेक्रूटमेंट ड्राइव चालू करें ताकि इनको भरा जा सके। और जिस प्रकार से हमने जो कहा है कि हरिजनों पर एट्रोसिटीज होंगी तो वहां के डी०एम० और एस०पी० को जिम्मेदार मानेंगे, उसी प्रकार से आप क्यों नहीं उस कर्मचारी को जिम्मेदार मानते हैं जो जानबूझ कर कैंडीडेट्स को फेल करते हैं और उम्मीदवार नहीं रखते हैं ? हमने तो यहां तक देखा है कि हरिजन और आदिवासी कैंडीडेट्स जो पुलिस फोर्स के लिए फिट हैं फिर भी उनकी ऊंचाई और सीने में कमी बता कर उनको नहीं रखेंगे। तो मेरा कहना है कि जानबूझ कर इन लोगों को नहीं रखा जाता है। जितनी भी हरिजन और आदिवासी के लिए स्कीम बनी हैं वह जड़ तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इसके लिए जो हरिजन कल्याण विभाग है उसमें जितने भी उच्च अधिकारी हैं वह सवर्ण हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, परन्तु वह इम्पलीमेंट क्यों नहीं करते हैं, इसका मुझे ग़िला है। तो मेरा अनुरोध है कि हम ऐसा जनमानस क्यों न बनायें, ऐसा वातावरण क्यों न बनायें, ऐसा विधेयक क्यों न लायें जिससे यह पोस्ट्स भरी जायें और उन्हें उनका दर्जा बराबर मिल सके। अभी हमारा जो रिजर्वेशन है, उसकी अवधि 26 जनवरी, 1980 को खत्म हो जायेगी। एक ओर तो आप कहते हैं कि जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको बराबरी

में लाना है, इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं, परन्तु कार्यरूप में आप उन्हें पीछे रखना चाहते हैं, सामने लाना नहीं चाहते हैं। उनको पिछले 30 साल में जब बराबरी का दर्जा नहीं दे पाये, उनके लिए जो मौलिक अधिकार संविधान के विभिन्न आर्टिकलों में दिये गये हैं, उनको भी मिनिमम नहीं दे पाये तो आप कैसे इसको खत्म करेंगे।

रिक्रूटमैंट का अर्थ लगाते हैं मिनिमम, या बहुत हो गया 2, 3 भर लिये। मैक्सिमम भरने के लिए किसने मना किया है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री इस ओर ध्यान दें और रिजर्वेशन की अवधि को कम-से-कम 20 साल और बढ़ाया जाये, तभी ये लोग समाज की बराबरी कर पायेंगे।

भारतीय संविधान के आर्टिकल 335 में सर्विस के लिए जो उपबन्ध बनाये गये हैं, उसके बारे में एक विधेयक यहां लाया जाना चाहिए और उसमें पनिशमैंट का भी क्लाज़ रखा जाये। इस देश के अन्दर उड़ीसा, मणिपुर और वेस्ट बंगाल में ऐसे विधेयक लाये गये हैं और वेस्ट बंगाल के विधेयक में पेनल क्लाज़ भी रखा गया है। जब स्टेट गवर्नमेंट यह कर सकती है तो सैंट्रल गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, लीड लेनी चाहिए।

एट्रोसिटीज़ सचमुच में बहुत हुई हैं। दुख की बात है। हमारे प्रधान मंत्री ने लाल किले पर 15 अगस्त को इस बात को स्वीकार किया था और कल भी उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में इसको स्वीकार किया है और खेद प्रकट किया है। आज हम स्टीफन साहब के भी विचार सुनेंगे और देखेंगे कि वह इसे पूरा करने में कहां तक सहायक होते हैं। एमर्जेन्सी की एट्रोसिटीज से निपटने के लिये हमने सपेशल कोर्ट्स बनाये हैं, हम इन लोगों पर हो रही एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिये क्यों नहीं स्पेशल कोर्ट बनायें और उसके लिये प्रिसाइडिंग आफिसर किसी हरिजन आदिवासी में से नियुक्त करें ? छूतछात को खत्म करने के लिये प्रधान मंत्री कहते हैं कि 5 साल में खत्म कर देंगे। 2 साल तो बीत गये हैं, 3 साल शेष रह गये हैं, पता नहीं इस अवधि में यह होगा या नहीं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि यह जो प्रोटैक्शन और सिविल राइट्स एक्ट है, उसके लिये मोबाइल कोर्ट चलाये जायें। मुझे नहीं मालूम कि होम मिनिस्ट्री ने इस बारे में क्या किया है, अभी 3 साल बाकी हैं। यह समाज के लिये बड़ा भारी कलंक है इसे हम सब स्वीकार करते हैं।

जिस प्रकार से और अनेक कमीशन बनाये हैं, माइनौरिटी कमीशन, शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन और दूसरे कमीशन, सचमुच में इनको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप उनको कम से कम पैनेलाइज़ करने का अधिकार नहीं दे सकते तो इतना तो करना चाहिये कि उनकी जो रिकमैंडेशन्ज़ हैं वह सरकार के लिये बाइंडिंग हों उनकी शाखाएं हर प्रान्त में हों इस तरह से काफी हद तक समस्या हल हो सकती है।

हरिजन आदिवासी क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उसमें लगातार 16 साल से अकाल पड़ता आ रहा है, वहां के लोगों की जीविका के लिये कोई उद्योग-धंधा भी नहीं है, आवागमन के साधन नहीं हैं, कोई काम इनके लिये वहां पर नहीं है। बाहर अन्य प्रान्तों में जब वे जाते हैं तो उनका वहां शोषण होता है।

मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले कांग्रेस शासन ने कई जिलों के एक-एक, दो-दो टुकड़ों को जोड़ कर हरिजन-आदिवासियों के पार्लियमेंटरी निर्वाचन-क्षेत्र बना

दिये थे—मैं समझता हूं कि यह हरिजन-आदिवासियों के साथ ज्यादती है। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए।

अनेक दफ़्तरों में रोस्टर मेनटेन नहीं किये जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की जाये कि रोस्टरों को ईमानदारी और कड़ाई के साथ मेनटेन किया जाये।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के डिपार्टमेंटल प्रोमोशन्ज में अधिकांश योग्य व्यक्तियों का भी नम्बर नहीं आता है। मैंने होम मिनिस्ट्री को मध्य प्रदेश का एक केस रेफ़र किया था कि मि० कुमार, सीनियर डिपुटी कलेक्टर, का तीन साल से नम्बर आ रहा है, लेकिन डी० पी० सी० ने कह दिया कि वह अयोग्य हैं। इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्री-मेडिकल टेस्ट में हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो छूट है, उसमें भी भेदभाव रखा गया है। आदिवासियों के लिए 20 प्रतिशत मिनिमम मार्क्स रखे गये हैं, जबकि हरिजनों के लिए हमारे प्रांत में 35 प्रतिशत रखे गये हैं। इतना बड़ा अन्तर क्यों रखा गया है? कहा जाता है कि मेडिकल कौंसिल इस पर ऐतराज़ करती है। मेडिकल कौंसिल केवल हरिजनों के बारे में ऐतराज़ क्यों करती है, वह आदिवासियों के बारे में ऐतराज़ क्यों नहीं करती है? जब वह आदिवासियों के बारे में ऐतराज़ नहीं करती है, तो उसे हरिजनों के बारे में भी एतराज़ नहीं करना चाहिए।

दिल्ली में भी बड़ा अन्धेर हो रहा है। पिछले महीने मैंने डेसू—दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान—का एक एडवरटाइज़मेंट देखा, जो कलर्कों और टाइपिस्टों की 150 पोस्ट्स के बारे में था। मुझे जान कर आश्चर्य हुआ कि उसमें साफ-साफ लिखा था कि हरिजन-आदिवासियों के लिए कोई स्थान रिज़र्व्ड नहीं है। इस ओर विशेष ध्यान देन की आवश्यकता है।

विभिन्न कार्यालयों में जो हरिजन-आदिवासी कार्यरत हैं, उन्हें विदेशों में नहीं भेजा जाता है। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और वे पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। गृह मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हरिजन-आदिवासी विदेशों में जा सकें।

इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते हैं कि ला एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि इसकी दोषी जनता सरकार है। इसके लिए पूरा समाज दोषी है, क्योंकि सरकार समाज से ही बनती है। मैं विरोधी पक्ष के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस समस्या को हल करने के लिए आगे आयें, न कि खाली आलोचना करते रहें। वे ठोस सुझाव दें और ठोस कार्यवाही करें, तभी हम आगे बढ़ पायेंगे।

वर्षों पहले पुलिस थाने में स्टाफ़ के बारे में जो 1-1-6 का फार्मूला लागू था, अभी भी वही जारी है। अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराधों के प्रकार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टाफ वही का वही है। उनके वेतन आकर्षक नहीं हैं, इसलिए उनमें भ्रष्टाचार बढ़ता है। वे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके लिए थाने में कोई जीप नहीं रहती है। कई जगह टेलीफोन नहीं हैं, टाइपराइटर नहीं हैं। इसलिए उनका मनोबल गिरता है। उनके मनोबल को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। उनके लिए आवास की भी कमी है, इसलिए उनके लिए आवास की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रिनचिंग खाण्डु खिमे (अरुणाचल-पश्चिम) : सभापति महोदया, आपात स्थिति के दौरान लोगों पर जो बेड़ियां बांधी गई थीं उनसे लोगों को मुक्त करने के लिए जनता सरकार ने जो कुछ किया है, उसके लिए वे गर्व कर सकते हैं। किन्तु अभी भी कुछ बेड़ियां हटानी शेष हैं। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं सर्वाधिक चिंतित इस बात से हूं कि देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिससे देश के अल्प संख्यक समुदायों तथा कमजोर वर्गों के लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया है। यह खतरे का सूचक है और जब तक हिंसात्मक गतिविधियों और हरिजनों पर किए जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये जाते तब तक पिछले लोगों में सत्ता रूढ़ दल के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता।

सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अल्प-संख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की समस्याओं का पता लगाने के लिए विभिन्न आयोगों की नियुक्ति की है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। किन्तु जब तक आयोगों के प्रतिवेदनों को कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक इनका कोई लाभ नहीं है। जो तत्व हिंसा फैलाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य के पास इन बातों से निपटने के लिए कई कानून हैं। यदि हिंसा जारी रहती है तो इसका अर्थ यह है कि कानूनों के कार्यान्वयन में कोई त्रुटि है क्योंकि वे इन घटनाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। इन समस्याओं को सख्ती से निपटाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों को भेजे गये परिपत्रों के बावजूद भी वे लोग इन समस्याओं को सख्ती से नहीं निपटाते हैं। यह चीज हमें समय-समय पर समाचारपत्रों तथा राजनीतिक अनुभव से प्राप्त होती है।

कमजोर तथा समृद्ध वर्गों के बीच वर्तमान टकराव का एक कारण मुझे यह दिखाई देता है कि कमजोर वर्गों के लोग प्राप्त अधिकारों का उपयोग नहीं करते। वे केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ते रहते हैं क्यों कि अब तक वे अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं। इस स्थिति को कुछ आसान बनाने का एक उपाय यह है कि उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान की जाए। इसके लिए हमें इन वर्गों के लोगों में से अधिकाधिक लोगों को पुलिस तथा अर्ध सैनिक बलों में भर्ती करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त शहरी हिंसा तथा सामाजिक तनावों की समस्या भी है। इसके अतिरिक्त देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या भी है जिसके कारण लोगों में निराशा पैदा हो रही है। महानगरों में लोंगों में, विशेषकर महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।

विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों की समस्यओं पर बोलते हुए मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनकी भर्ती तथा पदोन्नति के मामले में यद्यपि काफी प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी है। 1977-78 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या 18 से बढ़ाकर 168 कर दी गई और भारतीय पुलिस सेवा में 28 से बढ़ाकर 69 अधिकारियों की भर्ती की गई। भर्ती के बारे में समूचे आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण तुलना करना कठिन है। प्रथम श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के

लोगों के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण था। पहले 0.41 प्रतिशत स्थानों की पूर्ति नहीं की गई थी जो अब बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है। गत वर्ष नियुक्त की गई एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने यह बात स्वीकार की है। उन्होंने यह सिफारिश भी की है कि इस बैक लॉग को दूसरे करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इस दिशा में होने वाली प्रगति पर विचार करने के लिये वरिष्ठ सचिवों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए 3 से 5 वर्ष तक का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजातियों की विशेषरूप से नियुक्ति की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सेवारत लोगों के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी जानी चाहिए। जनजातियों के लोगों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के अनुसूचित जनजाति के लोगों को परीक्षा में भाग लेना संभव हो सकेगा और वे इन पदों पर नियुक्त हो सकेंगे। अन्यथा सामान्य पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत उनमें से अधिकांश पदोन्नति नहीं पा सकेंगे।

भर्ती की बात करते हुए मैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोठारी आयोग की सिफारिशों के बारे में लिए गये निर्णय का उल्लेख करता हूं। कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से एक भाषा में अनिवार्य रूप से एक प्रश्न पत्र होना चाहिए। इससे उत्तरी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है क्योंकि उनकी कोई भी भाषा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। अतः हमारी सरकार से सनिवेदन अपील है कि हमें या तो वह प्रश्न पत्र अंग्रेजी में करने की अनुमति दी जाए या फिर सात या आठ वर्ष का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए जिसके बाद आप हमें किसी भी एक भारतीय भाषा को सीखने के लिए कह सकें। चूंकि संघ राज्य क्षेत्रों के अपने सेवा नियम नहीं हैं, अतः विभिन्न राज्य अपने-अपने सेवा नियम बना सकते हैं उदाहरण के लिए नागालैंड के अपने सेवा नियम हैं। भर्ती, पदोन्नति आदि के बारे में उनके अपने नियम हैं। वहां पर यह व्यवस्था की गई है कि 80 से 90 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को भी अपने सेवा नियम बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वहां के अधिकांश जनजाति के लोगों को नौकरियां मिल सकें और वे अन्य लोगों के बराबर आ सकें।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग का संबंध है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकांश अधिकारी दुर्गम क्षेत्रों में जाने के इच्छुक नहीं होते। वे सोचते हैं कि दिल्ली ही सबसे बेहतर है। यदि किसी अधिकारी को किसी कठिनाई वाले क्षेत्र में भेजा जाता है तो वे यह समझते हैं कि उसे दण्ड दिया जा रहा है। राजधानी में जिस अधिकारी को सक्षम नहीं समझा जाता उसे आप किसी कठिनाई वाले क्षेत्र में इसलिए भेज देते हैं ताकि वह अपने आपको सक्षम बना सकें। जो अधिकारी आपके सामने ही सक्षमता से काम नहीं करता वह किस तरह उस क्षेत्र में सक्षम बन सकेगा। सरकार का यह दृष्टिकोण सही नहीं है। जो अधिकारी सक्षम न हो उसे राजधानी में ही रखा जाना चाहिए। आप उसे अपनी क्षमता

बढ़ाने के लिए कह सकते हैं या उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हाल में पारित किए गए स्थानीय धर्म स्वतन्त्रता विधेयक का बहुत प्रतिवाद किया गया। यह विधेयक किसी की भी धार्मिक स्वतन्त्रता को नहीं छीनता। यह बात मैं स्पष्ट कर दूं। हमने केवल इतना कहा है कि हमारे लोग अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि वे यह समझ सकें और निर्णय कर सकें कि उन्हें कौन-सा धर्म अपनाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश लोग सूरज और चांद की पूजा करते हैं। उनके धर्म का नाम डोनियोपोलो है। किसी को उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि हमारा धर्म अधिक अच्छा है, जिसे वे स्वीकार कर लें। यह धर्म परिवर्तन करने की अनुमति देने या न देने का प्रश्न नहीं है। हमारा कहना केवल इतना है कि जब तक हमारे लोग अन्य लोगों के स्तर तक नहीं आते तब तक किसी को भी उन पर अपना प्रभाव नहीं डालना चाहिए। अतः ऐसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह विधेयक धर्म प्रचारकों के विरुद्ध है जो कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं।

कई बातें कही गई हैं। कुछ दिन पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया था कि गिरजाघर तोड़े गए हैं। कहा गया कि जनजाति के लोगों को अपनी पसन्द की ईसाई लड़की के साथ विवाह नहीं करने दिया गया। वास्तव में उसने ईसाई लड़की के साथ ही विवाह किया उसे ऐसा करने से किसी ने नहीं रोका। केवल उसके कुछ शुभ चिंतकों ने उसे कहा कि बेहतर यह है कि वह अपनी ही जाति की किसी लड़की से विवाह कर ले। वह कैसे कह सकता है कि उसे ईसाई लड़की से शादी करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीमडिक्का में तेंगा घाटी में प्रतिवर्ष क्रिश्चियन फादर्स क्रिसमस मनाते हैं। अतः इस सम्मानीय सभा को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। यह विधेयक लोगों की राय से पारित किया गया था। विधान सभा ने इसे मतैक्य से पारित किया था। वास्तव में यह विधेयक गैर-सरकारी विधेयक के रूप से पेश किया गया था। अतः भविष्य में इस विधेयक के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त तनाव का तो पता ही है। 5 जनवरी को आसाम-नागालैंड सीमा पर हुई घटना के बाद यह तनाव और अधिक बढ़ गया। इसका आसात, मेघालय, तथा अरुणाचल प्रदेश पर प्रभाव पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के लोग शांति प्रिय हैं। उनमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। भूमि के अंतरण के बारे में 1951 का अधिनियम विधान सभा ने उस समय पारित किया था जब कि वहां हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था। यह एक पक्षीय ढंग से पारित किया गया था। और इसे चुपचाप राष्ट्रपति की सहमति भी दे दी गई। यह केवल एक समर्थ कारी विधान था किन्तु इसे एक अनिवार्य विधान में बदल दिया गया और सभी मैदानी क्षेत्र आसाम को अंतरित कर दिए गए। जब यह केवल समर्थकारी विधान था तो आप इसे अनिवार्य विधान का रूप कैसे दे सकते हैं ? आसाम में कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं जो कि उसी सिद्धान्त के आधार पर अरुणाचल प्रदेश को अंतरित किए जाने चाहिए।

वहां बहुत तनाव है। हमारे कुछ लोगों को पीटा गया। आसाम के एक मंत्री ने देखा है कि हमारे कुछ लोगों को किस तरह बाजार में पीटा गया। उन्होंने उन्हें बचाया और अस्पताल

भेजा। हमारे लोगों ने बदले में कुछ नहीं किया। कुछ मनगढ़न्त कहानियां प्रचालित की गईं कि आसाम के लोगों को पीटा गया तथा उनके घर जला दिए गए। ये सब झूठी बातें हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मुझे कल ही अरुणाचल प्रदेश के छात्र संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सारी बातें विस्तृत रूप से बताई हैं कि किस तरह हमारे लोगों के साथ आसाम में मारपीट की गई। वे कहते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह समस्या हल की जानी चाहिए। नेता लोग इस बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं और किसी निष्कर्ष पर पंहुचने के लिए कई प्रयास किए गए हैं किन्तू शरारती लोग ऐसी स्थिति का फायदा उठाने की कौशिश करते हैं जिनका कुप्रभाव निर्दोष लोगों पर पड़ता है। जब नागालैंड और आसाम के बीच विवाद चल रहा था तो कुछ अवांछनीय तत्वों ने कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी थीं। आसाम तथा अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद के बारे में भी ऐसा ही किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति करे जिसमें सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

गृह मंत्रालय सभी मंत्रालयों की धुरी है और यह स्वाभाविक है कि गृह मंत्रालय के समुचित कार्यकरण से अन्य मंत्रालयों को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलेगी। इस सूची में गृह मंत्रालय के कई उद्देश्यों तथा लक्षणों का उल्लेख किया गया है। किन्तु जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है गृह मंत्रालय देश की विभिन्न समस्याओं को हल करने में असफल रहा है। मैं भी इस बात को पूरी तरह समझता हूं क्योंकि शायद यह मंत्रालय कई बार बिना मंत्री के चलाया गया है। यद्यपि इसमें दो राज्य मंत्री हैं। फिर भी काफी समय तक इसमें कोई मंत्री नहीं रहा है। जब श्री चरण सिंह ने त्याग-पत्र दिया तो प्रधान मंत्री स्वयं इसकी देखभाल कर रहे थे जिसके कारण उन्हें सभी समस्याओं पर गहराई से विचार करने का समय नहीं मिल पाया।

प्रधान मंत्री को हम प्राय: लोकतंत्र का राग अलापते सुनते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह लोकतंत्र का क्या अर्थ लगाते हैं। यह जनता पार्टी के अपने ढंग का लोकतंत्र हो सकता है। वह "तुलनात्मक" लोकतंत्र की बात कहते हैं। मैं "तुलनात्मक" लोकतंत्र क्यों कहता हूं? जब हम अपनीं समस्याओं को बताते हैं, जब हम कोई मामला उठाते हैं, जब हम देश के लोगों की समस्याओं के बारे में कहते हैं तो तत्काल मंत्री जी उत्तर देंगे "देखिए" कांग्रेस शासन के दौरान ऐसी स्थिति थी। अत: वे भूतपूर्व सरकार के उदाहरण देकर अपने गलत कार्यों को न्यायोचित ठहराने के लिए तुलना करने का प्रयास करने लगते हैं। वे स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वे अतीत की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखना चाहते। लोकतंत्र का वास्तविक कार्यकरण वैसा नहीं होता जैसे कि हम उसका प्रचार करते हैं। इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र एक प्रकार का संस्थान होता है जिसमें संसद्, विरोधी दल, निडर समाचार-पत्र तथा लोकमत यह सभी मिलकर यह संस्थान बनता है। जहां तक इस देश में लोकतंत्र के कार्य-करण का सवाल है उसके बारे में उनका कहना है कि वह बहुदलीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं परन्तु जहां तक मेरे अनुभव का सवाल है, उसके अनुसार स्थिति कुछ भिन्न ही है। मैं अन्डमान

द्वीप समूह—जो कि यहाँ से काफी दूर है—का प्रतिनिधित्व यहां करता हूँ। जनता सरकार का यह दावा है कि आपातकालीन स्थिति समाप्त कर दी गई है। परन्तु देश के उस भाग में जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, अभी भी आपातकालीन स्थिति है। वहां केवल एक सदस्यीय प्रशासक है, जो कि मुख्य आयुक्त है। आपातकालीन स्थिति के दौरान भी वहां सभी प्रकार की ज्यादतियां इसी व्यक्ति द्वारा की गई और यहि वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध सभी राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई, सभी ने उसकी भर्त्सना की तथा उसके बारे में मंत्री महोदय को ज्ञापन तथा सरकार की ज्ञापन दिया था कि इस व्यक्ति को वापस बुला लिया जाये परन्तु इसके बाबजूद भी हमने यह देखा कि गृह मंत्री तथा गृह मंत्रालय द्वारा इसी व्यक्ति को प्रात्साहित किया जा रहा है।

सरकार सदा लोकतंत्र का राग अलापती रहती है। हमारे यहां यह लोकतंत्र किस प्रकार से चल रहा है, इसका मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे द्वीप में विधान सभा नहीं है। वहां का कार्य केवल दो सलाहकार समितियों द्वारा ही चलाया जाता है। एक सलाहकार समिति मुख्य मंत्री से सम्बद्ध है तथा दूसरी केन्द्र के गृह मंत्रालय के साथ। उस सलाहकार समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत प्रधानों, नगरपालिका सदस्यों तथा जन-जातियों के मुखियों द्वारा किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार सलाहकार समिति की वर्ष में दो बैठकें होनी चाहिये। परन्तु वर्ष 1977 तथा 1978 में इस समिति की केवल एक ही बैठक हुई। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह बताया गया कि क्योंकि सलाहकार समिति का गठन देर से किया गया था इसलिए उसकी केवल एक ही बैठक हो पाई। अब प्रश्न यह उठता है कि सलाहकार समिति का गठन करने में विलम्ब क्यों किया गया? उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या इसकी जिम्मेदारी राज्य क्षेत्र के लोगों की है, पंचायत प्रधान की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की? इसका दायित्व इनमें से किसी का नहीं है। इसका दायित्व तो प्रशासन पर ही है, प्रशासन का तात्पर्य है सरकार पर तथा गृह मंत्रालय पर। क्यों? क्योंकि सरकार लोकतंत्र के प्रति सम्मान रखती है, वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करती है तथा वह लोगों की शिकायतों को दूर करने लिए उत्सुक है, सम्भवत: इसीलिए केवल एक ही बैठक हो सकी।

इसके बाद फिर क्या हुआ? 26 तथा 27 जून, 1978 को मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें कि गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के लिए 5 गैर-सरकारी सदस्यों का चुनाव किया गया। परन्तु इसके शीघ्र ही बाद भारत सरकार ने एक नया निदेश जारी किया जिसमें अडंमान प्रशासन से कहा गया कि वह इस मामले पर पुन: विचार करें तथा वहां फिर से चुनाव हों? यह किस लिए? यह इसलिए कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए तीन व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सके। जब यह बैठक हुई थी उस समय भारत सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि इसके सदस्यों को मनोनीम किया जा सकता और इसलिए उन्होंने वैधानिक तौर पर गठित निकाय के निर्णय को रद्द कर दिया। यद्यपि ऐसा करने के लिए कोई नियम या कानून नहीं है परन्तु फिर भी उन्होंने एक कार्यकारी आदेश द्वारा ऐसा कर दिया। यह है इनका लोकतंत्र के प्रति सम्मान।

इसके बाद क्या हुआ? मैं 24 अगस्त, 1978 के सिगनल संख्या 2-22/78 पी०यू०वी० की प्रति से पढ़ रहा हूं जोकि अंडेमान पीर्टब्लेयर से गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया।

"चूंकि निर्वाचित सदस्यों में बहुमत तथा मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति में दो पदेन सदस्यों में अधिकांश सदस्य कांग्रेस दल के थे इसलिए सलाहकार

समिति के साथ जनता दल को सम्बद्ध करने के लिए उसके दो सदस्य मनोनीत करने पड़े। श्रीमति मुरीकुट्टी अम्मा तथा श्री गुरधर सिंह कलन, इन दोनों के नाम स्थानीय जनता दल के अध्यक्ष श्री अंगत सिंह ने मंजूर कर दिये जबकि उनके बारे में मुख्य आयुक्त ने उनके साथ विचार किया।"

यह है उनके लोकतंत्र का वास्तविक रूप जिसे यह क्रियान्वित करते हैं तथा जिसका वह गान करते रहते हैं। इसलिए तो मैंने यह कहा है कि अंडेमान निकोबार अभी भी ऐसा द्वीप समूह है जहां का आपात स्थिति विद्यमान है।

जब वहां के लोगों ने मद्यनिषेध की मांग की तो चूंकि वह संघ शासित क्षेत्र था, इसलिए उनकी इस मांग को पूरा करने का दायित्व गृह मंत्रालय का था और उस समय गृह विभाग भी प्रधान मंत्री के पास ही था। परन्तु इसके बाबजूद भी पिछले ही वर्ष वहां शराब की दुकानें नीलाम की गईं। अतः यह है उनके अपने लक्ष्य के प्रति सम्मान। वह कहते कुछ है तथा करते कुछ हैं। इनके कथनी और करनी में भारी अन्तर है। अयः हमारे यहां तो इस प्रकार का लोकतंत्र जल रहा है।

महोदया, एक अन्य बात यह भी है कि यह क्षेत्र एक ऐसा दूरगम्य स्थान है कि जो अधिकारी बहुत ही निकम्मा होता है तथा उसे दिल्ली के उपयुक्त नहीं समझा जाता है उसे अंडेमान, लक्ष्यद्वीप, अरूणाचल प्रदेश आदि भोज दिया जाता है। क्या ऐसा करना उन लोगों के प्रति न्यायजनक है? गृह मंत्रालय का कार्य तो राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करना है। तो फिर क्या सिविल सेवा के सभी अवांछनीय अधिकारियों को अंडेमान निकोबार द्वीपसमूहों में भेजना ही आपकी राष्ट्रीय एकता की योजना का अंग कहा जा सकता है? सज़ा देने के लिए, आप उन्हें वहां भेज देते हैं।

श्री वसंत साठे: उन्हें "काले पानी" भेज दिया जाता है ···

श्री मनोरंजन भक्त: परन्तु यह लोग वहां जा कर हर प्रकार की शरारतें करते रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। वह लोग वहां जा कर जानबूझ कर गलत काम करते हैं ताकि हम सदस्य लोग संसद् में उनकी शिकायतें करें तथा उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया जाये। अतः इस प्रकार के प्रयोग आगे के लिए बंद कर दिये जाने चाहिये। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कर लेगी।

एक अन्य बात यह हे कि हमारी सलाहकार समिति भी है तथा अन्य कुछ संगठन भी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हमारा जीवन दर्शन या हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग है। परन्तु जहां तक वहां विकास कार्यों को आरम्भ करने का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमने कभी राजनीति को पनपने नहीं दिया। परन्तु अपना पूरा सहयोग देने से हमारे भरपूर प्रयत्नों तथा प्रशासन को दिये गये सम्पूर्ण सहयोग के बावजूद भी मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि भारत सरकार ने कभी भी हमें विश्वास में नहीं लिया है।

इस बार वहां सैलूलार जेल के सम्बन्ध में समारोह का आयोजन किया गया। इसे राष्ट्रीय समारक के रूप में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। हम लोग जो कि उस क्षेत्र के निवासी हैं, हमारे लिए यह काफी गर्व का अवसर था। परन्तु हुआ क्या? वहां के मुख्य प्रशासक

ने एक स्वागत समिति का गठन किया और इस स्वागत समिति के सभी के सभी सदस्य सरकारी थे उनमें एक भी गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं रखा गया जैसे कि हम सभी अछूत हों। इस सदन में सदस्य अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अछूतों तथा हरिजनों की बात करते रहते हैं । मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वहां अधिकारियों को तो उच्च वर्ग के लोग माना जाता है तथा इन लोगों के साथ हरिजनों या अछूतो का व्यवहार किया जाता है । वहां कोई हमारी परवाह नहीं करता। जहां तक बैठने की व्यवस्था का सम्बन्ध है, वहां एक ओर तो सारी सरकारी अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दी जाती है, संसद्-सदस्यों सहित सभी दूसरे लोगों को दूसरी ओर बिठाया जाता है क्यों कि वह लोग हमें अछूत मानते है। अतः हमारे साथ वहां इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है।

वहां पर अनेक विकास कार्य किये जाने चाहिये। 169 गांव ऐसे हैं जहां कि पीने के पानी की भारी कमी है । वहां पीने का पानी नहीं है। लोग पीने के पानी के लिए चिल्लाते रहते हैं परन्तु उसका कुछ नहीं होता। सरकार आये दिन ग्रामीण लोगों के समर्थन का दावा करती रहती है परन्तु हमारे ग्रामीण बजट में इतनी कटौती कर दी गई कि हम अपने गांवों में सड़कें भी नहीं बना सकते हैं । कश्ती तथा अन्य इसी प्रकार की सुविधाओं की स्थिति भी ऐसी ही है। ऐसा क्यों ? ऐसा इसीलिए है कि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए इनके मन में कोई सम्मान नहीं है।

मैं गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि वह हमारी समस्या को समझ तो पाये हैं। केवल मुख्य बात यही है कि गृह मंत्रालय उनकी बात को मानने या उसे करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि जब वह मिसल पर कुछ लिखते हैं तो मंत्रालय उसके बारे में कुछ और ही करने के लिए लिखता है। पिछले वर्ष चौधरी चरणसिंह ने मिसल पर लिखा था कि वर्तमान मुख्य आयुक्त को वहां से शीघ्र ही हस्तानंतरित कर दिया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया क्योंकि गृह मंत्रालय यह नहीं चाहता था कि ऐसा हो।

इसलिए मैं सरकार तथा सदन से यह निवेदन करता हूं, देश की एकता को बनाये रखने के लिए, गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए तथा देश के इस दूरगम्य क्षेत्र की जनजातियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस सम्पूर्ण तंत्र को लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया जाना चाहिये। लोगों को यह अधिकार देना चाहिये कि वह सरकार के कार्यकरण के साथ अपने आपको सम्बद्ध कर सकें। एक संसद् सदस्य के जानते मैं अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सकता क्योंकि वहां मेरे जीवन को मुख्य आयुक्त से खतरा है। अतः इस प्रकार जनता सरकार द्वारा लोकतंत्र को बहाल करने की बहुत शर्मनाक वकालत की जा रही है ···

सभापति महोदया : अब सभा कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात् 6-00 बजे।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 4 अप्रैल, 1979/14 चैत्र, 1901 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

———

मुद्रक : सबिना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद